राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 35वां दिवस [संख्या 24

बृहस्पतिवार

दिनांक 22-3-1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, समाज कल्याण, उद्योग, नगर आयोजना, गृह, अकाल सहायता, जन-स्वास्थ्य, जन-सम्पर्क, वित्त, खाद्य, श्रम व कृषि-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री बनवारीलाल, श्री रामगोपाल शिशोदिया, श्री दिनेश डांगी।

पदोन्नतियों में आरक्षण

673. **सर्व श्री बनवारी लाल, श्री रामगोपाल शिशोदिया (खण्डार), दिनेश डांगी** (देसूरी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के बजट सत्र में राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के पदोन्नति पर विभिन्न पदों पर 28 प्रतिशत का आरक्षण लागू करने का सदन में आश्वासन दिया था कि इस प्रकार का आरक्षण दो माह में लागू कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के परिपत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1972 के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के केन्द्रीय सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी तक सभी विभागों में पदोन्नत पदों पर आरक्षण लागू किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा दो माह में आरक्षण लागू करने के आश्वासन के बावजूद भी इस सम्बन्ध में कोई कदम किन कारणों से नहीं उठाया गया तथा इस सम्बन्ध में अब कब तक आदेश लागू कर दिये जावेंगे ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राज्य सेवा में विद्यमान अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कर्मचारियों के उच्चतर पदों पर पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दो माह के भीतर अन्तिम रूप से

(राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन)
निर्णय लेने सम्बन्धी आश्वासन दिया गया था। कितने प्रतिशत का आरक्षण हो इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन पर प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हुआ एवं आदेश निकट भविष्य में जारी करने की संभावना है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्षजी, मैं 4 सितम्बर, 1969 की राजस्थान पत्रिका लाया हूँ। भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने आश्वासन दिया था जो इसमें छपा है। मैंने क्लेरिफिकेशन चाहा था लेकिन आपने दिया नहीं। राज्य सरकार यदि आश्वासन देती है तो प्रशासन को बचाने के लिये सदस्यों पर दबाव न डाला जाय। सरकार जो भी कहे उसका पालन जल्दी होना चाहिये।

प्रश्न संख्या 674

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तोड़गढ़) : क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकती हूँ ?

एक माननीय सदस्य : आप ऑथारिटी लायी हैं ?

प्रश्न संख्या 675

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला कुमारी : बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय 674

श्री अध्यक्ष : अन्त में ले लेंगे।

श्री चेताराम।

सवाई माधोपुर जिले में जोइस्ट का वितरण

676. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर को राजस्थान लघु उद्योग निगम, जयपुर से 1972-73 के लिये 5 टन जोइस्ट (गर्टर) का आवंटन जिले के लिये लघु उद्योगों को उद्योग भवन बनाने हेतु दिया गया था और यह मात्रा अन्य जिलों की तुलना में बहुत ही कम है ? जिलावार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस जोइस्ट की मात्रा जिला उद्योग अधिकारी, सवाई माधोपुर ने उद्योग धंधों को वितरण न करके दूसरे कार्यों को (दिनांक 9-12-72 की बैठक में) दी है जिनका उद्योग धन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिला वितरण की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस जोइस्ट का सदुपयोग न होकर जिन्हें यह वितरण किया है उन्होंने ब्लेक में बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जिला सवाई माधोपुर

(राज्य मंत्री उद्योग)

को राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा 1972-73 के वर्ष के लिये 17 मैट्रिक टन जोइस्ट का आवंटन किया गया। यह माल अन्य जिलों की तुलना में कम है। जिलेवार आवंटन की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वितरण जिला उद्योग अधिकारी ने नहीं किया है परन्तु जिला सलाहकार समिति द्वारा किया गया है (दिनांक 11-12-72) जिन उद्योगों को आवंटन किया गया उनकी सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) इसकी जांच करवाई जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सवाई माधोपुर को जो माल अलॉट किया गया है वह अन्य जिलों की तुलना में कितना कम है और कम मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि किस किस जिले को कितना मिला और सवाई माधोपुर को कितना मिला और कितना फर्क है। कारण यह है कि जो भी आवंटन किया जाता है उसके लिये जो रॉ-मैटीरियल कमेटी बनी हुई है वह जिलेवार मांग यूनिट्स की होती है उसको असेस करके ओवर आल अलॉटमेन्ट करती है। उसके बाद में यूनिट्स को अलॉटमेन्ट का काम जिला सलाहकार समिति के द्वारा किया जाता है जो कि जिलेवार बनी हुई है।

श्री मीठालाल (लालसोट) : सवाई माधोपुर को जो आपने अलॉटमेन्ट किया है उसमें से तीन टन आपने हिसारिया प्रेसट्रेस एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स, जयपुर को अलॉट किया है यह किस आधार पर किया है ? रॉ-मेटीरियल कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं ? जो आपने सूची दी है वह 17 जिलों की है और जिलों को क्या बिलकुल नहीं दिया गया ? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसमें एड्रेस दिया हुआ है। उनका हैड ऑफिस जयपुर में है और इन्डस्ट्री सवाई माधोपुर में है इसलिये उनको अलॉटमेंट किया गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है उसमें उद्योग धन्धों के एसोसियेशन के भी मेम्बर हैं। वह अलॉटमेन्ट करती है।

श्री मीठालाल : सवाई माधोपुर के नाम से है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री चेतराम : सूची में जो 2, 3 व 4 पर जो नाम दिये हैं उनके उद्योग धन्धे किस श्रेणी में आते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह उद्योग धन्धों में नहीं है। कन्स्ट्रेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स फोर इन्डस्ट्रीज के लिये हैं इसलिये दिया है।

श्री चेतराम : उद्योग धन्धों के लिये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या दूसरे उद्योग धन्धे नहीं थे जो इनको दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उद्योग धन्धों पर जो समाचार उपलब्ध हुए वह कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिये डिमान्ड की गयी थी इसलिये उन संस्थाओं को भी दे दिया ।

श्री मीठालाल : तीन टन सवाई माधोपुर की इस इन्डस्ट्री को दिया तो क्या उसका उपयोग हो गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह पहली पार्टी है हिसारिया प्रेसट्रेस एण्ड एलाइड प्रोडक्टस जयपुर, दूसरी पार्टी है नेहरू कॉलेज ऑफ एजूकेशन, हिण्डौन सिटी उसको तीन टन अलॉट हुआ । उसने पूरा उठा लिया । बाकी की दो पार्टीज हैं उन्होंने नहीं उठाया ।

श्री मीठालाल : क्या उन्होंने उपयोग कर लिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरी जैसी जानकारी है उपयोग कर रहे हैं । प्रश्न रखा है इसलिये फिर जांच करवा रहे हैं कि वाकई उपयोग कर लिया है ।

श्री चेतराम : एक का हैड क्वार्टर जयपुर में था इसलिये दिया । क्या राजस्थान से बाहर कोई इन्डस्ट्री है और उसका हैड ऑफिस यहां है तो क्या उसको भी दिया जावेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि इन्डस्ट्री सवाई माधोपुर में ही है इसलिये सवाई माधोपुर के कोटा से दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री सुरेशचन्द्र ।

डिग्री कॉलेज कोटपुतली क्रमोन्नति

677. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार आगामी सत्र में कौन कौन से डिग्री कॉलेजों को क्रमोन्नत कर पोस्ट डिग्री कॉलेज बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपुतली डिग्री कालेज राजस्थान में छात्र संख्या व अन्य दृष्टि से प्रथम है ? यदि हां, तो सरकार क्या आगामी सत्र से इनको क्रमोन्नत करने की स्वीकृति करेगी ?

राज्य मन्त्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह): (1) चतुर्थ योजना में वर्ष 1973-74 में किसी भी डिग्री कालेज को पोस्ट डिग्री कॉलेज में क्रमोन्नत करने के लिये प्रावधान नहीं रखा गया है ।

(2) जी हां । यह सही है कि कोटपुतली कालेज में छात्रों की संख्या अन्य डिग्री कालेजों की अपेक्षा अधिक है परन्तु उपरोक्त अनुसार यह संभव नहीं है ।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि गत सत्र में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि कोई भी डिग्री कालेज पोस्ट डिग्री कालेज में प्रमोट नहीं किया जावेगा ?

श्री जुझार सिंह : जी हां । यह मुझे पता नहीं है । लेकिन लास्ट ईयर किसी को नहीं किया ।

श्री सुरेशचन्द्र : चूरू कालेज में गत सत्र में पोस्ट डिग्री कोर्सेज शुरू किये गये थे ।

श्री जुझारसिंह : उस कॉलेज में पब्लिक ने डोनेशन दिया था।

श्री सुरेशचन्द्र : इस सम्बन्ध में यह जानकारी दी गयी थी कि उसको पोस्ट डिग्री कालेज नहीं किया है। चूरू में इस-लिए किया चूंकि चूरू किसी प्रभावशाली व्यक्ति की कोन्सटीटयूएन्सी है।

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल वैद) : चूरू किसी की कांस्टीटयूएन्सी नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : डिस्ट्रिक्ट है। तो क्या पब्लिक डोनेशन दिया जाय तो किया जायगा ?

श्री जुझारसिंह : जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके लिय कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : गत वर्ष यह कहा गया था कि जन सहयोग मिलेगा तो करेंगे। जन संपर्क से किया तो वहां भी जन संपर्क के लिये कहते हैं तो हमें उसके लिये कोई ऐतराज नहीं है। जन सहयोग हुआ तो क्या क्रमोन्नत करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : चूरू में भी जन संपर्क नहीं किया। लोगों की इच्छा थी और उन्होंने एप्रोच किया।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या जन सहयोग हुआ तो प्रमोट करेंगे ?

प्रश्न संख्या 678

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : इस क्षेत्र से सम्बन्धित है इस लिये आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष : समय होने पर।

प्रश्न संख्या 679

श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 680

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)।

प्रश्न संख्या 680

श्री अध्यक्ष : ऑथोरिटी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, ऑथोरिटी सबमिट कर दी है।

श्री अध्यक्ष : कल के लिये थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो सारे सेशन के लिये थे।

Page No 6

6

श्री अध्यक्ष : सारे सैशन के लिये ऑथोरिटी नहीं मानी जाती ।

श्री लूणाराम ।

बन्दियों के खुले केम्पों में भेजने के लिये आवेदन-पत्र

681. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या कारागार गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की विभिन्न जेलों में बन्दी लोगों को खुले केम्पों में भेजने के लिये सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उन नियमों के अनुसार कितने समय पश्चात् बन्दी को खुले केम्पों में भेज दिया जाता है ?

(2) उक्त नियमों के अनुसार आज तक कितने बन्दी खुले केम्पों में भेजे गये हैं और इस अवधि के पार किये कितने कैदी अभी तक खुले केम्प में नहीं भेजे गये है तथा ऐसे बन्दियों को खुले केम्प में न भेजने का क्या कारण है ?

(3) ऐसे कितने बन्दी लोगों के प्रार्थना-पत्र खुले केम्पों में भेजने के लिये कितने लम्बे समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

(4) ऐसे विचाराधीन आवेदन-पत्रों पर कब तक फैसला कर इनको खुले केम्पों में भेज दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री, (श्री ओंकार लाल **चौहान**) : (1) जी हां । राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम 4 के अनुसार कैदियों को निम्न प्रकार से खुले शिविर में भेजा जा सकता है ।

(i) वे कैदी जिन्हे 5 से 10 वर्ष के बीच में दण्डादेश दिया गया है, दण्डादेश का तीन चौथाई भाग पूरा कर लिये जाने पर ।

(ii) वे कैदी जिन्हें 10 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक का दण्डादेश दिया गया है को दो-तिहाई परन्तु इस प्रकार भुगता गया दण्डादेश 7½ वर्ष से कम नहीं हो, पूरा कर लेने पर ।

(iii) वे कैदी जिन्हें 15 वर्ष से अधिक दण्डादेश दिया गया है को दण्डादेश का आधा, परन्तु इस प्रकार भुगता गया दण्डादेश 10 वर्ष से कम न हो, पूरा कर लेन पर ।

(2) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत अब तक 600 बन्दियां को विभिन्न खुले शिविरों में भेजा गया है । जो बन्दी स्वेच्छा से खुले केम्पों में जाने के लिये प्रार्थना-पत्र नियमानुसार प्रेषित करते हैं उनको कारागृह अधीक्षक की सिफारिश होने पर राज्य सरकार की स्वीकृति से खुले शिविर में भेज दिया जाता है ।

राजस्थान खुला शिविर नियम, 1972 स्वीकृत होने से पूर्व वर्ष 1955-56 से दिसम्बर 1972 तक अच्छे आचरण वाले, विवाहित, तथा लम्बी सजा के बन्दी अपनी सजा के एक-चौथाई भाग पूरा करने पर, खुले शिविर में भेजे जाते थे और जनवरी 73 से नये नियमों के अन्तर्गत खुले केम्पों में बन्दियों को भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(मंत्री, कारागार)

वर्ष 1955-56 से दिसम्बर 72 तक 594 वन्दियों को खुले केम्पों में भेजा गया था तथा नये नियमों के अन्तर्गत अब तक 6 वन्दियों को ओपिन केम्पों में भेजा गया है।

(3) तीन वन्दियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिनमें तीनों ही चार माह की अवधि के हैं। राज्य सरकार को उनके लिये पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होती है इसमें विलम्ब हो जाता है।

(4) वन्दी यदि नियमानुसार योग्य पाये गये तो उन्हें खुले शिविर में भेजने के आदेश नियमानुसार शीघ्र जारी कर दिये जायें।

श्री लूणाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि तीन वन्दियों के प्रार्थना-पत्र वाकी है, जब कि यह सही बात है कि नियमों के अन्दर अनेक वन्दियों के प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। मंत्री महोदय अपने विभाग की पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं। नियमों में आने वाले कितने वन्दी हैं क्या अब उनको भजने की व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री ओंकार लाल चौहान : मैंने निवेदन किया केवल तीन वन्दी हैं जिनका मामला विचाराधीन चल रहा है। पहले ज्यादा थे। अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्स्टान्स वतायेंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय 7 वन्दियों के प्रार्थना-पत्र तो अकेले गंगानगर से हैं जिनको मैंने स्वयं ने मूव किया है और वहां की सिफारिश है। आप कह रहे हैं तीन ही हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : सब निपटा दिये गये हैं। अब केवल तीन रह गये हैं।

श्री लूणा राम : वाकी के सब कैदी.....

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसी को ओपिन शिविर में भेजा जाता है तो उसका पूरा रेकार्ड स्क्रूटीनाइज किया जाता है, उसका विहेवियर जेल में कैसा रहा, रेमिशन कितना दिया गया। इस सबको देखने के बाद मौका दिया जाता है ओपिन जेल में जाने के लिये।

एक माननीय सदस्य : यह रॉग इनफार्मेशन जो दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना आपको नहीं चाहिये। वे ऑथोरिटी से कह रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : तीन वन्दी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : How can you challenge the information given by him ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरे पास पूरा रेकार्ड है। मैं डेट बता सकता हूं कब कब उनको भेजा गया।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): राज्य सरकार कोई एक समिति बना दे जिसमें आई० जी० भी हो। वह कमेटी इसका फैसला करे।

मुख्य मंत्री (श्री वरकतुल्ला खां) : जहां तक मुझे जानकारी है उसके अन्दर सबका कम्पलीट रेकार्ड आता है। बिहेवियर कैसा रहा, रेमिशन कितना हुआ वह पूरा रेकार्ड आता है और वह पर्याप्त होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लेकिन जिले के इन्सपेक्शन के लिये एक एम०एल० ए० को ऑथोरिटी देते हैं आप एक या दो एम० एल० ए० की समिति बना दीजिये। पहले इस प्रकार की कमेटी थी। वह फंक्शन करती थी, अब बन्द हो चुकी है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, जेल की एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसके आधार पर सारा काम होता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठा लाल

अध्यापकों के बकाया बिलों का भुगतान

682. **श्री मीठा लाल (लालसोट) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य के अधिकांश अध्यापकों के चिकित्सा, एरियर्स तथा यात्रा बिलों की राशि का कई वर्षों से सरकार द्वारा चुकारा नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक चुकारे की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : इस वर्ष चिकित्सा व यात्रा बिलों के एरियर्स चुकाने हेतु 16 व 13 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और शीघ्र ही भुगतान कराने का प्रबन्ध किया जावेगा। एरियर्स के चुकारे हेतु ही बजट का प्रावधान किया गया है।

श्री मीठालाल : यह 16 लाख चिकित्सा के लिये और 13 लाख यात्रा बिलों के लिए किस महीने तक पर्याप्त होंगे ?

जुझार सिंह : 31 मार्च तक।

श्री मीठालाल : यह तो जून 72 से दिसम्बर 72 तक के लिए ही पर्याप्त होंगे। जो 16 लाख और 13 लाख का प्रावधान रखा है यह तो दिसम्बर तक ही के चुकाये जायेंगे, फिर भी बकाया रह जायेंगे। हर विभाग में हर महीने का कोटा रखते हैं तो इस विभाग में भी इस प्रकार का······

शिक्षा मंत्री (श्री चन्दन मल वैद): शिक्षा विभाग ने यह कहा है 16 लाख और 13 लाख से काम चल रहा है। लेकिन साथ में यह कहा गया है 31 मार्च से पहले के बिल रह जायें तो रि-एप्रोप्रियेशन करके सारे बिलों का भुगतान इसी साल करा दिया जाय।

श्री मीठालाल : कितने का प्रावधान रखेंगे।

श्री चन्दन मल वैद : जो इस साल के जितने बाकी रह जायेंगे 31 मार्च तक वे सब पेमेन्ट कर दिये जायेंगे–इस तरह के आदेश दे दिये गये हैं। 16 लाख, 13 लाख का आवंटन कर दिया गया है और यह कहा गया है कि और राशि की जरूरत हो तो रि-एप्रोप्रियेशन करके भुगतान कर दें।

श्री मीठालाल : भविष्य के लिये क्या नीति है अध्यापकों के लिये ? भविष्य में फिर इसी तरह बकाया रहते रहेंगे। भविष्य के बारे में क्या करेंगे ?

श्री चन्दन मल वैद : 31 मार्च तक निपटारा हो गया। अगले साल की राशि आवंटित कर दी गई है और कमी बेसी होगी तो सोचा जायगा।

श्री मीठालाल : पहले से ही क्यों नहीं प्रावधान कर दिया जाता है ? दो चार

(श्री मीठालाल)
करोड़ की राशि पहले से ही क्यों नहीं रख देते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपको निवेदन कर दिया गया कमी वेसी होगी तो सोचा जायगा। आप कह रहे हैं 2-4 करोड़ का प्रावधान रख दें वह तो होगा नहीं।

श्री मीठा लाल : दो-चार करोड़ का तो नहीं लेकिन उचित प्रावधान तो किया जाय। अध्यापक फिर हड़ताल करेंगे। पहले से क्यों नहीं प्रावधान रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री छंगानी और श्री श्री राम गोटेवाला।

सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

683. **सर्व श्री मोहनलाल छंगानी** (फलोदी) **एवं श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर स्थित सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया ?

(2) अधिग्रहण की तिथि को कुल कितने मूखण्ड किस श्रेणी के थे व कितने अधिग्रहण से पूर्व आवंटित हो चुके थे व कितने आवंटन के लिये उपलब्ध थे ?

(3) अधिग्रहण करने की तिथि से 31 जनवरी, 1973 तक इस क्षेत्र के आवंटन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में किस किस को व किस तिथि को कौनसी श्रेणी का भूखण्ड आवंटित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जिन जिन इकाइयों ने मूखण्ड आवंटन हेतु पहले प्रार्थना-पत्र दिये, मूखंडों का आवंटन उनको न किया जाकर मनचाहे ढंग से किया गया ? यदि नहीं, तो कृपया यह बतावें कि जिस जिस इकाई को जिस तिथि को मूखंड आवंटित किया गया उस तिथि से पूर्व जितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हुए थे ?

(5) क्या यह सही है कि जिन जिन इकाइयों ने मूखंड आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे उनको आज तक मूखंड के आवंटन किये जाने या आवंटन नहीं किये जाने की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कृपया प्रार्थना-पत्र की तिथि व इकाई को उत्तर देने की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रश्न का उत्तर अभी आया नहीं है इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके यह प्रश्न पूछा गया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया इसको स्थगित किया जाय।

श्री श्री राम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जुलाई से इस इश्यू को उठाया है अब तक यह स्थगित होता आ रहा है। एक अधिकारी है जिसने सारी बस्ती सुदर्शनपुरा में अवैधानिक रूप से आवंटन किया है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया। चलिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौनसी डेट को आ जायगा ? उस अधिकारी ने, अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा मकान खरीदा है और केवल 600 रु० उस अधिकारी को मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष : Next turn.

श्री निरंजन नाथ आचार्य ।

अकाल राहत कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच ।

684. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (जयपुर, हवामहल) :[**श्री निरंजन नाथ** आचार्य (मावली) की अनुपस्थिति में] : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968-69 और 1969-70 में भीलवाड़ा एवं पाली जिले में अकाल राहत कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच करने हेतु श्री रूंगटा, आई. ए. एस. तथा अन्य दो अधिकारियों की जांच करने हेतु एक समिति नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो किन किन आदेशों के अन्तर्गत यह नियुक्ति हुई ? कृपया उन आदेशों की एक प्रति सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस समिति ने अपना जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) भीलवाड़ा में जो अनियमिततायें हुई उनकी जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति की गई थी । बाद में, अधिकारियों के तबादले हो जाने से समिति के सदस्यों को समय समय पर बदलने के आदेश दिये गये । आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

पाली जिले में सीमेन्ट खरीद के एक मामले की जांच के लिये भी एक समिति की नियुक्ति की गई थी । अधिकारियों के तबादले होने से इसके सदस्यों को भी समय समय पर बदलना पड़ा । आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जहां तक भीलवाड़ा जांच का सम्बन्ध है, जांच अभी चालू है । जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

पाली जिले की जांच के मामले में जांच समिति की सिफारिश पर यह मामला दिनांक 17-3-72 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जांच हेतु प्रेषित किया गया । अभी तक उस विभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या कलेक्टर, भीलवाड़ा और कलेक्टर, पाली ने जो जांच की थी उसमें अनियमिततायें पा गयी हैं क्या यह बात सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर, भीलवाड़ा और कलेक्टर, पाली ने जांच के लिए अपने सुझाव दिये थे कि यह ऐसा मामला है जिसमें जांच होनी चाहिए । इसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर कि वह

(श्री परसराम मदेरणा)
जांच करवाना चाहते हैं राज्य सरकार ने जांच कमेटी बैठाई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या 3 वर्ष निकल जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री परसराम मदेरणा : वस्तुस्थिति की जानकारी दे दी गयी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि इसमें बड़े बड़े मंत्री श्री रामप्रसाद जी लड्ढा भूतपूर्व मंत्री और पाली के कई कांग्रेसजन लिप्त हैं इसलिए आप इसकी जांच करवाने में कतरा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री लड्ढा का कोई मामला इसमें नहीं है और कौनसे महत्वपूर्ण एम० एल० ए० इसमें हैं ? पाली के मामले को एण्टी-करप्शन को दे दिया है। प्रिलिमिनरीइन्क्वायरी के बाद और जैसा निवेदन किया कि इसमें आफिसर्स के तबादले हो गए इसलिए जो कमेटी बनी है उसके स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेन्स कन्वीनर हैं और वह जांच कर रहे हैं और जांच प्रारम्भ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पाली के संबंध में जो प्रतिवेदन आपके पास में प्रस्तुत हुआ है प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के बाद और जिसको आपने एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को आगे कार्यवाही के लिए दिया है, यह मामला अकाल का है। अकाल के बारे में मनचन्दा कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिसके कारण अनुदान लेते समय काफी रूकावट आती है। क्या मंत्री महोदय से आशा करें कि 17-3-72 को जो आपने जांच के लिए दिया है इसकी एक प्रतिलिपि आप सदन की मेज पर रखेंगे और सदस्यों को बतायेंगे ताकि मालूम हो सके कि अकाल के समय कितना घोटाला हुआ और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता हूं कि उन्होंने प्रिलिमिनरी जांच करने के बाद में एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को जब यह मामला दे दिया है, माननीय सदस्य खुद जोधपुर हाई कोर्ट और जुडीकेचर के लीडिंग एडवोकेट हैं, जब इनवेस्टीगेशन एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट करता है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपने आप फोर्स में आता है और उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि चालान किया जाये तो उस समय मामला अदालत में जाता है। वह रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को दे देना चाहिये, तो उस रिपोर्ट से कोई हल निकलने वाला नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय गिरधारीलाल भार्गव ने पाली जिले के कांग्रेसजनों के लिए कहा है। मुझे खेद है कि उन्हें यह तो पता ही नहीं है कि कौन वह कांग्रेसजन हैं और न पता है कि पाली क्षेत्र कैसा है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको भी जानता हूं और कांग्रेसजनों को भी जानता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को आगे जांच के लिये दिया है उसको सदन से छिपाने से मंत्री महोदय की क्या मन्शा है ? यदि उसमें कुछ नहीं हैं तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करवाई है, इसका मतलब है कि उसके अन्दर प्राइमा-फेसी केस साबित हुआ। उसके बाद ही एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को देने की आवश्यकता हुई। मैं समझता हूं कि यह अकाल का मामला है, इसमें बहुत घोटाले हुए हैं। इसके बारे में यहां विधान सभा में और बाहर काफी कहा गया है और सारे राजस्थान की जनता इससे आन्दोलित रही है। इसलिए इस प्रतिवेदन को यदि सदन में रखा जाये तो आपको इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार किसी बात को, जो करप्शन से संबंधित हो छुपाना नहीं चाहती। उन्होंने जांच की है या नहीं या प्रिलिमिनरी कहा है कि एन्टी-करप्शन से करवा लेनी चाहिए–वह पेपर्स मेरे पास नहीं हैं इसलिए मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को टेक्निकल शिक्षा

685. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महामहिम राष्ट्रपति महोदय की उद्घोषणा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को टेक्निकल शिक्षा मिल सके के आधार पर कोई योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या योजना तैयार की जायेगी ?

(3) यदि हां, तो कब तक ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) पंचम पंचवर्षीय योजना के लिए अभी प्रारूप तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

वाटर वर्क्स, रायसिंहनगर

686. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायसिंहनगर वाटर वर्क्स का निर्माण कब हुआ था तथा इससे नगर को कब पानी देना आरम्भ किया तथा इसकी क्षमता कितनी आबादी के लिए थी ?

(2) क्या यह सही है कि आज रायसिंहनगर की आबादी उस समय से जब वाटर वर्क्स से पानी देना प्रारम्भ किया था दुगनी के करीब हो गई है और वह वाटर वर्क्स नगर की पानी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में राज्य के मुख्य मंत्री ने रायसिंहनगर में एक आम सभा में इस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
वाटर वर्क्स को विकसित करने का आश्वासन दिया था ? क्या आश्वासन पूरा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या यह आश्वासन पूरा किया जायेगा ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) रायसिंहनगर वाटर वर्क्स का निर्माण सन् 1963 में पूर्ण किया गया था और तब ही से नगर को पानी देना आरम्भ किया गया, उस समय इसकी क्षमता 5000 की आबादी के लिए थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां, पुनरुत्थान योजना जिसकी कि अनुमानित लागत 6.05 लाख रुपये है बनाई जा चुकी है, योजना विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब तक लागू हो जायेगी ? यह विचार कब तक चलता रहेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : धन की उपलब्धि पर निर्भर है। अगर आप कुछ रायसिंहनगर के लोगों को उत्साहित करके कुछ धन दिला सकें तो ज्यादा जल्दी हो सकेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रायसिंहनगर की नगरपालिका धन देने के लिए तैयार है, जो लोगों का ही धन है और उन्होंने कमिटमेण्ट भी किया है और मुख्य मंत्री जी को दिया था और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया तब ही तो बनी है और यह आश्वासन भी दिया था कि आधा या तीन-चौथाई धन देने के लिए तैयार हैं तो जल्दी करवा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक चौथाई धन का तो कमिटमेन्ट मैं करता हूं कि नगरपालिका दे देगी।

श्री चन्दनमल बैद : थोड़ा सा और आगे बढ़ें मेरा भी दिल बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 687

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 688

श्रीमती भगवती देवी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 689

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(विराम)

एक माननीय सदस्य : एबसेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : Not absent, but absent-minded.

मान वर्कर्स यूनियन का ज्ञापन

690 **श्री गिरधारीलाल भार्गव** : (हवामहल, जयपुर) :क्या उद्योग मंत्री यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मान इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन और उनकी सब्सीडियरी मान स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के संबंध में मान वर्कर्स यूनियन द्वारा कोई ज्ञापन दिनांक 5-10-72 को मुख्य मंत्री को प्रस्तुत किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ज्ञापन में कई भंयकर अनियमितताओं का उल्लेख है ? यदि हां, तो इस ज्ञापन के संबंध में अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) कृपया ज्ञापन में उल्लिखित तथ्यों व इस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनी वाल) : (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार ने मान वर्कर्स यूनियन के ज्ञापन में उल्लिखित अनियमितताओं पर मान स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के संचालक से टिप्पणी मांगी तथा इस विषय पर राज्य संचालकों ने भी संचालक मण्डल की बैठक में विचार विमर्श किया। संचालक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं संचालक मण्डल में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्पनी के विरुद्ध कोई विशिष्ट कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई। कम्पनी की स्थिति सुधारने हेतु मेने द्वारदिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति पर राज्य संचालकों द्वारा कड़ी निगाह रखी जा रही है।

(3) ज्ञापन की प्रति एव उसके संबंध में प्राप्त हुए संचालक के उत्तर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची—विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा अपना सामान निर्माण कराये जाने के लिए जो स्टील का कोटा दिया गया था उसका ब्लैक मार्केट कर दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष, जो आपत्ति थी और उसका जो जवाब दिया है उसके उपरान्त जो विचार विमर्श हुआ उसके बाद जो स्थिति बनी है वह सारी इसमें उल्लिखित है और आपकी जानकारी के लिए पेश की हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या यह सही है कि प्रावीडेंट फण्ड ई०एस०आई० का रूपया जो मजदूरों के हिसाब का जमा होता है वह मान इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ने जमा नहीं कराया और क्या यह कानूनी अपराध है ? अगर है, तो क्या सरकार ने कम्पनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेष्टा की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह ज्ञापन की आपत्तियों में से एक आपत्ति है उसका जवाब संचालक मण्डल ने दिया है और उसके उपरान्त ऐसी स्थिति जानकारी में नहीं आती इसलिए सन्तोषजनक माना गया।

श्री अध्यक्ष नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 691

श्री मोहरसिंह

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जगमोहनसिंह

तेंदू पत्ते पर बिक्री कर

692. **श्री जगमोहनसिंह** (छाबड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील छीपाबड़ोद, जिला कोटा में सन् 1967 से सन् 1972 तक तेंदू पत्ते से कितनी बिक्री कर की राशि वसूल की गई और कितनी बकाया है ?

(2) उक्त समय में कितनी तेंदू पत्ते की उपज सालपुरा रेलवे स्टेशन से जो कोटा-बीना रेलवे लाइन पर है बाहर भेजा गया है और क्या इस पर बिक्री कर वसूल किया गया है या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए मैं आवेदन कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड !

श्री जगमोहन सिंह : Till next day.

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

ग्राम पानेरिया की मांदड़ी में आदिवासी लोगों के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था

693. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर गांव पानेरिया की मांदड़ी में आदिवासियों के मोहल्ले में पीने के पानी के लिए नल लगाने की मांग नगरपालिका द्वारा समाज कल्याण विभाग को की गई है ? यदि हां, तो क्या विभाग ने आदिवासी मोहल्लों में नल बिछाने के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी है ?

(2) क्या यह सही है कि पानेरियों की मादड़ी में सवर्ण लोगों के मोहल्लों में पानी पीने के नल लगाये गयें हैं और आदिवासियों के मोहल्लों में नहीं लगाये हैं ? यदि हां, तो क्या समाज कल्याण विभाग ने आदिवासी मोहल्लों के लिए कोई योजना बनाई है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, पूरे मांदड़ी गांव में एक भी सार्वजनिक नल नहीं लगा हुआ है।

श्री देवीलाल : नहीं, नहीं का जवाब तो मिल गया लेकिन मांदड़ी गांव में क्या नल ही नहीं लगे हुए हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : सार्वजनिक नल नहीं लगा हुआ है ?

श्री देवीलाल : जी हां, सार्वजनिक नल नहीं लगा हुआ है। क्या सरकार जो आदिवासी और दूसरे मोहल्ला में हैं उसमें नल लगाने की कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसा कोई प्रस्ताव वहां का नहीं आया है। अगर ट्राइबल एरिया है, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एरिया है तो वहां की स्कीम बनवा लें और उसको यहां भिजवा दें तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही अवश्य की जावेगी। क्योंकि इस काम के लिए काफी रुपया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपका कोई कर्त्तव्य नहीं है....

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आपकी तरफ से भी तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रपोजल नहीं आया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पानेरिया की मादड़ी तो म्युनिसिपल एरिया में है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह तो आपकी खुले आम घोषणा है कि आदिवासी मोहल्ले में आपके द्वारा सार्वजनिक नल लगाया जाएगा। उनका प्रपोजल नहीं पहुंचा तो क्या होता है?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। जहां पम्प एण्ड टैंक स्कीम होती है वहां एक ही सार्वजनिक नल होता है जहां से सब कोई पानी भरते हैं वहां पर अलग सार्वजनिक नल लगाना संभव नहीं है अलग से। जो दो हजार से ऊपर की आबादी का एरिया है और जहां पर पाइप स्कीम होती है और दूसरे किसी को पाइप से पानी दिया जाता है वहां निश्चित रूप से जो आदिवासी एरिया है, शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स का एरिया है उसमें सार्वजनिक नल लगाया जाता है। लेकिन जहां पर पम्प एण्ड टैंक स्कीम है वहां पर एक जगह पर सभी उसी नल से पानी भरते हैं वहां पर अलग से आदिवासी मोहल्ले में या शिडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मोहल्ले में अलग से नल लगाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर ऐसा है तो भी पानेरिया की मादड़ी तो म्यूनिसिपल एरिया में है, वहां पर सार्वजनिक नल क्यों नहीं लग सकता?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर आप आदिवासियों के मोहल्ले में अलग से नल नहीं लगा सकते तो फिर क्या सुविधा आपने उनको दी है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : वहां पर तो वाटर वर्क्स की स्कीम है वहां पर नल लगाने में क्या दिक्कत है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब एक ही नल लगा हुआ है और उसी पर सब बड़े बड़े लोग पानी भरते हैं और वहीं पर आदिवासी लोग भी पानी भरते हैं तो फिर आदिवासियों को आपने विशेष सुविधा क्या प्रदान की है?

श्री चन्दनमल बैद : सवाल यह है कि जहां दो हजार से ऊपर की आबादी है और पाइप लाइन सिस्टम है वहां तो यह हो सकता है लेकिन जो दो हजार से कम आबादी का एरिया है और जहां पर पम्प एण्ड टैंक स्कीम है, वहां पर एक टैंक होता है और उसके नीचे पम्प लगा होता है जिसमें चार पांच नल लगे हुए होते हैं उसमें से सब लोग पानी भरते हैं। चाहे आदिवासी हों, हरिजन हों, मुसलमान हों, हिन्दू हों, ब्राह्मण हों, सभी वहां से पानी भरते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह पानेरिया की मादड़ी तो म्युनिसिपल लिमिट में है और यहां पर पाइप सिस्टम है ....

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यहां विधान सभा के अन्दर बजट में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और आदिवासियों के मोहल्ले में सार्वजनिक नल की व्यवस्था की जावेगी और उसके लिए पैसे का प्रावधान भी किया गया, उसके बाद भी अगर आदिवासियों के मोहल्लों में, हरिजनों के मोहल्लों में अलग से नल की व्यवस्था नहीं होती है तो यह तो बड़े अफसोस की बात है ।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो समझ की बात है । यह टैंक एण्ड पाइप स्कीम दो हजार से कम की आबादी के लिए है । जो दो हजार से पांच हजार तक की आबादी है और जहां पर पाइप की स्कीम है, जो आदिवासी मोहल्ले हैं, पिछड़ी जाति के मोहल्ले हैं उनमें निश्चित तौर पर हम नल लगायेंगे और उनके लिए प्रावधान किया जाएगा ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है । पानेरिया की मादड़ी उदयपुर नगरपालिका के क्षेत्र में है और म्युनिसिपल एरिया डिक्लेयर्ड है । तो क्या समाज कल्याण मंत्रीजी यह आश्वासन देंगे कि वहां पर जो उदयपुर नगरपालिका का वाटर वर्क्स है उससे जो आदिवासि मोहल्ले हैं उनके अन्दर सार्वजनिक नल लगाने की, पब्लिक हाईड्रेंट स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर नगरपालिका एरिया है तो...

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर का सवाल ही नहीं है । वह नगरपालिका एरिया में है ।

श्री ओंकारलाल चौहान : वहां पर व्यवस्था की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : यह तो भाषा की प्रणाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजीतसिंह ।

हायर सैकेण्डरी स्कूल, टोंक में राजनैतिक शास्त्र विषय की पढ़ाई की व्यवस्था

694. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि टोंक शहर के हायर सैकेण्डरी स्कूल में राजनैतिक शास्त्र विषय नहीं पढ़ाया जाता जब कि कॉलेज व सैकेण्डरी स्कूल में यह विषय पढ़ाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करने पर विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : यह सही है कि टोंक शहर के हायर सैकेण्डरी स्कूल में राजनैतिक शास्त्र नहीं पढ़ाया जा रहा है इस विषय की पढ़ाई महाविद्यालय से प्रारम्भ होती है अतः व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अजीतसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैंने सिविक्स के बारे में प्रश्न पूछा था । अगर सिविक्स की क्लासेज की व्यवस्था करा दें तो ठीक रहेगा ।

श्री जुझारसिंह : सिविक्स के लिए ऐसा है कि 73-74 में तो हमारे पास किसी विषय को बढ़ाने का प्रावधान नहीं है इसलिए अभी तो सम्भव नहीं है ।

श्री अजीतसिंह : दिक्कत यह है कि हमारे यहां हायर सैकेण्डरी में सिविक्स नहीं है । सैकेण्डरी में जो लड़के पास होकर हायर सैकेण्डरी में आते हैं उनमें तो सिविक्स नहीं पढ़ाई जाती और कॉलेज में फिर सिविक्स पढ़ाई जाती है तो बीच में ब्रेक हो जाता है और इससे बड़ी दिक्कत होती है ।

श्री जुझारसिंह : जब नए विषय खोलने का प्रावधान होगा उस वक्त इस पर विचार किया जा सकेगा, इस साल तो सम्भव नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : नया विषय खोलने का प्रश्न ही कहां है । सैकेण्ड्री में सिविक्स पढ़ाई जाती है और फिर कॉलेज में पढ़ाई जाती है, हायर सैकेण्ड्री में ही नहीं है तो यह तो बीच में ब्रेक होता है, इसमें नया विषय खोलने का प्रश्न कहां है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली) ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केवल सब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक साल नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है तो एक साल तक नागरिक नहीं रहेंगे ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल (पाली) ।

पाली तहसील में खाद्य वितरण की व्यवस्था

695. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली तहसील और शहर के लिए खाद्यान्न वितरण हेतु कितने व्यक्तिगत और कितनी सहकारी समितियों की नियुक्ति रिटेलर की हैसियत से की गई है और उनके नाम व पते व कार्य क्षेत्र सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन रिटेलर्स को उनकी नियुक्ति के पश्चात् कब कब, कितना कितना अनाज वितरण हेतु दिया गया और राशन कार्डों की मिकदार के अनुसार कितना कितना धान दिया जाना चाहिये था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे रिटेलर्स का निरीक्षण कब कब किया गया और उसका क्या नतीजा रहा ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) (2) (3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शंकरलाल : क्या राज्य सरकार की नीति सहकारी समितियों को कोटा देने की है ? और क्या उस नीति का पालन किया गया है ? अध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए न तो कोई ऑफर दी गई और न ही उनकी कोई नियुक्ति हुई है ।

श्री परसराम मदेरणा : जो 89 रिटेलर्स की लिस्ट दी है उसमें 49 कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं और 39 दूसरे हैं····

श्री शंकरलाल : वह तो ठीक है, आपने संख्या बताई है। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार की यह नीति है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय तो क्या इस नीति का पालन हुआ है? मेरा आरोप यह है कि इस नीति का पालन नहीं हो रहा है। सहकारी समितियां इसको लेने को तैयार है लेकिन उनका आफर दिए बिना ही रिटेलर नियुक्त कर लिए गए?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है कि सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जावे। उस प्राथमिकता देने के वक्त में पहले सहकारी समितियां आगे आई नहीं तो किसी दूसरे इण्डीविजुअल को दे दी गई। राजस्थान फूडग्रेन आर्डर के तहत इस प्रकार के प्रावधान हैं और वे अपीलेबल हैं। वहां बिना किसी ग्राउण्ड के दिए हुए कोई आदमी को कैन्सिल करते हैं तो वह अपीलेबल है। पहले तो सहकारी समितियां तैयार नहीं हुई और जब दूसरे को दे दिया तो अब चूंकि सहकारी समितियां तैयार हो गई और उधर रिटेलर को अपॉइन्ट कर दिया तो उसको कैंसिल करने का कार्य राज्य सरकार आर्बीट्रेरीली नहीं कर सकती है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि सहकारी समितियां आगे आती हैं तो पहले उनको ऑफर देना पड़ता है। लेकिन ऑफर तो तब दें जब उनको पता चले। उनको पता ही नहीं चला और रिटेलर को अपोइन्ट कर दिया गया।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो सूची दी है कि कितना कितना धान वितरण के लिए अलॉट किया गया। जन संख्या के आधार पर जितने धान की आवश्यकता थी उसके अनुसार अलाटमेंट नहीं हुआ है?

तीसरा प्रश्न यह है कि जो निरीक्षण की सूची दी है, उसमें 87 में से सिर्फ 37 का निरीक्षण हुआ है और वह भी मनमाने तौर पर। जहां रसद अधिकारी होते हैं और जिनके बारे में शिकायतें होती हैं उनका तो रसद अधिकारी निरीक्षण नहीं करते और मनमाने ढंग से निरीक्षण करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इंस्पेक्शन जो उन्होंने किया है, अलग अलग तारीखों पर, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी पाली जिले के अन्दर टोटल जो एन्फोर्समेंट स्टाफ लगा हुआ है जिसमें 14 व्यक्ति है, जिनमें 7 इंस्पेक्टर 5 एन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक ए० डी० एस० ओ० और 1 डी० एस० ओ० है। अभी जो वहां पर काम कर रहे हैं उनमें केवल 4 व्यक्ति 14 में से हैं। 1 डी० एस० ओ० 1 एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर और 2 इंस्पेक्टर हैं पूरे पाली जिले के अन्दर। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि पूरे पाली जिले की पापूलेशन दस लाख और कुछ है और जिस तरह से खाद्यान्न के कोटे का डिस्ट्रिब्यूशन होता है, भारत सरकार पहले हमको अलॉटमेंट करती है और हम डिस्ट्रिक्ट वाईज अलग अलग अलॉटमेंट करते हैं और इस मामले में लगे हुए थे। अब हमने कुछ और पोस्ट क्रियेट की है और डेढ़ सौ, पोने दो सौ लोगों को अपोइन्ट भी किया है खाद्यान्न के व्यापार के सिलसिले में। जब यह

(श्री परसराम मदेरणा)
रिक्रूटेड स्टाफ भर्ती हो जाएगा और उनका पोस्टिंग हो जाएगा तो ज्यादा अच्छी तरह से जांच कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य ।

श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण) : एक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : पूछिए ।

श्री सुखलाल सेणचा : डी० एस० ओ०, पाली के खिलाफ काफी शिकायतें हैं और वहां सहकारी समितियों को कोटा नहीं दिया जाकर छोटे छोटे रिटेलर्स को अधिक कोटा दे दिया, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार जांच के बाद कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की कोई शिकायत राइटिंग में नहीं आई है । कोऑपरेटिव सोसायटी के धान देने के सम्बन्ध में जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई गई है क्योंकि इस बारे में कुछ शिकायत थी, उनकी जांच रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है । इसके अलावा दूसरी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य ।

आबू रोड व मण्डार पुलिस थाने में दर्ज मामले

696. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में आबू रोड व मण्डार पुलिस थाने में गत वर्ष कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितने केस बरामद किए गए और कितने चालान किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आबू रोड निवासी श्रीमती सूकी पुत्री सोनाजी को गत वर्ष जवाई बांध रेल्वे स्टेशन से तीन अभियुक्तों ने फरार किया था तथा उसकी रिपोर्ट आबू रोड जी० आर० पी० पुलिस थाने में दर्ज होकर कार्यवाही हुई थी ? यदि हां, तो उस केस का चालान अभी तक क्यों नहीं किया गया ? चालान नहीं करने में दोषी कौन है तथा कब तक चालान कर दिया जायगा ?

(3) इस केस में पुलिस ने क्या क्या वस्तुएं बरामद कीं और वह अब किसके कब्जे में है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बैनीवाल) (1) सिरोही जिले के आबू रोड थाने में गत वर्ष 1972 में कुल 89 मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से 9 मुकदमात में चोरी का माल बरामद किया गया और कुल 53 मुकदमों का चालान अदालत में किया गया । इसी प्रकार मण्डार थाने में कुल 20 मुकदमें दर्ज हुए जिनमें से एक मुकदमे में चोरी का माल बरामद किया गया और कुल 13 मुकदमों का चालान किया गया ।

(2) जी हां । श्रीमती सूकी की फरारी के सम्बन्ध में आबू रोड रेल्वे स्टेशन पुलिस थाने में मुकद्दमा नम्बर 19, जेर दफा 366, आई. पी. सी., दिनांक 13-7-72 को दर्ज किया जाकर तफ्तीश शुरू की गई थी । दौराने तफ्तीश श्रीमती सूकी अपनी मर्जी से घर वापिस आ गई

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

और बयान किया कि वह अपनी मर्जी से गुजरात की तरफ चली गई थी और अब वापिस आ गई है। तत्पश्चात् अदालत में मुसम्मात सूकी के बयान करवाने का प्रयत्न किया गया लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसे बीमार बता कर अदालत में पेश नहीं किया। काफी समय बाद मुसम्मात सुकी का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, माउन्ट आबू द्वारा तस्दीक शुदा हलफनामा थाने पर पेश किया गया जिसके आधार पर दिनांक 3-10-72 को मुकद्दमे में एफ. आर. अदम सबूत दे दी गई थी। लेकिन पी. आई. की राय के अनुसार डीवाई. एस. पी., रेल्वे, जोधपुर को पूरे मामले को दुवारा देखने के आदेश दिये जाकर शीघ्र ही कार्यवाही करने को कहा गया है।

(3) इस केस में मुसम्मात सूकी के पहनने के कपड़े कीमतन 400) रुपये एक लोहे के बक्स के साथ बरामद किये हुए हैं जो रेलवे पुलिस थाना, आबू रोड के मालखाने में जमा हैं। बरामद शुदा माल की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जेठमल आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह केस गत जुलाई में हुआ था और उसमें आपके कहे मुताबिक स्टेटमेन्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने सेप्टेम्बर में दिये थे इसके बाद तो चालान करना चाहिये था केस। सूकी के बरामद जेवरों का क्या हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने स्थिति अर्ज की कि पहले तो बयान देने से मना किया फिर जो बयान दिये गये उसमें सारे मामले की तफसील नहीं थी कि इन बीच के दिनों में वह कहां पर रही। जो लोग ले गये उसको, वे कौन थे, कहां पर हैं और कहां के हैं। इस सारी डिटेल के अभाव में पेपर पूरे नहीं समझे गये। पर वापिस जांच को मामला भेजा गया है। पर जिस पुलिस अधिकारी के पास जांच के लिये मामला भेजा गया था उसका इसी बीच में स्थानान्तरण हो गया। नया अधिकारी जो आवेगा। वह इसकी जांच करेगा। इस बीच निवेदन कर दूं कि 24-7-72 को मुख्य अभियुक्त बच्चूमल को गिरफ्तार किया था पर सबूत साबित नहीं होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।

श्री जेठमल आर्य : यही तो मुद्दा है। पुलिस ने पैसा खा कर सारे मामले को गोल-माल करके दबाने की कोशिश की है और श्रीमती सूको से जो बयान लिये गये थे वे डरा धमका कर लिये गये थे। कोर्ट में उसने सही बयान दिये हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पुलिस में बयान दिये हैं, अपनी मर्जी से दिये हैं कि खुद वहां गई है और खुद ही वापिस आई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कैसे कहा जा सकता है कि श्रीमती सूको ने जो बयान पुलिस में दिये हैं वे अपनी मर्जी से दिये हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह भी कैसे कहा जा सकता है कि दबाव से दिये गये हैं !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो इसी से मालूम हो जायगा कि उसने मजिस्ट्रेट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
के सामने क्या बयान दिये हैं। आप बता दीजिये कि ये दोनों एक से हैं या दोनों में विरोधाभास है? दोनों स्टेटमेन्ट आप बता दीजिये क्या हैं। पता चल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पत्थर तुड़ाई, कटाई एवं पिसाई का कार्य करने वाले श्रमिकों का वेतन

697. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पत्थर तुड़ाई और कटाई और घिसाई (स्टोन क्रशिंग एण्ड ग्राईंडिंग) के कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन 8 अक्टूबर, 1971 से 85) रुपये माहवार या 23)5 पैसा प्रति दिन दिलाना राज्य सरकार ने तय किया है?

(2) क्या राजस्थान में कई जगह अलग अलग रंगों में निकलने वाले संगमरमर के पत्थरों को तोड़ने निकालने वाले श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतन दिलाने का प्रावधान उक्त घोषणा में किया गया है? यदि हां, तो इन खानों पर काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(3) सरकार ने उपरोक्त धन्धे के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन दिलाने की क्या कार्यवाही की?

(4) राज्य में संगमरमर की कितनी खानें हैं और कौन कौन सी खानों में न्यूनतम वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्रम मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान) :

(1) जी हां। पत्थर तुड़ाई व घिसाई (स्टोन क्रशिंग एण्ड स्टोन ग्राइण्डिंग) में काम करने वाले श्रमिकों के लिये 85) रुपया माहवार या 3)25 पैसे प्रति दिन न्यूनतम वेतन दिनांक 9 अक्टूबर, 72 से लागू कर दिया गया है।

(2) संगमरमर के पत्थरों को तोड़ने और निकालने वाले श्रमिकों के लिये अलग से न्यूनतम वेतन निश्चित नहीं किया गया है। जो कार्य स्टोन ब्रेकिंग व स्टोन क्रशिंग की परिभाषा में आता है, केवल उन्हीं श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाता है।

(3) संगमरमर के पत्थरों को तोड़ने व निकालने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने का कार्य केन्द्रीय सरकार के दायरे में आता है, अतः राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है।

(4) राज्य में संगमरमर की 66 खानें हैं। चूंकि ये खाने फिलहाल न्यूनतम वेतन अधिनियम की परिधि में नहीं आती, अतः इसमें काम करने वाले श्रमिको को न्यूनतम वेतन दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीमल : आपको अधिकार दे रखा है कि आप तय करें। पर आपने इसे अपने शिड्यूल में नहीं लिया। तो जो काम आपको करना था वह आपने नहीं किया। यह क्यों?

श्री ओंकार लाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि संगमरमर की खानों का मामला राज्य सरकार की परिधि में नहीं आता। केन्द्रीय सरकार लागू कर सकती है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हमने इस बारे में केन्द्रीय सरकार के लेबर एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर से बात भी की है । वे यह कहते हैं कि ये संगमरमर वाले उनके दायरे में नहीं आते ।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण मजदूर को तीन रुपया पच्चीस पैसे मिलें और संगमरमर खान में काम करने वालों को दो रुपया मिले । यह कहां का न्याय है ? दोनों मजदूर साथ साथ काम करते हैं यह अचरज की बात और है । क्या सरकार इस अन्याय को हटाने के लिये आवश्यक कदम उठावेगी ? और अपने अधिकारों का उपयोग करेगी ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कहां आ गया ।

श्री अध्यक्ष : जैसा आप चाहते हैं, वैसा जरूर नहीं आया । बाकी तो दे दिया जवाब ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गलत जवाब आया है । भारत सरकार ने इनको अधिकार दिये हुए हैं कि वे न्यूनतम वेतन लागू करें । जो संगमरमर लोहे के सामान सख्त है कटने में, उस पर काम करते हैं मजदूर, उनको उतना भी वेतन नहीं मिलता जितना सोप स्टोन पाउडर में काम करने वाले मजदूर को मिलता है । इससे अधिक और क्या भेदभाव होगा ।

श्री केशरीमल : साहू जैन कम्पनी के पत्थर तोड़ने वालों को भी इतना ही दिया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साहू जैन ब्रदर्स को यह सरकार कुछ नहीं कह सकती । इसे हर तरह से यह सरकार प्रोटेक्शन दे रही है । ज्यादातर कारखाने यहां साहू जैन ब्रदर्स के हैं । इसलिये ये इन मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष : This is no place for lecture.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ जस्टिफिकेशन तो होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Put it then in another form. There are so many ways.

स्थगित प्रश्न संख्या 234

नैक्स्ट । श्री शंकरलाल जाट ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

स्थगित प्रश्न संख्या 453

श्री रामसिंह ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-73)

ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर

453. **श्री रामसिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर नामक संस्था किन किन उद्देश्यों

(श्री रामसिंह)
की पूर्ति के लिये पंजीकृत कराई है उनमें से किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है और कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें पूर्ण करना है ?

(2) क्या उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु ग्राम सेवक समाज को कुछ धन भी खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने कितना धन किस किस वर्ष में खर्च किया ?

(3) उक्त समाज के सदस्य बनाने के क्या क्या नियम हैं और इस संस्था के किस किस वर्ष में कितने कितने सदस्य थे ? उनके नाम व पते क्या क्या हैं व इस संस्था में कितने व्यक्ति किस किस वर्ष मे कार्यकारिणी के पदाधिकारी रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर नामक संस्था के उद्देश्यों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं इसकी जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का नियन्त्रण नहीं रहता है ।

(2) आवश्यकतानुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिये धनराशि खर्च कर सकती है । कितनी राशि समिति द्वारा व्यय की गई है इसकी जानकारी नहीं है ।

(3) संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिये संस्था के विधान के अनुसार निम्न नियम हैं ।

"समिति का सदस्य कोई भी बालिग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं एवं जो समिति के उद्देश्यों में विश्वास एवं निष्ठा प्रकट करता है, प्रार्थना-पत्र देकर एवं निर्धारित शुल्क जमा करवा कर समिति का सदस्य बन सकता है । सदस्यता शुल्क 25 पैसे मासिक होगा।"

साधारण सभा की सूची इस कार्यालय में प्राप्त करने के लिये राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं है । इसलिये सूचना उपलब्ध नहीं है समय समय पर चुने हुए कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सूची (आ) इस सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

प्रश्न संख्या 698

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

श्री विजयसिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहता ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उत्तर नहीं चाहते तो जितना पैसा इस प्रश्न के उत्तर को उपलब्ध कराने में सरकार का खर्च हुआ है वह इनसे वसूल किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया

शिव टिन इण्डस्ट्रीज को कच्चे माल का कोटा

699. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा में शिव टिन इण्डस्ट्रीज उद्योग में कौन कौन भागीदार हैं एवं उनके नाम, पते क्या हैं ?

(2) उक्त उद्योग के लिये किस किस कच्चे माल का कोटा अलॉट हुआ ?

(3) इसमें से कितना माल उक्त उद्योग ने अब तक लिया है ?

(4) क्या कच्चे माल में चद्दर भी शामिल है ?

(5) यदि हां, तो अब तक कितनी चद्दरों का कोटा उक्त उद्योग को मिला है ?

राज्य मन्त्री उद्योग, (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) शिव टिन इण्डस्ट्रीज में श्री वृजकिशोर शर्मा पुत्र श्री नवलकिशोर शर्मा, दौसा, और श्री आनन्द विहारी शर्मा पुत्र श्री नवलकिशोर शर्मा, दौसा भागीदार हैं।

(2) उक्त उद्योग को अलॉट किये गये कच्चे माल की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां।

(5) 211 चद्दरें (कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया : किस काम के लिए कच्चा माल दिया गया है जब कि वह उद्योग शुरू ही नहीं हुआ है ? वह फैक्ट्री चालू नहीं हुई। जमीन पर फैक्ट्री बन रही है, जमीन एग्रीकलचर लैंड है। नवलकिशोर जब चैयरमेन थे तो एग्रीकलचर लैंड का पट्टा किसी थर्ड परसन को देकर उससे अपने लड़कों के नाम ले ली है। इसे वे बेनामी करावेंगे और इस तरह से इस जमीन को हड़प जाना चाहते हैं। आपने उनको कच्चा माल दिया, पर आज तक एक पीपा भी नहीं बना। उन्होंने उस कच्चे माल का गलत उपयोग किया है। क्या सरकार इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, जो सूची पेश की गई है उस से स्पष्ट है कि टिन बनाने के लिये उनको लाइसेन्स दिया गया है। उन्होंने कोटा उठाया नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। पर कन्स्ट्रक्शन का काम तेजी से चालू है तथा साथ में पीपे बनाने की मशीनें मंगाई हैं उनमें टिन मेकिंग मशीन आ गई है, पावर प्रेस मशीन मंगवा ली है। बाकी लाने के लिये वे दिल्ली गये हैं। उमीद है वे इन्हें भी जल्दी ले आवेंगे।

बाकी एग्रीकल्चरल लैंड में वह फैक्ट्री तैयार हो रही है और पट्टा किसके नाम है यह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता। मैं इतनी ही जानकारी दे सकती हूं कि फैक्ट्री के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और प्रोडक्शन भी चार छः वीक्स के समय में शुरू हो जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या जानकारी आपने दी है। जो माल आपने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

फैक्ट्री बनाने के लिये या कच्चे माल के रूप में दिया है क्या आपको मालूम है कि उसका वास्तविक उपयोग कितना किया गया है और कितना माल ब्लैक में बेच दिया है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माल कोई नहीं बेचा है । जांच करवाई है मैंने और तमाम माल फैक्ट्री के बनाने में लगा है और जो माल नहीं उठाया है उसके ब्लैक में जाने का सवाल नहीं है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, इनके तोल में भी फर्क है । जहां इनको कच्चा माल दिया गया, एंगल्स दिये गये 1.991 मैट्रिक टन वहां उठाये है इन्होंने 2.060 टन । इसी तरह चैनल्स हैं । मन्जूर हुआ 2.760 टन और उठाया है 2.790 टन । जोइन्ट्स का कोटा मन्जूर हुआ 3.280 मी० टन का और माल मिला इनको 3.290 मी० टन । इसी तरह राउण्ड्स का कोटा दिया गया 2.225 मी० टन और माल उठाया उन्होंने 2.200 मैट्रिक टन । तो अलाटेड माल से अधिक माल उठाने का कहां से उनको पावर मिल गई अथवा आपकी छूट है एम० पी० को उठाने देने की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका कारण सिर्फ यह है कि जो माल दिया जाता है वह उसकी फुल लेन्थ के मुताबिक दिया जाता है । उसके काटने के बाद जो छोटे टुकड़े रह जाते हैं वह राज्य सरकार या विभाग के दूसरे काम में नहीं आता है इसलिए इस पार्टी को ही नहीं बल्कि आम तौर से जितनी भी पार्टियां हैं उनको इसी तरह से सामान दिया जाता है । पूरी लम्बाई के साथ सामान दिया जाता है । ज्यादा भी होता है तो कभी कम हो जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें तो ज्यादा ही ज्यादा है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसमें कोई पीस कम नहीं दिया है । वे आपकी पार्टी के एम०पी० हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके दोनों लड़कों के नाम लाइसेन्स हैं । क्या उस आधार पर इनको परमीशन दी गई है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी । इन दोनों बच्चों को कितना तजुर्बा है इस फैक्ट्री को चलाने के लिए ? कृपया यह भी बताया जावे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है ? और इन दोनों बच्चों को कितना कितना अनुभव है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है कि संचालकगण कितने क्वालिफाइड हैं और उन्होंने क्या क्या ट्रेनिंग ले रखी है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : मंत्री महोदया को मालूम है । वे कृषि उपज मंडी में रहते हैं और पंपिंग सेट्स बेचते हैं । कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं और एम०पी० हैं इससे ज्यादा उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ।

प्रश्न संख्या 700

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ये एम०पी० साहब के साहबजादे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल का जो प्रश्न है उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह सवाल फ्लश लैट्रिन से संबंधित है, इसलिए इसका जवाब दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष : उनकी कोई ऑथोरिटी नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी : अगर आप इजाजत दें तो पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : No. प्रश्न संख्या 701 श्री रघुनाथ विश्नोई।

दांता गांव में अभाव की स्थिति

701. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि दांता ग्राम, तहसील सांचोर के आसपास सब ग्रामों में अभाव की स्थिति घोषित की जा चुकी है ? अगर हां, तो ग्राम दांता को अभावग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं और इसे अब कब तक अभावग्रस्त घोषित कर दिया जावेगा ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : यह सही है कि ग्राम दांता के आसपास के ग्रामों में अभाव की स्थिति की घोषणा की जा चुकी है क्योंकि उन ग्रामो में फसल खरीफ सम्वत् 2029 में खराबा 50 प्रतिशत या इससे अधिक था। ग्राम दांता को अभावग्रस्त घोषित इस कारण नहीं किया गया कि इसे अभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव जिलाधीश ने नहीं किया था। इस ग्राम में 50 प्रतिशत से कम खराबा था। इस कारण जिलाधीश ने इस ग्राम को अभावग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव सहायता विभाग को नहीं भेजा था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके आस-पास के सारे गांव आ गये हैं। यह मार्जिन पर है। इसलिए क्या मंत्री महोदय इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ? कलेक्टर ने भी इसकी रिपोर्ट दे दी है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने कोई रिपोर्ट आज सुबह के 11 बजे तक नहीं दी है। उनसे रिपोर्ट मंगवाई है। आपके फेवर में होगी तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आसपास के गांव अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं और यह गांव मार्जिन पर हैं इसलिए इसको भी अभावग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे भी कई गांव हैं। जैसे फलौदी तहसील में खराबा है किन्तु एक गांव में गेहूं बोए हुए हैं। पता नहीं यहां पर भी यह स्थिति हो। फिर भी इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

महाराजा विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर को अनुदान

702. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि महाराजा विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर को

(श्री अमृतलाल गहलोत)
सन् 1958 से 1965 तक राजकीय अनुदान की राशि (ग्रांट-इन-एड) 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत यक मिलती रही है और 1965-66 में इस राशि को यकायक घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई जो अब तक चली आ रही है ?

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और नहीं, तो सही राशि क्या है ?

(3) क्या यह सत्य है कि निरीक्षक, शिक्षा विभाग, जोधपुर ने इस संस्था के पुनः वर्गीकरण के बारे में निदेशक, शिक्षा विभाग को लिखा कि ऐसे विद्यालय का अनुदान कम कर इस विद्यालय के साथ न्याय नहीं किया गया है और इसे 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो अनुदान की राशि को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर इसे 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत कब तक की जाएगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) सन् 1963 से अनुदान नियम 1963 लागू किए गए। इन नियमों के लागू होने पर समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण अनुदान समिति की अनुशंषा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसी के अन्तर्गत इस विद्यालय की प्रतिशत घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है परन्तु पहले जिस प्रतिशत पर संस्था को अनुदान मिलता रहा था तथा जिस प्रतिशत में अब इसका वर्गीकरण किया गया है, इस अन्तर प्रतिशत पर अलग से अनुदान संस्था को स्वीकृत किया जाता रहा है।

(2) इसका कारण यह था कि अनुदान नियम, 1963 में अंकित प्रतिशत वही नहीं था जो कि 1963 के पूर्व निर्धारित था। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी अनुदान प्राप्त सस्थाओं का पुनर्वर्गीकरण किया जाए। अनुदान नियमानुसार वर्गीकरण मामले पर अनुदान समिति द्वारा अनुशंषा की गई तथा राज्य सरकार द्वारा अनुशंषा स्वीकृत कर ली गई जिससे कि 1965-66 के बाद नए वर्गीकरण के अनुसार अनुदान दिया जाता रहा परन्तु जिन संस्थाओं को पहले अधिक प्रतिशत अनुदान मिलता रहा, उन्हें अब निर्धारित प्रतिशत तथा 1963 से पूर्व के प्रतिशत अन्तर प्रतिशत से संस्था को अलग से अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(3) संस्था के वर्गीकरण के लिए निर्धारित आधार पर प्रतिवेदन संस्था द्वारा विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस पर नियमानुसार अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। अनुदान समिति के अनुशंषा के आधार पर अनुमोदनार्थ मामले राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं। राज्य सरकार के निर्णय प्राप्त होने पर ही अनुदान प्रतिशत निश्चित की जाती है तथा परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उन्होंने यह बताया है कि 1963 से जो रूल्स लागू किए गए हैं और उससे पहले जिनको ज्यादा मिलता था, उनका जो डिफेरन्स है वह किसी न किसी तरह से दिया जाता है। तो मंत्री महोदय क्या यह बताएंगे कि पिछले साल यह क्यों

(श्री अमृतलाल गहलोत)
नहीं दिया गया और अब यह दिया जाएगा ?

श्री जुझारसिंह : पिछले साल का कोई डिफरेंस हो गया है, अनुदान का पर्सन्टेज कम हो गया है तो उतना ही आने वाले वर्ष में एक बैलेन्स के रूप में दिया जाता रहा है और यह इस संस्था भी दिया जा रहा है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : गये साल यह डिफरेन्स नहीं दिया गया था तो यह इस साल के बैलेन्स के साथ इस संस्था को दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धि चन्द्र जैन ।

जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय

703. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय किन किन स्थानों पर हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के विशाल क्षेत्रों को देखते हुए सीमावर्ती क्षे होने के कारण उनके समुचित विकास हेतु एवं सिवानी, बालोतरा, धोरीमना और सिणधरी पंचायत समितियों में रबी फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढ़ाने के लिए जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के लिए बाड़मेर जिले के हैडक्वार्टर बाड़मेर नगर में खोलना आवश्यक और वाजिब नहीं समझती ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

जी हां । अर्थाभाव के कारण ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस बाड़मेर में होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । हमारा जिला विस्तृत है और सारे राजस्थान में एक-दो जिलों को छोड़कर सभी जगह डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के ऑफिस हैं । तो क्या सरकार बाड़मेर में भी यह ऑफिस खोलने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : लम्बा भाषण नहीं हो, माननीय अध्यक्ष । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 26 जिलों में 28 कृषि अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिसमें से जयपुर जिले में दो हैं, गंगानगर में चार और उदयपुर जिले में दो हैं । और चूरू और बीकानेर दोनों के लिए एक ही ऑफिसर है । जैसलमेर, जालोर और बाड़मेर के लिए एक है । जोधपुर में एक है । लेकिन जो इर्रिगेटेड एरिया का कवरेज है जिसको मैंने कल रात गंभीरतापूर्वक देखा है उससे लगता है कि कृषि अधिकारी के पोस्टिंग के अन्दर कुछ मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं इसको रेशनेलाइज करूंगा क्योंकि बाड़मेर जिले में जो इर्रिगेटेड लैण्ड है वह 14214 हैक्टर में है और उसके मुकाबले ऐसी जगहों पर भी एग्रीकल्चर ऑफिसर लगे हुए हैं जहां पर कि 1,600 एकड़ जमीन ही इर्रिगेटेड है । इसलिए मैं इस पर पुनर्विचार कर रहा हूं और पुनर्विचार करने के बाद कोई कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा ।

झालावाड़ में बोर्ड परीक्षा का सेन्टर

704. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ में हायर सैकेण्डरी व सैकेण्डरी सप्लीमेंटरी परीक्षा के सैन्टर नहीं हैं जिसके कारण छात्रों को बड़ी परेशान होती है और इस विषय में राज्य सरकार को निवेदन भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या अगले सत्र में परीक्षा का सैन्टर झालावाड़ में कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझार सिंह) : यह सही है कि झालावाड़ में सैकेण्डरी एवं हायर सैकेन्डरी की पूरक परीक्षाओं के लिए केन्द्र नहीं है। वर्ष 1973 की पूरक परीक्षाओं के लिये केन्द्र निर्धारित करते समय झालावाड़ को केन्द्र बनाने पर विचार कर लिया जावेगा, ऐसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इंगित किया है ।

प्रश्न संख्या 705

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न काल समाप्त हुआ । We have completed all the questions exactly at 12 to day.

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पाठ्य पुस्तकों में गलतियां

674. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर स्वायत्त शासन संस्था है ? यदि हां, तो क्या यह संस्था (बोर्ड) कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करती है ?

(2) क्या यह सही है कि यह बोर्ड प्रत्येक कक्षा के लिए विषयानुसार पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करती है ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए कम्पलसरी सब्जेक्ट में प्रत्येक वर्ष कितनी किताबें निर्धारित की गई और उनका परिवर्तन कब कब हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष गणित के लिए 3 पुस्तकों का चयन हुआ उसमें एक पुस्तक में लगभग 500 के करीब गलतियां हैं ? यदि हां, तो फिर उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित क्यों किया गया तथा इससे पूर्व चलने वाली गणित की पुस्तकों में क्या दोष था, जिससे पुस्तकें बदली गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

गत 5 वर्षों में उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिये अनिवार्य विषयों में प्रत्येक वर्ष निर्धारित की गई पुस्तकों एवं इनमें किये गये परिवर्तन की स्थिति संलग्न है ।

(3) जी हां । जांच करवाई गई और त्रुटियां मिलने के कारण उन्हें स्वीकार नहीं किया गया । पूर्व की पुस्तकों में कोई

(शिक्षा मंत्री)

दोष नहीं था। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के कारण ही नई पुस्तकों का चयन हुआ था।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में बिजली व पानी की सुविधा के लिए अवंटित राशि

675. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के मोहल्लों में नल योजनायें देने और विद्युतिकरण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया? दोनों की अलग अलग रकम बतावें।

(2) उक्त जिले के किस किस गांव के किस मोहल्ले में स्वीकृति दी गई?

(3) क्या स्वीकृत कार्य पूरे करके धनराशि का उपयोग कर लिया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सूची में अंकित करदी गई है।

(3) सूचना जल प्रदाय विभाग एवं राजस्थान विद्युत् मण्डल से प्राप्त की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

आम रास्ते पर अनाधिकृत कब्जा

678. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर स्थित सीकर हाउस और खेतड़ी हाउस के बीच से जो आम रास्ता नाहरी के नाके को जाता है वह स्वीकृत नक्शे के अनुसार कितने फीट चौड़ा है?

(2) क्या यह सही कि उक्त आम रास्ते पर जहां से नाहरी के नाके की तरफ रास्ता जाता है श्री कल्लू खां नामक व्यक्ति ने अनाधिकृत कब्जा करके मकान बनवा लिया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में कई बार नगर परिषद्, जयपुर व यू० आई० टी०, जयपुर को शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो नगर परिषद् द्वारा कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद् के बार बार मना करने के बावजूद भी उक्त व्यक्ति ने अनाधिकृत निर्माण कर मकान बनवा लिया है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ नगर परिषद् के नियमों को भंग करने के कारण क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सत्य है कि श्री कल्लू खां जो कि कल्याण कॉलोनी के नुक्कड़ पर रहता है वह जमीन उसके पट्टे की है। या अनाधिकृत कब्जा कर रखा है अथवा उसे लीज पर नगर परिषद् से मिली है तो

(श्री रामनारायण चौधरी)
कब और इस प्रकार की अस्थाई लीज पर क्या पक्का मकान बनाया जा सकता है ?

(6) अब सरकार कब तक उक्त अनाधिकृत निर्माण को तोड़ कर रास्ते को साफ करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

पुलिस लाइन्स में पड़े हथियार

679. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में पुलिस लाइन्स में जब्त शुदा एवं डोनेटेड कितने हथियार पड़े हैं ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सन् 1962 से आज तक पुलिस विभाग द्वारा कितने हथियार बेचे गये ? सूची नाम मय कीमत दर्शाते हुए सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पुलिस लाइन्स में इस समय पड़े हुए हथियारों के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(स्थगित किया गया)

हरिजन स्नातकों को वजीफा

680. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में हरिजन स्नातकों को (ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट) किस किस जिले में कितनों कितनों को वजीफा दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या इन स्नातकों एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को वजीफा हर माह दिया जाता है या अन्य अवधि पर ?

(3) क्या 1-2-73 को किन्हीं ऐसे स्नातक अथवा स्नातकोत्तर व्यक्तियों का वजीफा बकाया पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कौन कौन से जिले में कितने कितने स्नातकों का कितने कितने महीनों का वजीफा बकाया है और क्यों ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि इन स्नातकों को अपने निवास स्थान के अलावा दूसरे स्थानों पर काम पर भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कितने स्नातकों से इस प्रकार काम लिया जा रहा है ?

(5) क्या इन स्नातकों को जिनसे इस प्रकार काम लिया जा रहा है उन्हें उस कार्य का वेतन मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सामान्यतः वृत्तिका हर माह दिये जाने की व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी प्रावधान संबंधी अड़चन आ जाने अथवा फार्म नं० 6 में घोषणा-पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर कभी कभी वृत्तिका देने में देरी हो जाती है।

(3) प्रश्न संख्या एक के साथ संलग्न सूची में दर्शाये स्नातक एवं स्नातकोत्तर

(समाज कल्याण मंत्री)

व्यक्तियों का दिनांक 1-2-73 को वजीफा प्रावधान के अभाव में बकाया पड़ा था। दिनांक 2-2-73 को वृत्तिका भुगतान की स्वीकृति राज्य सरकार से बजट प्राप्त होने पर निदेशालय से दी जा चुकी है।

(4) जी हां, लेकिन इन्हें अपने ही जिले (होम डिस्ट्रिक्ट) में लगाया है। ऐसे 161 स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है।

(5) जी नहीं। इनको केवल वृत्तिका ही दिया जाता है। वेतन नियमित रूप से नियुक्ति होने पर ही देय होता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

राज्य सेवा में आने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारी

687. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर): क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य जनसम्पर्क विभाग के किन किन कर्मचारियों ने नियमानुसार प्रतिशत के आधार पर राज्य सेवा में आने के बाद मैट्रिक से उच्च शिक्षा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर तक ग्रहण की? क्या स्नातकोत्तर शिक्षा विश्वविद्यालय में नियमित छात्र रूप में ग्रहण की है?

(2) क्या ऐसे भी कर्मचारी विभाग में हैं जिन्होंने बिना पूर्व स्वीकृति के स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है? यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि इसके विपरीत ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क') स्नातकोत्तर शिक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ग्रहण की गई है।

(2) जी हां। ऐसे 5 कर्मचारी हैं जिन्होंने बिना पूर्व अनुमति के स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें से 1 को बाद में अनुमति देदी गई थी तथा इन 5 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। जिसमें से 1 कर्मचारी को चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया गया था, 3 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

साम्प्रदायिक संगठन

688. **श्रीमती भगवती देवी** (मिनाय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ समाचार पत्रों में मुस्लिम लीग के सक्रिय होने के समाचार प्राप्त हुए हैं?

(2) क्या मुस्लिम लीग एक साम्प्रदायिक संस्था नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि इसी लीग की गत कार्यवाही से राष्ट्र को बड़ा आघात पहुंचा है तथा साम्प्रदायिक विष सारे देश में फैलाने में बहुत हद तक सफल हुई थी?

(4) क्या सरकार मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसे साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार रखती है?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संस्था है।

(3) इस राज्य में कोई चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और राज्य सरकार पूर्णतः सतर्क है।

(4) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान से आये अध्यापकों की सेवा निवृत्ति

689. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में पाकिस्तान से आय हुए कितने अध्यापकों (पुरुष व महिला) की सेवा निवृत्ति के बाद सेवा वृद्धि के आदेश दिये गये हैं और किस किस को सेवा वृद्धि से इन्कार किया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भी अध्यापक हैं जिनको पहले साल सेवा वृद्धि के बाद अगले साल सेवा वृद्धि नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) 7 व्यक्तियों को इस प्रकार की सेवा वृद्धि दी गई है। सूची संलग्न है। किसी को वृद्धि से इन्कार नहीं किया गया।

(2) जी हां, एक अध्यापिका श्रीमती सुमित्रा सेठी, प्र० अ०, कन्या प्राथमिक विद्यालय देवीजी की गली, अलवर को सेवा निवृत्ति के पश्चात् केवल एक वर्ष के लिए सेवा वृद्धि दी गई थी परन्तु नियमानुसार पाकिस्तान में अध्यापक के पद पर कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर द्वितीय वर्ष सेवा वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी गई।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय

691. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी का कोई कार्यालय नहीं होने से समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों का काम रुका पड़ा है?

(2) क्या यह सही है कि समाज कल्याण अधिकारी, बीकानेर को महीने में 10 दिन चूरू में अपना मुख्यालय रखने दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसकी पालना की गई? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब से कब तक समाज कल्याण अधिकारी चूरू रहे?

(3) क्या जिले में अनुसूचित जाति व जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या को देखते हुए चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय स्थापित किया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1971 में जारी किये गये आदेशानुसार यह निर्देश दिये गये थे कि जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में दो जिले हैं वे जिला मुख्यालय के अतिरिक्त दूसरे

(मंत्री समाज कल्याण)
जिले में प्रति माह कम से कम 10 दिन की यात्रा करेंगे लेकिन कार्यालय आदेश दिनांक 24-7-1972 द्वारा 10 दिन के बजाय 7 दिन कर दिये गये हैं।

जहां तक उक्त आदेशों की पालना का प्रश्न है दिनांक 28-2-73 के पूर्व दो अन्य अधिकारियों ने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बीकानेर के पद पर कार्य किया था। क्योंकि राजपत्रित अधिकारी स्थानान्तर पर अपने यात्रा संम्बधी रिकार्ड अपने साथ ले जाते हैं, अतः संबन्धित अधिकारियों से उनके द्वारा चूरू जिले में की गई यात्राओं की सूचना मंगवाई जा रही है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73)

जिला चित्तौड़गढ़ के अकालग्रस्त घोषित ग्राम

234. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ को कुछ तहसीलों के गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसीलों के कौन कौन से गांव हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अकाल राहत कमेटी ने अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने के लिए सिफारिश की है? यदि हां, तो कौन से गांवों में किस किस कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा देरी का कारण क्या है?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

उत्तर

(1) यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की कुछ तहसीलों के गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम तहसील	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
1	कपासन	69
2	राशमी	57
3	प्रतापगढ़	270
		396

तहसीलवाइज अभाव ग्रस्त घोषित गांवों की सूची संलग्न है।

(2) यह सही है। जिला राहत सलाहकार समिति में अब तक इस जिले में 99 राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। ऐजेन्सी वाइज विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	नाम अभिकरण	स्वीकृत राहत कार्यों की संख्या
1	सिचाई	36
2	वन	23
3	भू-संरक्षण	19
4	भवन व पथ	21
		99

(मंत्री अकाल राहत)
कार्यों की नामवार सूची संलग्न है जो परिशिष्ट 'ख' और 'ग' पर है।

(3) यह सही नहीं है कि अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। आज 78 राहत कार्य चल रहे हैं और लगभग इन पर 6224 श्रमिक काम कर रहे हैं। जो कार्य चल रहे हैं उसकी सूची परिशिष्ट 'ग' पर है। जो राहत कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुए, उनके आरम्भ नही होने का कारण संलग्न परिशिष्ट 'ग' के कॉलम नं० 6 में अंकित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका क्षेत्र, गंगापुर सिटी में फ्लश लेट्रीन के लिये अनुदान

700. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर सिटी नगरपालिका क्षेत्र मे फ्लश की लेट्रीन बनाने के लिये सन् 1969-70, 1970-71 व 1971-72 में कितना कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ?

(2) नगरपालिका द्वारा किस किस व्यक्ति को किस किस वार्ड में फ्लश लेट्रीन निर्माण के लिये अनुदान स्वीकृत किया ? फ्लश की लेट्रीन का निर्माण अब तक किन किन व्यक्तियों ने उक्त धनराशि से पूर्ण कर लिया है ?

(3) अनुदान प्राप्तकर्ता की वार्षिक आमदनी नियमानुसार कितनी होनी चाहिये ?

(4) जिन व्यक्तियों को अनुदान दिया गया है उनकी आय कितनी कितनी थी ? व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) गंगापुर सिटी नगर पालिका क्षेत्र के लिये केवल वर्ष 1970-71 में निजी खुले शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु 15,000 रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) नियमानुसार नॉन इनकम टेक्स पेयर को ही यह अनुदान स्वीकृत दिया जाता है।

(4) यह सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि व्यक्तियों को अनुदान सम्बन्धित नगरपालिकाओं द्वारा दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

अकाल राहत कार्यों के लिये स्टडी टीम को ज्ञापन

705. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने सन् 1972-73 में अकाल सहायता कार्यों के लिये भारत सरकार से कब सहायतार्थ ज्ञापन एवं जानकारी भेजी ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने स्टडी टीम को स्थानीय जांच पर भेजने से पूर्व अन्तरिम राहत के बतौर

(श्री मोहनराज)
राज्य सरकार को अकाल राहत हेतु सहायता प्रदान की थी ? यदि हां, तो कब व कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्टेडी टीम को अपनी ओर से कोई ज्ञापन वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने सन् 72-73 में अकाल राहत कार्यों के लिये भारत सरकार को सहायतार्थ ज्ञापन निम्न तारीखों पर भेजे :—

1–वर्ष 2028 हेतु दिनांक 12-5-72.

2–वर्ष 2029 हेतु
प्रथम ज्ञापन दिनांक 10-11-72

3–पूरक ज्ञापन नल
योजनाओं हेतु दिनांक 28-11-72

4–पूरक संशोधित ज्ञापन दिनांक 9-2-73

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। चार ज्ञापन परिस्थिति की जानकारी देते हुए प्रेषित किये थे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के पंजीकृत व्यक्तियों की नियुक्तियां

332. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के पंजीकृत व्यक्तियों की अन्य विभागों में भेजी गई सूचियों में से नियुक्तियां हुई हैं या नहीं ? यदि हुई हैं, तो कितनी कितनी ? सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें:–

समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजे गये व्यक्तियों की संख्या वर्गवार	विभागों का नाम जिनमें नाम भेजे गये	कुल रिक्त पदों की संख्या वर्ग वार	भेजे गये नामों में से नियुक्त व्यक्तियों की संख्या

(2) जिन विभागों द्वारा समाज कल्याण विभाग से नियुक्त करने से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों की सूची नहीं मांगी जाती है उनके विरुद्ध सरकार क्या निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची निर्धारित तालिका में सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 7(8) नियु० (क-5)।70 दिनांक 2-9-70 के अनुसार यह आवश्यक है कि विभागाध्यक्ष सीधी भर्ती वाले प्रत्येक आरक्षित पद/पदों के रिक्त होने की सूचना उक्त प्रकोष्ठ को देवें। इसके लिए विभागाध्यक्षों को पत्र संख्या एफ 7 (11) नियु० (क-4) 70 दिनांक 16-11-72 द्वारा स्मरण-पत्र भी जारी किया गया है। दिनांक 1-4-70 से 14-3-73 तक 99 विभागाध्यक्षों ने रिक्त पदों की सूचना दी है। इस के अलावा राज्य सरकार के आदेश संख्या प.9 (1) नियु० (क-5) 66 दिनांक 16-3-70 के द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों के लिए नियोजन सेवा कार्यालयों में नाम

(मंत्री, समाज कल्याण)
दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है तथा नियुक्ति कर्ता सीधे ही उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर नियुक्त कर सकते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

राज्य में हड़ताल व तालाबन्दी

333. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 की अवधि में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण कितने श्रम-दिवसों की हानि हुई ?

उत्तर

राज्य में वर्ष 1971-72 की अवधि में हड़तालों एवं तालाबन्दी के कारण 3,17,644 श्रम दिवसों की तथा वर्ष 1972-73 में लगभग 2,52,248 श्रम दिवसों की हानि हुई।

अनुसूचित जाति और जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

334. श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जन-जाति के छात्रों को गत पांच वर्षों में किस प्रकार की और कितनी कितनी मात्रा में छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ?

(2) ये छात्रवृत्तियां किन आधारों पर कितनी मात्रा में और किस प्रकार की शिक्षा के लिये प्रदान की जाती है ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों को गत पांच वर्षों में विभिन्न प्रकार की स्वीकृत छात्रवृत्तियों के बारे में उपलब्ध सूचना की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) ये छात्रवृत्तियां निम्न प्रकार से स्वीकृत की जाती हैं :-

(क) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति :-ये छात्रवृत्तियां उपरोक्त वर्गों के उन छात्रों को दी जाती है जो छटी कक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा छ से 8 तक के छात्रों को 5 रुपया तथा कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों को 20 रुपया मासिक दर से दी जाती है।

(ख) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :—यह छात्रवृत्ति मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के बाद मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की दर कक्षाओं के अनुसार निर्धारित है। इसके अन्तर्गत छात्र को प्रवेश, रजिस्ट्रेशन, ट्यूसन फीस, खेल, यूनियन, पुस्तकालय, मैगजीन, परीक्षा तथा अन्य आवश्यक शुल्क भी दिया जाता है।

(ग) अतिरिक्त छात्रवृत्ति :-उक्त वर्ग के उन सभी छात्रों को जो कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों के सामान्य छात्रावासों में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के अलावा राज्य सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 माह के लिए 40 रुपया प्रति माह की दर से यह छात्रवृत्ति स्वीकृत

(मंत्री, समाज कल्याण)

की जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को भी स्वीकृत की जाती है जो कि विभाग द्वारा प्रयत्न करने पर भी सामान्य छात्रावासों में स्थान प्राप्त न कर सके हों और अपने घर के बाहर किसी अन्य स्थान पर रह कर अध्ययन करते हों बशर्ते कि उन्होंने पूर्व वर्ष की परीक्षा प्रथम व द्वितीय श्रेणी से पास की हो।

(घ) **मैरिट कम नीड छात्रवृत्ति**:–उक्त वर्ग के जो छात्र तकनिकी संस्थाओं (इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि) में शिक्षा ले रहे हैं उनको उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अलावा मेरिट कम नीड छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जो डिग्री के अध्ययन करने वाले छात्रों को 50 रुपया प्रति माह तथा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को 30 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह के लिए दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

डीडवाना जल प्रदाय योजना

335. **श्री भोमा राम चौधरी** (डीडवाना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खुनखुना डीडवाना वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा जो कुए खुनखुना में खोदे गये थे उनमें खारा पानी निकला? यदि हां, तो क्या पानी उसे सप्लाई किया गया? यदि नहीं, तो भविष्य में डीडवाना के लिए मीठ पानी की सप्लाई हेतु क्या योजना है।

(2) दौलतपुरा वाटर सप्लाई स्कीम का कितना कार्य हो चुका है तथा बाकी कार्य कब तक पूरा हो जायेगा तथा स्कीम के अन्तर्गत गावों में कब तक पीने का पानी वितरण कर दिया जायेगा।

(3) क्या यह सही है कि डीडवाना जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत नगरपालिका सीमा में आने वाले बास-बस्तियों को नहीं लिया गया है। यदि हां, तो क्यों? तथा भविष्य में उनको जल वितरण हेतु क्या योजना बनाई गई है।

उत्तर

(1) खुनखुना डीडवाना जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा नलकूप जो खोदे गये थे उनमें से नलकूप संख्या 3 में कुछ खारा पानी निकला था एवं नलकूप संख्या 4 में पानी पीने योग्य निकला था, परन्तु योजना प्रारम्भ करने के कुछ समय बाद दोनों नलकूपों में खारा पानी आने लग गया है। मीठा पानी उपलब्ध न होने के कारण जो पानी प्राप्त है वही वितरण किया जा रहा है। भविष्य में मीठे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा इन नलकूपों को प्लानिंग करने का प्रस्ताव राजस्थान भूजल मण्डल को भेजा गया है एवं दो और ओपन बेल लेकर अथवा बनाकर चालू करने का प्रस्ताव है। एक कुए पर कार्य प्रारम्भ हो रहा है।

(2) क्षेत्रीय जल योजना, दौलतपुरा के अन्तर्गत तेरह ग्रामों को जल सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसमें से कायथा, बासनी, आस की ढाणी, मदाम आदि ग्रामों में 2500 गैलन क्षमता के हौजों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। मालाबासनी, देवराठी, थानू, चान्दबासनी

(मंत्री, जन-स्वास्थ्य) खिचिया बासनी, पाठन, कलवाड़ी, गिरधारीपुरा आदि ग्रामों में 2500 गैलन की क्षमता के हौंजों के निर्माण हेतु आदेश दिये जा चुके है। जिसका कार्य प्रगति पर है। सम्पूर्ण योजना के लिये 75000 गैलन क्षमता का स्वच्छ जलाशय 60 फीट ऊंचा बनाने का योजना में प्रावधान है। उनकी निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। दौलतपुरा योजना में 'एच' टाईप व 'एच' 'ए' टाईप मकानों का निर्माण कार्य लगभग पुरा हो चुका है। सम्बन्धित ग्रामों में नल श्रृंखला बिछाने के आदेश दिये जा चुके हैं। किन्तु पाइप उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ न हो सका है। ग्राम सेवा एवं सूपका की नल श्रृंखला बिछाई जा चुकी है एवं सिर्फ ग्राम सेवा में ही पानी का वितरण प्रारम्भ किया गया है। जल वितरण दिसम्बर, 73 तक किया जा सकेगा।

(3) पुनर्गठित जल प्रदाय योजना डीडवाना के अन्तर्गत नगरपालिका की सीमा में आये क्षेत्र जैसे महाविद्यालय, अस्पताल एवं उनके आसपास के स्थित क्षेत्रों को ध्यान में रख कर बनाई गई है। फिर भी जो क्षेत्र जहां पर नल श्रृंखलाओं का अभाव है उनके बाबत तकमीने बनाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं। तकनीकी दृष्टि से संभव होने एवं आवश्यक प्रावधान होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

आबकारी कर से प्राप्त धनराशि

336. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पिछले पांच वितीय वर्षों में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा नगरों से देशी व विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम किए या बिना नीलाम किए गए लाइसेन्सों से और उन दुकानों पर विक्रय की गई शराब से आबकारी कर से राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? उनकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

लालबहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर के प्राध्यापक

337. श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लालबहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर में वर्तमान में कुल कितने प्राध्यापक (लेक्चरार) कार्य कर रहे हैं ? कार्य कर रहे प्राध्यापकों के नाम, पिता का नाम, पूरा पता, नियुक्ति तिथि व पद बतायें।

(2) अप्रेल सन् 1969 से दिसम्बर, 1972 तक किन किन प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है ?

(3) उपरोक्त अवधि में नियुक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते क्या क्या थी ?

(4) उनमें से कितने प्राध्यापकों को प्रबन्धक मण्डल द्वारा सेवा मुक्त किया जा चुका है और कितने स्थाई किये गये हैं ? स्थाई किये गये प्राध्यापकों को स्थाई करने की तिथि बतायें।

(5) क्या किसी प्राध्यापकों की सेवा मुक्ति आरोपों के आधार पर की गई ?

(शिक्षा मन्त्री)
यदि हां, तो सेवा मुक्ति से पहले आरोपों की जांच की गई थी ? जांचकर्ता अधिकारी का नाम बतायें।

उत्तर

(1) लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर में वर्तमान में जितने प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं उन प्राध्यापकों के नाम, पिता के नाम, पूरा पता, नियुक्ति तिथि एवं पद का विवरण-पत्र 'अ' मे संलग्न हैं।

(2) अप्रेल सन् 1969 से दिसम्बर, 1972 तक जिन-जिन प्राध्यापकों की नियुक्ति स्थायी या अस्थायी या परीक्षणकाल तथा अंशकालीन रूप से की गई हैं उनका विवरण पत्र 'ब' में संलग्न हैं।

(3) उपरोक्त अवधि में जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें जो अंशकालीन नियुक्तियां हैं उनको केवल अंशकालीन भत्ता दिया गया है। अस्थाई नियुक्तियां केवल एक वर्ष के लिए की गई हैं जो एक वर्ष के बाद समाप्त हो जाती हैं, जो नियुक्तियां निर्वाचन मण्डल से की गई हैं वे एक वर्ष के लिए अस्थायी व एक वर्ष के लिए परीवेक्षणकाल (ओन प्रोबेशन) की गई हैं जिनका कार्य सन्तोषप्रद रहा उन्हें निश्चित अवधि के बाद स्थायी किया गया।

(4) जिन प्राध्यापकों को प्रबन्धक मण्डल द्वारा सेवा मुक्त किया जा चुका है वे निम्न दो हैं : —

1. श्री आनन्द स्वरूप सेठ, प्राध्यापक जन्तु विज्ञान।

2. श्री नरेश चन्द्र गुप्त, प्राध्यापक रसायन विज्ञान।

जिन प्राध्यापकों को स्थायी किया गया है उनका विवरण-पत्र 'स' में संलग्न है।

(5) किसी भी प्राध्यापक की सेवा मुक्ति आरोपों के आधार पर नहीं की गई है, आर० एस० आर० नियम 23 के अनुसार एक माह का पूर्व नोटिस देकर उनको सेवा से मुक्त किया गया है। किसी को आरोपों के आधार पर सेवा मुक्ति नहीं की गई अतः आरोपों की जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गरीब छात्रों को स्कालरशिप

338. श्रीमती भगवती देवी (मिनाय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छात्रों को मेरिट स्कालरशिप, नोन इनकम टैक्स पेयी के लिये नोटेरी पब्लिक से हल्फनामा लेना पड़ता है और उसके लिये उन्हें टिकिट भी लगाने पड़ते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इससे गरीब एवं ग्रामीण छात्रों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि जिस तरह सुनारों को तथा सहकारी समितियों को हल्फनामों पर टिकिट की छूट दी गई है उसी तरह इन गरीब छात्रों को भी ऐसी ही छूट देने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा मेरिट स्कोलरशिप (योग्यता छात्रवृत्ति) स्कीम सत्र 1969-70 से योग्यता नूतन छात्रवृत्ति समाप्त कर दी गई है। सिर्फ नवीनीकरण ही किया जाता है । नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु हल्फनामा की आवश्यकता नहीं होती है । नियमानुसार हल्फनामा सिर्फ नूतन छात्रवृत्ति के लिये प्रथम श्रेणी के दण्डनायक द्वारा या नोटरी पब्लिक से निर्धारित फार्म पर प्रमाणित करवाया जाता है। जिस पर कोई टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है ।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

शिक्षकों के तबादले

339. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिला शिक्षा निरीक्षक द्वारा 1972-73 के सत्र में कितने शिक्षकों के तबादले किये गये हैं तथा इन तबादलों पर सरकार को टी० ए० के रूप में कितना व्यय करना पड़ा है ?

(2) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन तबादलों का कारण प्रशासनिक न होकर अधिकतर राजनैतिक है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिला निरीक्षक द्वारा सत्र 1972-73 में 203 शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये तथा इन तबादलों पर सरकार को टी० ए० के रूप में लगभग रुपया 4,000) व्यय करना पड़ा ।

(2) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नही होती है ।

राजस्थान स्टेट लाटरी

340. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान स्टेट लाटरी वर्ष 1971-72 में कहां कहां खोली गई, कितने कितने टिकिट बेचे गये तथा इससे कितनी कितनी आय हुई ? इसको किस किस कार्य में व्यय किया तथा कितनों को इससे लाभ मिला ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

वर्ष 71-72 में कुल 13 ड्रा खोले गए । इनमें बेचे गये टिकिटों की संख्या तथा जिस स्थान पर खोले गए की सूची संलग्न है । टिकिटों की बिक्री से 156·25 लाख रुपयों की आय हुई । इससे शुद्ध लाभ रु० 41.91 लाख का हुआ जो राज्य की सामान्य आय के मद में जमा है ।

(कृपया परिशिष्ट—14 देखिये)

शिक्षा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने का मामला

341. श्री भैंरूलाल (अकलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या राज्य सरकार के सामने शिक्षा संस्थाओं को क्रमोन्नत करने का मामला

(शिक्षा मन्त्री)
विचाराधीन है ? यदि हां, तो सैकण्डरी स्कूल, पकलेरा, को इन्टर–कालेज एवं मिडिल कन्या शाला को हाई स्कूल में क्रमोन्नत कब किया जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं । वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

रायसिहपुरा जल प्रदाय योजना

342. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा रायसिहपुरा जल वितरण योजना के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि 5% राशि ग्रामीणों द्वारा जमा करा देने के तीन साल बाद भी जल वितरण का कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा भविष्य में कब तक प्रारंभ करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सांवराद–बाकलिया स्कीम में आजवा, भामासी व सिंघाना को सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) अमरपुरा, गरदेजा व दादूबास वाटर सप्लाई स्कीम के कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) योजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।

(2) जी हां, ग्रामीणों द्वारा जनसहयोग की धनराशि नवम्बर, 71 में जमा कराई गई है, योजना की तकनीकी जांच की जा रही है, धनराशि की उपलब्धि पर योजना की स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जावेगी ।

(3) स्वीकृत योजना बांकलिया वालसमन्द में ग्राम आजवा, भामासी व सिंघाणा को सम्मिलित नहीं किया गया है, इन ग्रामों के लिए अलग से जांच की जा रही है ।

(4) केराप क्षेत्रिय जल योजना, तहसील डीडवाना में ग्राम अमरपुरा को सम्मिलित नहीं किया गया है, न ही कोई अलग से प्रावधान है । ग्राम गरदेजा व दादूवास केराम में सम्मिलित तो है परन्तु अलग से निर्माण कार्य करने का प्रावधान योजना में नहीं लिया गया है। पास वाले ग्रामों के हौजों से ही जल प्राप्ति की सुविधा है ।

तहसील जमवारामगढ़ में ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत गांवों का सर्वेक्षण

343. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील जमवारागढ़, जिला जयपुर में जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत किन किन गांवों का सर्वेक्षण कराया गया है और कब कब ?

(2) किन किन ग्रामों से इस योजना के अन्तर्गत कितना कितना रुपया कब कब जमा हुआ है ?

(3) कितने ग्रामों में क्या क्या काम

Page No 44

44

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
आरम्भ कर दिया गया है और किनमें काम आरम्भ करना शेष है ? तथा इन गांवों में काम कब आरम्भ होगा ?

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में निम्न ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया है:–

ग्राम का नाम	सर्वेक्षण कार्य का माह	
(1) मानपुर माचेडी	मार्च,	1972
(2) आंधी	मार्च,	1971
(3) नायला	जोलाई,	1971
(4) मानपुर कलां	अप्रेल,	1972
(5) जमवारामगढ़	जुलाई,	1971
(6) बडियाल कलां	अप्रेल,	1972
(7) खश्वा रानीजी	नवम्बर,	1972
(8) ताला	दिसम्बर,	1972
(9) भुज	अप्रेल,	1972

(2) तहसील जम वारामगढ़ के निम्न ग्रामों से जन सहयोग की राशि जो प्राप्त हुई है उसकी सूचना निम्न प्रकार है :–

ग्राम का नाम	जनसहयोग की धनराशि	जमा होने की तारीख
(1) मानपुर माचेडी	4415,00 3750/- 665/-	3-1-72 व 6-10-72
(2) ताला	5000,00	26-6-72
(3) खश्वारानीजी	2500.00	26-9-72
(4) जमवारामगढ़	2500.00	23-1-73

(3) मानपुर माचेडी व ताला ग्रामों की योजना ही स्वीकृत की गई है और इस वर्ष के लिये धनराशि भी आवंटित करदी गई है आवंटित धनराशि के अनुरूप व स्वीकृत योजना के अनुसार इस खण्ड द्वारा ग्राम मानपुर माचेडी में कुए के निर्माण, क्वार्टर व स्वीच रूम्स आदि का कार्य चालू करा दिया गया है व शेष कार्यों के टैन्डर स्वीकृत किये जाकर कार्य चालू कराया जा रहा है। ग्राम ताला के लिये इस वर्ष केवल 5,000 रुपये की धनराशि ही आवंटित की गई है जो सामान आदि खरीदने के उपयोग में ले ली जायेगी। बाकी के ग्रामों की योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है जिसके उपरान्त स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी।

बेरोजगार व्यक्ति

344. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दोसा): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में 1971-72 व 1972-73 में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे वह ? निम्नानुसार सूचना देने की कृपा करें:—

(ए) शिक्षित बेरोजगार,

(बी) अशिक्षित बेरोजगार,

(सी) शिक्षित अर्द्ध-बेरोजगार,

(डी) अशिक्षित अर्द्ध-बेरोजगार।

(2) सन् 1972-73 में कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया ?

(3) बेरोजगारों की संख्या 1971-72 की तुलना में 1972-73 में कितनी बढ़ी ?

(योजना मन्त्री)

उत्तर

(1) इस विषय पर कोई विशिष्ठ गणना तो नहीं की गई है परन्तु राज्य के भिन्न भिन्न नियोजन कार्यालयों को चालू पंजीका के अनुसार 31-12-71 को 1,39,825 तथा 31-12-72 को 1,71,717 आशार्थी नौकरी की तलाश में उपलब्ध थे।

31 दिसम्बर, 1971	31 दिसम्बर, 1972
64,644	78,334
75,181	93,383

आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त आंकड़े वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं रखे जाते हैं। साथ ही नियोजन कार्यालयों द्वारा एकत्रित इन आंकड़ों को पूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बेकार व्यक्ति बहुत कम संख्या में इन कार्यालयों में अपना नाम पंजीकृत कराते हैं तथा इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो किसी न किसी रोजगार में लगे हुये हैं परन्तु अच्छे रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना नाम दर्ज कराते हैं और जिन्हें नौकरी मिल जाती है उनको सूचना नियोजन कार्यालय को समय पर नहीं मिलती है।

(2) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की सूचना के अनुसार 1-1-71 से 31-12-71 तक 17,663 तथा 1-1-72 से 31-12-72 तक 17,053 व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान की गई।

(3) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों के उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1971 के मुकाबले में वर्ष 1972 में 31,892 अधिक आशार्थी नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर उपलब्ध थे।

लालसोट तहसील में कृषि फार्म खोलने की योजना

345. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील के शाहपुरा ग्राम पंचायत, लालपुरा में सरकारी कृषि फार्म खोलने की योजना सरकार ने निरस्त कर दी है? यदि हां तो कब?

उत्तर

जी नहीं। सरकार द्वारा शाहपुरा ग्राम में सरकारी कृषि फार्म खोलने की कोई योजना नहीं थी।

टौंक जिले की तहसीलों में खाद का वितरण

346. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत तीन वर्षों में टौंक जिले की विभिन्न तहसीलों में विभिन्न प्रकार का कितना कितना खाद वितरित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस चालू वर्ष में टौंक जिले के खाद का कोटा कम कर दिया गया है? यदि हां, तो कितना कम कर दिया गया है और किन कारणों से किया गया है?

(कृषि मन्त्री)

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

अजमेर जिले में पम्पिग सैट व कुओं के लिये दिया गया ऋण

347. श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अकाल सहायतार्थ अजमेर जिले में पम्पिग सैट व कुओं को गहरा करवाने हेतु ऋण दिया गया ? यदि हां, तो पम्पिग सैट व कुओं के लिये किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ? दोनों की अलग अलग नाम, व राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी नहीं । वर्ष 1972-73 में अकाल सहायता मद से अजमेर जिले में पम्पिग सैट अथवा कुओं को गहरा कराने के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया ।

अकाल से मुक्ति हेतु योजनाएं

348. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य के कुछ जिलों के अकाल से मुक्ति (Draught proofing) के लिये योजनाएं तैयार की गई हैं ? अगर हां, तो योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

जी हां, राजस्थान राज्य के तीन जिलों जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के लिये (Draught proofing) प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तैयार की गई है । इनकी प्रतियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

कृषि मन्डी योजना, टौंक

349. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि टौंक में कृषि मन्डी बन रही है और उसके कागजात मार्केटिंग ऑफिसर, कृषि विभाग में दबे पड़े हैं और विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्केटिंग ऑफिसर को आदेश देकर उसके कागजात शीघ्र निकालने का विचार रखती है ?

(2) क्या कृषि मंडी की योजना तैयार कर ली गई ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । किन्तु नई मन्डी के लिये भूमि प्राप्त करने संबंधी कागजातों का विपणन अधिकारी से संबंधित नहीं है बल्कि यह विषय जिलाधीश, टौंक से

(कृषि मन्त्री)
संबंध रखता है जो आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

(2) जी हां । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

'एनर्जी' इन्जिन

350. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि 'एनर्जी' इन्जिन राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को उपयोग में लाने हेतु प्रमाणित हैं ? यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंक उक्त इन्जिन पर किसानों को ऋण क्यों नहीं देती है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित इन्जिनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति भारत सरकार (रिजर्व बैंक) निर्धारित करती है । ये बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था

351. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खाद्यान्न वितरण की अलग अलग व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको पूरे राज्य में एकसी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अनाज वितरण के हर जिले में अलग अलग तरीके हैं कहीं कहीं 2 किलो प्रति माह तो कहीं 6 व 8 किलो प्रति माह ? यदि हां, तो एक ही राज्य के निवासियों में वह भेदभाव क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

राज्य सरकार के आदेशानुसार शहरों में 6 किलो गेहूं व 2 किलो आटा व ग्रामीण क्षेत्रों में 6 किलो गेहूं व 2 किलो मोटा अनाज दिये जाने के आदेश हैं । किन्तु केन्द्र से राज्य सरकार की मांग के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त न होने के कारण जिलाधीश को उनके जिले की स्थिति के अनुसार कम व अधिक खाद्यान्न देने हेतु आदेश दिये हुए हैं । अभी गत माह में जोधपुर जिले के जिलाधीश को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में गेहूं व मोटा अनाज का एकसा वितरण कराने हेतु आदेश किये गये ।

(2) जी हां ।

जिले के जो क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित हैं वहां अधिक खाद्यान्न वितरित किया जाता है एवम् जो जिले अभाव ग्रसित नहीं हैं वहां पर कम खाद्यान्न जिलाधीश

(खाद्य मन्त्री)

के आदेशानुसार वितरित किया जाता है। क्योंकि ऐसे स्थानों की मण्डियों में खाद्यान्न खुले बाजार में उपलब्ध है। इस सबका मुख्य कारण केन्द्र सरकार से राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार खाद्यान्न के प्राप्त न होना है। अतः जो भी खाद्यान्न केन्द्र से राज्य सरकार को प्राप्त होता है उसका वितरण विभिन्न जिलों की जनसंख्या के अनुपात में उन जिलों की अभाव की स्थिति को दृष्टि में रखकर दिया जाता है।

जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र के कैटिल पौन्ड

352. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र में कितने कैटिल पौन्ड हैं? जगह मय तादाद दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि नगर की आबादी को देखते हुए शहर की चार दीवारी के बाहर ऐसे स्थान रखना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) चौकड़ी घाट दरवाजा में पुरानी कोतवाली कैटिल पौन्ड है। दिनांक 29-12-71 से आवारा जानवरों को पकड़ कर पिंजरापोल गौशाला में भेजे जाते हैं। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जी हां।

वर्तमान में ऐसी योजना नगरपरिषद् के पास नहीं है।

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय की गई राशि

253. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (वैर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1965 से अब तक अकाल सहायता पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? विभिन्न जिलों में व्यय की गई राशि का प्रति वित्त वर्ष विवरण बतायें?

(2) सन् 1965 से 1 दिसम्बर, 72 तक अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत अकाल उन्मूलन एवं सिंचाई कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई एवं सड़क निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सिंचाई कार्य, सड़क कार्य, भू-संरक्षण कार्य, वन कार्य एवं राहत कार्यों पर जो खर्चा किया गया है उसका विवरण भी तालिका में संलग्न है। राहत व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता कार्य मूल रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जाते हैं। परन्तु इनसे आवागमन के साधन सुधरते हैं तथा सिंचाई आदि के साधनों में वृद्धि होती है जिससे अभावग्रस्त क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से बल मिलता है। इस रूप में यह सब सहायता कार्य अकाल से मुकाबला करने के कार्य ही माने जाने चाहिए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

लघु कृषक विकास एजेन्सी

354. श्रीमती ऊषा प्रकाश (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले के लिये बनाई गई लघु कृषक विकास एजेन्सी द्वारा अब तक कुल कितनी राशि विभिन्न मदों में ऋण एवं सहायता के रूप में दी गई है? तहसीलवार आंकड़े बतायें।

(2) उपरोक्त एजेन्सी द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार तहसीलवार लघु कृषकों की संख्या कितनी है?

(3) ऋण एवं अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने स्वीकृत किये गये एवं कितने खारिज किये गये? कृपया तहसीलवार सूची उपलब्ध करायें।

(4) उपरोक्त एजेंसी द्वारा विभिन्न मदों में कितनी धनराशि ऋण एवं सहायता हेतु अगले वित्त वर्ष में लघु कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में कार्यरत लघु कृषक विकास एजेन्सी द्वारा अब तक संलग्न तालिका "क" में दिये गये विवरण के अनुसार कुल 128.74 लाख रुपये अल्पकालीन ऋण और 3.56 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण एवं 50.57 लाख रुपये दीर्घकालीन ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाये गये हैं। एजेन्सी द्वारा अब तक कुल 7.13 लाख रुपये संलग्न तालिका "ख" में अंकितानुसार सहायता के रूप में प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों से रिस्क फण्ड एवं अतिरिक्त स्टाफ के लिये जो अनुदान दिया गया है वह तालिका "ग" में अंकित है।

(2) एजेन्सी द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर जिले में कुल 52922 लघु कृषकों का चयन अब तक किया जा चुका है। तदनुसार पंचायत समितिवार सूचना संलग्न तालिका "घ" में अंकित है।

(3) दीर्घकालीन ऋण हेतु प्राप्त कुल 1,405 ऋण प्रार्थना-पत्रों में से 1,373 ऋण प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये हैं एवं 32 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। अनुदान हेतु कुल 121 मामले प्राप्त हुये हैं जिनमें से 90 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किये गये हैं एवं 31 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। पंचायत समितिवार सूचना तालिका 'ङ' में अंकित है। आगामी वित्तीय वर्ष 1973-74 में 90 लाख रुपये अल्पकालीन ऋण 29 लाख रुपये मध्यकालीन व 34 लाख रुपये दीर्घकालीन ऋण के रूप म वितरण किये जाने का कार्यक्रम है। तदनुसार कुल 22.23 लाख रुपये अनुदान की राशि विभिन्न मदों में दिये जाने का प्रावधान है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका "च" में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण

355. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)
राजस्थान के सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई निर्णय ले रही है? यदि हां, तो कब तक? और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

राजस्थान के सिनेमा घरों का राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने में चोरियों के मामले

356. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री डूंगरगढ़ (चूरू) पुलिस थाने में वर्ष 69-70, 70-71, 71-72, तथा 72-73 में कुल कितने चोरियों के मामले दर्ज हुये? पशु चोरियों व अन्य चोरियों के। वर्षवार की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चोरियों के जो मामले दर्ज हुये हैं उनमें से कितनी कितनी चोरियों का कितना कितना माल बरामद हुआ व कितना कितना बरामद होना शेष रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बरामदगी के मामले में पुलिस की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में आज तक क्या कदम उठाये हैं? और नहीं तो क्यों?

(4) क्या अभी भी सरकार बकाया चोरियों के सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाकर बरामदगी की कार्यवाही करायेगी? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) चाही गई विस्तृत सूचना संलग्न तालिका 'क' व 'ख' में दर्ज है।

(2) यह सूचना भी संलग्न तालिका के कॉलम नं. 4, 5 व 6 में अंकित है।

(3) जी नहीं। सन् 1969, 70-71, 72 व 73 में माल की बरामदगी के आंकड़ों से प्रगति सन्तोषप्रद प्रतीत होती है।

(4) जी हां, इन चोरियों की बरामदगी हेतु पुलिस सतत प्रयास कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पर्यटन विभाग को भारत सरकार से प्राप्त राशि

357. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को भारत सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस किस कार्य के लिये कितनी कितनी राशि दी गई?

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि का किस किस वर्ष में विभाग द्वारा उपयोग किया गया व कितनी लैप्स हो गई? लैप्स होने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को भारत सरकार द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय

(पर्यटन मंत्री)

योजना काल में विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है।

(2) संलग्न तालिका 'क' में बताई गई योजनाओं में से यूथ होस्टल का निर्माण तथा रनकपुर में बिजली लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। सरिस्का बर्ड सेन्च्यूरी में बिजली लगाने का कार्य भी वित्तीय वर्ष 72–73 के अन्त तक पूरा हो जावेगा। शेष तीन योजनाओं की स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1971–72 व 1972–73 में दी गई है। इन योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि अन्तिम वित्तीय वर्ष 73–74 के अन्त तक शेष तीनों योजनाएं पूरी हो जावेंगी। ऐसी स्थिति में धनराशि लेप्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रही कार्यवाही

358. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा में कार्य कर रहे किन किन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही चल रही है ? तथा कितने अधिकारियों से उनकी आय एवं व्यय के ब्यौरे मांगे गये हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

उत्तर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 13 एवं राजस्थान पुलिस सेवा के 15 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यवाही चल रही है केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा आय एवं व्यय के ब्यौरे मांगे गये हैं जिनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'क' एवम् 'ख')

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

राजतन्त्र में प्रशासनिक सुधार

359. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजतंत्र में प्रशासनिक दृष्टि से सुधार लाने के लिये राजस्थान के दस जिलों में चुनिन्दा जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक गत वर्ष राज्य सरकार ने भेजे हैं ? यदि हां, तो दस जिले कौन कौन से हैं तथा इन जिलों में उपरोक्त पदों पर किन किन अधिकारियों को लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जिला प्रशासन की मजबूती को सरकार ने सदैव ही अधिक महत्व दिया है क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का क्रियान्वयन अंततः जिलास्तर तथा निचले स्तर पर ही होता है। अतः सरकार का यह प्रयास रहा है कि जिलास्तर पर सही किस्म के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाये ताकि जिला प्रशासन दक्षतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। जिलों के कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों के पदस्थापन इसी

(मुख्य मंत्री)
दृष्टि से किये गए हैं। यह नीति किन्हीं विशेष जिलों तक ही सीमित नहीं है और इसलिये जिलों या अधिकारियों के नाम बताना ठीक या सम्भव नहीं होगा।

कोटपुतली में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना

360. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सच है कि कोटपुतली में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किए जाने हेतु राज्य सरकार के पास उद्योगपतियों के प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो किस किस के और किस किस तारीख से ?

(2) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा गत सत्र में यह आश्वासन दिया गया था कि फैक्ट्री स्थापित करने वाली इच्छुक फर्म के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसी समय ही फैक्ट्री चालू करने की स्वीकृति दे दी जावेगी ? यदि हां, तो फैक्ट्री कब तक चालू किए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। क्योंकि फैक्ट्री लगाने वाली इच्छुक फर्म का लाईसेन्स के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, स्वीकृति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

संगमरमर उद्योग

361. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना संगमरमर उद्योग कितने वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ है ?

(2) क्या इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मकराना संगमरमर उद्योग अत्यन्त प्राचीन काल से प्रारम्भ है।

(2) जी हां। जिलाधीश, नागौर ने उनके कार्यालय विज्ञप्ति क्रमांक राजस्व/9009, दिनांक 28-12-61 को खसरा नं० 733, 729, 731 की 35 बीघा 18 बिस्वा जमीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित की है।

ज्वार की निकासी

362. **श्री शिवनारायण** (बारां): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि किसान अपनी उपज की ज्वार बाहर किसी भी जिले की मन्डी में बिना लेवी दिये बेच सकता है ? यदि हां, तो जिले से निकास के लिए किस अधिकारी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है ?

उत्तर

जी हां।

ज्वार के अन्तर जिला आवागमन पर जो प्रतिबन्ध था, वह दिनांक 13-12-72 से उठा लिया गया है। इसलिये प्रमाण-पत्र लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेवी आदेश केवल व्यापारियों पर लागू है।

राजकीय डेयरी फार्म, रामसर

363. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रामसर में राजकीय डेयरी फार्म है ? यदि हां, तो इस फार्म में राजकीय कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा प्रति माह वेतन पर कितना खर्चा होता है ?

(2) इस फार्म में पशुओं की संख्या कितनी है ? तथा प्रति माह इन पर दाना व घास इत्यादि पर कितना खर्चा होता है तथा प्रति माह दूध से कितनी आमदनी होती है ?

(3) क्या इस डेयरी फार्म से सरकार को लाभ है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इसे बन्द करेगी ?

(4) एक वर्ष में इस फार्म पर कितना खर्चा व कितनी आमदनी होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल राजकीय पशु प्रजनन शाला है । यहां पर राजकीय कर्मचारियों की संख्या 24 है। उनके वेतन पर प्रति माह 4005 रु० खर्च होता है।

(2) इस पशु प्रजनन शाला पर पशुओं की संख्या 348 है । दाना व घास आदि पर औसतन 20040 रु० प्रति माह व्यय तथा दूध से 4653 रु० औसतन आमदनी होती है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक नस्ल सुधार का प्रश्न है फार्म काफी हद तक सफल रहा है ।

(4) इस पशु प्रजनन शाला पर एक वर्ष में होने वाले खर्चे तथा आमदनी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

जयपुर जिले की सस्ती अनाज की दुकानें

364. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपुतली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) जयपुर जिले में किन किन तहसीलों में कहां कहां सस्ते अनाज की दूकाने खोली गई हैं तथा उक्त दुकानों को किस माह से कितना कितना अनाज दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील में एक भी ग्राम में अनाज की दूकान अभी तक नहीं खोली गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की जिन जिन तहसीलों में सस्ते अनाज की दुकानें खोली गईं एवम् उन पर किस किस माह में कितना कितना अनाज दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जी नहीं । तहसील कोटपुतली के नगरपालिका क्षेत्र तथा खाद्यान्न वितरण केन्द्र बडनगर एवम् टसकौला में खाद्यान्न की दूकानें खोली जा चुकी हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8-3-73)

राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों का कम्पलसरी रिटायरमेंट

169. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गत दो वर्षों में कितने गजेटेड एवम् नानगजेटेड अधिकारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

1. सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल, गुमान मल लोढ़ा और अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने शरणार्थी कैम्प नीमला तहसील शिव में अव्यवस्था के कारण 20 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है ।

2. श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य विधान सभा ने नागौर जिले की जायल तहसील के अकाल राहत कैम्प बन्द कर देने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

3. श्री मोमाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा ने नागौर जिले के कस्बा डीडवाना के मालियों का बास तथा गांव आजवा भामासी व प्यावा में गत 15-20 दिनों से पीने के पानी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा ।

4. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा और अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने ब्यावर नगर में पानी के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस प्रश्न पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और कल ही जन-स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस विषय पर पुनः प्रकाश डाला जा चुका है और यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

5. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारी लाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने हरिजन बस्ती ब्रह्मपुरी में पीने के पानी की समस्या को लेकर हरिजन सुधार समिति के अध्यक्ष श्री सोहनलाल पंवार की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

6. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारी लाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और

(श्री अध्यक्ष)

मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने रोडवेज कर्मचारियों द्वारा दिनांक 3 अप्रेल, 1973 से अपनी मांगों को लेकर किये जाने वाले आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसी प्रकार श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान राजकीय मुद्रणालय के 1300 कर्मचारियों द्वारा आगामी 26 मार्च मे किये जाने वाले आन्दोलन के सम्बन्ध म एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों का सम्बन्ध भविष्य में होने वाली घटना से है जो अनिश्चित है और यह अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः में उन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है हरिजन बस्ती ब्रह्मपुरी के बारे में, यहां पर पीने के पानी का एक भी नल नहीं हैं, न वहां वाटर लाइन हैं। वह लगभग 5,000 हरिजनों की बस्ती है।

श्री अध्यक्ष : कल ही तो इस पर डिस्कशन हुआ है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल तो नहीं हुवा था। मुझे निवेदन करना है कि ब्रह्मपुरी की हरिजन वस्ती में एक भी नल नहीं है, वाटर लाइन भी नहीं है। हरिजनो के नाम पर और अनुसूचित जाति और जन जाति के नाम पर जो यहां पर वाहवाही लूटी जाती है वह निरर्थक है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने कहा है कि जयपुर शहर में पीने के पानी की कहीं भी समस्या नहीं है, वह कहां तक सही है? इस समस्या को लेकर राजस्थान विधान सभा के सामने श्री सोहनलाल पंवार, जो हरिजन वस्ती के अध्यक्ष हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप मेरे साथ चलें वहां पर, वहां एक भी नल नहीं है पीने के पानी का।

ब्रह्मपुरी के अलावा कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : इनके सम्बन्ध में स्थगन प्रताव नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कहना कि जयपुर शहर में पीने के पानी का अभाव नहीं है, यह गलत है। माननीय मंत्री जी आज ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था करें और अपने अधिकारियों को आदेश दें। जिन वस्तियों का मैंने उल्लेख किया है वहां पीने के पानी की व्यवस्था करें।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव जो नीमला कैम्प में भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ...

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न भविष्य का है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मांगों के लिये छः माह पूर्व ही मांग पत्र दिया था, उस पर राज्य सरकार ने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कोई कार्यवाही नहीं की और अब वह हड़ताल करने वाले हैं तो राज्य का सारा यातायात ठप्प हो जायेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर कार्यवाही करें, और अगर राज्य सरकार ने इस प्रकार ही अपना रवैया बनाये रखा तो 3 अप्रेल से सारे राज्य का यातायात ठप्प हो जायेगा। इसलिये यातायात मंत्री को अपने विचार प्रकट करने चाहियें।

और मैं माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि जो हरिजन भाई आज बाहर बैठे हुए हैं उनकी बस्ती में पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह भविष्य का है। अध्यक्ष महोदय, वह भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है। आज ही 1300 आदमी इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन लेकर आ रहे हैं और पांच जगहें जहां पर गवर्नमेन्ट प्रेसेज् हैं वहां कलेक्टर्स के हेडक्वार्टर्स पर वह लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके पहले भी वह हड़ताल कर चुके हैं और सारा का सारा काम ठप्प हो गया था। अब भी उन्होंने तीन दिन की टूल डाउन स्ट्राइक और उसके बाद से चौथे दिन से अनिश्चित काल तक हड़ताल की घोषणा की है। यह प्रश्न बहुत समय से चल रहा है। सरकार ने सिद्धांत रूप से यह स्वीकार भी किया है कि राणावत वेतन आयोग के पेमेंट्स, जो अन्य कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं, इनको भी मिलने चाहिये। उसके अलावा इन प्रेसेज में तीस साल पुराने इन्स्ट्रूमेंट्स हैं और किसी भी समय कोई भी प्रेस गिर सकती है और दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटनाएं हुई भी हैं। अध्यक्ष महोदय, सारा विधान सभा का प्रिंटिंग का काम और राज्य सरकार का प्रिंटिंग का काम इन प्रेसेज् में होता है, आज कल विधान सभा सेशन में है और विधान सभा का बहुत सारा मेटीरियल प्रिंटिंग के लिये इन गवर्नमेंट प्रेसेज् में जाता है, यह सारा काम ठप्प हो जायेगा।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें, इसके लिये आप उनसे कहें ताकि कर्मचारी हड़ताल पर न जायें। अगर इनकी समस्या हल हो सकती है तो हमारा राज्य काफी नुकसान से बच जायेगा। इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपना बयान दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के सम्बन्ध में आपने व्यवस्था दी है कि यह प्रश्न बार बार विधान सभा के पटल पर आ चुका है और इस पर विचार हो चुका है। मेरा निवेदन यह है कि आज भी वहां पर अभाव की यह स्थिति है कि पानी के एक घड़े के लिये, एक बालटी के लिये, एक व्यक्ति को एक रुपया देना पड़ता है। इस कारण से वहां पर स्थिति अत्यन्त असहनीय है। वहां पर आन्दोलन चल रहा है और लोग धरना देकर बैठे हैं। गत वर्ष माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि यदि भीलवाड़ा में एक या दो माह में पानी की व्यवस्था न कर सका तो मैं स्वयं पानी पीना छोड़ दूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसको आज एक वर्ष हो गया और आज भी अभाव की यह

(श्री गुमानमल लोढा)

स्थिति है कि लोग बाल्टियां लेकर डोलते फिरते हैं और नगरपालिका पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ है। वहां की जनता की मांग है कि सरकार इस व्यवस्था को अपने हाथ में ले। इतना बड़ा शहर आज पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहा है उसको आज के युग में पानी दिया जाये।

मेरा निवेदन है कि विचार तो कई बार यहां पर हुआ है। मंत्री महोदय ने कई बार यहां पर घोषणा की है। एलॉटमेण्ट भी किया है। लेकिन आंशिक रूप से भी समस्या का हल हुआ। वहां पानी की समस्या राज्य सरकार अपने हाथ में ले। अन्यथा यह स्थिति होगी कि ब्यावर नगर को गर्मियों में खाली करना पड़ेगा। इस विज्ञान के युग में पानी न मिलने के कारण नगर खाली करना पड़ेगा तो यह राज्य सरकार के लिए बड़े शर्म की बात होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि शार्ट टर्म योजना में ले लें। लम्बी योजना विचाराधीन है। कहां से पानी लेंगे। भीलवाड़ा से लेंगे या कुएं खोदेंगे। तो वह व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। इसलिए शार्ट टर्म योजना में ब्यावर की जनता को पानी देने की व्यवस्था की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नोखामंडी के बारे में निवेदन किया था। मन्त्री महोदय ने कहा था कि वहां पर आदेश जारी कर दिये गये हैं। आठ-आठ महीने से वहां के अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिली है। कम्पाउण्डर हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। 20 बच्चों के मरने का तार कल ही आया है। मेरी प्रार्थना है कि निश्चित समय में, दो तीन दिन में ही इस प्रकार का वक्तव्य दें। यहां पर, सदन में, जानकारी के नाम पर सरकार ने उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय, नागौर के मामले में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। वहां दंगा हुआ था। उसका जवाब नहीं दिया गया है। वहां मुस्लिम लीगी तत्वों ने रामेश्वर माऊ का कत्ल कर दिया। यूसुफ और काजी सबीर इन मुस्लिम लीगी तत्वों ने उसका कत्ल कर दिया। जिसके कारण वहां पर हड़ताल है। जिन लोगों ने कत्ल किया है और उनको जो शरण दे रहे हैं, उनको छूपा रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। रामेश्वर माऊ का कत्ल किया गया है। जो लोग उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाय। यह कल की घटना है। दुख का विषय है कि राज्य सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। वर्ना वहां पर जो दंगा हुआ, जो कुछ कल हुआ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : यहां पर यह घोषणा की जाती है कि मुस्लिम लीग को दबा दिया। बढ़ने नहीं दिया। कल नागौर में जो दंगा हुआ है। वहां जिन्होंने कत्ल किया है और जो पनाह दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाये।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ब्यावर के पानी के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय तो है नहीं।

श्री केशरीमल : थोड़ा-सा ही कहना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ब्यावर में बुधवार को पानी देना बन्द कर दिया गया है। अभी तो हफ्ते में एक दिन नहीं दिया जायेगा। फिर क्या यह होगा कि हफ्ते में 3 दिन नहीं दिया जायेगा ? क्या होगा ? आखिर यह सरकार क्या करने जा रही है ? ब्यावर को पानी दो। यह सरकार क्या कर रही है ? यह ठीक है कि हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी बाहर से लाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्यावर के पानी की बात सन् 70 से लेकर नाना प्राकर के लोगों ने नाना प्रकार से यहां पर रखी है। लेकिन ऐसी कोई स्थायी योजना सामने नहीं आयी है। खाली यह कहा जाता है अगर पैसा देने मात्र से पानी मिलता तो हम भी दे सकते हैं। बच्चे प्यासे रो रहे है, संकट पूर्ण स्थिति हो गई है। रात को दो-दो बजे, बारह-बारह बजे औरतें कुआं पर जाती हैं। पानी मिल जाता है तो मिल जाता है। नहीं तो लौटना पड़ता है। हैण्ड पम्प के बारे में जो मन्त्री महोदय ने कहा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : वार बार वह हैण्ड पम्प खराब हो जाते हैं। पानी उनमें उपलब्ध नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री केशरीमल : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ब्यावर में पानी के लिए वह जल्दी से योजना करें, नहीं तो लोग प्यासे मरेंगे। यह स्थिति उत्पन्न हो गई है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र-प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त निगम का 31 मार्च, 1972 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कृषि भूमि को आवास भूमि में परिवर्तित करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत, कृषि भूमि को आवास–भूमि में परिवर्तित करने से सम्बन्धित विषय की ओर राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा.......

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, चार सदस्यों के नाम हैं।

श्री अध्यक्ष : मूव हो गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी (आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कृषि भूमि का आवास प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री निरंजननाथ आचार्य, श्री केदारनाथ, श्री गिरधारीलाल भार्गव एवं श्री जनार्दनसिंह गहलोत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। श्री निरंजननाथ आचार्य एवं श्री केदारनाथ

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

के संयुक्त प्रस्ताव में आवास समस्या का राज्यव्यापी प्रश्न उठाया गया है, जब कि श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री जनार्दन सिंह गहलोत के प्रस्ताव केवल जयपुर नगर की समस्या तक ही सीमित हैं।

कानूनी स्थिति इस प्रकार है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 'ए' के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाना वर्जित है।

नगरीय क्षेत्रों में आवास भूमि की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुये सन् 1969-70. में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि राज्य सरकार कृषि भूमि का आवास तथा व्यवसाय हेतु रूपान्तरण के लिये अनुमति निर्धारित फीस लेकर देने का इरादा रखती हैं। इस विषय में आशंका व्यक्त की गई कि अवांछित रूपान्तरण से न केवल नगरों के सुनियोजित विकास में अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः राज्य सरकार ने पुनर्विचार किया और सन् 1971-72 के बजट अधिवेशन में वित्त मंत्री ने सरकार की नीति की घोषणा की जिसके अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों में सम्बन्धित नगर विकास न्यास या नगरपालिका तथा राजस्थान आवासन मण्डल अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि भूमि को अवाप्त कर उसका विकास करेंगे तथा लोगों को आवास हेतु जमीन उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि जिन लोगों ने नियमों के विरुद्ध रूपान्तरण कर लिये हैं उन्हें बेदखल नहीं कर उनसे निर्धारित फीस लेकर उनके मामलों का नियमन कर दिया जायेगा।

उपरोक्त घोषणा के अनुसरण में:

Rajasthan Land Revenue (Allotment and Regularisation of the Conversion of Agricultural Land for Residential or Commercial Purposes in Urban Areas) Rules, 1971.

प्रसारित किये गये। इन नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि के अनधिकृत रूपान्तरण के ऐसे मामलों, जिनमें दिनांक 21-8-71 तक प्लीन्थ से ऊपर तक आवास अथवा व्यवसाय हेतु भवन निर्माण कर लिया गया था, का नियमन किया जा रहा है।

नियमन हेतु नगरों को क्षेत्रों में महत्व के आधार पर बांटा गया है, और प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित कृषि भूमि के मूल्य व नगरीय भूमि के मूल्य को ध्यान में रखकर प्रीमियम की दर निर्धारित की गई है। जयपुर नगर के लिए प्रीमियम की दरें मुख्य नगर नियोजक, सचिव, नगर विकास न्यास तथा ओथोराइज्ड प्रोपर्टी एव्युलेवटर से विचार-विमर्श कर निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार अन्य नगरों के लिए वहां के जिलाधीशों की सिफारिशों पर दरें निर्धारित की गई हैं और जिलाधीशों को निर्देश दिये गये थे कि वे सम्बन्धित नगर की नगरपालिका अथवा नगर विकास न्यास से सलाह कर अपनी सिफारिश भेजें। आवास भूमि की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सम्बन्धित नगर विकास न्यास या नगर पालिकाओं को ही अपनी आवश्यकतानुसार भूमि अवाप्ति के लिये उचित

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

कार्यवाही करनी है। जयपुर नगरपरिषद् क्षेत्र में स्थित बहुतसी कृषि भूमियों को अवाप्त करने के लिये अधिसूचनायें जारी हो चुकी हैं। वैसे, सुनियोजित विकास के हित में आवश्यक है कि नगरों के मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकतायें निश्चित की जायं और उसके बाद योजनाबद्ध कार्य किया जाय। इस उद्देश्य से राज्य के मुख्य नगरों के मास्टर प्लान शीघ्रता से बनाये जा रहे हैं। इस बीच कमजोर वर्ग के लोग विशेष कर कच्ची बस्तियों के लोगों के लिये नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न योजनायें हाथ में ली गई हैं। राजस्थान आवास मण्डल भी शीघ्रता से विभिन्न नगरों में उचित मूल्य पर बने बनाये मकान उपलब्ध करा रहा है।

राज्य सरकार आवास समस्या के प्रति सजग है, और आवास हेतु कृषि भूमि पर बढ़ते हुए दवाव और उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय समिति का राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है। उक्त समिति शीघ्रातिशीघ्र अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जयपुर नगर में समितियों के माध्यम से बनाए गए मकानों को तोड़ने सम्बन्धी प्रश्न उठाया है। जैसा कि पहले निवेदन किया गया है, जो मकान 'प्लीन्थ' से ऊपर तक दिनांक 21-8-1971 तक बन गए थे उनका तो नियमन किया जा रहा है, परन्तु जो मकान दिनांक 21-8-1971 के बाद बनाए गए हैं अथवा जिनमें दिनांक 21-8-1971 तक निर्माण कार्य 'प्लीन्थ' से कम था वह अवैध हैं और इस कारण उनके विरुद्ध ध्वस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जयपुर में इस प्रकार के 504 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें से 205 मामले सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भू-खण्डों से सम्बन्धित हैं। वैसे अब तक सहकारी समितियों की भूमिका उत्साहजनक नहीं रही है क्योंकि अधिकांश ने बिचौलियों की तरह कार्य किया है और नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि खरीद कर, उसको बगैर विधिवत रूपान्तरण कराए हुए और बिना उसका विकास किए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर बेच दी है। मकान लोगों द्वारा स्वयं ही बनवाये जा रहे हैं और उसमें समितियां किसी प्रकार का योग नहीं दे रही हैं। फिर भी सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति के अनुरूप गृह निर्माण सहकारी समितियों को उपयोग करने के प्रश्न पर उपरोक्त उच्चस्तरीय समिति द्वारा विचार किया जायगा।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्र में नियमन की अधिक दर का प्रश्न है, यह भिन्नता तो हमेशा रहेगी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गैर नगरपालिका क्षेत्र (नॉन-म्युनीसिपल एरियाज) आते हैं जहां भूमि का मूल्य नगरों जितना ऊंचा नहीं है और नहीं आवास भूमि की समस्या इतनी गम्भीर है। इसमें तो सभी सहमत होंगे कि स्थान के महत्व के अनुसार नियमन या रूपान्तरण की दर होनी चाहिये।

सभी जगह रु. 25 से रु. 40 तक की दर नहीं है जैसा कि माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत ने कहा है। यह तो केवल कुछ मुख्य मुख्य स्थानों पर ही है, और

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
इसमें कन्वर्शन चार्जेज के साथ पैनल्टी भी शामिल है।

मैं पुन: निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति में सभी प्रश्नों पर खुले दिमाग से विचार किया जायेगा और राज्य सरकार उक्त समिति की सिफारिशों पर सभी पहलुओं से विचार कर निर्णय लेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्री जी ने कहा है, 21-8-1971 के बाद जयपुर शहर में मकान बने हैं उनको ध्वस्त किया जायगा। मैं समझता हूं कि आप अपनी बात में थोड़ा संशोधन करलें, मकान क्या हैं, किस लिए बने हैं और उनको गिराना कहां तक वाजिब है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, न मकानों का गिराने की कार्यवाही करें, न गिरवा सकते ह, न गिराने चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। आखिरकार यह बात क्यों उठी है ? जयपुर राजस्थान की राजधानी है, यहां पर आवास की समस्या का समाधान हा नहीं सके। हमने हमारी नीति निर्धारित की थी कि लोगों का रहने के लिए मकान देंगे। लेकिन आपने मकान नहीं दिये इसलिए लोगों ने कृषि भूमि ले ली और उस पर मकान बना लिये.......

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण के रूप में पूछिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खेद का विषय, आज पच्चीस वर्ष के उपरान्त रहने के मकान के लिए संघर्ष करके मकान बना लिये या मकान बना रहे हैं या मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपसे जमीन की भीख मांग नहीं रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1967-68, 1968-69 1969-70 में राज्य सरकार के द्वारा बराबर घोषणा की गई कि कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने वाले हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी, फिर लोगों ने मकान बना लिये तो कोई दोष नहीं किया। मैं निवेदन करता हूं कि नगर विकास न्यास लोगों को जयपुर शहर में मकान देने में असफल रहा है। दूसरा हवाला आप दे रहे हैं, आवासन बोर्ड का। यह बोर्ड है, इसमें कहीं नियम नहीं है कि आवासन बोर्ड जयपुर शहर में रहने वाले व्यक्तियों को देगा। बम्बई में बैठे भाई, कलकत्ता में बैठे भाई, दिल्ली में बैठे भाई आवासन बोर्ड की स्कीम के तहत नाम दर्ज करा सकते हैं। वह लोग नाम दर्ज करा लेंगे और वह मकान ले लेंगे और जयपुर शहर के अन्दर रहने वाले लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा। यह दलील गलत है।

भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्रीमान् सुखाड़िया ने यहां पर इस सदन में सहकारिता आन्दोलन की भूमिका के बारे में और इसे तमाम बढ़ावा देने के बारे में कहा, उदयपुर में कहा, इस सदन में कहा और विदेशों में सहकारिता के आधार पर किस प्रकार मकान बना रहे हैं, उस सारे काम को देखने के लिए कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, उस समय जो रजिस्ट्रार थे उन्हें विदेश भेजा। वह वहां से आये और उन्होंने रिपोर्ट दी। उस पर सरकार को अमल करना चाहिए था।

मैं निवेदन करूं कि वित्त मन्त्री यह आड़ लेना चाहें कि हमारा पैसा खर्च होगा, तो पैसा खर्च होने की आवश्यकता

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

नहीं है। इससे तो आपको वित्तीय साधन मिलेंगे और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। अपनी जमीन की कीमत ले लें। इसलिए इसमें वित्त की आड़ न लें। जयपुर शहर में लगभग 135 से भी अधिक समितियां हैं, और उनके सदस्य हैं 16,000, आठ मील का क्षेत्रफल है और एक हजार वर्ग मील जमीन इन सहकारी समितियों के पास है और क्रियाशील पूंजी है छः करोड़ रुपये की। राज्य सरकार अगर कन्वर्शन के चार्जेज ठीक प्रकार से लागू कर दे तो राजस्थान सरकार को उससे पांच करोड़ की आय हो सकती है। पांच करोड़ की आय ले लीजिये और भारत का स्वायत्त शासन विभाग है, वह अनुदान दे दे पांच करोड़, तो पांच करोड़ और पांच करोड़, दस करोड़–जयपुर शहर में नई-नई बस्तियां है जहां बरसात में पानी भर जाता है, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, आदर्श नगर हैं, राजा पार्क है, बनी पार्क है, नाहरी का नाका है और चौकड़ियां हैं, वहां पर इनकी व्यवस्था पर आप लगा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार यह आय का सारा साधन है। यू. आई. टी. के तो सारे काम फेल हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यू. आई. टी. ने तीन हजार प्लॉट दिये हैं और किसी प्रकार का काम वह नहीं कर सके हैं। मैं निवेदन करूंगा, 21-8-1971 को जो घोषणा की थी, उसमें यह लिखा है :

The State Government may charge different rates of premium, urban assessment and penalty for different towns and cities and for different areas in the towns and cities.

तीन चीजें ले लेंगे, प्रीमियम लेंगे, पैनल्टी लेंगे, अर्बन असेसमेंट लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने उसी आधार पर लिया है, जयपुर शहर में केवल प्रीमियम, पैनल्टी के आधार पर मिर्जा इस्माईल रोड पर रेजिडेंशियल पर्पज के लिए चालीस रुपये पर स्क्वायर यार्ड, और कामर्शियल परपज के लिए 150 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। यह पेनल्टी और प्रीमियम है, अर्बन असेसमेंट अलग बात है, वह कितना आंकेंगे। सरकारी भूमि पर जिन्होंने कब्जा किया है, 50 रुपये पर स्क्वायर यार्ड रेजिडेंशियल परपज के लिए और कामर्शियल परपज के लिए 170 रुपये पर स्क्वायर यार्ड, एस० एम० एस० रोड पर....

श्री अध्यक्ष : उनको मालूम है पब्लिश्ड रिपोर्ट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट। उसके 120 रुपये पर स्क्वायर यार्ड हैं। मेरा निवेदन है, आपने रेट्स प्रेस्क्राइब की है, एक हवा सड़क है, आपने वह देखी होगी, एक बगल में बीस, दूसरी ओर पन्द्रह रुपये। सड़क के इधर मिनिस्टर के साथ रहे वह बीस रुपये दे और गरीबों के साथ में रहे वह पन्द्रह रुपये दे। यह कन्वर्शन चार्जेज हेवी हैं। लोगों ने कोई अपराध किया नहीं है। यह कन्वर्शन चार्जेज हेवी इतने हैं कि पूरा बंगला बच दें तो भी कन्वर्शन चार्जेज नहीं दे सकते। मैं निवेदन करूंगा, आपने रेट्स ज्यादा रखी है। जो आदमी मकान नहीं बना सका, वह 21 तारीख के बाद बना ले तो उसने कौनसा अपराध कर दिया। अपराध भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
कर लिया तो अपराध की आपने लगा दी पैनल्टी....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा मकान है, मैं आपके रूल्स के राह में बैठा रहा, रूल्स बनाये जायेंगे तो मैं कन्वर्शन करा लूंगा। आपने रूल्स बनाये नहीं, लोग रूल्स का इन्तजार कर रहे हैं। वह क्या करेंगे। मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में मकान तोड़ने के लिए कार्यवाही करेंगे तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा यहां पर जनबल का प्रदर्शन होगा और आखिरकार आपको वह बात स्वीकार करनी पड़ेगी। आप जयपुर शहर में मकान तोड़ना चाहते हैं मैं उसका घोर विरोध करता हूं। ऊंची रेट ली जा रही हैं कन्वर्शन की, इसमें आप संशोधन करें और लोगों के मामले रेगुलेराइज करें और बने हुए मकान रहने दें। इसके अलावा रजिस्ट्री हुई चार रुपये के हिसाब से और आप जमीन की कीमत चालीस रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लेना चाहते हैं। जिस समय रजिस्ट्री कराई, उस वक्त चार रुपये भाव की जमीन थी तो चार रुपये के हिसाब से जो बनता है वह ले लें। चार रुपये के बजाय चालीस रुपये के हिसाब से आप कार्यवाही कर रहे हैं यह उचित नहीं है। मैं निवेदन करता हूं, आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि जयपुर शहर में मकान तोड़ेंगे, लोगों में इसकी भयंकर प्रतिक्रिया होगी और हाई कोर्ट से इसके लिए लोग स्टे लायेंगे। जयपुर शहर के लोगों को एक प्रकार से उद्वेलित कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा, मकान तोड़ें नहीं, रेट को पुनः निर्धारित करें और रजिस्ट्री के आधार पर रेट ले लें, रूल्स बनायें। मेरा निवेदन है कि 21 अगस्त के बाद जिन लोगों ने मकान बनाये हैं, आज की तिथि आप तय कर लें और एक साथ प्रीमियम लेकर उनके केसेज को कम्पाउण्ड कर दें। बाकी मकान तोड़ने का इरादा बिल्कुल छोड़ें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कुछ जवाब दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय इस समस्या से भलीभांति परिचित हो चुके हैं कि आज की हालत में कितनी आबादी जयपुर में बढ़ी है? 1941 में जहां जयपुर की आबादी 1,75,810 थी वहां 1951 में 2,91,130 और 1971 में 6,15,256 हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या कोई नए मकान बनाने की योजना रखती है? क्योंकि सही माइने में जब सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके पीछे भावना थी कि सरकार सहकारिता क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर जयपुर में सहकारी समितियों के माध्यम से नई कोलोनीज बसाएगी और उनमें लोग अपने अपने मकान बनवा सकेंगे। पिछले 25 वर्ष में जयपुर शहर में कुल मिलाकर राज्य सरकार चाहे यू० आई० टी०, चाहे हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से केवल 5,500 प्लॉट्स दे सकी। क्या राज्य सरकार जयपुर में जितने लोग बसे हुए हैं उनके लिए कहीं मकान देने की नीयत साफ रखती है? केवल मात्र घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। जो लोग बस्तियों में बसे हुए हैं उनको अगर जमीन देकर आबाद नहीं किया तो समस्या का अंत कब होगा? परकोटे के अन्दर हालत

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत) यह है कि नगरपरिषद् सीमा में एक प्लॉट भी दिये जाने की स्थिति नहीं है। जयपुर में आज भी वैसी ही समस्या बनी हुई है। सरकार महसूस करती थी कि 50 हजार लोगों को कम से कम बसाना पड़ेगा उसके बाद योजना थी कि 20 हजार लोगों को बसायेंगे। लेकिन अगर 20 साल भी बीत जायें तो भी मुझे नहीं लगता कि सरकार 20 हजार मकान बना पाएगी। 30 हजार आदमी आखिर जयपुर शहर के कहां बसेंगे। एक तरफ मध्यम श्रेणी के गरीब तबके के लोग हैं जो सही माइने में इस स्थिति में नहीं हैं कि बड़ी बड़ी रेट्स पर नीलामी में बोली लगा सकें। यू०आई०टी० ने तो नीलामी का धंधा कर लिया। 80 हजार रुपये मन्थली यू०आई०टी० पर खर्च किया जा रहा है, वहां नीलामी पर जमीन दी जा रही है तो एक प्लॉट भी साधारण आदमी नहीं ले सकता। ऐसी हालत में क्या राज्य सरकार गरीब लोगों को बसा सकने की स्थिति में है? आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की यही हो गई है।

1969-70 में वित्त मंत्रीजी ने विधान सभा के फ्लोर पर घोषणा की थी कि हम किस किस भूमि का परिवर्तन करेंगे उसमें था, सहकारी समितियों की जमीनों का कन्वर्शन करेंगे और उसकी उन्होंने रेट तय की, 12 रुपये प्रति स्क्वायर गज 8 रुपये डवलपमेन्ट चार्जेज और 4 रु. कन्वर्शन चार्जेज। यह जो घोषणा कर दी, जयपुर शहर के आम लोगों की भावना इस ओर जागृत हो गई और राज्य सरकार ने सहकारी मूवमेंट में घुसने के लिए उत्साहित किया। राज्य सरकार अगर प्रोत्साहित नहीं करती तो गरीब लोग, क्लर्क, चपरासी सहकारी समितियों में नहीं जुटते। राज्य सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी और पैसे वाले लोगों ने सहकारी समितियों के माध्यम से समितियां बनाई और नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े आदमी को उनका अध्यक्ष या सेक्रेटरी देखकर आम जनता का आदमी भी उनका सदस्य बन गया। तो सारा दोष राज्य सरकार का है। किसी आदमी ने प्लॉट ले लिया और मकान बनाना ठेके में दे दिया। अपनी स्त्री के जेवर गिरवी रखकर अपना मकान लिया। ऐसी हालत में राज्य सरकार··

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : राज्य सरकार के प्रोत्साहन से सारी यह कार्यवाही हुई। जयपुर में 135 सोसाइटीज रजिसटर्ड हैं, 16 हजार आदमी उनके सदस्य हैं, 900 बीघा जमीन इस समितियों में है। उसका नतीजा यह हो गया कि जब तक इनका निपटारा न होगा तब तक यह काम पूरा होने वाला नहीं है। अगर राज्य सरकार फैसला ले ले तो कम से कम 10 हजार आदमियों को मकान जयपुर शहर में सोसाइटीज के माध्यम से मिल सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्शन रेट लगाई है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि केवल साधन सम्पन्न लोग ही मकान न ले सकें। राज्य सरकार की मन्शा है कि पैसे वाले लोगों ने धंधा बनाकर कोऑपरेटिव मूवमेंट को खराब कर दिया। यह जिम्मेदारी साधारण आदमी पर नहीं डाली जा सकती। ऐसे लोगों की जांच करा लें, एक महीने का

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

समय और ले लें लेकिन कोई रास्ता निकालें। छानबीन होनी चाहिए। जिस आदमी की कम आय है उस पर आय के आधार पर कन्वर्शन रेट लगानी चाहिए नहीं तो जयपुर शहर का साधारण आदमी बस नहीं सकता। अगर 30-35) की रेट थोप दी तो वह आदमी जिन्दगी भर मकान नहीं बना पाएग और फिर साधन सम्पन्न लोग ही जमीन ले सकेंगे। तो आप रेट जो तय करें वह आय के आधार पर, समाजवादी फार्मूले और समाजवादी नीति पर आधारित हो। अगर उसके पास पहले ही मकान है तो उसको मकान न दिया जाए। गुजरात और महाराष्ट्र ने बहुत कम समय लिया। आज लोगों के मकान तोड़कर एक तरफ सरकार उनको पैसा खराब कर रही है, इसके अलावा हम चारों जयपुर के विधायक, चाहे गिरधारीलालजी हों, चाहे गफ्फाअली हों, चाहे श्रीरामजी हों, चाहे मेरा स्वयं का प्रश्न हो, हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हैं, हम किसी गरीब आदमी के मकान को टूटने नहीं देंगे, सामने खड़े हो जायेंगे। हम अपने क्षेत्र के किसी आदमी को परेशान करना कतई बरदाश्त नहीं कर सकते।

जहां तक रेट्स का संबंध है एक तरफ हम देखते हैं कि केशव कॉलोनी में सिविल लाइन्स की तरफ जो सड़क है उसके 30) रु० प्रति गज और दूसरी तरफ 22 गोदाम हैं वहां 15) रु० प्रति गज रखी है। एक सड़क के बीच में होने से इसको दो हिस्सों में आपने बाइफरकेशन किया। कोई आदमी देने की स्थिति में नहीं है। जब 1969-70 में 12) रु० कन्वर्शन रेट की घोषणा की थी तो आम नागरिक सोचता था कि 12) रु० भी ज्यादा है, इसको और कम किया जाएगा। जयपुर का आम नागरिक डर रहा है, एक साधारण आदमी जो नियमों में चल रहा वह एक दीवार भी खड़ी नहीं कर पाया।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नाजायज कामों के लिए प्रोत्साहन दे रही है तो राज्य सरकार स्वयं दे रही है। अगर हम फैसला कर लें तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि 135 सोसाइटीज में से अधिकांश सोसायटीज एक दिन के अन्दर निपटा देगी। लेकिन सरकार मध्यस्थता करने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं तो, फिर हम जनता को क्या जवाब दें। तो मेरा निवेदन है कि मकान साधन सम्पन्न लोगों को न मिलें, गरीब लोगों को मिले, इसके लिए सरकार अच्छी से अच्छी नीति बनाये। जिसके पास एक भी मकान नहीं उसको मकान मिले। जो रूल्स और रेग्यूलेशन्स बनाए हैं वे परफेक्ट नहीं हैं। मंत्री महोदय ने जो बात कही है, कई बार सदन में इस तरह की भावना आई है और हम सोचते हैं कि नीयत तो साफ है लेकिन क्रियान्वित कब होगी। ये गरीब तबके के लोग पिस जायेंगे। इसलिए नीति में परिवर्तन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हम सही माइने में सरकार को सहयोग दे सकें। लेकिन पहल तो राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। अगर सरकार ने प्रोत्साहित किया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
है तो उसका हल निकालना भी सरकार काम का काम है। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार :

प्रोफेसर श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार राजस्थान की जनता की जो हाउसिंग प्रॉबलम है उसको सोल्व करने में असफल रही है। मान्यवर, मेरा मतलब इससे यह है कि जब आवादी बढ़ेगी तो कम से कम लोगों को मकान की तकलीफ तो होगी ही। अब जब आपका यू० आई० टी०, और म्युनिसिपल बोर्ड जो हैं वह राजस्थान की जनता के लिये हाउसिंग प्रॉबलम को सोल्व नहीं कर सका है तो लोगों ने जमीन एक्वायर करके अपने कच्चे मकान वहां पर बना लिये। इसके अलावा आपने जो एग्रीकल्चरल लैण्ड को भी एक्वायर करने की बात की थी वह भी आप समय पर एक्वीजीशन नहीं कर सके और इसके अलावा आपने यह कह दिया कि जिन लोगों ने सन् 71 के पहले एग्रीकल्चरल लैण्ड पर या किसी भी जमीन पर एन्क्रोचमेन्ट करके वहां पर अपने मकानात बना लिये हैं उन सभी को रेगुलेराइज कर दिया जायेगा। तो मेरा इसके लिये यह निवेदन है कि जिन लोगों ने सन् 71 के बाद में वहां पर मकान बनाये हैं उनके लिये भी आप, अगर उनके पास कोई मकान पहले नहीं था, व्यवस्था कीजिये। इसके अलावा जिनके पास पहले ऑलरेडी मकान नहीं था और उन्होंने मकान बना लिये, चाहे किसी मीन्स से बनाये हों तो जब आपने यह कह दिया कि उन सभी लोगों को पट्टे दे दिये जायेंगे तो अब चाहे वे एक्स-सर्विस मैन हों, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों, चाहे वे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हों उनके मकान आप डिसमेन्टल नहीं करवा सकते।

इसके अलावा मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो एक्स-रूलर्स की जमीन थी जिसको उन्होंने 5 रुपये गज में लेकर बाद में लोगों को 10-12 रुपये में वेच दी और उन्होंने मकान बना लिये हैं उनके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? आपने अभी कहा कि एक हाई पावर कमेटी इसके लिये गठित की गई है वह फैसला करेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जिन लोगों ने पैसा देकर, इसी प्रकार कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर या एग्रीकल्चरल लैण्ड पर जमीने 8 या 10 रुपये लगाकर जमीनें खरीद ली हैं या आपके म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर किसी ने जमीनें ले लीं और उन पर आज मकान बनाये काफी अरसा हो गया है तो उसका तो आपको रेग्युलराइजेशन करना पड़ेगा। वरना आप तो अपनी इस नीति से मैं समझता हूं कि सन् 76 तक ही मकान बना कर नहीं दे सकेंगे। जैसी कि आपने घोषणा की थी कि हमारी सरकार सन् 76 तक सभी को मकान देगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सन् 76 नहीं सन् 73 तक देने की बात थी।

श्री केदारनाथ : हां साहब 73 तक। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैण्ड के एक्वीजीशन के बारे में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जिन लोगों ने एग्रीकल्चरल लैण्ड पर कब्जा कर मकान बनाये थे आपने उनको रेग्युलराइज करने का कहा लेकिन

(प्रो० श्री केदारनाथ)
फिर भी आज भी मेरे पास ऐसे लोग आये जिन्होंने बताया कि हमें राज्य सरकार द्वारा नोटिसेज इश्यू हुए हैं । इसके लिये में यह निवेदन करना चाहूंगा, सन् 71 के अन्दर ही हमारे यहां पर इसी विधान सभा में उस जमाने के फाइनेन्स मिनिस्टर ने यह कहा था कि जिन लोगों ने एग्रीकल्चरल लैण्ड पर मकान बना लिये हैं चाहे वे शिडयूल्ड कास्ट्स के हों चाहे वे एक्स-सर्विस मैन हों, चाहे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हों, उनको पैसे लेकर जमीनों को पट्टा दे दिया जायेगा इसके लिये उन्होंनें कनवर्शन फीस रखी थी तो आज आप उन्हें नोटिसेज कैसे दे रहे हैं ? इसके अलावा आज राजस्थान के अन्दर एक्स-रूल्र्स ने चाहे कॉऑपरेटिव सोसायटीज को, या चाहे इन्डिविजुअल्स को पैसा लेकर जमीनें बेच दीं । अब उनके बारे में आप क्या कहते हैं ? उनका आप कैसे डिस्टिन्क्शन करेंगे । अब आप क्या कर सकते हैं क्योंकि आपने समय पर तो एक्शन लिया नहीं ? आपके अभी तक लैण्ड एक्वायर करने के रूल्स भी फ्रेम नहीं हुए हैं । अब बिना रूल्स के आपकी हाई पॉवर कमेटी इन सभी मसलों पर कैसे निर्णय है लेगी ? अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जब घोषणा कर दी तो जिन लोगों ने 31 अगस्त, 71 के पहले मकान बना लिये हैं इनको आप रेग्युलराइज करने में कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे । जो जमीन सीलिंग की थी राजा लोगो की अथवा और लोगों की उनको अपने एक्वायर किया नहीं । उन्होंने हाउसलैंस लोगों को जमीन बेच दी । आपने घोषणा भी कर दी फिर भी आप नोटिसेज दे रहे हैं । इसके बारे में मन्त्री महोदय को क्या कहना है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न । भाषण नहीं होगा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : केवल प्रश्न ही पूछूंगा, अध्यक्ष महोदय । मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो हाई पॉवर कमेटी बनायी है उसका निर्णय कब तक आ जायेगा ? मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर में करीब 16 हजार परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कच्चे मकान बना रखे हैं या अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है । इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल लैण्ड 12 रुपये गज के हिसाब से खरीदी है उनके बारे में हाई पॉवर कमेटी क्या इन्क्लुडिंग डवलपमेन्ट पर चार्जेज लेगी या क्या क्राईटेरिया उसका रहेगा । तीसरा आज अध्यक्ष महोदय, जयपुर में हाउसिंग प्रोब्लम बहुत है और आपने इन 15 वर्षों में सिर्फ तीन हजार भू-खण्ड आवन्टन किये हैं । तो आप व्यवहारिक दृष्टि से भी सोचें यह प्रोब्लम कैसे निपटेगी । आखिर आप जमीन अलॉट करने में असफल हैं तो लोग मकान बनायेंगे । लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बना लिये हैं या लोगों ने एनक्रोचमेन्ट करके सरकारी जमीन पर मकान बना लिये हैं और राज्य सरकार ने यह घोषणा भी कर दी है कि जिन लोगों ने 31-8-71 के पहले मकान बना लिये हैं उनके मकानों के कब्जों को रेग्युलराइज कर दिया जायेगा । इसके बारे में आपकी हाई पॉवर कमेटी क्या करेगी ।

श्री शंकरलाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आज यह कृषि भूमि को आबादी के अन्दर बदलने की कठिनाई न सिर्फ जयपुर में ही है बल्कि यह तो राजस्थान के सभी बड़े शहरों में, और औद्योगिक शहरों में तो विशेष तौर से है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये सरकार को चाहिये जो आबादी में बदलने के लिये डवलपमेन्ट चार्जेज लेकर उनको बदल देना चाहिये। आज कई शहरों में लोगों ने मकान बना लिये हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इन्हें डवलपमेन्ट चार्जेज लेकर नियमित कर दिया जाय।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह प्रोब्लम हमारे यहां ही नहीं बल्कि दूसरे प्रान्तों में भी यह प्रॉब्लम हुई होगी। उन्होंने इसका निराकरण कैसे किया इसकी स्टेडी की जाय। आज गुजरात में राज्य सरकार ने जिस तरह कोऑपरेटिव सोसाईटीज के जरिये लोगों को जमीन देकर मकान बनाने की व्यवस्था की है वह हमारे यहां भी हो सकता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में कोई व्यवस्था की गयी होगी तो मेरा निवेदन है कि हमें गुजरात और महाराष्ट्र के यहां पर जो सिस्टम लागू किया है इसके बारे में वह हमारे यहां भी वहां के सिस्टम को स्टेडी करके व्यवस्था की जावे। ताकि आगे जाकर दिक्कत नहीं आवे। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि गांवों में भी अब आबादी बढ़ रही है, इसलिये वहां भी ग्राम पंचायतों को सेक्शन 270 के मार्फत पट्टा देने की पॉवर्स प्रदान कर देनी चाहिये। वहां पर हमें ग्राम पंचायतों को इसके लिये छूट दे देनी चाहिये। उन्हें यह पॉवर्स दे दें कि वे अपने ग्राम में लोगों को पट्टा दे दें, तो गांवों में भी इस समस्या का हल हो सकता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जयपुर) : पहला मेरा प्रश्न यह है कि आपने यहां पर हवाला दिया है कि करीब चार सौ केसेज ऐसे हैं जिन्हें नोटिसेज दिये गये जो एग्रीकलचरिस्ट हैं उनको आपने नोटिस दिये हैं कि उनके मकानों को हटा दिया जायेगा। आज कुछ नोटिसेज तो मेरे पास भी हैं इसमें जबकि राज्य सरकार का यह कहना कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट अपने एग्रीकल्चरल भूमि पर उसके वनफिफ्थ में मकान बना सकता है, तो उसे आपने नोटिसेज कैसे इश्यू किये हैं। उनके नोटिसेज विदड्रा किये जाने चाहिये। दूसरे बहुत सी जमीन पर आज लोगों ने मकानात बना लिये हैं लेकिन उनकी मकानों के बनाने की स्कीम यू० आई० टी० से एप्रूव्ड है तो फिर आप उसमें नयी बात क्या करने जा रहे हैं। तीसरी चीज है कि आज आपके कई एक्स रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी जमीन को जो कि एग्रीकल्चरल लैण्ड थी उसको बिना कनवर्ट किये ही लोगों को बेच दी है जिसमें खास तौर से जयपुर, जोधपुर, कोटा, बून्दी के एक्स-रूलर्स हैं उन्होंने आबादी में जमीन बेची है सस्ते में बेची जिसके कारण राज्य सरकार को काफी नुकसान स्टाम्प ड्यूटी वगैरह का हुआ है। इसके अलावा अब वे लोग बचते हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर या एक्रोचमेंट करके जमीन पर मकान बना लिये हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या किसी इन्डीजुअल्स से जमीन खरीद ली और मकान बना लिये हैं तो उन लोगों ने जिन्होंने कि पहले पैसे दे दिये हैं क्या उन्हें और डेवलपमेंट चार्जेज के पैसे देने पड़ेंगे। इस प्रकार तो आप ज्यादा पैसा उनसे वसूल कर रहे हैं क्या आपसे उनका ज्यादा पैसा लेना काननी या

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

सामाजिक दृष्टि से सही है क्या ? तो मेरी मान्यता है कि यह जो कदम आप उठाना चाहते हैं यह सही नहीं है । अलबत्ता आपको यह करना होगा कि जो जमीनें फरदो तौर पर रूलर्स ने मुन्तकिल की या जागीरदारों ने मुंतकिल की उनके लिये सख्त कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने सीलिंग से बचने के लिये यह सब कार्यवाही की । इसलिये ये सवालात कर रहा हूं कि आप इस चीज को बतायें कि आपकी क्या नीति है । क्या आपकी यह नीति नहीं है कि जो लोग मकान में नहीं रहते हैं उनको मकान दिये जांय ? उनकी सन् 76 तक चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी उसमें यह तय किया गया था कि जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान मोहैया किये जाय । अगर यह है तो इस बेदर्दी के कानून को निकाल दें । गवर्नमेंट आफ इन्डिया की जो नीति है । क्या आप यह उचित समझते हैं कि उनको बेदखल कर दिये जाय जो सिर छिपाये बैठे हैं ? कलेक्टर के द्वारा गलत सर्वे हुआ । भ्रष्टाचारी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अफसरों ने 11-11 रु० लेकर नाम लिख दिये । मेरी कोन्स्टिटूएन्सी में 6 प्लाट्स थे । उनसे दस-दस रुपये मांगे । उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे । पांच ने दे दिये । और दूसरे दिन ही उनके मकान तोड़ दिये गये । यह आरबीट्रेरी कानून बना देते हैं, कमीशन बना दें । भ्रष्टाचार हो गया कमीशन इन्वोल्व करेगा ।

एक स्पष्टीकरण ओर है दस फीट के एरिया में म्युनिसिपल एरिया आ गया क्या उनको आप एग्रीकल्चरिस्ट मानने के लिये तैयार नहीं हैं ? यदि हैं तो एग्रीकल्चरिस्ट की हैसियत से 1/50 पार्ट या 400 फीट तक बेदखल नहीं कर सकते हैं यह मेरी मान्यता है । म्युनिसिपल एक्ट में गवर्न होंगे तो आपको इस ओर सोचना होगा ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री गुमानमल लोढा : बहुत संक्षेप में । सैद्धान्तिक प्रश्न पैदा हुआ है और वह यह है कि जहां तक जमीन बेचने वालों का सवाल है उन्होंने नाजायज फायदा उठाया जमीनें बेचकर । उसके लिये आप कोई हाई पावर कमेटी नियुक्त करें जो इनको रिव्यू करे और चाराजोई करें और आप रूल्स में अमेन्डमेन्ट करें हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन जो बोनाफाइडी पर्चेजेज हैं, हाऊसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शेयर लेकर, उस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद, जिसमें यह नियम है कि वे जब ही रजिस्टर होंगी जबकि कोई भूमि होगी, जब भूमि होगी तो ही रजिस्टर होंगी, राज्य सरकार के विभाग के द्वारा ये रजिस्टर होती हैं । साधारण लोग हैं जिन्होंने मेम्बर बनकर प्लॉट्स खरीदे तो उन्होंने कौनसा अपराध किया है, कौनसा जुर्म किया है कि आप उन पर पैनल्टी लगा रहे हैं, चार्जेज लगा रहे हैं और उसके सिर पर बोझा और भार डाल रहे हैं ? मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से ये बोनाफाइडी पर्चेजेज पर जिन्होंने सिद्धान्तः प्लॉट

(श्री गुमानमल लोढा)

खरीदें, जिनको यू०आई०टी० ने पास किया लो इनकम ग्रुप के तहत कलेक्टर्स ने जिनको लोन दिया, लोगों ने मकान बनाये, 71 के बाद में बने मकानों को आप गिराने की बात कह रहे हैं यह कहां तक सही है ? यह एक मानवीय पहलू है । वास्तविक पहलू है । हम सबको रहने के लिये मकान देना चाहते हैं । केन्द्रीय सरकार की यह घोषित नीति है आज हाउसिंग प्रोब्लम एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है । मैं चाहूंगा कि ऐसे तबके के लोगों को, जिन्होंने नेकनीयती के साथ में मकान बनायें, उनको बेघरबार करना, 71 के बाद में आते हैं या पहले एक लक्ष्मण रेखा बना देना उचित नहीं है । जिन लोगों ने जमीन बेचकर पैसा बटौर लिया उन्होंने नाजयाज फायदा उठाया । लेकिन जिन गरीबों ने पैसा देकर जमीनें, प्लॉटस खरीदे और मकान बनवाये, किस प्रकार लोन लेकर या न जाने क्या क्या परेशानियां उठाकर या अपना पेट काट कर उनके मकानात को गिरा देंगे यह उचित नहीं है । इसलिये यह एक नीति का प्रश्न है । आज यदि यह जयपुर में हो रहा है तो कल जोधपुर में होगा और दूसरे जगह भी होगा । 137 सोसायटीज बनी हुई हैं । आखिर इन सोसायटीज को किसने बनाया और किसने मान्यता दी, किसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया ? यह आपको सोचना चाहिये । कौनसे अधिकारी हैं । यह आपके ही अधिकारी हैं । कोऑपरेटिव विभाग और राजस्व विभाग अलग अलग नहीं हैं । है तो एक ही राज्य सरकार के । राज्य सरकार, सब विभागों की एक है और मंत्रिमंडल भी सबके लिये एक है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सबके लिये आप सरकार की जिम्मेवारी समझें । यह न समझें कि रेवेन्यू महकमा का इससे सम्बन्ध है इसलिये कोओपरेटिव से जो कुछ भी किया गया है वह गैर कानूनी है । इसलिये मकान गिरा देंगे । और लोगों के बोरिया बिस्तर बाहर डाल देंगे । इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर आप पुनः विचार करें और जो आपने पेनल्टी लगाई है वह न लगायें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पूछ लें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (सूरतगढ़) : एक तो मेरी पार्टी यह कह रही थी कि राजा महाराजा भूमि को बेच रहे हैं, एग्रीकल्चर भूमि को बेच रहे हैं उन पर रोक लगाइये । रजिस्ट्रेशन उनका बन्द कीजिये, उससे मध्यम वर्ग के व्यक्ति संकट में पड़ जावेंगे । आपने रोक क्यों नहीं लगायी ? अव्वल प्रश्न । लोगों ने उन जमीनों पर मकान बना लिये और आप अब उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं ।

नम्बर 2 । मेरा प्रश्न यह है कि आपकी कान्क्रीट पॉलिसी क्या है ? आप लोगों को इन तीन डिपार्टमेन्ट्स के बीच में क्यों सटल कर रहे हैं । न मंत्रीजी सुनते हैं, न नगरपालिका और न यू० आई० टी० और न ही राजस्व अधिकारी । आखिर आप एक पॉलिसी कब इवोल्व करने वाले हैं, क्लीयरकट डिक्लेयर कीजिये । हजारों मकानात एक ही श्रेणी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
के लोगों के तो नहीं है। यह ठीक है कि प्रिविलेज्ड लोगों ने फायदा उठाया। जिसके पास दो दो सौ तोला सोना था सेठानियां जाकर बैठ गयीं। सेठों ने, साहूकारों ने और प्रिविलेज्ड सेठों ने कब्जा कर लिया जिनके पास फाइनेंस नहीं था, जो आपकी मशीनरी को मीट नहीं कर सकते थे उनके प्लान्स रेगुलराइज नहीं हुए, बीस बीस साल से बैठे हुए हैं। एग्रीकल्चरल प्लाट्स पर मकान हैं।

तो इस सारी पोजीशन के बारे में मेरा आपसे यह प्रश्न है कि एक इन्टीग्रेटेड पॉलिसी सरकार की कब जनता के सामने आने वाली है। इससे यह जो कास्ट एक अलग बनती जा रही है, इसे आप रोकें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्रीजी।

(इसी समय दर्शक दीर्घा से कुछ लोग बोलने लगे)

(हाई कोर्ट बेंच जयपुर लाओ)

श्री अध्यक्ष : They should be expelled and they should be taken into custody.

Yes. Please continue.

श्री रामचन्द्र चौधरी : जहां तक गावों में आवास का प्रश्न है इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि गांवों में अधिकांश या तो गोचर भूमि है या लोगों के खुद के खेत हैं जिसमें वे चार सौ गज में मकान बना सकते हैं या अपने खेत के पचासवें भाग में बना सकते हैं। इसमें कोई पाबन्दी नहीं है। अगर इससे अधिक में कोई बनाता है तो 25 पैसा फी गज के हिसाब से हम ले लेते हैं। यह कोई भारी बात नहीं है। तो इस तरह जहां तक गांवों का सवाल है कोई दिक्कत वहां न पहले थी, न आज भी है। न यह नोटिफिकेशन उस पर लागू ही होता है। वहां तो जो पहले बने वे भी जायज थे और आज जो बनते हैं वे भी जायज हैं।

सवाल सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र में जो कृषि भूमि आगई है उसको आवासीय भूमि में बदलने में जो कठिनाइयां हैं उसका है तो इसमें एक तो जैसे भार्गव साहब ने कहा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्षजी, let us with draw. उनके नाम घोषित हो गये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ....

श्री अध्यक्ष : इनको पहले पूरा कर लेने दीजिये।

श्री फूलचन्द : आपका ध्यान पहले कहां चला गया था। ऊपर चला गया था गैलरी में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुर्सी पर कौन है यह भी ध्यान नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो 31-8-71 के बाद जिन्होंने मकान बना लिये हैं उनको भी जायज कर दिया जाय। इसके लिये जोर दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि नियम और कानून हम बनाते हैं और उनको तोड़ने के लिये हम ही कहें तो यह शोभा की बात नहीं है। वैसे अगर कहीं दिक्कत है तो उस पर विचार करेंगे जैसा मैंने पहले निवेदन किया था

Page No 72

72

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
एक उच्च स्तरीय कमेटी हमने इसीलिये बनाई है। चारों तरफ से माननीय सदस्यों की मांग थी कि कनवर्शन रेट इतनी अधिक है कि लोग दे नहीं सकते इसलिये कनवर्शन रेट आज आ भी नहीं रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर विचार करने के लिये यह उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इस बारे में खुले दिमाग से काम करेंगे।

जैसा गहलोत साहब ने कहा था कि पहले निर्णय किया गया था, बारह रुपया गज का। इसमें आठ रुपया डवलपमेन्ट चार्जेज का और चार रुपया कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने का चार्जेज इस तरह 24 रुपया गज होता है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहीं, बारह रुपया ही है। 8 रुपया डवलपमेन्ट चार्जेज के और चार रुपया कनवर्शन चार्जेज के।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस में गहलोत साहब और हम सभी एक ही हैं। 12 रुपया ही है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो ठीक है फिर तो ऐसी सूरत में आज की रेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि इस हिसाब से कोई उचित रेट तय की जावे जिसे आम लोग, अथवा कम आय वाले भी उसे सह सकें।

श्री श्री राम गोटेवाला : कम आय वालों के लिये तो आपने तय कर रखी है दो रुपया और तीन रुपया गज। फिक्स्ड रेट है सरकार की तरफ से।

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो कमेटी इस पर सभी दृष्टियों से विचार करेगी और आपके विचारों को भी ध्यान में रखकर ही कोई रेट तय करेगी क्योंकि जब से ये रेटें रखी गई हैं आज तक कनवर्शन का पैसा एक ने भी नहीं दिया। इस वजह से जो पैसा सरकार को मिलना चाहिये वह भी नहीं मिले और लोगों को भी दिक्कत हो, तो यह बात सोचने की है।

अब अगस्त, 71 के बाद जिन्होंने इस तरह से मकान बना लिये हैं और जो गैर वाजिब तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लिया है इसके बारे में क्या कर सकेंगे यह इस पर भी पूरा विचार करेंगे।

अब राजा महाराजाओं ने अपनी जमीनें जो कृषि भूमि की थी उसको सीलिंग से बचने के लिये अलग-अलग लोगों को दे दी है तो इसके लिये तो जैसा पहले निवेदन किया था कि 26 अक्टूबर 70 के बाद जो कहीं भी ट्रान्सफर हुए हैं उनको हम मैलाफाइडी मानकर चले हैं। तो इसलिये जहां बोनाफाइडी ट्रान्सफर किये हैं वहां पूरी तरह से हमने कन्सीडर किया है। पर सितम्बर, 70 के बाद जमीन बेची हैं तो उसे बोनाफाइडी साबित नहीं कर सकेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज मामला कितना कम्पलीकेटेड हो गया है। यह मैंने बताया है। आज तो रजिस्ट्रियां सिर्फ रोकनी हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह सेन्ट्रल एक्ट है फिर यह मामला इतना सिम्पल नहीं है रजिस्ट्रेशन को रोकने का तो रजिस्ट्रार को अख्तियारात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बंगाल गवर्नमेन्ट ने और केरल गवर्नमेन्ट ने रोक दी है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से परमिशन लेकर। आप भी ले लें परमिशन।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अगर कानून को मानेंगे तब तो कानून के हक में ही काम करना पड़ेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने भी तो रोका है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीलिंग से एग्जम्प्ट रुका नहीं है। अब 70 के बाद जो ट्रान्सफर हुए हैं उनको वैध मानने वाले नहीं हैं। इसलिये यह हमारा शक निर्मूल है।

इसके बाद जैसा पहले भी निवेदन किया था कि जितने कनवर्शन के मामले हैं, वह चिन्ता का विषय बना हुआ है। बार बार इस बारे में सवाल उठाये गये हैं। तो कनवर्शन रेट और डवलपमेन्ट चार्जेज इन बातों को ध्यान में रखकर तै करेंगे। इससे मेरा खयाल है आपको सन्तोष होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाई पॉवर कमेटी के नाम सदन में डिक्लेअर कर दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुख्य प्रश्न रह गया। किसानों से सम्बन्धित प्रश्न को आप देखें वहां उसे किसान मान रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम उनको किसान मान रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस तरह के लगभग चार सौ चालान पड़े हैं। उच्चाधिकार समिति को इनका भी फैसला करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी फैसला किया जाना चाहिये कि जयपुर, जोधपुर, में इस तरह से जिन्होंने मकान बना लिये हैं उनको भी नहीं तोड़ा जावे। यह भी प्रावधान रखा जावे।

अनुदान की मांगे

मांग संख्या 21, 14 व 35 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान। सहकारिता मंत्रीजी।

श्री नारायणसिंह (सहकारिता मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 230—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त किये जाने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 2,03,01,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 96,82,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : दोनों मांगें प्रस्तुत हुई।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, जनसम्पर्क विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 31-विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,95,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 21, 14 व 35 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रारंभिक भूमि विकास बैंक को दी जाने वाली सहायता का उचित उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

2. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिए जाने वाले अनुदान में बरते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिए जाने वाले अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों का ठेका देने में दलगत राजनैतिक प्रभाव का उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रायल्टी वसूल किए जाने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित म्युजियम पर विद्युत् की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी समय पर न खोलने और समय बढ़ा देने से चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विस्थापित व्यक्तियों पर हुए व्यय के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

9. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्य व शक्कर राशन की सामग्री सहकारी समितियों द्वारा ही दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) :

10. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता का विस्तार के स्थान पर एकीकरण की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

11. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में अनावश्यक व्यय को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने एवं वसूली कर उसमें अनावश्यक खर्चे को कम करने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर),

श्री मोहनलाल छंगानी (फलौदी) :

13. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग के अधिकारियों को दौरे पर भेजने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लॉटरी विभाग के अधिकारियों को दौरे पर भेजने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

17. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु आवंटित की गई राशि की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिए)।

19. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाउसिंग बोर्ड को दिए जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) :

20. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज संबंधी संस्थाओं से संबंधित व्यय में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री मोहनराज (बाली) :

21. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी क्षेत्र में काम कर रही बैंकों को काश्तकारों की बढ़ती हुई ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक सशक्त एवं सम्पन्न बनाने पर चर्चा के लिए)।

22. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र की जोंइट फार्मिंग और कृषि सहकारी समितियां जो कि स्वार्थी तत्वों के हाथों में चले जाने से अपने उद्देश्यों में विफल रही हैं उनका अवसायन करने की चर्चा के लिए)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

23. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों में हुए घोटालों पर प्रकाश डालने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री मोहर्रसिंह (चूरू) :

24. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए अभिष्ट पूंजी तथा अच्छी स्टाफ की व्यवस्था नहीं कर सकी, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

25. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की सहकारी समितियों को चीनी, खाद्यान्न तथा कपड़े के डीलर नियुक्त न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की सहकारी समितियों को कपड़ा, चीनी, अनाज वितरण हेतु न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

27. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी पर जांच विभाग द्वारा उचित निरीक्षण न किए जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

28. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के क्षेत्र में व्याप्त शिथिलता और असफलता पर चर्चा के लिए) ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

29. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए) ।

30. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मार्केटिंग सहकारी सोसाइटी, टोंक में हुई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिए) ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

31. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिए जाने वाले ऋणों की वसूली पर चर्चा के लिए) ।

श्री हुरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

32. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ महालक्ष्मी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं का विभाग द्वारा नहीं सुधारे जाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

33. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय-विक्रय समितियों की अव्यवस्था में सुधार लाने में विभाग की असफलता पर चर्चा हेतु) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

34. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सहकारी समितियों द्वारा किसानों को अल्प-कालीन/मध्यकालीन ऋण समय पर नहीं मिलने पर विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

35. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में क्रय-विक्रय संघ व अन्य सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

36. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं, मार्केटिंग सोसायटीज, जिला कोऑपरेटिव बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रांत में सहकारिता का आंदोलन भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं स्वार्थ की बाहुल्यता के कारण असफल हो रहा है जिस पर चिन्ता व्यक्त करने और रचनात्मक सुझाव देने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के चुनाव सहकारिता विभाग द्वारा न होने से पक्षपात बरता जाता है अत: चुनाव विभाग द्वारा कराने पर बल दिया जाने पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में औद्योगिक सहकारी समितियों के असफल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

40. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव दिनांक 27-3-73 से 31-3-73 तक के राजस्थान प्रान्त के विख्यात पशु मेले के भी उन्हीं दिनों में होने और उसके कारण किसानों के चुनावों में भाग न लेने के कारण स्थगित किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

41. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज पदार्थों के एक्सप्लोरेशन करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में खानों के विकास के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में रॉक फास्फेट का बाहुल्य होते हुए भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

44. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय पुरातत्व विभाग द्वारा (बाड़मेर जिले के पुराने ऐतिहासिक केराडू मंदिर के प्रबंध के लिये माकूल व्यवस्था न होने के कारण कई मूर्तियाँ चुरा ली गई हैं और खंडित कर ली गई हैं और उक्त मंदिर के पुनरोद्धार के लिये कोई राशि व्यय नहीं किये जाने के कारण उक्त ऐतिहासिक मंदिर प्रायः गिरने एवं खण्डहर होने की स्थिति में आ गया है, उक्त विषय पर चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [सिन्दरी फर्टीलाइजर्स कॉरपोरेशन (Corporation) ने राज्य सरकार द्वारा कवाज, उतरलाई आदि क्षेत्रों में जिप्सम के खनन करने का लीज भविष्य में नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये] ।

46. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्टेट लॉटरीज के द्वारा जुए को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

47. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सहकारी संस्थाओं द्वारा समय पर कर्ज न देने पर चर्चा के लिये) ।

48. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सहकारी संस्थाओं में हुए गबन पर चर्चा के लिये) ।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बंदी):

49. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में गत रबी की फसल के समय सहकारी समितियों द्वारा खाद्य वितरण में की गई अनियमितता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रावतराम (छापर):

50. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के लिये गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर):

51. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के प्राथमिक भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल की मांग के अनुसार अन्य भूमि विकास बैंकों की भांति सहायक निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर तहसील क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड, बीकानेर के संचालकों पर गबन एवं धन के दुरुपयोग की जिम्मेदारी लम्बे अर्से में निश्चित न कर सकने पर विभागीय असफलताओं पर चर्चा के लिये) ।

53. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–

(श्री भीमसेन)

सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के गठन पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि प्रयोजनार्थ ऊंट गाड़ी के लिये रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पलाना खान के कोयले के भण्डारों का उपयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा):

57. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में फर्जी सहकारी समितियों का निर्माण व उनको अधिकारियों से प्राप्त संरक्षण पर चर्चा के लिए)।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन):

58. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डोन में मार्केटिंग सोसाइटी में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (वि० सं० 1) प्रस्ताव करेंगे कि :-

श्री घमंडीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

59. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा):

60. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल आर्य (रेवदर):

61. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी सप्ताह के अनुदान की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये सहकारी संस्थाओं को सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्वास के लिए सहायता की एक मुश्त राशि देने पर चर्चा के लिये)।

कृ०

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

64. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण हाऊसिंग सहकारी समितियों को ऋण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग द्वारा समय पर संस्थाओं का पंजीयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक द्वारा समय समय पर सुविधा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी के भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को कुओं एवं पम्प आदि का ऋण समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की ग्रामीण सहकारी समितियों के चुनाव समय पर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की क्रय विक्रय सहकारी समिति का समय पर चुनाव नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की लाखेरी बहु धन्धी सहकारी समिति में हुए घोटाले की जांच नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में ग्रामीण सहकारी समितियों द्वारा छोटी जोत के कृषकों को ऋण नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा समय पर खाद वितरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की ग्रामीण सहकारी समितियों को समय पर ऋण नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम):

74. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग सहकारिता के माध्यम से किसानों की

(श्री चेतराम)

आवश्यकताओं की पूर्ति में असफल है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी):

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आंदोलन कोसफल बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के बुनकर सहकारी समितियों के प्रति उदासीनतापूर्ण व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी वित्तीय संस्थान की कार्य विधि के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

78. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नियमों के सरलीकरण पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द्र सोगानी (अजमेर) :

79. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी वित्तीय संस्थान की कार्यविधि के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :

80. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू एवं फागी तहसीलों में सहकारिता आंदोलन की दयनीय दशा के विषय में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जितनी भी सहकारी समितियां हैं उनको पूर्णरूपेण आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिससे सहकारिता संस्थाओं की पूर्ण वृद्धि हो सके इस हेतु चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आंदोलन के प्रसार पर पूर्ण ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

83. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चितौड़गढ़):

83. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चितौड़गढ़ में सहकारी बैंकों से ऋण की अधिक सुविधायें दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (खान विभाग में मितव्ययता करने हेतु चर्चा के के लिये)।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

86. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चितौड़गढ जिले के मिनरल्स का सर्वे कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) :

87. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सहकारिता की तरफ उदासीन रुख अपनाने से ग्राम अर्थ व्यवस्था को धक्का लगने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनूं के गांव खिदोड़ की चूने के पत्थर की खान बंद रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रकाशन विभाग द्वारा अपने उत्तर दायित्वों के प्रति जागरूक न रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (कामां) :

90. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा ऋणों पर डेढ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज वसूल किया जाने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिला सहकारी संघ की दुर्गति पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा तहसील में वेराइटीज भण्डारों के संबंध में सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा की गंदी बस्तियों की सफाई के संबंध में चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71– विविध के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाउसिंग बोर्ड के प्रयोजन व परिसीमन में कस्बों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

95. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा खाद बीज के इन्द्राज गलत कर गलत वसूली करने पर चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने एवं उनके सदस्यों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों की नींव मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

98. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी बैंक ऋण वसूली की नीति में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के संचालक मण्डल के हाल के चुनाव में गलत तौर से नये सदस्य बनाकर नियम विरुद्ध प्रतिनिधि प्रमाणित करने को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण अनुदान में कटौती करने हेतु चर्चा के लिए)।

102. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की असफलताओं की चर्चा के लिए)।

103. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में कृषि हकारी समितियों के गलत गठन पर चर्चा लिए)।

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में सहकारी विभाग के कर्मचारियों का कई सालों में निरंतर रहने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष की चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंक जालोर एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के चुनावों में सहकारी विभाग एवं बैंक कर्मचारियों द्वारा चुनाव प्रचार में खुला भाग लेने की चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं को नई गति प्रदान कर सहकारी आंदोलन को जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

107. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी संस्थाओं के प्रति सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

108. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आंदोलन के प्रति सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में ग्रेनाइट खान के उद्योग के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

110. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खनिज सर्वेक्षण एवं खनिज विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

111. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के विकास की संभावना पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि संबंधी कृषि सहकारी समितियों को धरती न अलॉट होने की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की पणन समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर की मार्केटिंग काआपरेटिव सोसाइटीज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोआपरेटिव बैंकों द्वारा कर्ज दिये जाने की भेदभावपूर्ण नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

116. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी अधिकारियों की मनमानी से सहकारी संस्था से उठती हुई आस्ता पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले में कराए जा रहे सहकारी समितियों के चुनावों में मनमानी व धांधलीबाजी से जनता में उत्पन्न रोष के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

118. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27— वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनिंग लीज व माईनिंग कंडीशन पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) :

119. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकार की उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामा) :

मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग सब-डिवीजन में पहाड़ों की खानों के ठेके नियमित ढंग से न दिये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कामां-डीग-भरतपुर में शोरे (साल्ट पीटर) का खनन सरकार या सहकारी संस्था द्वारा कराने हेतु चर्चा के लिये]।

(श्री मनोहरलाल)

122. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनन विभाग, भरतपुर द्वारा रायल्टी की चोरी व ठेकेदारों को परेशान करने व करवाने पर चर्चा के लिये) ।

123. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना-रूपवास तहसीलों में पत्थर की 4 वर्षों से अनधिकृत खुदाई के बारे में चर्चा के लिये) ।

124. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना-रूपवास तहसीलों में सैन्ड स्टोन की खानों के ठेके दिये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

125. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ों की खानों के ठेकेदारों से बकाया की वसूली हेतु चर्चा के लिये) ।

126. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पत्थरों की खानों की रायल्टी की दरों को युक्तिसंगत कराने हेतु चर्चा के लिये) ।

127. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई पहाड़ में पत्थर के खनन कार्य के ठेके को वी० एस० आरवड़ से छीनकर बोगस सोसाइटी को दे दये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) :

128. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27- वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानखेड़ा, हाथौड़ी, पहाड़ी रेंज में उपलब्ध तांबे व अन्य खनिजों का सर्वेक्षण में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

129. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैंड स्टोन पत्थर की रायल्टी विभिन्न जिलों में अलग अलग होने की स्थिति की चर्चा के लिये) ।

130. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झामर कोटडा रॉक फास्फेट में विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये खनन कार्य के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजयसिंह (मांडल) :

131. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27–वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागेर में पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन कार्य को अधूरा छोड़ने पर चर्चा के लिये) ।

132. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग द्वारा अभ्रक खान को पट्टे पर देने में हुए पक्षपात से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) एवं **श्री मोठालाल मीणा** (लालसोट):

133. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27– वैज्ञानिक विभाग के अंतर्गत मांग में से

(श्री मूलचन्द सामरिया एवं
श्री मीठालाल मीणा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील में खनिज सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) : (वि०सं० 152) प्रस्ताव करेंगे कि :—

134. मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71-विविध के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिस), कोटड़ा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 21, 14 व 35 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह : क्यों कष्ट करते हैं आप ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता के आधार पर किसान को अच्छे बीज, उन्नत किस्म के बैल और नवीनतम कृषि उपकरण व रसायनिक खाद समय पर हम देना चाहते हैं। पर आज हालत यह है कि गांवों में जो सेवा सहकारी समितियां बनी हुई हैं वह भली प्रकार चल नहीं रही है और आज सम्पूर्ण प्रान्त में सहकारिता का जाल बिछा हुआ है पर भली प्रकार देखें तो राजनीयत आज उसमें व्याप्त हो गई है और दूसरे दल के लोग या दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता सहकारी समितियों में काम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सहकारिता में जो एकाधिकार की भावना आ गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरे सहकारी बैंकों से किसानों को जो कर्जा मिलने में कठिनाई होती है वह नहीं होनी चाहिए और जो अनार्थिक जोत वाले किसान हैं उनको बिना व्याज के रकम मिलनी चाहिए। मैं उदयपुर की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उदयपुर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति, इसको गोदाम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 40 हजार रुपया लोन दिया। न आज उसके पास गोदाम के लिए जमीन है न उसने कोई नींव भरी है। आज आप देखें तो वह क्रय-विक्रय सहकारी समिति, उदयपुर में नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा आज यहां पर प्राथमिक कृषि ऋण-दात्री समितियां बनी हुई हैं। उनके जो सदस्य हैं उनमें लाखों रुपयों की बकाया है और माननीय अध्यक्ष जी वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आज उनको नोटिस देने के बावजूद उन लोगों से रकम वसूल नहीं हो पा रही है और सहकारी समितियों में जो व्यवस्थापकों के नाम है या मैनेजर के नाम हैं उनको दवाया गया है। आज राजस्थान में उन समितियों की हालत खराब है। कृषि ऋण दात्री सेवा सहकारी समिति, सन् 1959 में बनाये, यह प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है लेकिन हालत व्यवस्थापकों की यह है उन लोगों ने कई मांग पत्र दिए लेकिन देने के बाद राज्य सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की।

आज केन्द्रीय बैंक में एक चपरासी को 175 रु० माहवार मिलता है जबकि किसान को कर्ज देने वाली जो सहकारी समितियां है उनके व्यवस्थापकों के मूल वेतन 90 रु० और मंहगाई भत्ता 35 रुपया इस तरह कुल मिलाकर 125 रु. उसको प्राप्त होता है। और आज उसकी हालत बेंक के चपरासी से गई बीती है। आज बेंक कहती है, मेरा कर्मचारी नहीं, सहकारी विभाग कहता है,मेरा कर्मचारी नहीं। आज हालत बहुत खराब हो गई है। महंगाई भत्ता उसका बढ़ा नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रहे, कोई अन्य दूसरी सुविधा उसको दे नहीं रहे। और कई व्यवस्थापकों को आज 4-4, महीने से 8-8 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उन व्यवस्थापकों को न मेडिकल की सुविधा है, न कोई यात्रा भत्ता की सुविधा है। आज हालत यह है कि इन कृषि समितियों में 5-5, 6-6 वर्ष से रकम बकाया है लेकिन उन बकाया रकमों को वसूल नहीं किया जा रहा है। जमवारामगढ़ में आज व्यवस्थापक नहीं हैं इसी प्रकार भोपालसिंहपुरा में पंचायत समिति, झोटवाड़ा वहां पर 5-5, 6-6 वर्ष हो गये। बकाया चल रही है, ओवर ड्यूज हो गये हैं और एक हस्ताक्षर से धारा 117 के तहत नोटिस दिये गये, धारा 118 के तहत कुड़की का प्रावधान हो गया लेकिन उन बड़े बड़े लोगों से रकम वसूल नहीं हो पा रही है। कई सहकारी समितियों में 8-8 वर्ष से रकम बकाया है और इसी प्रकार की कई समितियां रजिस्टर्ड हो गई पर केन्द्रीय बैंक ने लोन उनको नहीं दिया और लोन देने के कारण केवल कागज मात्र तक सीमित हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आज कई स्थानों पर जहां काम अधिक है, जहां अधिक लोन लेने वाले हैं वहां पर मैनेजर की व्यवस्था और जहां पर कम लोन लेने वाले हैं वहां व्यस्थापक नाम का व्यक्ति बिठा दिया गया है। इन नियमों के अन्तर्गत कहा गया व्यवस्थापकों को पांच रुपये का वार्षिक इन्क्रीमेंट दिया जायगा लेकिन आज तक उनको यह पांच रुपये का इन्क्रीमेंट भी नहीं दिया गया और जो मांग उन्होंने रखी है, उस पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति लाखों रुपये जो बकाया है जिनको नोटिस दे दिया गया है, उन प्रभावशाली व्यक्तियों से सरकार शीघ्र ही रकम वसूल करने की कोशिश करें और गरीब व्यवस्थापक जिसको केवल 125 रु. माहवार वेतन मिलता है, बैंक के चपरासी को 175 रु. मासिक मिलता है, उनका वेतन बढ़ाया जाय, उनकी मंहगाई की दर बढ़ाई जाय, मेडिकल भत्ता उनको दिया जाय, यात्रा भत्ते की सुविधा उनको प्रदान की जाय। उनको ये सब सुविधायें दी जानी चाहिये।

आज बैंक के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं दौरा करने जाते हैं लाखों रुपया खर्च हो जाता है लेकिन जो गरीब व्यवस्थापक है, आज राजस्थान में उसकी हालत खराब है.....

(1-11 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष जी आज यहां हर प्रकार की बात को देखें, बिजली की बड़ी भारी कमी है। आज इसलिये अकाल पड़ रहे हैं कि राजस्थान में बिजली की कमी है। इसकी कमी को पूरा करने के लिये पलाना खान का पूर्ण विकास किया जाय और कोयले से थर्मल प्लान्ट लगाया जाय। जो राजस्थान में बिजली की कमी है, वह पूरी हो सके। मैं निवेदन करूंगा इसी प्रकार सरकार ने यह विचार किया था कि राजस्थान में सवाई माधोपुर में तेल शोधक कारखाना स्थापित होगा। किन्तु आज अत्यन्त खेद है सरकार मंत्रियों को अपनी मंत्रणा में लेकर सरकार ने सवाई माधोपुर में लगने वाले तेल शोधक कारखाने को उत्तर प्रदेश में लगाने के लिये भारत सरकार ने निर्णय कर लिया और राजस्थान सरकार के जो भी प्रतिनिधि वहां गये थे, वे मौन बैठे रहे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार राजस्थान में उर्वरक खाद का कारखाना लगाना चाहती थी लेकिन राजस्थान में कोई भी एक कारखाना लगेगा या नहीं यह तो दूसरी बात है लेकिन राजस्थान सरकार चुप बैठी हुई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा पांच कारखाने उर्वरक के भारत सरकार लगाना चाहती है तो राजस्थान में भी कारखाना खुलना चाहिये। इसलिये राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर प्रभाव डालना चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान में पाईराइट रॉक फास्फेट पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिलता है और कच्चा माल ले जाने के बाद आज हालत यह है कि राजस्थान में दो खाद के कारखाने खुलने चाहिये लेकिन आज राजस्थान सरकार चुप बैठी हुई है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा भारत सरकार पर यह प्रभाव डालें कि हमारे यहां पाईराइट फास्फेट कच्ची मात्रा में बहुतायत से उपलब्ध है तो राजस्थान में दो कारखाने अवश्य खोले जाने चाहिये। आज हालत यह है कि राजस्थान का व्यापारी बाहर का व्यापारी राजस्थान में कारखाना खोलना चाहता है पर राजस्थान की लाइसेन्स की नीति, बड़े उद्योगपतियों को कौनसी सुविधा मिलेगी और कौनसी सुविधा नहीं मिलेगी और उसको लाईसेन्स जो प्राप्त होगा उसमें लाल फीताशाही के कारण जो परेशानी होती है उसके कारण आज राजस्थान में बड़े कारखाने खुल नहीं रहे हैं बल्कि राजस्थान के बड़े बड़े व्यापारी कोई कलकत्ता में चला जायगा, कोई कहां चला जायगा। खेतड़ी परियोजना बाहर चली गयी। इससे यहां के जो कर्मचारी हैं, जिनको काम मिलना चाहिये, उनको काम नहीं मिलता है और राजस्थान की हालत खराब हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा लाईसेन्स देने की पद्धति में लालफीताशाही समाप्त की जाय। आपकी इस लाइसेन्स पद्धति के कारण ही आज राजस्थान में उद्योग स्थापित न करके उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जा रहे हैं। सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिये। मेरा निवेदन है राजस्थान से बाहर कारखाने चले जायेंगे तो राजस्थान की दशा ठीक प्रकार नहीं रहेगी।

आज खान विभाग के बारे में निवेदन करूंगा। खान विभाग में भयंकर अनियमिततायें है। खान किसको दी जाय जो कांग्रेस का प्रचारक होगा, खान किसको दी जायगी जो कांग्रेस का प्रभावशाली व्यक्ति होगा। खान देने में अपने लोगों को मालदार बनाना, अपने लोगों को पोषक बनाने की नीति है। आज खान मंत्री जी खान का ठेका उसी व्यक्ति को देंगे जिनसे इनको कुछ लेना है या बनाना है। प्रायरिटी देने का तरीका अलग है। आज भी जो खान में काम करते हैं नाहरगढ़ में, गलता जी में, घाटी में, कौनसी खान की रायल्टी ली जायगी और कौनसी खान की रायल्टी नहीं ली जायगी यह सब इनकी मरजी पर निर्भर करता है। खान का ठेका लेने वाले व्यक्तियों में पूर्णतया पक्षपात किया जा रहा है और रायल्टी वसूल करने में भयंकर अनियमिततायें हैं।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में बिजली की भी हालत अच्छी नहीं है। बिजली यदि दी जायेगी तो बड़े बड़े कल कारखाने वालों को 3 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जायेगी जब कि राजस्थान में जो गरीब किसान हैं उनको 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जायेगी । उसको सिक्योरिटी भी जमा करानी होगी, मिनिमम चार्जेज भी देने पड़ेंगे, 625) रुपये की वर्ष में

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बिजली भी खर्च करनी पड़ेगी और यदि इतनी नहीं करेगा तो भी उसको पैसे जमा कराने पड़ेंगे । आखिरकार यह भेदभाव क्यों ? बड़े बड़े कारखाने वालों को 3 पैसा प्रति यूनिट और किसान को 13 पैसा प्रति यूनिट । यह सिक्योरिटी के चार्जेज, मिनिमम चार्जेज हटाने चाहिए। कल-कारखाने वालों को अन्य प्रकार की सुविधायें दी जायें वह दी जानी चाहिए लेकिन किसान को सारा भोगना पड़ता है, इसकी व्यवस्था हटनी चाहिए ।

आज जयपुर में देखें तो बिजली की जो हालत है वह अच्छी नहीं है। विधान सभा में भी कई बार बिजली गायब हो जाती है, लाउड स्पीकर बन्द हो जाते हैं और वोल्टेज की अच्छी व्यवस्था नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटमोशन दिया है आज जयपुर शहर के बाजारों में अन्धकार है, गलियों में अन्धकार है । इसके अलावा गांवों की हालत भी बिजली के मामले में कोई अच्छी नहीं है। वहां पर यदि ट्रान्सफार्मर जल गया तो उसके लिए कोई आता नहीं है, फ्यूज जोड़ने वाले चार-चार, और पांच -पांच दिन आते नहीं हैं और वोल्टेज की कमी के कारण अधिकांश काश्तकार लोग परेशान हैं। उनकी मोटरें जल जाती हैं और एक मोटर को वापिस ठीक करवाने में तीन सौ, चार सो रुपया खर्च करने पड़ते हैं। मेरे पास ऐसे कई किसान आये उनकी एक वर्ष में चार, चार मोटरें जल गयीं और खेती में उनको कोई लाभ नहीं हुआ । तो खेती में नुकसान, बिजली में अव्यवस्था तो आखिर वह क्या करें। वोल्टेज की कमी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में भी पिछले छः महीनों से बिजली के बल्ब नहीं लगाये जा रहे हैं । इसके लिए नगरपरिषद् पर उत्तर-दायित्व डाला जाता है और वह यू० आई०-टी० पर डाल देते हैं। आज विभिन्न मोहल्लों में बिजली के बल्ब नहीं हैं, ट्यूबलाइट की तो बात ही करना एक प्रकार से स्वप्न है। म्यूजियम पर आप चले जायें तो वहां पर खम्बे खड़े हुए हैं, उन पर हाँडियां लगी हुई हैं वह फूटी पड़ी हैं, उनमें एक भी बल्ब नहीं हैं और वहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं और फिर उन फोटोज को देखते हैं तो कहते हैं कि वाह रे विद्युत् के कर्णधारों, वाह रे सरकार । हवा महल पर रोशनी करने के लिए एक फोक्स लाइट लगा दी गयी लेकिन वह जलती नहीं है। हवा महल पर हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं उसको आकर्षक बनाया जाये, उसको सुन्दर बनाया जाये लेकिन उसके ऊपर लाइट लगाई जाये इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज आमेर हमारा एक दर्शनीय स्थान है । वहां भी सब प्रकार की व्यवस्थायें हों, उसको अच्छा बनाया जाये । नाहरगढ़ का किला है, वहां पर जिस रास्ते से जाते हैं वहां भयंकर कीचड़ है । वहां कोई होटल की व्यवस्था नहीं है, बाग नहीं, उद्यान नहीं और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं। यह सब व्यवस्थायें वहां पर होनी चाहिए। गलता है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वहां पर दुनियां आती है, तीर्थ यात्री

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आते हैं। वहां पर जाने के लिए जो सड़क है उसकी हालत तो ठीक हो रही है लेकिन आगे जाकर सड़क की हालत खराब है और घाटी की हालत खराब है । नाहरगढ़, आमेर और गलताजी की समुचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वहां पर पर्यटकों के नाते जयपुर का जो नगर है उसको देखने के लिए दुनियां आती है और विदेशों के यात्री भी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हमारे यहां बहुत आते हैं। इसलिए इन स्थानों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्थानों पर लिफ्ट भी लगाई जानी चाहिए जैसे कि कलकत्ता में है कि लिफ्ट में दो रुपये दिये और वह आगे स्थान पर उतार देती है। अगर सरकार इस पर पैसा खर्च करती है तो जयपुर शहर के लोग भी उस लिफ्ट में शौक से बैठेंगे और दो दो रुपये देंगे। जो लोग घाटी पर नहीं चढ़ पायेंगे वह इस लिफ्ट में दो रुपये देकर बैठेंगे और सरकार की आमदनी भी इससे हो जायेगी।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो नगरपरिषदों को अनुदान दिया जाता है वह भी बिना पक्षपात के दिया जाना चाहिये। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि राज्य के अंदर एक वित्त आयोग की स्थापना हो कि आय के जो भी स्रोत हैं चाहे वह सेल्सटैक्स के हों, चाहे मनोरंजन कर से हों और चाहे किसी और तरह से हों उनको समुचित रूप से नगरपालिकाओं को बिना भेदभाव के अनुदान दिया जाये जिससे कि वह अपना विकास कर सकें। मनोरंजन करके अंदर प्रति वर्ष 30 लाख 67 हजार रुपया राज्य सरकार वसूल करती है। 10 रुपया प्रति शो के हिसाब से अलग वसूल करती है और मनोरंजन कर का करीब 2 250 रुपया रोज का आता है। राज्य सरकार नगरपरिषद् को केवल 3 लाख रुपया प्रति वर्ष का देती है और उसमें से भी 1 लाख रुपया पानी के नाम से काट लिया जाता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का पूरा पैसा मिलना चाहिये। नगरपालिकाओं को पूरा अनुदान मिलना

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चाहिये।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में घाटा पूर्ति के लिये लॉटरी सिस्टम चालू किया गया और इसके लिये कहा गया कि इससे राजस्थान में शराबबन्दी हो जायेगी। शराबबन्दी नहीं हुई और उसके नाम पर, घाटे के नाम पर शराबबन्दी नहीं होगी। घाटे की व्यवस्था भी हमारी पूरी नहीं होगी। इसके लिये अन्य राज्यों की प्रणाली को देख लीजिये। जिस रोज लाटरी खुलने वाली होगी हमारे यहां पर तो उसके एक दो दिन पहले एक रुपया में दो टिकट या एक रुपये में तीन टिकट बिकते हैं। मेरा कहना है यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। यदि सरकार ने एक रुपया रखा है तो टिकट एक रुपये में ही मिलना चाहिये। फिर घोषणा करते हैं कि घोषणा का समय दो महीने आगे बढ़ा दिया गया है। इस तरह से लॉटरी प्रणाली में घोटाले होते हैं कि उसका समय तीन-तीन महीने आगे बढ़ाया जाता है यह नहीं होना चाहिये। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत!

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के संबंध में जो मेरा कटमेशन है मेरी यह मान्यता है कि समाजवाद में सहकारिता छुआछूत व एकता संगठन के प्रतीक हैं और इस सहकारी आन्दोलन के जरिये ही मैं समझता हूं कि समाजवाद को अच्छी तरह लाया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर करना और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना में भी समझता हूं कि यह प्रथम सीढ़ी सहकारी समिति है, लेकिन मेरी मान्यता है कि जो पहले जनतंत्र की भावना इस सहकारी समिति में लाई गयी थी और पंचायती राज उसका दूसरा चरण था लेकिन

(श्री शंकरसिंह रावत)

आज जैसी पंचायती राज्य की हालत हो रही है उसी तरह की हालत आज हमारी सहकारिता की है बल्कि उससे भी अधिक खराब है।

पंचायत, स्कूल और सहकारिता एक ही ग्राम में हो इस भावना को लेकर विलीनीकरण किया गया और विलीनीकरण करने के साथ ही साथ जो हर गांव में सहकारी समिति का होना था उसके द्वारा परचूनी की दुकान हो और दूसरी चीजें हों और वहां पर अच्छी आर्थिक स्थिति होनी चाहिये थी लेकिन विलीनीकरण करने से मैं निवेदन करूं कि वहां पर एक सोसाइटी अच्छी है और एक खराब है और एक ठीक है तो तीनों को मिला कर एक ही बना दिया गया। यह तो उपाध्यक्ष महोदय वही बात हो गयी कि जैसे तैरने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर बिना तैरने वाले को बैठा दिया जाये तो दोनों ही डूबेंगे। यही हालत सहकारी समितियों की हो गयी है। इसको बचाने के लिये कम से कम तीन बातों का खयाल होना चाहिये। सबसे पहले सहकारिता का जो चुनाव हो वह राजनैतिक आधार पर नहीं होकर सहकारी की भावना के ऊपर होने चाहिये। दूसरे प्रशासन उनको सिर्फ मार्गदर्शन दे, न कि प्रशासन स्वयं सरकार के रूप में परिणत हो जाये। आज होता क्या है कि अगर सबसे पहले गांव में ऋण की व्यवस्था के लिये सीधा सहकारी समिति में कोई किसान आयेगा तो वह दे नहीं सकेंगे। उसे मालूम नहीं है कि ब्लाक दे रही है या पंचायत समिति दे रही है या भूमि विकास बैंक दे रहा है। उस सोसाइटी का सत्यानाश किया और वहां से बढ़कर दूसरा ऋण लेना शुरू कर दिया। मेरा मतलब यह है कि ऋण का स्थान एक ही हो। उपाध्यक्ष महोदय जहां तक चुनाव का संबंध है मैं निवेदन करूंगा कि पहिले सहकारी समितियों का चुनाव स्वयं कराती थीं लेकिन अब राज्य सरकार ने शायद से या न जाने कैसे अपने हाथ में ले लिया और उसको हाथ में ले लें। आज वह राजनैतिक अखाड़ा रह गया है। चुनाव के बाद प्रशासनिक इण्टरफियर करने के लिये अंदर घुस गए और देश के अंदर चुनाव का अखाड़ा मात्र रह गया है। मैं समझता हूं कि यह रवैया सहकारी संस्थाओं के लिये और जन-आन्दोलन के लिये बहुत ही खतरनाक है।

अभी हाल में ही जो अजमेर सहकारी केन्द्रीय बैंक के चुनाव हुए उनके बारे में मैं यही कहे बिना नहीं रह सकता। यहां पर व्यवस्थापकों को यह आदेश दिया गया कि कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा हम कहें वैसा प्रस्ताव ले आइये और उनको यह नोट दिया गया है कि आपकी वेतन वृद्धि कर दी जाएगी और अगर हम संचालक मण्डल में आ गए तो हम आपको मालामाल कर देंगे। यही नहीं हुआ उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी दो सजायाफ्ता लोग संचालक मण्डल में आ गए। उनके लिये अपील की गई कि कम से कम इसमें सजायाफ्ता तो नहीं आने चाहिये लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्टे के लिये कार्यवाही की गई लेकिन स्टे देने व ले भी वे ही लोग हैं जो चुनाव कराते हैं। उनके सामने ही अपील करने जायं तो मैं समझता हूं कि न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कम से कम सहकारी संस्थाओं के चुनाव अगर विभाग कराता है तो करायें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन उसकी अपील किसी अन्य संस्था के पास होनी चाहिये। अगर एक डाका डालने वाला डाकू है और डाका डाले

Page No 92

(श्री शंकरसिंह रावत)

और उसके सामने ही प्रार्थना की जाय कि मदद करो तो कोई मदद नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि नसीराबाद मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव कराये जिसका मैं अध्यक्ष था। वहां एक डिप्टी रजिस्ट्रार संयोजक बने और संयोजक बन कर वहां पर गए। वहां पर जो इंस्पेक्टर था और जिसको चुनाव कराना था उसको यह कहा गया कि यदि तुमने नामान्तरण रद्द नहीं किया तो तुम जिले में नहीं रह सकते हो। हालत यह थी कि नामान्तरण रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं थी इसलिये वह रद्द नहीं कर सका तो उसको यह धमकी दी गई कि तुम इस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं और कहीं भी नहीं रह सकोगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में अगर यह जनतंत्र मनतंत्र बन जाता है। जनतंत्र को अगर मनतंत्र बना दिया जाता है तो यह बहुत खतरनाक बात होगी। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है उस देश की आर्थिक स्थिति में सहकारी संस्थाएं मूल आधार हैं। सहकारी संस्थाओं और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार प्रशासन इन्वल्व्ड होकर इस प्रकार के गलत कार्य करने लग जाय तो सहकारी समितियों का आगे जाकर भविष्य क्या होने वाला है यह तो आगे समय ही बतायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी कोई यह नीति बनती है कि कोई भी होम डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्टर नहीं रह सकता है तो आप नीति बनायें हमें उसमें आपत्ति नहीं है। अगर किसी का ट्रांसफर इस आधार पर किया जाता है कि वह होम डिस्ट्रिक्ट में है तो उसके लिये यही होना चाहिये कि स्थानान्तरण के बाद वह होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकेगा लेकिन ऊपर से जोर पड़ने पर फिर उसको कैंसिल कर दिया जाय तो यह नीति तो कोई चलने वाली नीति नहीं है। ऐसी ही स्थिति वहां पर हुई है। जब एक बार स्थानान्तरण कर दिया तो फिर ऊपर का दबाव पड़ने से स्थानान्तरण वापिस किया गया है। यह नीति क्या है? एक तरफ आपने स्थानान्तरण किया कि होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकते हो और दूसरे दबाव में आकर उसको कैंसिल करते हो। यह सहकारिता की भावना के विपरीत बात है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो पांच डायरेक्टर वहां पर हैं उसमें से एक डायरेक्टर अवधि पार था तो उसको तो हटाने का प्रयास किया गया लेकिन उसी प्रकार के दो और डायरेक्टर अवधि पार थे उनके लिये कुछ नहीं किया गया। क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था और उसमें से एक डायरेक्टर को कम करना था ताकि वे अध्यक्ष बन सकें। तो इस तरह का न्याय इससे नहीं मिल सकता है क्योंकि यह उनके हाथ में है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी नीति बनती है तो उस पर कटिबद्ध रहना चाहिए। एक को तो संचालक मण्डल से पृथक् किया गया लेकिन दो के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वे मेरे विरुद्ध थे। चुनाव के बाद कोई हारता है या जीतता है यह अलग चीज है। हार जीत को मैं कुछ नहीं समझता लेकिन जो नीति निर्धारित की जाय उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। उस पर अटल रहना चाहिए जिससे लोगों में सहकारिता के भावना के प्रति आस्था दृढ़ हो। आज छोटे से छोटे चुनाव को राजनैतिक अखाड़ा बना रखा है। चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हों, केन्द्रीय सेवा सहकारी समिति के चुनाव हों, मार्केटिंग सोसायटीज के चुनाव हों, भूमि विकास बैंक के चुनाव हों, इन चुनावों को ऐसा समझा जाता है कि यह एक सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर

Page No 93

(श्री शंकरसिंह रावत)

चढ़ कर आगे के चुनावों में अच्छा रहेगा, आगे के चुनावों के लिए अच्छा साधन बना लेंगे। आज केन्द्रीय सहकारी बैंक की तरह से ही अन्य दूसरी संस्थायें हैं जिनके चुनावों में इस तरह से दौड़ भाग करके उनको राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता है। आज इन व्यवस्थापकों को जो झूठे आश्वासन दिए गए तो यह विभागीय क्षमता की गिरावट की निशानी है। इन आदमियों को उतने ही आश्वासन दिए जाने चाहिए जितने के वे काबिल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी संस्था के अन्दर धारा 74 के अन्तर्गत अवधि पार कोई सहकारी समिति का डायरेक्टर नहीं रह सकता है भले ही वह सहकारी संस्था का मेम्बर बन जाय, लेकिन मंत्री महोदय ने ऑर्डीनेंस लाकर उनकी अवधि 7 जून तक बढ़ा दी है। यह अवधि बढ़ाने से भी काम चलने वाला नहीं है। हमारे मंत्री महोदय तो बिल्कुल भोले हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है। किसी किसी संस्था का उद्घाटन कराने के लिए बुलाया तो उसमें भी शामिल हो जायेंगे और अगर उसी संस्था का समापन समारोह हुआ तो उसमें भी शामिल हो जायेंगे। तो इस तरह से सहकारी आन्दोलन रसातल में पहुंच रहा है। आज पंचायत समितियों के 7-8 साल से चुनाव नहीं हुए लेकिन इसका पुनर्गठन करके इसमें जान डालने की चेष्टा कर रहे हैं और इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं उसी प्रकार इसमें भी प्रयत्नशील होना पड़ेगा। आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल सकी। आज जितने बैंक हैं वे घाटे में जा रहे हैं, हर सहकारी समिति घाटे में है। इससे अच्छा हो कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य में शासन करते हैं उसी प्रकार इनके संचालक मण्डलों को भंग करके रजिस्ट्रार का शासन लागू कर दिया जाय। हमें इस प्रकार के संचालक मण्डलों की आवश्यकता नहीं है। आप एक दो जिलों को ले लें और अगर वहां संचालक मण्डल अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है तो वहां पर विभाग के द्वारा कार्य हो और विभाग के द्वारा उसको अच्छा बनाया जाय तो मैं निश्चित रूप से उसका स्वागत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारी संस्थायें, बैंक हैं उनके सचिव से पूछें, वहां के व्यवस्थापक वहां के मैनेजर, वहां के क्लर्क से अगर कोई पूछे कि तुम्हारे पास वर्क क्या है, तो कहेंगे कुछ वर्क नहीं है। आज अकाल के समय में वसूली कुछ नहीं हो सकती है। अकाल के समय में वसूली नहीं हो सके या और कोई काम उनके पास नहीं हो तो भी उनसे कहेंगे कि तुम तो बैठे रहो और राजनैतिक आधार पर हमारे साथ रहो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज जो सहकारी संस्थाओं की हालत है उसको सुधारना आवश्यक है।

इसके अलावा जो ऋण की व्यवस्था है उसमें भी काफी प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि सहकारी समितियों के माध्यम से आज जो क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने की जो सरकार की नीति है कि खाद्यान्नों का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से हो, गांवों में परचूनी दुकानें सहकारी समितियों के द्वारा चलाई जावें ताकि लोगों की आस्था इन संस्थाओं में हो। सारे देश के और खास तौर पर राजस्थान के आंकड़े देखें तो मैं समझता हूं कि इस अकाल के समय कितनी दुकानें सहकारी समितियों को दी गई और कितनी दुकानें दूसरे लोगों को दी गई, तो यह एक

(श्री शंकरसिंह रावत)

नीति का प्रश्न है, क्योंकि सहकारी आन्दोलन को जन-आन्दोलन का आधार बनाना है। लेकिन आज सहकारी आन्दोलन को सरकारी मशीनरी का पुतला बना दिया गया है। कोई सरकारी मशीनरी अगर सहकारी समिति को चलायेगी तो मैं समझता हूं कि वह सहकारी समिति नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वे इस बात की ओर उत्तेजित नहीं होकर ठण्डे दिमाग से सोचें और एक नीति बना कर इस आधार पर नीति बनावें कि हमें सहकारी समितियों को आगे लाना पड़ेगा। जो भी राशन के वितरण का कार्य हो, खाद्यान्नों के वितरण का काम हो सब में हमें सहकारी समितियों को आगे लाना होगा लेकिन इन सब कार्यों में सहकारी समितियों को तो इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे एक अछूत आदमी को समझा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कई दफा जो मोटे कपड़े के वितरण का प्रश्न आया तो नसीराबाद के लिए मैं कह रहा हूं कि वहां की जो क्रय विक्रय सहकारी समिति है जिसकी सिक्योरिटी जमा है, उसके पास शोप भी थी लेकिन उसको यह कार्य न देकर अन्य लोगों को, प्राइवेट लोगों को यह कार्य दिया गया क्योंकि प्राइवेट लोग तो इस काम के लिए और तरह का खर्चा कर सकते हैं लेकिन सहकारी समिति तो ऐसा नहीं कर सकती है। अगर सहकारी समितियों को यह कार्य नहीं देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार सुदृढ़ हो सकेगी और किस प्रकार वे आगे कार्य कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय हर गांव में सहकारी समिति की राशन की दुकान मिलेगी लेकिन उसको चलाने वाला कोई और व्यक्ति ही देखने को मिलता है। उसके कागजात को उठाकर देखें तो उसका कोई हिसाब, रिकार्ड देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही व्यक्ति मिलेगा। उसकी आमद और घाटे का, प्रोफिट का जो रिकार्ड वहां पर मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विभाग के जो रजिस्ट्रार महोदय हैं वे इस सारी चीज को देखें कि कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके नाम राशन की दुकानें हैं और उनको चलाने वाले कितने अन्य व्यक्ति हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सहकारी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समितियों के द्वारा जो राशन का वितरण किया जा रहा है उसमें सुधार किया जाए और इन सहकारी समितियों के बारे में सरकार कोई एक नीति तय करे और इस बारे में कोई निर्णय करे। .... (समय-समाप्ति—सूचक घंटी) ... सहकारी समिति गांवों के विकास के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, समाजवाद लाने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, कृषि पैदावार को उचित मूल्य पर बेचने के लिए आवश्यक है और इसको ठोस आधार पर चलाने की आवश्यकता है इसलिए इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। मैं इस बात से बराबर सहमत हूं कि इनमें भ्रष्टाचार होता है तो इसमें सख्ती बरतनी चाहिए और इन सहकारी समितियों को राजनीति अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए और अगर कोई इस पर बैठ जाए तो यह कतई उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इन सहकारी

(श्री शंकरसिंह रावत)

समितियों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सहकारी समितियां ही गांवों की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली हैं, ये जन-आन्दोलन और जनतन्त्र की भावना के अनुकूल हैं और जनतन्त्र को मजबूत करने की एक कड़ी है। इसलिए इनके सुधार की ओर सरकार को ध्यान देना है और इनमें कोई परिवर्तन करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बाद में बोलूंगा। पहले श्री केशरीमल जी को मौका दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं खनिज सम्पदा के विषय में कुछ विचार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त में बहुत ही खनिज सम्पदा है। यूं कहें कि राजस्थान इस मायने में एक मालदार प्रान्त है तो गलत नहीं होगा। इस प्रान्त में खनिज सम्पदा नाना प्रकार की मिल रही है, और निकल सकती है। इसलिए इस प्रान्त में खनिज सम्पदा का ठीक से पता लगाना आवश्यक है और कुछ इलाकों के अन्दर खनिज सम्पदा का पता लगाया है लेकिन बहुत से इलाके ऐसे बाकी हैं जिसमें बहुतसी खनिज सम्पदा मिल सकती है। इसलिए मेरा कहना है, मेरा यह तात्पर्य है कि ऐसे सारे इलाकों का पता लगाया जाए कि कहां-कहां क्या-क्या खनिज मिल सकते हैं।

उपाध्यक्षजी मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां ये मिल सकती हैं, यह बात तो अलग है लेकिन जो खनिज सम्पदा उपलब्ध है, मिल रही है, उस पर यह सरकार न तो ठीक तरह से ध्यान दे रही है और न व्यवस्थित रूप से उसको निकालने के लिए व्यवस्था कर रही है और न उनसे सम्बन्धित उद्योग ही लगा रही है। इन सबकी ओर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा यह निवेदन करना है कि हमारे इलाके में वैसे तो सारा अजमेर जिला है लेकिन खास तौर से ब्यावर इलाके में लाइम स्टोन दो-तीन तरह का अच्छा भी और बुरा भी, इतना है कि उससे पांच, सात सीमेन्ट की फैक्टरी लगायी जा सकती हैं। और ये फैक्टरियां कई वर्षों तक चल सकती हैं। लेकिन हमारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही न मालूम इस सारे लाइम स्टोन को काम में नहीं ले रही हैं और न इससे सम्बन्धित उद्योग ही अब तक लगा पायी हैं। हमारे देश में सीमेन्ट का अभाव है। पता नहीं लगता कि एक तरफ अभाव है, और एक तरफ सम्पदा पड़ी हुई है और उसको उपयोग में लाकर, उसकी वस्तु बनाने की बात हम नहीं सोच रहे हैं। मेरा यह निवेदन करना है कि इतनी सम्पदा, लाइम स्टोन की पड़ी हुई है उस पर कुछ पैसे वालों ने, साहू जैन ने कब्जा कर रखा है और इस तरह से वे इसको उपयोग में नहीं लाने देते हैं। इसका लाइसेन्स पांच, सात साल पहले से इन्होंने ले रखा है। आज भी उनके पास है परन्तु उद्योग लगाने का जहां तक सवाल है, वे नहीं लगाते हैं और राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार न मालूम क्यों इस बात के लिये साहू जैन को मजबूर नहीं करती कि वे उद्योग लगावें अन्यथा उनका लाइसेन्स केन्सिल कर दूसरे को दे दिया जाएगा। बीस मील के अंदर लगातार एक ही प्रकार का लाइम स्टोन है और उसका आज कोई उपयोग

(श्री केशरीमल)

नहीं हो रहा है। टाटगढ़, ब्यावर, सेंदड़ा आदि जगह पर काफी मात्रा में लाइम स्टोन उपलब्ध है लेकिन यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके का अगर मैं जिक्र करूं फेल्सपार और इसी तरह की कई खनिज सम्पदा मिल रही है जो सारे हिन्दुस्तान में सप्लाई हो रही है परन्तु हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसकी पिसाई कर के कई प्रकार की चीजें तैयार की जा सकती हैं। इसकी कई इन्डस्ट्री लगाई जा सकती हैं। टेलीफोन के खंभे पर लगाने के लिये जो इन्सुलेटर होता है वह भी इससे बनाया जा सकता है। एक तरफ तो ये वस्तुएं नहीं मिलती हैं और दूसरी तरफ जो खनिज सम्पदा हमारे यहां पर उपलब्ध है उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह हमारी राज्य सरकार की एक बड़ी कमजोरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि जिन लोगों को ठेके दिए गए हैं उनकी खानों की न तो वे रॉयल्टी ही जमा कराते हैं और न उन खानों का खनन् ठीक से करते हैं। वहां पर काम करने वालों की हत्याएं होती हैं, एक्सीडेन्ट होते हैं और वहां के मजदूरों को कोई राहत नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रान्त में इतना बढ़िया संगमरमर का पत्थर निकलता है, मेरा इस बारे में यह निवेदन करना है कि शायद एशिया में कहीं भी यह पत्थर नहीं है। मकराना का जो पत्थर निकलता है, उसके बारे में भी यह निवेदन करना है कि राज्य का खनिज विभाग बिलकुल ही इस ओर ध्यान नहीं देता है। वहां पर खानों से पत्थर निकालने का जो तरीका है वह गलत है। वह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। लोगों के एक्सीडेन्ट होते हैं, लोग मरते हैं। किशनगढ़ के पास जो नेरेला गांव है, उदयपुर के पास तीन चार जगहों पर, आबू रोड़ के पास कहीं हरे रंग का, गुलाबी रंग का और कहीं काले रंग का पत्थर निकलता है ब्यावर के पास एक पत्थर निकला है, जिसका ठेका साहू जैन कम्पनी को इस सरकार ने दे रखा है, वह इतना बढ़िया गुलाबी रंग का पत्थर है कि उसके मुकाबले एशिया में कोई पत्थर नहीं है। यह पत्थर विदेशों को जाता है। इस प्रकार चाहे वह कोटा का स्टोन है, ब्यावर का मारबल हो, यह जो इतनी बढ़िया राज्य की खनिज सम्पदा है, यह सब हमने इन पूंजीपतियों को दे रखी है और इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे राज्य में जो खनिज सम्पदा है उसको हमारी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये जिस प्रकार कि सरकार ने वन सम्पदा को अपने हाथ में लिया है और उसके बाद उसकी आमद पहले से तिगुनी हो गई है। आज वन सम्पदा का विकास हो रहा है। इसी तरह से इस खनिज सम्पदा का उपयोग लिया जाए और सरकार इसको अपने हाथ में और सही ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से इसको सरकार चलाए और इसको पूंजीपतियों के हाथ में न रहने दे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि हमारे इस प्रान्त में बहुत ज्यादा पैसा हमारी सरकार को मिलेगा और इसकी व्यवस्था भी सुधरेगी। आपके जरिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हीराभाई हो, चाहे साहू जैन हो या और दूसरे बड़े पूंजीपति हों, इन सब लोगों के पास जो खानें हैं उनका वे पूरी तरह से खनन् नहीं कर रहे हैं इनसे ये खानें ली जावें और आगे कोई भी खान इन पूंजीपतियों को न दी जावे और सरकार खुद इनको चलावे तो निश्चित तौर से हमारे इलाके में काम अच्छा होगा, लोगों को रोजी मिलेगी, सरकार को भी पैसा मिलेगा। हमारे पास पैसे की कमी है। इसलिये इस काम को किया

(श्री केशरीमल)

जाना चाहिये और उद्योग को लगाया जाना चाहिये। आज देश के अंदर ये चीजें विद्यमान हैं और उनको हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस खान के काम को सरकार अपने हाथ में लेकर चलावे या संबंधित उद्योग इसको चलावे। सीमेन्ट पाइप फैक्टरी का उद्योग आज ब्यावर में चल रहा है और इसमें करीब डेढ़ हजार, दो हजार व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। ऐसी ही चीजें कई जगह निकलती हैं परन्तु उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। देश के अंदर इसको ब्यावर से ले जाकर बेचते हैं। तो यह कितना बड़ा काम हो सकता है। हमारे इलाके में मिलने वाली वस्तु का उपयोग कर के इस दिशा में पहल की जा सकती है। आज इसका ठीक से उपयोग नहीं होता है और न खनन् ही ठीक होता है।

मुझे यह निवेदन करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसी बहुत सी खनिज सम्पदाओं के अंदर जो अभी भी निकल रही हैं उनमें हमारी सरकार बड़ी बेहूदगी का काम किया है। आज साधारण पत्थर जो सड़क पर टूटकर लगने वाली मिट्टी और छर्रा हैं उसके काम में आता है उसके लिये तो हमारी सरकार ने 3.25 रुपये की मिनिमम वेज मुकर्रर की है, और आज ही मंत्री महोदय कह रहे थे कि संगमरमर के अंदर काम करने वाले मजदूरों को न्यूतम वेतन दिलाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले ही इसलिये निवेदन कर चुका हूं कि इन बड़ी बड़ी खानों में साहू जैन, बिरला और इस तरह के लोग फंसे हुए हैं और हमारी सरकार इनके हाथों में बिकी हुई है, गिरवी रखी हुई है और हमारे अधिकारी अथवा उन लोगों के अंदर दिल व दिमाग हो तो सोचें कि एक ऑर्डिनरी पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को तो 3.25 रुपये मिले और जो 12 रुपये स्क्वायर फुट का पत्थर निकालता है उसके मजदूर को दो रुपये मिलते हैं। वह इतने बढ़िया काम करने वाले हैं उनको दो रुपया दें, लेकिन वह उनको मालिकों को बचाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि मालिक उन मज़दूरों को पैसा दें।

माननीय उपाध्यक्ष, मुझे यह निवेदन करना है कि दो महीने तक इन्हीं मारबल की माइन्स में हड़ताल चली और सरकार ने कुछ नहीं किया। हम सरकार से कहते रहे और मिनिस्टर से कहते रहे, लेकिन मजदूरों ने अपनी ताकत के बल पर चार रुपये करा लिये, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी मकराने की मारबल माइन्स के मजदूरों को दो रुपये रोज की तनख्वाह मिलती है। अच्छी हमारे यहां पर खनिज सम्पदा है वहां उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मकराने की माइन्स पर ध्यान नहीं दिया तो वहां पर लोग तो रोज मर ही रहे हैं लेकिन खदानों की स्थिति ऐसी हो जायगी कि कितने ही लोग मरेंगे और सरकार को पता नहीं लगेगा—मजदूर कुटुम्बों को कितना दुख देखना पड़ रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है यह समझ में नहीं आता है। जो कारण समझ में आता है वह यह है कि मारबल के अंदर या मारबल माइन्स की खानों के अंदर पैसा बढ़ायेंगे तो दूसरों को देना पड़ेगा तो साहू जैन को भी देना पड़ेगा इसलिये नहीं कहते हैं। मेरा इलजाम है सरकार के ऊपर कि जो बड़े बड़े इजारेदार लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह की व्यवस्था करके चल रहे हैं।

(श्री केशरीमल)

मैंने निवेदन किया कि हमारे यहां पर लिगनाइट कारखानों को बन्द कर दिया । कभी कहते हैं कि आग निकलती है और कभी बोलते हैं कि निकालने से फायदा नहीं है । हमारे यहां पर बिजली की कमी है । अगर वहां पर लिगनाइट का खनन करके बिजली की व्यवस्था का काम शुरु करें तो हमारे उस इलाके में बिजली की व्यवस्था ठीक हो सकती है। आज 50 प्रतिशत बिजली की कटौती कर रहे हैं तो उससे हमें मदद मिल सकती है । पता नहीं क्यों उसे काम में नहीं ले पा रहे हैं और वह वर्षों से बन्द पड़ी हुई है ।

मैं निवेदन करूंगा कि जिप्सम की खानें हमारे इलाके में सारे देश की 70-75 पर्सेन्ट हैं और देश भर में जितना जिप्सम निकलता है उसका तीन-चौथाई जिप्सम हमारे यहां पर निकलता है। अच्छा भी निकलता है और खराब भी निकलता है । वह सीमेंट बनाने के काम का भी निकलता है और खाद बनाने के काम का भी निकलता है और दूसरे जोड़-तोड़ लगाने के काम में भी आता है । कई प्रकार की उससे चीजें बन सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इजारेदारों को वह जिप्सम का ठेका दे रखा है कि वह लोग अपने जो मजदूर हैं उनको पूरा पैसा नहीं देते हैं और सरकारी राशि भी उन्हीं लोगों को मिल जाती है और उन वस्तुओं का ठीक से उपयोग नहीं होता है, लेकिन सरकार उन्हीं को ठेका दे रही है। जिप्सम कम्पनी के बारे में बहुत कुछ सुना है ।

इस इलाके में खनिज सम्पदा है और सरकार ठीक से निकालने की व्यवस्था करे, और जो खनिज सम्पदा है और खानों का कारोबार है उसको सरकार अपने हाथ में ले और इन तमाम पूंजीपतियों को सरकार बाहर करे । उस खनिज सम्पदा से संबंधित उद्योग स्थापित करे । सीमेंट के कारखाने ज्यादे से ज्यादा लगायें । यह जो मारबल की माइन्स हैं इनके वैज्ञानिक खनन् करने का तरीका निकालें । उन लोगों को इस बात में सहायता दें जो कि वैज्ञानिक तरीके से निकालें । यह जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं इनको न्यूनतम वेतन देने की गारन्टी सरकार करे और दिलाये । इस तरह की जो दुर्घटनायें खानों में होती हैं, एक्सीडेन्ट से लोगों की जानें जाती हैं उन घटनाओं को कम करें । अगर ऐसा करेंगे तो हमारे इलाके का बहुत बड़ा काम हो सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष, आखिर में मेरा मुद्दा यह है कि इस इलाके का ठीक से सर्वे कराके जांच करवाई जाय तो हमारे यहां पर और भी बहुत सी खनिज संपदा मिल सकती है, जिनको कि प्राप्त करना आवश्यक है । हमारा प्रान्त इन खनिज संपदाओं में काफी मालदार है । लेकिन ठीक से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है । यही मेरा इस पर निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल ।

श्री मीठालाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष, इस मुद्दे पर कटौती प्रस्तावों को देखा जाय । सहकारिता के ऊपर तो चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, लेकिन मैं समझता हूं कि 80 पर्सेन्ट भ्रष्टाचार को लेकर ही सहकारिता के ऊपर कटौती प्रस्ताव आये हैं । मेरी तो यह मान्यता है कि इससे सहकारिता को आप आगे बढाना चाहते हैं

(श्री मीठा लाल)

तब दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं, भ्रष्टाचार की बात भी करते हैं, गबन-घोटाले की बात भी करते हैं, लेकिन आखिर में यही कहते हैं दबी जबान से कि हमें सहकारिता का विकास करना है और सहकारिता को आगे बढाना है। लेकिन मेरी मान्यता है कि सहकारिता को थोड़ा बहुत आगे बढाना चाहते हैं तो इसकी रूपरेखा, इसकी प्रक्रिया जिनके तहत अब तक काम हुआ है उनको एकदम बदला जाय, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जिस प्रकार से एकदम राष्ट्रपति शासन होता है उसी प्रकार से रजिस्ट्रार का शासन कर दें, कुछ भी करें।

(1.56 म. प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सभापति, पदासीन)

यह लोगों की धारणा बनी हुई है कि सहकारी समितियां और सोसाइटीज वगैरह जो कुछ है वह बेईमानी के लिये बनाई जाती है। किसी व्यक्ति को जब कोई धन्धा नहीं मिले या पैसा खाने की इच्छा हो, गबन और घोटाले करने की इच्छा हो तो उसके दिमाग में यह बात सूझती है कि सोसाइटी बना ली जाय और सोसाइटी बनाकर पैसा खा लिया जाय।

आज, सभापति महोदय, राजस्थान के किसी भी हिस्से को देख लें। यह मैं मानता हूं कि देश के अन्य प्रान्तों में, महाराष्ट्र में और गुजरात में सहकारी-समितियों ने आगे उन्नति और विकास भी किये हैं, लेकिन राजस्थान में जितनी वहां पर उन्नति हुई उतनी ही यहां पर अवनति हुई है, और हर हिस्से में इस ढंग से सहकारी समितियों में गबन, घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप एक एक जिले की सोसाइटी का पैसा लेकर आप किसानों को या किन्हीं ऐसे आदमियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसानों को बिजली और कुए में मदद देना चाहते हैं उनके लिए उन पैसों का उसी जिले में उपयोग कर दें उससे जो आपका आर्थिक दिवालियापन है उसमें मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि उनमें आपका करोड़ों रुपया बाकी है। उन सोसाइटीज से पैसा वसूल करके यह पैसा आप दूसरी मद में, दूसरे विकास के काम में लगा दें, तो मैं समझता हूं कि उससे काफी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, कई जिलों में, जयपुर को ले लें, सवाई माधोपुर को ले लें, सवाई माधोपुर जिले में 91,70,000 रु० सोसाइटीज की तरफ बाकी हैं और उनमें 12 सोसाइटीज तो ऐसी हैं कि जिनका कोई रेकार्ड ही उपलब्ध नहीं है, उनमें 5-6 लाख रुपया बाकी है। आपको यह भी पता नहीं कि धनराशि कौन ले गया, उसकी जांच नहीं, एन्क्वायरी नहीं। जांच हो रही है, रिपोर्ट आ रही है, रजिस्ट्रार साहब जा रहे हैं तो रजिस्ट्रार साहब भी तो उनमें से एक हैं, उनमें से एक हिस्सेदार हैं। नीचे से ऊपर तक की एक कड़ी बनी हुई है। आपको मालूम नहीं है कि गावों में सोसाइटीज भी हैं या नहीं। सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले जयपुर जिले का चुनाव हुआ था सेन्ट्रल बैंक का और उन संस्थानों की सोसाइटीज बनी हुई हैं। उन सस्थानों को प्रतिबन्धित किया गया था कि आपकी यह सोसाइटीज आपको वोट देगी। उन्होंने यह कहा कि हमें तो आज ही मालूम पड़ा कि संस्थानों की सोसाइटीज बनी हुई हैं। हमको तो मालूम नहीं है कि

(श्री मीठा लाल)

इन सोसाइटीज में हजारों और लाखों रुपया बकाया चल रहा है। इस प्रकार से कर्जा दिया गया है कि सोसाइटीज के जो प्रधान हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज हैं उन लोगों ने, किसानों के नाम से किस ढंग से पैसा वसूल कर रखा हैं कि गरीब किसानों को यह भी मालूम नहीं है कि हमारी तरफ पैसा बाकी निकल रहा है। सेक्रेटरी चलतापुर्जा निकला तो अध्यक्ष के नाम से 60-60 हजार रुपया लेगा। सेक्रेटरी डाइरेक्ट टच में आ गया और अध्यक्ष को मालूम नहीं। आज पोजीशन यह है कि हमारे यहां लालसोट में कई सोसाइटीज के अध्यक्षों के नाम 50-50,60-60 हजार रुपया बाकी निकल रहा है। वसूली होती है तब मालूम पड़ता है कि वे रुपया नहीं ले गये और सेक्रेटरी और कर्मचारियों ने अंगूठा टेक टेक कर किसानों के नाम से पैसा वसूल कर लिया। कहां से पैसा वसूल हो। और कागजों में पैसा वसूल हो जाता है। कई आदमी ऐसे हैं जिनकी पांच पांच किस्तें जमा हो गई है और उनको पता भी नहीं है। उसी ने जमा करायी हैं जिसने सारा रुपया ले लिया था। किसानों को यह पता भी नहीं है कि हमने लिया है ऐसे आदमी को लिया हुआ घोषित कर रखा है कि जिसने पैसा ही नहीं लिया है। बाद में ऐसे ही आदमी से वसूल किया जाता है। आज ग्रामसेवक सोसाइटी वाले, सहकारी सोसाइटी वाले, ऐसी सोसाइटियों के कर्मचारी और प्रबन्धकों की एक ही नीयत रहती है कि किस प्रकार से पैसा खायें या फिर ऐसा माल लाकर डाल देंगे जो बिकता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न में आरोप था, बाजार में 100 रु० लौंग का भाव था। और 133 रु० में दिल्ली से लाकर कोटा में डाल दी गई। जब किसान बीज लेने के लिए आये तो उनको जबरदस्ती दी गई। व्यवस्था तो यह है, अध्यक्ष महोदय, गये होंगे दिल्ली और सोचा कि यह भी ले लो। कहीं से कपड़ा ले लेते हैं। कहीं से कोई माल ले लेते हैं। जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। सभापति महोदय, ऐसी सोसाइटियों के मामले में कोई जांच करवाये कैसे। मेरा निवेदन है कि किसी भी नेता और एम० एल० ए० की सिफारिश न मानकर मजबूती से उनकी जांच के कदम उठायें। जो आदमी आज सोसाइटी से पैसा लेता है, वह लौटाने की भावना से नहीं लेता है। आज एक आदमी को 500 रु० जमा कराना है तो उसको 700 रु० लोन दे दिया जाता है। तो ब्याज लेकर वह भी उसका हो जाता है। आप पैसा वसूल करके, उसका सही तरीके से चलायें। अन्यथा आप वैसे खर्च कर दीजिये। क्यों पैसा बरबाद करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि विजीलेंस कमीशन द्वारा जांच कराई जायेगी। मैं चाहूंगा कि उनकी अच्छी तरह से जांच हो सके। सही ढंग से जांच हो सके। मैं निवेदन करूंगा कि यह अधिकारियों द्वारा नहीं हो सकता है। जो गबन और घोटाले हैं, उनकी जांच अधिकारियों द्वारा नहीं हो सकेगी।

खनिज के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान में खनिज का भण्डार है। राजस्थान में इसका सर्वे कराया जा रहा है। खनिज के बारे में आप जहां जहां हाथ डालते हैं, कुछ न कुछ खनिज जरूर मिलता है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं बढायें। आप तहसील स्तर पर ऐसे सर्वे करायें। अगर खनिज पदार्थ यहां पर उपलब्ध हो तो सभापति उसको बढाना चाहिए। जयपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, पहले भी सर्वे हुआ है। वहां पर अच्छी अच्छी चीजें मालूम पड़ीं।

(श्री मीठालाल)

इसी प्रकार से लालसोट में लोहे की खान है, उसके लिए यह कहकर कि यह अलाभकर सिद्ध होगी। वहां लोहा, ताम्बा, पीतल का भण्डार पड़ा हुआ है। लेकिन आज जो सर्वे हो रहा है, वह गम्भीरता से सर्वे नहीं करते हैं। होटलों में बैठकर सर्वे करते हैं। ऑफिसों में बैठकर कर लेते हैं। कुछ न कुछ दिनों का अधिकारी लोग पहाड़ों में प्रोग्राम रखें। तो मैं समझता हूं कि खनिजों में लाभ मिलेगा।

इसी तरह से सभापति महोदय, खनिजों की रॉयल्टी का मामला है। यह कहा गया था कि किसानों से रॉयल्टी नहीं ली जायेगी। ठेकेदार सभी विरोध कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश किसानों से रॉयल्टी वसूल की जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि जहां जहां रॉयल्टी ली जा रही है, उनसे वह नहीं ली जाये। सभापति महोदय, आपकी जो संस्थाएं हैं, आपने उनको जिले में कुछ फण्ड दे रखा है। किसी जिले में कुछ भी पैसा नहीं है। किसी में प्रचार भी नहीं है कि ऐसा कोई फण्ड मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर दूंगा, सभापति महोदय।

दूसरे, नगरपालिका और पंचायत समितियों को अनुदान देते हैं। नाली लगाने के लिए या और व्यवस्था करने के लिए। कई ऐसे हैं जो पैसा ले लेते हैं। तीन चार साल हो गये हैं। आज तक उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है। उनको आपने न कोई नोटिस दिया है न वापिस लेने के लिए कहा है। इस प्रकार का अन्धाधुन्ध है।

सभापति महोदय, पंचायत समितियों के लिए हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है। अक्टूबर में आप चुनाव कराने जा रहे हैं इस बारे में कई भ्रम फैले हुये हैं। कहा जाता है कि इसका रूप ही बदला जायेगा। आज भ्रान्ति फैली हुई है। अक्टूबर-नवम्बर में आप चुनाव कराने जा रहे हैं। व्यासजी की जो कमेटी बनी हुई है, उसको लिखें जिससे कि वह रिपोर्ट आये। उस पर आप विचार कर सकें। यह सदन विचार कर सके। जिससे कि आगे चुनाव करा सकें।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं स्टेट लॉटरी के लिए कहना चाहूंगा। स्टेट लॉटरी का हाल ऐसा हो गया है कि लोगों में इसके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है। किसान कोई दरख्वास्त दे रहा है तो इस विभाग की तरफ से दो टिकट उसके चिपका देते हैं। लोन लेने जा रहा है या और कोई चीज लेने जा रहा है तो कह दिया, दस टिकट कम्पलसरी हैं। कोई रुपया लेने या रिफण्ड करने जा रहा है तो कह दिया कि पांच पर्सेन्ट के लौटरी के टिकट खरीदने पड़ेंगे कम्पलसरी। इससे जनता बड़ी मुश्किल में है। लोगों की यह धारणा हो गई है कि एक रुपये के दो टिकट, तीन टिकट मिल जायेंगे। जो लॉटरी बेचेने वाले हैं, बीच में उन्होंने लॉटरी निकालना शुरू कर दिया है। इससे अविश्वास लोगों में बढ़ रहा है। इसलिए आपको इसमें सुधार करना चाहिए।

कई पेपर ऐसे हैं साप्ताहिक, लॉटरी निकल रही है आज और उसके प्रचार के लिए छापने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए ऐसे पेपर्स को पैसा दे रहे हैं, वह जिस दिन लॉटरी निकल रही है उसी दिन उसका प्रचार कर रहे हैं, गलत ढंग से

(श्री मीठालाल)

प्रचार कर रहे हैं उसको रोकें। जो लॉटरी के प्रति लोगों की श्रद्धा खत्म हो रही है, या तो आप इसको खत्म कर दें या लोगों में विश्वास पैदा करें।

आज लोगों ने क्लब चला रखे हैं। जुएबाजी के लिए आपने लाइसेन्स दे रखा है जो क्लब चल रहे हैं वहां शराब और जुएबाजी चल रही है, खुले आम जुआ चलता है। उस पर रोक लगावें जिससे वास्तविक क्लब बने, यह नहीं कि वहां पर जुआ खेला जाय।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : सभापति महोदय, सहकारिता आन्दोलन जिस तेज गति से हमारे यहां आरम्भ हुआ था, आज उसी प्रकार से वापिस ह्रास की दिशा की ओर जा रहा है। इसमें किसका दोष है, किस का नहीं – इसके बारे में मैं चर्चा सदन के सामने करूंगा।

जिस समय सहकारिता का आन्दोलन चलाया गया था, खास तौर से ग्रामों के अन्दर, तो ग्रामों के अन्दर हर प्रकार की जनता को मदद मुहैया करने के लिये और उनको सुविधा पहुंचाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी थी। सभापति महोदय, आज न तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कोई व्यवस्था है, न उनके पास कोई काम है और न लोगों की इनके अन्दर आस्था रही है इसका मूल कारण क्या है? किसका दोष है सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा। आज इस काम की देख रेख के लिए जो अधिकारी मुकर्रर किये गये हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी कहां तक निभायी है, कहां तक नहीं – यह सोचने की बात है। सभापति महोदय, आज ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, उनमें सिर्फ कर्जा देने मात्र की व्यवस्था है। उनमें उसके उद्देश्यों की मूल भावना पैदा नहीं की गई है कि आज जो दबे हुए किसान हैं, मजदूर हैं, हर प्रकार से चीज की उनकी मदद हो। इस मदद के दृष्टिकोण से यदि गांवों में ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की गई थी, लेकिन आज जो रक्षक बने हुए हैं वह उनको लूटने में लगे हुए हैं। एक इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा प्रोग्राम दिया गया है देहाती लोगों को, जो अशिक्षित हैं, लेकिन उन पर रिकार्ड रखने की शर्त रख दी गई है। रिकार्ड की शर्त उन पर थोप दी गई है, एक रजिस्टर में चालीस-पचास आइटम होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाये उनकी पूर्ति हम अंगूठा छाप लोगों से करायें, जो गांव के मुखिया हैं, वह केवल भावना से मुखिया हैं, वह पढे-लिखे नहीं हैं। उनको यह काम सौंपा है और उनको इस प्रकार रिकार्ड में फंसा कर यह कहते हैं कि ऑडिट में यह पाया गया कि यह गड़बड़ी कर दी, वह कर दी। और उनके ऊपर मामले बना कर उन्हें लटकाये फिरते हैं। यह सहकार का ढंग है। दो चार इसके उदाहरण दूं तो उसके अन्दर दुःख होता है कि किस प्रकार के अधिकारी लोग हैं, जिनके जिम्मे सरकार के लोगों को सौंप दिया है, जो उनको हरेसमेंट करना चाहते हैं। पहले पंचायत समितियों के मार्फत सहकारी विभाग के निरीक्षक की ड्यूटी लगाई हुई थी, जिसके कारण पंचायत समिति में बी. डी. ओ. को समय पर जाकर कह देते और नियंत्रण हो जाता। लेकिन विभाग में न मालूम क्यों उन्हें अण्डर में रख लिया। इसलिए आज जिले के उस स्थान पर कोई शिकायत करने

(श्री लूणाराम)

नहीं जाता है और जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता ।

दूसरी बात कर्ज की जो राशि दी गई वह समय पर नहीं चुका पाये । यह बात सही है कि तीन साल से अकाल ने बुरी तरह किसान को दबोच रखा है । फिर भी मैं कह सकता हूं कि किसानों ने कर्ज को नहीं रोका । किसानों ने कर्ज नियमानुसार चुकाया है । आप देखेंगे, सहकारी विभाग ने जो प्रगति-विवरण 1972-73 का तैयार किया है, उसमें जितनी बड़ी सहकारी संस्थायें हैं, उनका विशेष उल्लेख किया है लेकिन जो ग्राम सेवा सहकारी संस्थायें चल रही हैं उनका विशेष विवरण नहीं दिखाया गया है। इसका कारण स्पष्ट है, ग्राम सेवा सहकारी समिति कर्ज वापिस समय पर देती है, देने की कोशिश करती है। फिर भी उन्हें कर्ज देने के लिये राशि नहीं दे सकते इस कारण आयन्दा कर्ज देने की स्कीम है उससे वह महरूम रह जाते हैं। इस कारण उनकी हालत बदतर हो गई है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो ऐसी सहकारी समितियों से ग्राम में सेवा कराने का उल्टा अर्थ निकलेगा । दूसरी सहकारी समितियां हैं जो हर प्रकार के उद्योग से सम्बन्धित हैं, आप अन्दाज लगा कर देखेंगे तो दूसरी सहकारी समितियां सम्पन्न लगगी, उनके कर्ज की राशि अधिक है ग्राम सेवा सहकारी समितियों की तुलना में । मैं समझता हूं, उद्योग की सहकारी समिति है, उनकी कर्ज की राशि अधिक है जितनी ग्राम सहकारी समिति में नहीं है, क्योंकि उनके दिल में दर्द है, बुरी भावना नहीं है। किसान आज मजबूरी के हाल में है, वह कर्ज न दे पाये तो इस अकाल के समय में कर्ज से वंचित रह जाते हैं । इसलिये प्रस्ताव के द्वारा उनका समय बढ़ाने की व्यवस्था करें । सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जो क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित किया जाय, सरकार को अपने आप मियाद बढ़ानी चाहिए, एक कर्ज के चलते हुए आयन्दा कर्ज से वह महरूम नहीं रहने चाहिएं, और आय के कोई साधन नहीं होने से दोनों प्रकार की सुविधा से उन्हें वंचित नहीं रखा जाना चाहिए ।

दूसरी बात है चुनाव की । चुनाव के अन्दर शुरुआत के अन्दर जो व्यवस्था थी, उसके बाद कार्य बढ़ा तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था बढ़ी, उसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने चुनाव की व्यवस्था अपने जिम्मे ले ली। विभाग ने व्यवस्था अपने हाथ में ली तो यह सबूत मिला कि जो अव्यवस्था थी वह ही नहीं है उससे दस गुना विभाग ने बढ़ा कर यह साबित कर दिया है कि इस आन्दोलन को पार्टी-पॉलिटिक्स में घसीट कर भ्रष्टाचार बिखेरना चाहते हैं, इसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि चुनाव की जो व्यवस्था कर रखी है उसको सुधारा जाय। जिस प्रकार की व्यवस्था चुनाव की है वह चुनाव विभाग के अन्तर्गत दी जाय । जो समितियां फंक्शन कर रही हैं उनको बन्द न करके सही कार्य करने दिया जाना चाहिए और चुनाव

(श्री लूणाराम)

विभाग के मार्फत उनका चुनाव कराया जाना चाहिए । चुनाव विभाग से नहीं करा कर सहकारी विभाग के माध्यम से ही कराये गये तो पहले जो हालत थी उससे बदतर हालत होने जा रही है और हो जायगी ।

इसके साथ ही दूसरी व्यवस्था ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सचिव रखने की है, व्यवस्थापक रखने की है । शुरू में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति थी, उनको पंचायत समिति स्टोर की समिति बनायी गयी है और एक ग्राम पंचायत में एक आदमी रहता है । सचिव उस काम से तनख्वाह बढ़ा कर दो सहकारी समिति व ग्राम पंचायत दो का काम दे दिया जाय । आप अच्छा आदमी नियुक्त कर दीजिये और काम उसके जिम्मे दे दीजिये तो हर्ज नहीं है लेकिन इसमें सामंजस्य बिठाने की बात है । वह उपयोगी हो । अगर सहयोग देने की बात नहीं आई तो ऐसे स्थिति और खराब हो जायगी । इसलिए ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जिससे इनका संचालन अच्छा हो सके ।

हम देखते हैं कि आज औद्योगिक सहकारी समितियां पनप रही हैं, वह जिस रूप से पनप रही हैं, उनके पीछे एक राज है । हर प्रकार का कर्ज मिलने की कानून के मुताबिक व्यवस्था है वह मिलती है, जबकि बाद में चाहे कुछ करें । वह केवल कर्जा देने व लेने का आधार हैं इस तरह ऐसी सहकारी समितियां कर्जा लेकर बढ़ती हैं । इस बारे में मैं निवेदन करूंगा, जहां तक हो सके जो सहकारी समितियां हैं, जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, ऐसी सहकारी समितियां जब रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग के पास जायं तो पहले उन्हें यह देखना पड़ेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए जिस सहकारी समिति का गठन हो रहा है, उस लक्ष्य को वह अपनी ओर से कब तक पूरा कर देंगी । कुछ समय तक ऐसी सहकारी समितियों की आप मदद करें, उसके बाद अच्छी तरह फंक्शन नहीं करे तो उस तरह की सोसाइटी को उसी समय समाप्त करना चाहिए अन्यथा बेकार में रजिस्ट्रेशन करके भार न बढ़ायें और यह आंकड़े प्रस्तुत न कर दें कि इतनी बढ़ गई । इससे हानि होगी ।

हाउसिंग सोसाइटी के अन्दर क्या है, यह भले आदमियों को सहकारिता से हटाने के लिए जाल बिछाया गया है । इसके द्वारा सहकारी समितियों से लोगों की आस्था हट चुकी है । हाउसिंग के लिए जो सहकारी समितियां शुरू की गई हैं, इन्होंने सहकारिता को मिट्टी में मिला दिया है । आज देखने में यह आता है, एक तरफ बिना ब्याज देने की बात कर रहे हैं, मकान बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर्जा भूमि विकास बैंक देती हैं । भूमि विकास बैंक जो कर्जा देता है उसमें लीगल एडवाइस के लिये कुछ रकम रखी है । पर इस समिति को लीगल एडवाइजर को पांच सौ और एक हजार यानि 20 सदस्यों पर 500 लीगल फीस और 40 पर

(श्री लूणाराम)

एक हजार, उसके ऊपर जो सदस्य हैं उनके लिये 1,500 रुपये हैं। मंत्री महोदय ने फरमाया था कि यह फीस सरकार से दिलाने की व्यवस्था करेंगे। कोई भी दे लेकिन यह फीस की बात नहीं है, शोषण की बात है। इस प्रकार भूमि विकास बैंकों में भी व्यवस्था नहीं होती, यह सोसाइटीज का शोषण है, यह गलत है।

दूसरी बात जो हरिजन लोग सहकारी समितियां बनाना चाहते हैं उनके साथ विभाग का सहयोग नहीं है, यहां तक कि उनको छोटे छोटे कामों के लिये जयपुर आना पड़ता है। यहां आकर कागज प्राप्त करते हैं, जैसे कि इस विभाग का कोई फंक्शन ही नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार सहकारी समितियों के प्रति क्यों है ? जो सहकारी समितियां बनें उनका सही समय पर रजिस्ट्रेशन हो और जिस उद्देश्य से समिति का गठन किया गया है उसकी पूर्ति के लिये लोन वगैरह दिलाने की व्यवस्था करना विभाग का काम है।

जो समितियां गांवों में बनती हैं उनके प्रति कोई आस्था या सहयोग नहीं है। गांव के लोगों की भी सहकारी समितियों के प्रति आस्था नहीं है क्योंकि जो साधन सम्पन्न लोग हैं वे नहीं चाहते हैं कि गांव में इस प्रकार का संगठन हो और वह फले फूले। बाकी एक बात है, जहां पदाधिकारी बनने का सवाल है वे आगे आयेंगे। लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी आस्था नहीं है, वास्ता नहीं है। अगर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन न हो तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गांव के हर परिवार के मुखिया को अनिवार्य रूप से सहकारी समिति का सदस्य बनाया जाए जिससे कि वह समझे कि यह मेरी सहकारी समिति है, उसकी आस्था बढ़े और वह सोचे कि मेरा भी इसमें हिस्सा पूंजी है।

दूसरी बात, जो सहकारी आंदोलन है उसको बदलने की जरूरत है और विभाग की तरफ से जो सुविधायें दे रखी हैं वे समय पर दी जाय। किसी समिति या उसके पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो उसके खिलाफ ए० आर० के नीचे के लेविल के अधिकारी द्वारा जांच कराकर पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिये। ए० आर० के द्वारा जांच होनी चाहिये, उसके नीचे के लेविल के अधिकारी द्वारा नहीं। और वह जांच भी करे, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाकर, या जनरल बोडी की मीटिंग बुलाकर, वहां सबके सामने साबित करके बाद में पुलिस को दिया जाए। आज कोई छोटा इन्सपेक्टर हो झूठे सच्चे कागज बनाकर पुलिस को भेज देता है और 5-5 साल से मुकदमा लड़ते रहते हैं। मेरे क्षेत्र में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है। उसको 1967 में चुनाव के समय राजनैतिक पोइंट को लेकर उस सोसाइटी पर 409 का मुकदमा दायर कराया गया । 7 साल में भी आज तक मुकदमे की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में देखा गया कि उन लोगों का कोई कुसूर नहीं। ऐसी बातें सहकारिता आंदोलन को कलंकित करती हैं।

खानों के बारे में निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में रियासत के समय से बीदासर में

(श्री लूणाराम)

एक खान से तांबा निकलता था उस खान के लिये सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, इस खान का अवश्य शोध होना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में एक पहाड़ी है वीरमसर की डूंगरी के नाम से। वहां तांबा मिलने का कयास है। उसका भी अवश्य शोध होना चाहिये। दूसरी बात गोपालपुरा पहाड़ी है बीकानेर डिवीजन में, वहां भी खनिज पदार्थ मिल सकता है जो अभी बीकानेर व जोधपुर साइड में सड़कों के काम में आता है। ऐसी पहाड़ी को देखकर खनिज विभाग द्वारा विकसित किया जाए जिससे बेकार मजदूर उसमें लग सकें।

गांवों में जो खानों का मामला है, घांघड़ा पत्थर की खानों का जिन किसानों के कब्जे के खेतों में है उनको पदार्थ निकालने नहीं देते हैं। उनका नाजायज फायदा जो निकालते हैं उनको मिलता है। कोई खान एक्वायर नहीं की जाती है न विभाग से जांच होती है। घांघड़ा उपयोगी चीज है, कम से कम जिला स्तर पर गांव गांव में किसी प्रकार की जो चीज मिल सके उसका सर्वे होना चाहिये और उसके बाद जो खान आवश्यक समझी जाए उसके लिये विभाग को एक्वायर करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

अब मैं विविध पर आता हूं। जो भी अकाल में काम करता है या किसी विभाग का काम हो, मजदूरी बंधी हुई नहीं है। लेकिन कई जगह मजदूर को दो पैसे, चार पैसे या 7 पैसे देकर मजाक का काम कर रखा है। मैं चाहूंगा कि कम से कम मिनीमम रेट तय हो। जो काम करने वालों को देखने की ड्यूटी पर है उसको देखना चाहिये, अगर समय पर काम नहीं किया है तो उनको नोटिस दें तो मेरी समझ में आ सकता है। यह कार्यवाही होने के बाद मजदूर काम नहीं करता है तो दूसरी बात है। पर ऐसा न होकर काम खतम होने के बाद मनमाने तरीके से हुक्म देते हैं कि इतना पैसा तुमको दिया जाएगा। इसलिये मिनीमम रेट तय की जाए।

जो अकाल कार्यों में महिलायें काम करती हैं उनको प्रसव के समय आप 4 सप्ताह की छुट्टी देते हैं, यह तो ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ उनके लिये पोषाहार भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से इस प्रकार प्रसव के समय मजदूर महिलाओं के लिये निश्चित रूप से व्यवस्था करनी चाहिये। इसके अलावा जो लंबी बीमारी या ऐसी भयंकर बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते हैं ऐसे लोगों के लिये भी समाज कल्याण विभाग या अन्य विभाग से सर्टीफिकेट के आधार पर पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे उसके परिवार वाले भी हों लेकिन इस महंगाई के अंदर पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, आज कई लोग खानों के अंदर काम करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर काम करते वक्त लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटनावश या वहां पर जो काम करने वाले हैं उनमें वहां पर कई लोग ऐसी दुर्घटनाओं से अपाहिज भी हो जाते हैं लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार की राहत देने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कि ऐसे लोगों के लिये तत्काल मुआवजा देने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये। साथ में मैं सरकार से यह भी निवेदन

(श्री लूणाराम)

करूंगा कि उन लोगों के परिवार वालों को, उनके बाल-बच्चों को उचित सहायता तुरन्त दी जानी चाहिये। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर): सभापति महोदय, मैंने आज की डिमान्ड्स पर जनसम्पर्क विभाग पर, सहकारिता विभाग पर और स्टेट लोटरीज के संबंध में अपने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं जनसम्पर्क विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा सुझाव है सभापति महोदय, कि इस पब्लिक रिलेशन के ऑफिस का नाम बदल दिया जाना चाहिये और उसका नाम अब पब्लिक रिलेशन के स्थान पर पब्लिक इनफोरमेशन ऑफिस रख दिया चाना चाहिये। क्योंकि आज जो हमारे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, आदि बड़े बड़े शहरों में, जहां भी इनके दफ्तर हैं यह वहां पर किसी भी प्रकार का पब्लिक रिलेशन का काम नहीं करते हैं। आज अगर आप महाराष्ट्र वाले जनसम्पर्क विभाग के लोगों के काम देखें तो आपको पता लगेगा कि उन लोगों ने वहां पर अकाल का इस प्रकार धुआंधार प्रचार किया कि जिसके लिये भारत सरकार को विवश होकर उन्हें मदद देनी पड़ी। लेकिन आज हमारे जो जनसम्पर्क अधिकारी दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई में, गुजरात में जहां कहीं भी हैं वे कुछ भी काम नहीं करते हैं और सिर्फ हमारे यहां का जो लिट्रेचर होता है उसको बांटते हैं। आज जबकि हमारे यहां पर इनके ऊपर लाखों रुपयों का खर्चा राज्य सरकार कर रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें हमारे जनसम्पर्क विभाग को इस बारे में सक्रिय बनाना चाहिये और जहां कहीं वे हैं वहां पर उन्हें अपने लोगों से खासतौर से दिल्ली में हमारे संसद सदस्यों को सभी स्थिति से अवगत कराते रहना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज जो हमारे यहां पब्लिक रिलेशन के ऑफिसेज हैं वे सिर्फ सजावट के तौर पर ही हैं। यह काम तो हमारा जो दिल्ली वगैरह में एम्पोरियम्स हैं वह भी कर सकते हैं। आज जो हमारी नीतियां हैं उसकी क्रियान्विति किस प्रकार से हो यह लिट्रेचर बांट देने से ही जनसम्पर्क कार्यालय का काम पूरा नहीं हो जाता। इसलिये मैं जनसम्पर्क विभाग के मन्त्रीजी का ध्यान, आकर्षित इस ओर कर निवेदन करना चाहूंगा और यह सुझाव दूंगा कि इस जनसम्पर्क विभाग में हमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज हमारे यहां पर जो जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी अपने लिये सिर्फ एक ही काम समझते हैं कि कोई मंत्रीजी ने भाषण दिया उसको छाप दिया या मंत्री महोदय, की दो चार जगह भाषण दिये वहां की फोटो को छाप दिया यही पब्लिक रिलेशन का काम नहीं है। इसलिये इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर सभापति महोदय, हमने जनसम्पर्क विभाग के अन्दर परिवर्तन नहीं किया तो मुझे भय है कि हम अपनी नीतियों की क्रियान्विति के बारे में अच्छी तरह से पब्लिसिटी नहीं कर सकेंगे। इसलिये मैं जनसम्पर्क विभाग के राज्य मंत्रीजी, जो यहां पर नहीं हैं अभी, लेकिन जो भी संबंधित हों उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अब मैं थोड़ा समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिये निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारे यहां विज्ञापन देने के लिये जो प्रथा अपनायी जाती थी उसमें काफी दोष है। यहां पर राज्य सरकार की इसके लिये एक सलाहकार समिति बनी हुई है। अभी पिछली सितम्बर में इसकी मीटिंग हुई थी उसमें कुछ फन्डामेंटल मुद्दों पर डिस्कशन हुआ और वहां जो कुछ डिस्कशन्स हुए उसमें कुछ डिसीजन्स लिये गये। जिसमें राजस्थान के अन्दर के पत्रों के बारे में और राजस्थान के बाहर के समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के लिये नीति तय की गयी। लेकिन अब ऐसी कार्यवाही की जा रहीहै कि सारा मामला गोलमटौल होगया है। मनमाने ढंग से लोगों को विज्ञापन दिये जा रहे हैं। और इस तरह लाखों रुपये का सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सितम्बर में जो कमेटी ने फैसले किये थे उन फैसलों को क्रियान्वित किये जांय। उसके अनुसार मासिक समाचार पत्रों को भी विज्ञापन मिलने चाहियें। उसके अनुसार दैनिक पत्रों के लिये 60 पर्सेन्ट राजस्थान के पत्रों को विज्ञापन दिया जाय। वैसे तो साप्ताहिक पत्रों और दैनिक पत्रों को भी विज्ञापन दिया जाय। इसमें राजस्थान के बाहर के पत्रों को भी विज्ञापन दिया जाता है। सभापति महोदय, मैं कुछ मिनरल डेवलपमेंट के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज अगर प्रोपरली हमारे राजस्थान के मिनरल्स को डेवलप करने की बात करें तो करीब 8 हजार करोड़ रुपये के मिनरल हमारी राजस्थान की धरती के नीचे छुपे हुए हैं। आज अगर हम इनकी पब्लिसिटी प्रोपरली करें तो हमारे राजस्थान के अन्दर काफी इन्डस्ट्रीज इसके लिये लग सकती है। आज हमारे राजस्थान के बाहर जितने भी दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई वगैरह में हमारे जनसम्पर्क विभाग के कार्यालय हैं उन्हें इस ओर कदम उठाने चाहिये और उसकी पब्लिसिटी अच्छी तरह की जानी चाहिये। तथा सही चित्र हमारी नीतियों का, हमारे जो संसद सदस्य हैं या जो बड़े उद्योगपति हैं उन्हें हमारे राज्य सरकार की पब्लिसिटी से अवगत कराया जाये। यों तो यह छोटी बातें हैं लेकिन इसका असर बहुत अधिक पड़ सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ सहकारिता विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमने समाजवाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिये सहकारिता का सहारा लिया है। और समाजवाद सहकारिता से ज्यादा जल्दी आ सकता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि इसमें बहुत ही भयंकर घोटाले हैं, लाखों रुपयों का नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की गोलमाल है इसमें। इसके लिये मैंने प्रश्न भी प्रश्नोत्तर काल में किया था। उसमें मैंने निवेदन किया था आज राजस्थान के अन्दर सहकारी समितियों के अन्दर जितना गोलमाल है उतना शायद किसी में भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको जयपुर के अन्दर सुपर मार्केट है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इस संबंध में मैंने सहकारिता विभाग के मंत्रीजी से एक मीटिंग में निवेदन किया था और कहा था यह सुपर मार्केट जयपुर में निम्न वर्ग के और नौकरी पेशा व्यक्ति के लोगों को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके इसके लिये खोला गया था लेकिन आज पिछले दस वर्ष से इसमें आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं और उसमें लाखों रुपये का घाटा है। आज जनता के पैसों का इस ढंग से खिलवाड़ किया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जा रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने बार बार मंत्रीजी का सदन में और बाहर ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसका कारण क्या है मैं पूछना चाहता हूं? क्या कारण है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। आज विभाग उन लोगों को क्यों बचाना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूं कौन बचा रहा है उन्हें? सभापति महोदय, जयपुर की जनता ने अपने पैसे लगाकर शेयर लिये लेकिन यहां पर इतनी सारी गोल-मटोल होगयी पर कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके माध्यम से हम समाजवाद लाना चाहते हैं क्या इस तरह से हम समाजवाद ला सकेंगे? सभापति महोदय, आज कोटा महाराव ने अपनी जमीन सहकारी समिति को बेच दी उसके लिये हमने यहां पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा था। यह जो कोआॅपरेटिव सोसाईटी है, गृह निर्माण के लिये इसको जो जमीन बेची गयी है वह नियमों के विरुद्ध है और राज्य सरकार की यह ड्यूटी है कि इसके लिये एक्शन लिया जाना चाहिये। आज राज्य सरकार देखती रही और जो जमीन सीलिंग में आने वाली थी वह सारी की सारी जमीन गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दी गयी। आज सहकारी समिति के लिये मैं भी कह सकता हूं ताल कटौरे की जमीन है उसमें भी लोगों ने जमीन खरीदी है और आपने यह घोषणा भी करदी थी कि जो जमीन 26-9-70 के पहले बेची गयी है उन सभी बेचानों को वैध माना जायेगा। अब अगर राज्य सरकार उन्हें एक्वायर करने की कोशिश करती है तो लोग कानून के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं क्योंकि हमारी नीति है जो पैसे वाले हैं उन्होंने वहां पर अगर जमीन ली है तो वे इसके लिये सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज सहकारिता के नाम पर निहित स्वार्थ वाले लोग काफी गबन कर चुके हैं। आज जयपुर के क्रय विक्रय संघ जिसमें कि लाखों रुपयों का ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का घोटाला है और उसको ही हम और दूसरा काम देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम देने जा रहे हैं तो इस प्रकार कैसे काम चलेगा? आज जो जयपुर के सुपर मार्केट, जयपुर में जो क्रय-विक्रय संघ है उसमें और जोधपुर के सैन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि चन्द लोगों ने इसमें काफी गोल-माल कर लिया है। लेकिन इन सारे धन्धों का ज्ञान कुछ ही लोगों को है। उनको उस बात की जानकारी नहीं। कभी किसी की गारन्टी दे दी। लाख लाख रुपया एडवान्स ऐसे लोगों को कर दिया जिनके पास कुछ नहीं और जो वापिस आना नहीं। सहकारिता के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं उनको मेहरबानी करके रोकिये वरना लोगों की सहकारिता से आस्था हमेशा के लिये हट जावेगी और योजनाओं से भी हट जावेगी। माननीय मंत्रीजी आप व्यक्तिशः बहुत ईमानदार हैं। आप इन समस्याओं से उलझना भी चाहते हैं। शंकरन और राजगोपालन साहब भी चाहते हैं। ये दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन नीचे का सारा का सारा जो ढांचा है, इसमें धनी किसान हैं, सेठ लोग भी हैं और ऐसे लोग हैं जो हर जगह हमारी सहकारिता की नीति को फेल करना चाहते हैं। सहकारी आन्दोलन में वे ऐसे आ गये कि इसको खोखला करने में लगे हुए हैं। करोड़ों रुपया लगा है, इस रुपये से हम सहकारिता के माध्यम से आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहते थे, आवास समस्या हल करना

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
चाहते थे और जिन्होंने धन्धों पर कब्जा कर रखा था। भ्रष्टाचार के जरिये लोगों का शोषण करना चाहते थे उनसे छीन कर लोगों को देना चाहते थे जिससे उनको रोजगार मिले, उनमें हम विफल हो गये।

क्रय विक्रय संघ ने हल्दी की खरीद की। उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। उस हल्दी के बारे में जांच भी चल रही है। उसके बारे में देखें कि कौन दोषी है। किसकी वजह से लाखों रुपया, जो कि पब्लिक मनी है, जनता का रुपया है, न आपका और मेरा है, उसका दुरुपयोग होता है। ऐसे चन्द लोग गिरोह बना कर सारा काम करते हैं उनके खिलाफ आप सख्त कदम नहीं उठायेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आधार है वह ही समाप्त होने जा रहा है। 20 लाख रुपये की गवार खरीदी उसकी जांच करवाइये कि कितना घाटा है। एक नहीं बीसों प्रमाण यहां पर हैं आपने पचासों प्रश्नों के उत्तर में हाउस में उन सहकारी संस्थाओं के बारे में कहा है।

श्रमिक सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनके नियमित चुनाव होने चाहियें, वे नहीं होते हैं। उनमें बहुत गड़बड़ी है। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये था। उन श्रमिक सहकारी समितियों के मातहत हुआ यह है कि ठेकेदारों ने श्रमिक सहकारी समितियां बना ली और तरह तरह के ऐसे आचरण करते हैं कि जिससे बुरी तरह से यह आन्दोलन फेल होता जा रहा है। एक सौ पैंतीस गृह निर्माण समितियां हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में समाप्त करूंगा।

सहकारी विभाग सक्रिय समितियां बनाने की कोशिश करता है। समितियां बना लेते हैं। जीरो आवर में भी इस बारे में सवाल उठा था। करोड़ों रुपया जयपुर के मध्यम वर्ग का उसमें फंसा हुआ है। सहकारी विभाग इस संबंध में राज्य सरकार पर क्या दवाव डाल रहा है। सहकारिता में लोगों की आस्था थी और इससे प्रभावित होकर लोग इसके सदस्य बने। एक तरफ एक विभाग से उनको नोटिस जाते हैं मकान तुड़वाने के। उन लोगों ने बड़े बड़े लोगों को ध्यान में रख कर सोसाइटियों के शेयर होल्डर्स बने। सहकारी समितियां बना कर प्लाट्स लिये और मकान बनाये, उन बड़े लोगों से जमीनें लेकर मकान बना लिये और आप उनको उससे महरूम करना चाहते हैं। है तो आप एक ही केबिनेट के सदस्य। सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। अगर इन समस्याओं को आप दो दो साल तक लटकाये रखते हैं, तो आपने लक्ष्य रखा है और कहा है कि सन् 1975 तक हम उन लोगों को, जिनके पास मकान नहीं है, उनको जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। शहरों के लिये यह लक्ष्य तय किया था कि हर परिवार के रहने के लिये व्यवस्था करेंगे। कौनसे माध्यम से आप व्यवस्था करने जा रहे हैं? और विभाग हैं उनके लिये निवेदन नहीं करना चाहता हूं। सहकारी विभाग है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है और उसने अपनी जिम्मेदारी को कहां तक पूरा किया है? माननीय मंत्रीजी इस बारे में कम से कम रुचि लें और सख्ती रखें। चन्द लोग आते हैं, जिनके पास खुद के बड़े बड़े मकान हैं, भवन हैं, सरकार को चकमा देने के लिये, आपकी स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिये सहकारी संस्थाओं के माध्यम से

(2.45 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति, पदासीन

संस्थाओं के माध्यम से जमीनें ट्रांसफर कर जाते

(श्री श्रीरामगोटे़ वाला)

हैं, तो यह शीघ्र रुकना चाहिये। कौनसा प्रोसिजर आप इसके लिये एडोप्ट करेंगे यह आप देखें। रामबाग पैलेस की जमीन के संबंध में मैंने काल अटेन्शन मोशन के जरिये जिक्र किया कि गांधी सहकारी समिति के नाम वह भी ट्रांसफर हो गयी। करोड़ों रुपये का सौदा था। 1 करोड़ 73 लाख का सौदा। और तो हुआ सो हुआ आप स्टाम्प ड्यूटी से भी वंचित रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महरबानी करके सारी चीजों को देखें। सुपर मार्केट के बारे में मैंने निवेदन किया, सहकारी समितियों के बारे में निवेदन किया। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मेरी मान्यता यह है कि यह जो सहकारी आन्दोलन है, यह आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हो सकता है और समाजवाद की ओर कदम उठाना चाहते हैं उसके लिये यह बहुत मजबूत आधार बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से राजस्थान में सहकारी आन्दोलन की प्रगति हुई, जिस तरह का विकास उभर कर आया, उस से जो आशायें बंधी हुई थी वे सब समाप्त हो गयी और अब नौबत यह है कि आज उन सहकारी समितियों के जो एम्बेजलमेन्ट के केसेज, खयानात के मुकदमात हैं, वह 37 हजार के लगभग हैं जो मुख्तलिफ राजस्थान के हिस्सों में चल रहे हैं। पुलिस में जिनकी तफतीश जारी है। इतनी बड़ी रकम, जो रकम गबन की गयी है उसका आधार क्या था? किस बिना पर वह रकम गायब हुई और कौन कौन गुनाहगार हैं। यह चीज बहुत महत्व की है। हमारा ऊपर का जो ढांचा है, मंत्रिमंडल के लोग या मन्त्री महोदय उनकी दयानत दारी मुसल्लमा चीज है, कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी दयानतदारी में किसी को शुबा होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी मान्यता यह है कि नीचे का जो ढांचा है वह भ्रष्टाचार से भरा हुआ है और इतनी बड़ी रकम गबन हुई। मेरी मान्यता यह है कि उसमें उन अधिकारियों की साझेबाजी है जो जिम्मेदारी रखते हैं उनको सुपरवाइज करने की। सबसे पहला प्रिन्सिपल यह है कि जो रकम गायब हो गयी है कोआपरेटिव सोसाइटीज की और गबन के इतने मुकदमात चलते हैं कि उनको किस तरह से खत्म किया जाय यह जो प्रथा चली आ रही है इस मसले को कैसे हल किया जाय यह देखने का सवाल है। मंत्री महोदय को गुजारिश करूंगा कि आप इस मसले पर बहुत संजीदगी से गौर कीजिये और यह जो रकम गबन की गयी है उसको वापिस प्राप्त करने की कोई ऐसी मशीनरी कायम कीजिये जिसके द्वारा आप यह रकम हासिल कर सकें क्योंकि अदालत में तो पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। शुबहात का हमें पता नहीं। बहुत से गवाह टूट फूट जाते हैं तो वह रकम हमारी उन पर आधारित न हो। बल्कि जितनी रकम हम वसूल कर सकें कर लेना चाहिये क्योंकि यह रिजर्व बैंक की रकम है और उसके लिये राजस्थान सरकार ने जमानत दे रखी है। वह रकम अगर उनको नहीं मिलेगी तो हमें अपने खजाने से चुकानी होगी।

इसके अलावा दूसरी चीज, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि मेरी जानकारी में बहुत सी कोआपरेटिव सोसायटियां ऐसी हैं जिनके

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

चुनाव बरसों से नहीं हो रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह हो रहा है कि इसमें एक किस्म के वेस्टेड इन्टरेस्ट पैदा हो जाते हैं और फिर वे हर प्रकार की बेईमानी और बदयान्ती करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस सहकारी विभाग की यह जिम्मेदारी हो कि जो इसके चुनाव हों वे समय पर हों और इसमें किसी भी कारण से कभी कोई ढील न की जावे।

मेरी मान्यता है कि किसी सीमा तक इसमें राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वालों का भी उत्तरदायित्व है और उनको भी सोचना चाहिये कि यह चीज हमें कहां ले जावेगी। एक गांव में उदयपुर वाटी में मुझे मालूम हुआ कि वहां दस सहकारी समितियों का निर्माण हुआ और उस इलाके में इनमें 3॥ लाख रुपया सरकार का और बैंकों का बकाया है और मेरी जानकारी यह भी है कि पोलिटिकल प्रैशर के कारण यह रुपया वसूल नहीं हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सहकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वास्तव में इसका भला चाहते हैं तो इसे राजनीति से एकदम दूर रखना होगा। उनको नियमानुसार सुचारू रूप से और ईमानदारी से चलने देना चाहिये। यह हमारी प्रगति का आधार है। इसे हमें तोड़ना नहीं चाहिये। क्योंकि जब समाजवाद में और कोई लम्बा चौड़ा कदम तो हम उठाने की हिम्मत कर नहीं रहे हैं। कलेक्टिवाइजेशन का नारा हमने दिया नहीं है। तो जो छोटे मोटे कदम इस दिशा में उठाये हैं तो कम से कम कोऑपरेटिव के मार्फत तो कुछ ठीक से काम करने दें। ये कदम भी अगर हमारे धीमे पड़ जाते हैं तो जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं नहीं जा सकेंगे। पिछड़ जावेंगे।

इसके अलावा एक अर्ज यह करूं कि बहुत सी सोसायटियां ऐसी भी हैं कि जो फिक्टिशियस हैं, बोगस हैं। बहुत से ऐसे मामले मेरी जानकारी में आये हैं। आदमी हैं ही नहीं पर उनका नाम चल रहा है। काम किया ही नहीं और पैसा मिल गया। तो ऐसी फिक्टिशस सोसायटियों को वाइप आउट करने के लिये अपनी मशीनरी को टाइट अप करिये।

एक बात और अर्ज करूं। हमारे यहां पर हाउसिंग सोसायटियां बनी हुई हैं। सरकार का भी हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है। बड़ी अच्छी चीजें हैं ये। पर मैं अर्ज करूं कि इतना होने पर भी इतने अरसे में हमने जो काम किया है वह बहुत थोड़ा है। हम अभी केरल गये थे। वहां मिली जुली सरकार बनी हुई है। हमने वहां के चीफ मिनिस्टर से पूछा कि आप अपने यहां हाउसिंग प्रोब्लम का निराकरण कैसे कर पाये हैं तो मालूम हुआ कि जहां हमने दो तीन चार साल में कुल मिला कर 1800 मकान बनाये। वहां केरल की सरकार ने केवल एक साल में एक लाख मकान बनाकर खड़े कर दिये और वे भी इतनी कम लागत पर कि इतिहास में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। दो हजार और तीन हजार में ऐसे मकान कि जिनमें मैं भी सहूलियत से रह सकता हूं। दो हजार का एक फ्लेट जिसमें दो कमरे, रसोई, बाथरूम, टट्टीघर सभी मुहइया किया गया है। तीन हजार में तीन कमरे का फ्लेट रसोईघर, गुसलखाना स्टोर अलग से। तो मेरा कहना यह है कि इन पर आप थोड़ा कन्ट्रोल करिये। मेरा कहना यह नहीं है कि इन पर आप किसी किस्म की पाबन्दी लगायें। जो सही हैं उनको प्रोत्साहन दीजिये। पर जो महज अपनी प्रोपर्टी को सीलिंग से बचाने के

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)

लिये सोसायटियों के जरिये खुर्द बुर्द कर रहे हैं उनको रोकिये। स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस से बचने का भी यह जरिया जिन्होंने बना लिया उनको आप प्रोत्साहन न दें। करोड़ों रुपयों की सम्पति जोधपुर के महाराजा ने एक करोड़ पचास लाख की सम्पति कोऑपरेटिव की आड़ में वितरित कर दी और इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस की चोरी की। क्योंकि सोसायटियों पर यह कर नहीं लगते। पर यह किसी ने नहीं देखा कि यह सोसायटी की आड़ में धोखाधड़ी है। इस पर किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने इस पर सवाल भी रखा था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखा। मेरी मान्यता है कि इस तरह की सोसायटियां जो ये रूल्स अपने इशारे से बना लेते हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। तो मेरा कहना यह है कि हाउसिंग सोसायटियों के काम को आप सुचारू रूप से चलावें। वरना तो यह काम बड़ा नुकसानदेह हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपये की हमारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है।

एक गुजारिश यह भी है कि हमारे यहां इस तरह के नियम होना चाहिये जिनके आधार पर हम अपने कर्मचारियों के तबादले करें प्रोमोशन करें और उनको यह मौका न दें, कि वे यह कह सकें कि अमुक के साथ पक्षपात किया गया। मेरी जानकारी में यह बात है कि हाई कोर्ट ने ऐसा भी फैसला दिया है कि जिसमें सजेस्ट किया गया है कि आपके यहां अच्छे ढंग पर अपोइन्टमेन्ट्स, ट्रॉन्सफर्स और प्रोमोशन्स नहीं होते इसलिये इन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इस तरह की जो भी गड़बड़ियां आप करते हैं उनसे असन्तोष पैदा होता है जो आगे जाकर बहुत दिक्कतें पैदा कर देती हैं। इसलिये पक्षपात आप किसी के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिये। सब के साथ नियम से आप बरताव करें। ऐसा न हो कि एक आदमी एक जगह बीस साल से बैठा रहे और दूसरे का एक साल में बीस मरतबा आप तबादला करते रहें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट में समाप्त कर दूंगा। तो मेरा अर्ज करना, सभापति महोदय, यह है कि जो कोऑपरेटिव में कर्जा देने का तरीका आपने रखा है, चाहे गांव हो या शहर हो, इसके अंदर कुछ सहूलियतें सबको होनी चाहिये और इसके अंदर यह होना चाहिये कि इसका लाभ आम जनता को भी मिले। इसमें जनता को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिये। आज तो जो कर्जा दिया जाता है कोऑपरेटिव में वह पोलिटिकल प्रेशर से ऐसे आदमियों को दे दिया जाता है, जहां से बाद में वसूल होना भी कठिन हो जाता है और मकसद भी हल नहीं होता। यह रुपया पोलिटिकल प्रेशर के कारण आज सही हाथों में नहीं जाता और उसका सही वितरण और सही उपयोग भी नहीं होता। इसलिये आप इस रुपये का लेन-देन में कोऑपरेटिव सोसायटियों के काम को सुधारें।

इसके अलावा कुछ हमारे इस सिलसिले में अर्ज करूं कि यहां सीमित प्राइमरी डवलपमेंट एजेन्सीज के सिलसिले में रुपया दिया गया। ऐसा था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसके अन्तर्गत कुछ अमाउण्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिये एक-एक करोड़ और पचास पचास लाख तय किया था। पर इसका उपयोग किस तरह से हुआ अथवा ये जिले किस आधार पर चुने गये इसका पता नहीं चला। यह राज्य सरकार

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
के सोचने की बात है। जो बाअसर मिनिस्टर थे उन्होंने अपने अपने इलाकों को, डिस्ट्रिक्ट को इसमें ले लिया। जो वास्तव में इसके लिये लिये जाने थे उनको नहीं लिया गया। अगर ऐसा हुआ है तो वापिस अब इसको रिवीजन आप करिये और अगर इसको आप अब भी सही कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी।

अन्त में अपने सुझाव संक्षेप में देकर यही निवेदन करूंगा कि जो बोगस सोसायटियां हैं उनको आप जल्दी से जल्दी समाप्त करें। जो कर्जा बाकी है और जो खयानत की गई है जो रकम है, उसको वापिस हासिल करने के लिये कोई मशीनरी सेट करें, कोई निर्माण करें, ऐसी मशीनरी जिससे पैसा मिल सके और इन हाउसिंग सोसाइटीज पर थोड़ा अंकुश लगाये। अब जो काम आगे आने वाला है उसमें अच्छे लोगों के मार्फत, अच्छी कोआॅपरेटिव्ज के मार्फत वितरण हो। हमने जो गल्ले का काम हाथ में लिया है यह बहुत बड़ी अहमियत का प्रश्न है। आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम उठाया है। इसमें मैं यह चाहूंगा को-आॅपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जाय जो बहुत ध्यान से वितरण करें और जनता को ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्व किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी): सभापति महोदय, मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। सहकारी विभाग के बारे में तो मेरे मित्र काफी बोल चुके हैं पर खास तौर से मैं इतना ही कहूंगा इस सहकारी विभाग के बारे में अगर हम नई दिशा नहीं बना पाये तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। आज एक वर्ग विशेष मैं समझता हूं धनी लोगों का है, जिससे सरकारी तन्त्र सारा सड़ा हुआ है। यह कि यह दशा महाराष्ट्र में थी और वहां पर यह निर्णय लिया गया। जो तबका इस सहकारी विभाग को छूता तक नहीं है उसके बारे में प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ा इधर-उधर रद्दोबदल कर दिया तो सहकारी समितियों के लिये वह बात सत्य हो गई तो सभापति महोदय, इस तरह का निर्माण नहीं करेंगे कि उनका डोमीनेशन टूटे और आमूलचूल परिवर्तन करें तब जाकर यह सफल हो सकती हैं।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र का नाम मैं इसलिये ले रहा हूं कि वहां पर शुगर के मामले में इसलिये सफल हुये क्योंकि शुगर के भाव बराबर बढ़ते रहे। जिन समितियों के द्वारा यह धन्धा स्थापित किया गया उनको प्राइस मिलती रही और उससे उन सहकारी समितियों को अच्छा मुनाफा मिलता रहा, उनका धन्धा बढ़ता रहा। तो इस तरह का कोई न कोई नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सहकारिता मंत्री और खनिज मंत्री दोनों एक ही होते हैं। इस बारे में कोई न कोई पहल करें। हमारी खनिज सम्पदा सहकारी विभाग ले जाय, नमक उद्योग सहकारी विभाग, ले जाये। मैं समझता हूं सहकारी विभाग को तभी सफल इन्स्ट्रूमेंट बना पायेंगे। इसमें मुझे शक है। वैसे काफी माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं।

सभापति महोदय, मुझे खास तौर से माइन्स के बारे में कहना है। आज जो खनिज सम्पदा आंकी गई है वह 8 हजार 31 करोड़ की है जिसमें मेजर और माइनर दोनों आ जाती हैं। हमारे जियोलॉजिकल विभाग

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

की रिपोर्ट है। आज जब मैं लेखा जोखा पढ़ रहा था तो मुझे दुःख हुआ इतनी बड़ी खनिज सम्पदा भू-गर्भ में छिपे रहते हुये भी हम बाहर लाकर उपयोग करने में सफल नहीं हो पाये। यह बड़े शर्म की बात है।

सभापति महोदय, मैं पहले पहल कहूंगा रॉक फॉस्फेट के बारे में। रॉक फॉस्फेट ऐसा मसला है। आज राजस्थान में इस खनिज का सबसे अधिक भण्डार है। मैं कहूंगा हम इसमें मोनोपॉली की तरह हैं। और आज हमें यह खनिज बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। रॉक फॉस्फेट के लिये माइनिंग रूल्स हैं, 700 टन करीब प्रोडक्शन है, जो कल्पना करते थे, यहां के वकील डाइरेक्टर साहब के कि हम 73–74 तक 10 हजार टन प्रोडक्शन पर पहुंच जायेंगे। उनका आधार क्या है? आज रॉक फॉस्फेट का कहीं खनन करते हैं या डिपार्टमेंट से शुरू कराया है। पर यह जो बी० जी० एल० है इसको 7 लाख रुपये सांठ-गांठ के कारण पेमेन्ट कर दिया। उनके कॉन्ट्रेक्ट की यह शर्त थी जो ओवर बर्डन है वह उठायेंगे। इसके बारे में सभापति महोदय, एन्क्वायरी हुई लेकिन वह दबा दी गई। रॉक फॉस्फेट पूरा का पूरा आज उन पर पड़ा हुआ है। उसमें 70 लाख का प्रावधान था बहुत कम खर्च हो पाया है और उसमें से 56 लाख रुपये सरेन्डर करने पड़े इस लिये कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने वाली थी। वह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बेनिफिसियल प्लान्ट के बारे में थी। माइन्स को वर्क आउट करने की जो मशीनरी चाहिये थी, वह इन-डिजिनस – अवेलेबिल थी। उससे रॉक फॉस्फेट का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, एक्सकेवेशन कर सकते हैं लेकिन मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें यह सरेन्डर क्यों किया गया। मैं बार बार सदन में बी० जी० एल० के बारे में, बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के बारे में, यह कैसे उपजी, क्यों उपजी यह इतिहास तो मंत्री महोदय बतायेंगे। पर इस संस्था को हमने 60 लाख रुपया गारन्टी राजस्थान फाइनेन्स के रूप में दे दी। हमारी शेयर मनी के रूप में दो लाख रुपया ससपेन्स अकाउन्ट में पड़ा रहा। शेयर के लिये और उस बी० जी० एल० को कायम रखने के लिये या कोई लेखा जोखा नहीं कर पाये, इसलिये 51 परसेन्ट के ऊपर राज्य सरकार के शेयर न हो, इसका प्रावधान रखा गया। इसके कारण क्या है? हमारा रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और आज सभापति महोदय, जिप्सम के बारे में 1,192 करोड़ की डिपॉजिट्स हैं। लाइम स्टोन के बारे में तीन करोड़ के डिपाजिट्स है। पांच सीमेन्ट फैक्टरी लगवानी है। कहां कहां लगवानी है इसके बारे में राजस्थान सरकार चुप है। लाईसेन्स की नीति आपकी ठीक नहीं है। छोटी छोटी खनिज सम्पदा उसके लिये इनफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिये जो कहा है, हम सेन्टर से पैसा ले लेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं पॉवर, रोड, ड्रिंकिंग वाटर इसके लिये क्या किया गया? सभापति महोदय, मेरा ख्याल है खनिज सम्पदा को एक्सप्लॉइट करने के लिये हम कोई दृष्टिकोण नहीं बना पाये है। सिर्फ लेखा-जोखा करने से काम निकलने वाला नहीं है। कभी आमदनी बढ़ जाती है तो कभी आमदनी कम हो जाती है। इस यथा स्थिति की दृष्टि से आपका खनिज महकमा चल रहा है। मैं चाहूंगा अब जो मंत्री महोदय है, इसको नई दिशा देंगे और नई दिशा देकर हमारी जो खनिज सम्पदा है, उसको

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करेंगे ।

सभापति महोदय, हमने यहां फर्टीलाइजर के लिये लड़ाई लड़ी। मैं सलादीपुरा भी गया था। बाई-प्रोडक्ट का वहां अनाप शनाप धन्धा चल रहा है और उससे लगता है यह प्रोजेक्ट नहीं आयेगा । अब स्थिति पाइराइट फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट की है जो पाइराइट सल्फिरिक ऐसिड से बनाया जाता है वह भी नहीं बनने वाला है । सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक ने खास तौर से इस प्रोजेक्ट को टारपीडो करने की कोशिश की है । अभी जो पांच कारखाने, जिनका जापान की फर्म से समझौता हुआ है, वह पाइराइट ऐसिड पर बेस नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं मंत्री महोदय पहल करें । आज इस प्रोजेक्ट को सब्स्टीट्यूट के रूप में लिया जाय । पाइराइट सबसे महत्वपूर्ण खनिज है और उस खनिज सम्पदा के लिये हम लड़ाई नहीं लड़ते तो नहीं होता। रॉक फॉस्फेट का जो हमारा स्वप्न था, वह नहीं आयेगा । अभी किसी फर्म से समझौता किया है पर रॉक फॉस्फेट के लिये नहीं है। सलादीपुरा में मैं गया और वहां की रिपोर्ट्स देखी तो पहला जो सवाल उठाया था वह पानी का था और उसके बारे में ज्योलॉजिकल सर्वे का सर्वे भी हो चुका । यहां तक उन्होंने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट में जितने पानी की जरूरत होगी उससे दुगुना या तिगुना पानी अण्डरग्राउण्ड में अवेलेबल है। यह तो लाइम स्टोन की बात हुई। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि सेन्टर स्पोन्सर्ड स्कीम चाहे वह कॉपर की हो, चाहे वह जिंक की हो और चाहे लेड की हो उसके बारे में जो कमियां हैं उनका फंक्शन प्रोपर नहीं हो रहा है। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि उन्होंने इस बारे में क्या पहल की ? आज माइन्स में एम्पलॉयमेंट पोटेंशियल सबसे लो है। यहां तक कि माइन्स में मजदूर घटते जा रहे हैं। प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेन्स देते हैं वह वर्क आउट नहीं होते । इस दिशा में माननीय मंत्री महोदय ने पहल की हो तो वह बताने का कष्ट करें ।

सभापति महोदय, एक और जो किस्सा हुआ वह मंडों की पाल का था । उसमें पता लगा कि फ्लोराइट के बहुत बड़े डिपोजिट्स हैं और उसको लेकर हमने कैनेडियन फर्म को कन्सल्टेन्ट रखा। उसके बारे में दो तीन करोड़ की मशीनों के ऑर्डर भी दिये और कहा कि विशाल भण्डार है । उसका क्या आधार था यह भी हमको पता नहीं । जब कुछ टांय टांय फिस मामला हुआ तो सारा का सारा प्रोजेक्ट आर० एम० डी० सी० को ट्रान्सफर कर दिया और जब वहां जाकर उसने प्रास्पेक्टिंग किया तो आपको आश्चर्य होगा कि जरा सी भी और नहीं निकली और 60 लाख रुपया हमने वेस्ट कर दिया । यह मंडों की पाल का किस्सा है । उसके बारे में इन्क्वायरी बैठी और एक मिस्टर चारी, जो कि टेक्निकल एडवाइजर थे, उन्होंने इन्क्वायरी की । उसके बारे में बताने का कष्ट करें कि उस इन्क्वायरी के क्या कारण थे ? कहां से फ्लोराइट डिपोजिट्स आये, क्यों हमारा 60 लाख रुपया जनता का इतना मंहगा पैसा पानी में बहा दिया ? इसका क्या आधार था ?

सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि अभी जो हमारा सर्वे हुआ फ्लोराइट और ग्लास सेण्ड का मैं चाहूंगा कि माननीय

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मंत्री महोदय नोट करें कि क्या क्या उन्होंने कार्यवाही की ? बैराइट्स के बारे में, ग्रेनाइट के बारे में क्या कार्यवाही की ? सभापति महोदय, ग्रेनाइट का जालोर और सिवाना में अपार भण्डार है, उसके बारे में मैं लिख भी चुका हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि ग्रेनाइट के बारे में क्या कार्यवाही हो रही है, वहां कुछ एम्पलॉयमेंट पोटेन्शिल हो सकता है या नहीं ? लाइम स्टोन के डिपोजिट्स हमारे बिलाड़ा में प्रचूर मात्रा में हैं। वहां भी सीमेंट फैक्टरी बैस हो सकती है, उसके बारे में आप कोई परफॉर्मेंस करके, कोई एक्टीविटी करके यदि आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं करेंगे तो सारी की सारी, जो भू-गर्भ सम्पदा है वह यों की यों पड़ी रहेगी और राजस्थान की जैसी वित्तीय स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हो पायेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट ।

सभापति महोदय, मार्बल के बारे में थोड़ा कहूंगा । मेरा ख्याल है कि मार्बल का उद्योग हमारा बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है । इसकी बहुत बड़ी इमारत हम खड़ी कर सकते हैं । आज सिर्फ मकराना को छोड़ कर जिन पार्टियों को प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेन्स दिये उनका न तो प्राडक्शन बढ़ रहा है और न वेजेज का पेमेंट हो रहा है । मार्बल का धंधा यों का यों बड़े बड़े पूंजीपतियों की गिरफ्त में आ कर सड़ रहा है । इस ढंग की मार्बल की स्थिति है । बैराइट्स के बारे में हम सिर्फ यही करते हैं कि हम खनन् पट्टे दे देते हैं और ग्राइन्डिग करके बाहर भेजने की कोशिश करते हैं । बैराइट्स का पेन्ट इन्डस्ट्री में जो उपयोग होना चाहिये उसके बारे में कोई कदम नहीं उठा पाये हैं । इस विशाल सम्पदा, नहरी योजनायें, यही तो बातें हैं जो कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधार सकती हैं । इस बारे में मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे इन्जीनियर्स हों सरकार उनको पैसा दे । माइनिंग इन्जीनियर्स निकलते हैं वह बेकार पड़े रहते हैं । ऐसे डिपोजिट्स हम उनको दें, टेक्निकल नो हाउ उनको दें और उनकी हम कोआॅपरेटिव बनायें । आज हम पूरे के पूरे अन्धकार में हैं । सभापति महोदय, अगर इस बारे में कोई कदम नहीं उठाये गये तो रॉक फॉस्फेट, जो कि इतना बड़ा भण्डार है, उसका न तो उपयोग हो पायेगा, न फर्टीलाइ-जर फैक्टरी हो पायेगी और न उसका उपयोग हो पायेगा । सभापति महोदय, मैं दिल्ली गया तो मुझे पता चला कि वहां की ओपीनियन है कि दस-पन्द्रह साल में जिस तरह से रॉक फॉस्फेट का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, अगर लगातार करते रहे तो अच्छे पर्सेन्टेज का रॉक फॉस्फेट कुछ नहीं रहेगा और माइन्स सारी की सारी बेकार हो जायेंगीं । वर्ल्ड बैंक की ओपीनियन लेने की कोशिश की, लेकिन ज़ो दिल्ली की ओपीनियन है, वह सोलह आना सच है और इस बारे में मंत्री महोदय जो काफी ईमानदार आदमी हैं उनको कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा सवाल है वह मैंने डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के बारे में दिया है । मेरा एक प्रश्न भी था और उनके अभी जो भी चार्जेज हैं चाहे बी० जी० एल० की सांठगांठ के बारे में हों या किसी भी बारे में हों और जो चार्जशीट की सूची दी है मंत्री महोदय बतायें कि उसके बारे में क्या कार्यवाही क़र रहे हैं ।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : माननीय सभापतिजी, मैंने सहकारिता, खनिज विभाग और विविध के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। जहां तक सहकारी विभाग का प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है कि हम अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो सोचा तो यह जनना चाहिए कि हमारा सहकारी आन्दोलन उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करें और वही एक माध्यम ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार खाद्यान्न के थोक व्यापार को हाथ में लेकर उसके माध्यम से समुचित योजना चलाये। लेकिन आज हालत यह है कि जो छोटी छोटी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है। यदि उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हो तो सुपरवीजन चार्जेज के नाम से सहकारी बैंक डेढ़ प्रतिशत उनसे लोन की वसूली करते हैं। ऐसा लगता है कि जो पुराने जमाने में बोहरे लोग डेढ़ प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक बीच में कांटा काटते थे शायद यह हमारे सहकारी बैंक भी उस दिशा में चल पड़े हैं और वह सुपरवीजन के नाम से, चाहे उनकी ओर से कोई मैनेजर नियुक्त किया जाये या नहीं, इस बात का कोई ख्याल नहीं करते। लेकिन छोटी छोटी सहकारी समितियों से यह बैंक जबरदस्ती डेढ़ प्रतिशत सुपरवीजन चार्जेज के नाम से काट लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में विचार करें और देखे कि यह डेढ़ प्रतिशत, जो सुपरवीजन चार्जेज बैंक काटते हैं, उसका क्या औचित्य है और जबकि खास करके वह लोग अपना मैनेजर नियुक्त नहीं करते, न उसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे इस प्रकार का सुपरवीजन चार्जेज काटना अनुचित होगा।

सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव उदयपुर में जिला सहकारी संघ की दुर्दशा के संबंध में भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा भी अवसर था जबकि उदयपुर जिला सहकारी संघ बड़ी ताकत के साथ, बड़े होसले के साथ सहकारी क्षेत्र में काम करता था। लेकिन आज उसकी आर्थिक हालत किस कदर गिर गई है कि वहां कोई भी अपना कार्यक्रम संपादित नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि उदयपुर जिला सहकार संघ को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार कुछ प्रयत्न करें और खास कर हमारा यह सहकारी विभाग इस सम्बन्ध में सोचे कि जिन सहकारी समितियों को, इस संघ को अपनी ओर से समय समय पर पैसा देना चाहिये वह उनको नियमित रूप से मिलता रहे जिससे कि वे अपनी एक्टीविटीज को जारी रख सकें और सहकारिता के क्षेत्र में कारगर कदम उठा सकें।

सभापति महोदय, नाथद्वारा के पास यों तो मुझे सौभाग्य से कहना चाहिए कि राजस्थान स्वयं भी खनिज सम्पदा के मामले में धनी है, उसके पास खनिज का अतुल भंडार है। चाहे हमारे पास और कुछ हो या न हो लेकिन प्रकृति ने कृपा करके हमारे इस प्रदेश पर, खास कर के खनिज सम्पदाओं से हमें सम्पन्न कर दिया है। कई प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे भू-गर्भ में पड़े हुए हैं, उसका सर्वे हो चुका है और कई पदार्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि खाली, कोरा खनिज पदार्थ, कच्चा खनिज पदार्थ जिसे हम अपने प्रदेश से बाहर भेज दें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश की आर्थिक

(श्री मनोहर कोठारी)

स्थिति को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश में इन खनिजों पर आधारित उद्योग हों, इन पर आधारित उद्योगों की हमारे प्रदेश में स्थापना हो। यह एक महत्वपूर्ण बात है। आज तक हमने यह देखा है कि जिन लोगों को इन महत्वपूर्ण खनिजों का पट्टा दिया जाता है उनके साथ एक विशेष शर्त उसमें रखी जाती है और वह होती है सेरामिक इन्डस्ट्री के नाम से। यह विशेष शर्त इस आधार पर रखी जाती है कि वह राजस्थान में पांच लाख से लगा कर दस लाख तक की सेरामिक का कारखाना डालेगा। इस तरह का उद्योग स्थापित करेगा लेकिन आज तक का अनुभव सर्वथा इस बात को झुठलाता है। हमारा विभाग इस दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता है। जिन लोगों ने शर्त लगाना स्वीकार किया वे ही राजस्थान में उद्योग स्थापित नहीं करें तो यह दुख की बात है। हमें एक योजना बना कर इस खनिज पदार्थ को भेजने के बजाय इसका उपयोग हमारे यहां पर लेना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि इस दृष्टि से हमारी राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि हमारा खनिज, केवल कच्चा खनिज बाहर न जावे बल्कि उससे आधारित उद्योग हमारे प्रान्त में लगें। सभापति महोदय, राजस्थान के नाथद्वारा, जो कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, उसके पास घोड़ाघाटा, कुशलकलां तक लम्बी चौड़ी पेयराइट्स के भंडार मिले हैं। राज्य सरकार ने काफी धन व्यय करके इसका सर्वेक्षण करा लिया है और इन भंडारों का पता लगे करीब तीन, चार साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इन भंडारों का पता लग जाने के बाद भी उनका खनन शुरू नहीं हुआ है। खनन नहीं होने का मूल कारण यह बताया जाता है जो इनके पता लगाने में राज्य सरकार ने धन खर्च किया है वह इन ठेकेदारों से, राज्य सरकार प्राप्त करना चाहती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह गलती नहीं करें कि केवल खनन पर हुए व्यय लेने के आधार पर इन भंडारों को सरकार इन ठेकेदारों के हाथ सौंप दे। मैं चाहता हूं कि जो धन व्यय किया गया है उस धन का सही मायने में उपयोग हो इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर इस उद्योग की स्थापना करे और इन पेयराइट्स के भंडारों का राज्य सरकार अपने तौर पर खनन करके उपयोग करे। आज पूरे राजस्थान में केवल अलवर और भरतपुर जिले को छोड़कर कहीं पेयराइट्स के भंडार उपलब्ध नहीं हैं और वहां का जो खनिज पदार्थ बताया गया है वह भी उतनी उच्च श्रेणी का नहीं है, इस कोटि का नहीं जिससे कि पेन्ट इन्डस्ट्री की स्थापना हो सके। लेकिन नाथद्वारा के पास ये जो भंडार स्थित हैं वे अच्छी श्रेणी के हैं और उनके आधार पर पेन्ट इन्डस्ट्री की स्थापना हो सकती है.....(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, थोड़ा समय और लूंगा केवल पांच मिनिट।

श्री सभापति : दो मिनिट।

श्री मनोहर कोठारी : सभापति महोदय, नाथद्वारा हमारे भारतवर्ष का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जो भी व्यक्ति उदयपुर या राजस्थान में आता है वह नाथद्वारा आने का लोभ संवरण नहीं कर सकता है। लेकिन

(श्री मनोहर कोठारी)

नाथद्वारा उन गली, कूचों में सड़ रहा है, उन छोटी छोटी गलियों और कूचों में नाथद्वारा सड़ रहा है, जब आदमी मरता है और उसकी अर्थी उठाकर चार आदमी चलते हैं। वे चार आदमी इन गलियों में से नहीं निकल सकते हैं । दो आदमी मुश्किल से उस अर्थी को लेकर निकल सकते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा की इन सड़ी-गली कूचों को विकसित करने के लिये राज्य सरकार कोई योजना बनाए । पूर्व में भी मैं यह निवेदन कर चुका हूं । हमारे देश में आन्ध्र सरकार यदि तिरुपति बालाजी की सुरक्षा और विकास के लिए कोई योजना बना सकती है तो उसी पेटर्न पर योजना नाथद्वारा के विकास के लिए राज्य सरकार को बनानी चाहिए । हमारे देश में तिरुपति बालाजी का पहला स्थान है, धार्मिक तौर से और उसके बाद दूसरा स्थान नाथद्वारा का आता है । इसके लिए इलस्ट्रेटेड वीकली में अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल निकला था, उसको आपने देखा होगा । उसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा था कि आर्थिक दृष्टि, उपयोगिता से और दूसरी दृष्टियों से भी नाथद्वारा को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट और उसकी परिधि के अन्दर हम लोग यह मान कर चल रहे हैं कि हम शहरों के विकास में दत्तचित्त हैं। शहरों का विकास ही समस्त राजस्थान का विकास नहीं है । शहरों का विकास आपके कुछ लोगों का विकास हो सकता है, वह आम जनता का, हमारे सारे प्रान्त का, प्रदेश की गरीब जनता के लिये विकास कदापि-कदापि नहीं कहा जा सकता है । आज हमारे हाउसिंग बोर्ड में विकास की जो योजनाएं चलती हैं वह शहरों को केन्द्र बिन्दु बना कर उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं । छोटे गांव और कस्बों के विकास की दृष्टि से भी हमारे हाउसिंग बोर्ड को आज सोचने की आवश्यकता है और वह तभी हो सकता है जब सभापति महोदय, हम इन शहरों के विकास की दृष्टि से लालायित हो कर दौड़ने और भागने की परम्परा को छोड़ें । मैं एक बात अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में दो बार वेतन आयोग की स्थापना की जा चुकी है और इनकी स्थापना के बाद, जो नतीजा सामने आता है उससे ऐसा लगता है कि राणावत वेतन आयोग ने जिन वेतन मानों का परिवर्तन किया है और उसके बाद गुप्ता आयोग ने वेतनमानों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है उसको देखते हुए, जयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य कह रहे थे, कि हमारा जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वह अपना पूरा सहयोग नहीं देता है । मैं कहना चाहता हूं कि इसके मूल में जो कारण हैं उनको भी आज देखने की आवश्यकता है । वेतनमानों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस विभाग में, शिक्षा विभाग में जो व्यक्ति 170 से 400 तक की ग्रेड में थे राणावत वेतन आयोग ने उनको 225 से 525 की ग्रेड में फिक्स किया और जो सहायक जन संपर्क अधिकारी, पत्रकार, उप-सम्पादक, रिपोर्टर, रंगमंच सहायक, कलाकार, ये जो जन संपर्क विभाग के कर्मचारी 170 से 400 की ग्रेड में थे उनको केवल 180 से 425 तक की ग्रेड में रखा गया है, जब कि दूसरे विभागों में 170 से 400 की ग्रेड बढ़कर 225 से 525 तक की हो गई है । मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इसको देखना पड़ेगा और यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । मंत्री महोदय यह विभाग आपके प्रकाशन का काम करता है, आपके प्रदेश के सुख-

(श्री मनोहर कोठारी)

दुख का प्रकाशन करता है और जिसकी उपयोगिता को आप आंक नहीं रहे हैं। अकाल की जो भीषण विभीषिका है उसमें यह जन संपर्क विभाग पूरी तरह से उपयोगी साबित नहीं हो रहा है। आज प्रदेश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्रीय सरकार ने आपकी योजनाओं को अभी तक स्वीकृत नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि ये जो छोटे-छोटे कर्मचारी है, जिन्हें समय समय पर अपनी पूरी शक्ति से काम करना पड़ता है, जो आपके प्रदेश के विकास में योगदान दे सकते हैं, उनके ग्रेडेशन के सम्बन्ध में, वेतन श्रृंखला के सम्बन्ध में, वेतनमान के सम्बन्ध में आप थोड़ा सोचें और इस पर गंभीरता-पूर्वक विचार करें, उनमें संशोधन करने की कोशिश करें तभी यह विभाग आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यही कह कर मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकरलाल (पाली): सभापति महोदय, आज निस्संदेह समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सहकारिता एक आवश्यक माध्यम है, और दूसरे शब्दों में यह कहा जाय कि समाजवाद और सहकारिता का चोली-दामन का साथ है तो अनुपयुक्त न होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि राजस्थान के अंदर हम सहकारिता के जरिये समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या कदम उठा चुके हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, सभापति महोदय, सहकारिता का आन्दोलन जब तक जन आन्दोलन नहीं होता तब तक हम समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। सहकारिता को जन आन्दोलन बनाने के लिये हमें क्या करना चाहिये? मैं समझता हूं कि सबसे पहले आम जनता में सहकारिता के प्रति आस्था बढ़ाकर आगे बढ़ना होगा, और सहकारिता के लिये जनता में इस बात की एक जिम्मेवारी होगी कि यह हमारा आन्दोलन है, तब हम इस सहकारिता के आन्दोलन को आगे बढ़ा सकेंगे, और उसके लिये मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दूसरे समाजवादी देशों के अंदर सहकारिता की यूनियन्स हैं, कम्यून्स हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिये।

सभापति महोदय, हमें इस बात का खेद है कि राजस्थान के अंदर सहकारी संघ और इस प्रकार की संस्थाएं हैं और जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ हैं जिनके माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य होता था तो प्रचार और प्रसार का कार्य बढ़ने के बजाय वह कार्य घटा है और वह संस्थाएं बिल्कुल शून्य और बेकार-सी हो गई हैं और उनके माध्यम से कोई प्रचार और प्रसार का कार्य नहीं हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इसको जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं तो इतना ही नहीं कि प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, बल्कि आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिला स्तर पर आपने जिस प्रकार से पंचायती राज्य का विकेन्द्रीकरण किया, जिला परिषदों को मजबूत बनाया, उसी प्रकार से जिला सहकारी संघों को सहकारिता के मामले में प्रतिनिधि संस्था आपको स्वीकार करना पड़ेगी। जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं चाहे असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हो, कोआॅपरेटिव इन्सपेक्टर हो और दूसरा भी सहकारिता से संबंधित सरकारी तन्त्र हो, वह सहकारी संघ के माध्यम से उनको कार्य करना पड़ेगा, सहकारी संघ के आधीन उनको कार्य करना पड़ेगा, तो सहकारिता का काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, संघ हैं वह यह महसूस करेंगे कि यह हमारा आन्दोलन है और सरकार के द्वारा सहकारिता का आन्दोलन

(श्री शंकरलाल)

नहीं चलाया जाय, बल्कि जनता द्वारा, सहकारी संघों द्वारा यह आन्दोलन चलाया जाय। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी जो सरकारी तन्त्र हैं उसको राज्य सहकारी संघ के आधीन करके इस आन्दोलन को चलाया जाये। राज्य और जिला सहकारी संघों इन दो संस्थाओं को मजबूत करना चाहिये और इनके जरिये जो प्रशिक्षण का कार्य कराया जाना चाहिये, जिससे जो ग्रामों में ग्राम सेवा सहकारी संस्थाएं हैं, उनका जब ऑडिट होता है गांवों के अंदर, जो बहुत सी खामियां पाई जाती हैं। हो सकता है कि कई जगहों पर इरादतन ऐसा किया जाता हो, परन्तु कई जगहों पर प्रशिक्षण के अभाव में, जानकारी के अभाव में इस प्रकार से सदस्यगण कई गलतियां, इर्रेग्युलेरिटीज करते हैं उनके प्रशिक्षण को चालू रखना बहुत जरूरी है। हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनके प्रबन्धकों का प्रशिक्षण होना चाहिये, सदस्यों का, मंत्रियों का प्रशिक्षण होना चाहिये। यह जिला स्तर पर होना चाहिये और राज्य स्तर पर होना चाहिये। साथ ही इसके प्रचार और प्रसार का कार्य बढ़ाना चाहिये। जो प्रगति रिपोर्ट 72-73 की दी गई है, सभापति महोदय, इसके अंदर सहकारी आन्दोलन के प्रचार और प्रसार की रिपोर्ट दी हुई है उसके अंदर जो कार्य है वह कुछ नहीं हुआ है। केवल कुछ पेम्फलेट निकालने की बात कही गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक मुझे स्मरण है कि गत वर्ष के पहले 70-71 के पहले और उसके पहले 69-70 में और उसके पहले 68-69 में हमारा यह कार्य बहुत ज्यादा था। इसलिये मेरा निवेदन है कि सहकारिता के आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाने के लिये इन संस्थाओं को मजबूत करके उनके द्वारा प्रचार और प्रसार का कार्य करके जन आन्दोलन बनाने में सहयोग दें।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया जाता है, चाहे वह सहकारी बैंक से हो, चाहे वह भूमि विकास बैंक से हो, उनके अंदर जो लोगों की दिक्कतें आती हैं वह बहुत हैं। यह बात सही है कि अभी कुछ अकाल पड़ जाने के कारण और जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे यहां अकाल के कारण इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि आज अवधि पार ऋण बढ़ गया है। जब हम आंकड़े देखते हैं तो चाहे विकास बैंक का पैसा हो, चाहे वह हमारा शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे मीडियम टर्म लोन हो, चाहे लांग टर्म लोन हो, सबकी अवधिपार की गारन्टी बढ़ी है अकाल के कारण और कुछ कारण और भी हैं।

लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वह इसमें से दूर नहीं हुए हैं। जहां तक अकाल का कारण है, हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों के अंदर अच्छी फसल हो, और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन गत अकालों के कारण जितना अवधिपार ऋण बढ़ा है उसके बारे में गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को भी इस बात को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे ऋण हैं जिनकी वसूली, मैं समझता हूं असंभव-सी है, क्योंकि लगातार अकाल के कारण काश्तकारों के यहां उपज नहीं हुई तो उनका ऋण इतना बढ़ गया है, तो आप इस मसले को रिजर्व बैंक के साथ लें, भारत सरकार के साथ लें। राज्य सरकार को चाहिये कि इस फेमिन के कारण जो इन संस्थाओं की दशा बिगड़ी है, और जो इनकी रिपेइंग कैपेसिटी वगैरह है उसको किस तरह से ठीक स्तर

(श्री शंकरलाल)

पर ला सकते हैं, इस पर विचार करना होगा, अन्यथा भविष्य के अंदर मान लें कि आने वाले वर्ष में अच्छी वर्षा हुई और काश्तकार ने ऋण लेना चाहा तो उसको ऋण नहीं मिलेगा, और यह बात सामने आयेगी कि आपके ओवरड्यूज बहुत हैं। जब तक आपके ओवरड्यूज क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको कोई ऋण मिल नहीं सकता। और इसके कारण नये सदस्य, जो बनना चाहते हैं, उन नये सदस्यों को भी ऋण कोआँपरेटिव बैंकों से नहीं मिलेगा। जब ऋण नहीं मिलेगा तो फिर क्यों वह सदस्य बनेगा? सहकारी समिति का सदस्य वह तभी बनना पसन्द करेगा जबकि सहकारिता के जरिये उसको ऋण मिले। जब ऋण नहीं मिलेगा तो न तो आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी और न आपकी सहकारी समितियों की संख्या बढ़ेगी, और न आपका यह आन्दोलन आगे बढ़ेगा। इसलिये अवधिपार ऋण को दूर करने के लिये राज्य स्तर पर आपको गम्भीरतापूर्वक सोचना है कि इसके लिये क्या करना है।

सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके इलेक्शन के बारे में बहुतसी बातें कही गई हैं लेकिन जैसा कि मैं महसूस करता हूं कि इलेक्शन कराने में जहां तक गड़बड़ होने का प्रश्न है यह बात तो आगे नजर आयेगी, लेकिन इन संस्थाओं में पिछड़े हुए आदमियों का प्रतिनिधि होना जरूरी है, तो इसके लिये हमें इलेक्शन के नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। मान लें कि एक सहकारी बैंक में 6 कृषि ऋणदात्री समितियों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो उसमें इस प्रकार का प्रावधान रखें कि कम से कम 3 प्रतिनिधि इस प्रकार के आयें कि जिनके पास इस प्रकार के छोटे होल्डिंग्स हों, और एक प्रतिनिधि ऐसा होगा जो कि शेड्यूल्ड कास्ट का होगा। जब तक यह प्रावधान नियमों में नहीं रखेंगे तब तक यह शिकायत बनी रहेगी कि बड़े बड़े काश्तकार, बड़े बड़े लैण्डलॉर्ड्स जो सदस्य होते हैं वह आकर सहकारी समितियों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। इसलिये संशोधन नियमों में करना पड़ेगा जिससे वीकर सेक्शन के प्रतिनिधियों को समितियों में हम आगे कर सकेंगे और इन संस्थाओं में आकर हमारा जो समाजवाद का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में वह योग दे सकें।

सभापति महोदय, इसके संबंध में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उस ऑडिट रिपोर्ट की पालना नहीं होती है और अगर उसकी पालना नहीं होती है तो उसके बारे में कोई एक्शन नहीं होता है। हम देखते हैं कि कई प्रकार के ऑडिट आब्जेक्शन्स, जो ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं, वह ऑडिट आब्जेक्शन्स कई सालों तक रिपीट होते हैं नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होते हैं। उसके बाद में वह आगे भी रिपीट होते रहते हैं। तो नियमों में, कानून में प्रावधान होना चाहिये। तो स्ट्रिक्टली करप्शन को रोकने के लिये हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिये। हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हम इस आन्दोलन को खराब कर रहे हैं, आन्दोलन को आघात पहुंचा रहे हैं इससे कोई आगे नहीं पहुंचेंगे। मैं तो समझता हूं कि सहकारी समितियों की सदस्य संख्या कम भी हो तो भी कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन उनका प्योरीफिकेशन होना चाहिये। बोगस नहीं होने चाहिये। यह काम आपके डिपार्टमेंट और संस्थाओं का भी है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो स्ट्रोंग एक्शन लेना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शंकरलाल)

सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि हमारे राज्य में बड़े बड़े उद्योग हैं। जैसे गुलाबपुरा में है, सहकारी शुगर मिल केशोराय पाटन में है। लेकिन अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो जो उद्योग कोआँपरेटिव सेक्टर में हैं, इससे भी अधिक उद्योग हमको इस सेक्टर में स्टार्ट करने चाहियें। जैसे मिल्क डेयरी है। अभी मैं गुजरात गया तो वहां जो अमूल डेयरी है, उसका अच्छा काम चल रहा है। सक्सेसफुली चल रहा है। मैंने पहले भी यह कहा था कि आप पाली जिले में मिल्क डेयरी स्कीम को स्टार्ट कीजिये। यह बात ठीक है कि आपने जोधपुर में किया है। गवर्नमेंट को इसमें इनीसियेटिव लेना पड़ेगा। कोआँपरेटिव सेक्टर में कितने कितने धन्धे हो सकते हैं। आप इनीसियेटिव लेंगे तभी सफलता मिलेगी।

श्री सभापति: श्री झाबरमल सूण्डा।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर): सभापति महोदय, स्वर्गीय नेहरूजी ने समाजवाद लाने के लिये सहकारिता को आधार बनाया। क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को स्वीकार किया है। इस प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर चलेंगे, इसके लिये हमने एक वृत्त के लिये कोआँपरेटिव मूवमेंट स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस है कि स्वर्गीय श्री नेहरू के निधन के बाद उसको दफना दिया गया है। मुझे याद है जबकि इन्दिरा गांधी कांग्रेस की प्रेसीडेण्ट थीं तो उन्होंने एक केन्द्र मदुराई में चलाया था। तब से लेकर कोआँपरेटिव मूवमेंट में क्या उतार-चढ़ाव आये हैं। यह समाजवाद को एक गहरा धक्का लगा है। यह समाजवाद को ठीक जगह नहीं ले जा सकता है। क्योंकि एकसा धंधा देने को कोआँपरेटिव के माध्यम से ही हो सकता था। कोई भी धन्धा चुन सकता था। यह गांवों के लिये तो प्राण था। लेकिन आज कोआँपरेटिव सेक्टर की क्या स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर अगर ढीला होता है तो वह पब्लिक सेक्टर में प्रवेश हो जाता है। आज आप फूडग्रेन को पब्लिक सेक्टर में लेने के लिये तैयार हैं। रोड ट्रांसपोर्ट को भी कोआँपरेटिव में न ले जाकर सारे के सारे नेशनलाइजेशन में लिये जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस सरकार से कोआँपरेटिव सेक्टर नहीं चलाया जा पा रहा है। मैं राजा निरंजनसिंह को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता कि जिन्होंने अथक प्रयत्न करके इस प्रदेश में इस मूवमेंट को स्थापित किया है। मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रकार से फील्ड मार्शल मानक शा को नहीं भुलाया जा सकता है, उसी प्रकार से राजा निरंजनसिंह की सेवायें लेने के लिये इस सरकार को सोचना चाहिये।

जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताता है कि हम यह सोचें कि लोन लेते ही प्रोडक्शन चालू हो जायेगा, यह गलत है। जब आप इण्डस्ट्रीज को 5-5 और 10-10 साल दे सकते हैं तो खेती में ऐसी क्या बात है। इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि रिकवरी का जो तरीका है, मुझे खेद है, इन्स्टालमेंट का जो तरीका है, वह गलत है। इसके फेल होने का कारण यह कोआँपरेटिव संगठन है। हमने यह माना है कि प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होने का हक है। जो लोग जागरुक होते हैं तो वह कोआँपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। शुरू में कब्जा आने के बाद दूसरे आदमियों को प्रविष्ट नहीं होने देते हैं। क्योंकि जबसे पंचायत समितियों को चालू किया गया है, गांवों को दो टुकड़ों में बांटने

(श्री झाबरमल सुण्डा)

की कोशिश की गई है। वह सफल हो गई है। इसी का माध्यम बनाया कोआॅपरेटिव को। मैंने भी बार बार कोशिश की है। अगर जिले के रजिस्ट्रार प्रान्त के रजिस्ट्रार इस कोआॅपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस आन्दोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो जो सदस्य बनने की आकांशा रखते हैं, उन सभी को इनवाइट किया जाये। उन सभी को मौका देना चाहिये। नहीं तो यह फेल हो जायेगा। मेरी यह अपील है, जो कोआॅपरेटिव को जीवित रखना चाहते हैं तो उसको पुनर्जीवित रखने के लिये सभी को सदस्य बनाने की योजना बनानी चाहिये। जितने भी डिस्ट्रिक्ट और प्राविन्स स्तर तक आते हैं। इसके लिये पहले जो एक संस्था बनी थी उसको भूतपूर्व वित्त मंत्री मथुरादास माथुर ने पर्सनल एनीमिटी की वजह से उन्होंने यह देखा कि यह जो संघ है, इसमें 7 ग्रेजुएट थे। उनको इसीलिये तबाह कर दिया दूसरे व्यक्ति के पास अच्छे वर्कर होंगे तो वह मजबूत बनेगा। तो उस समूह को ही समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, इस प्रकार से बढ़े हुये संगठन को समाप्त किया गया। इससे सरकार के लक्ष्य का पता चलता है कि कोआॅपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कितनी आस्था है। मान्यवर, देश की किसी पार्टी का संगठन बाहर गांवों में नहीं हो सकता है तो वह पार्टी जिन्दा नहीं रह सकती है। इसीलिये कोआॅपरेटिव मूवमेंट हम इतना ज्यादा पसन्द करते हैं। जो यूनियन्स हैं, उनको जागरुक करने की आवश्यकता है। जिनमें इनकम होती है, वह इन संस्थाओं को देते रहेंगे तो जिन्दा रहेंगी नहीं तो नहीं। मान्यवर, जिस किसी पर लांछन लगाया गया हो, उनकी जांच होनी चाहिये। किसी पर भी लगाये गये हों। यहां की स्टेट मार्केटिंग सोसाइटी ने जो कुछ किया। इन्होंने स्पेशियल कैटल फीड के लिए एक प्लान्ट लगाया, नौ लाख रुपये उसमें खर्च कर दिये, उसमें एक जो उसका पोर्शन होता है, ग्वार, वह कई लाख रुपये का खरीद लिया गया। लेकिन कैटल फीड इसलिए नहीं बना क्योंकि मोलेसेज नहीं मिले। वर्तमान वित्त मंत्री ने यह आवश्यक समझा कि उस मोलेसेज की शराब बनाई जाय और लोगों को पिलाई जाय। पशुधन को जिन्दा रखने के लिए और कोआॅपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दिल में नहीं आया कि यह मोलेसेज फालतू बह रहे हैं, यह उन्हें दे दिये जाय और इससे कैटल फीड बने, जिससे पशुधन जिन्दा रहे और कोआपरेटिव मूवमेंट बलशाली बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को मार्केटिंग कोआपरेटिव, सर्विस कोआपरेटिव और दूसरी कोआपरेटिव हैं, उनको जिन्दा रखने के लिए नये सिरे से विचार करना चाहिए। आपका उत्तर यह होगा कि कई सर्विस कोआॅप-रेटिव डिफाल्ट में चली गई हैं, लिक्वीडेशन में चली गई हैं। यह मैं निवेदन करता हूं कि एक गांव की सर्विस कोआपरेटिव लिक्वीडेशन में चली जाय, तो उसमें जो लोग शामिल थे, वह कोआपरेटिव के लाभ से वंचित रह जांय लेकिन दूसरे लोगों को वंचित नहीं रखा जाय। जो कोआपरेटिव अण्डर लिक्वीडेशन हो जाती है तो आपको दूसरी सोसाइटी को रजिस्टर करने की तैयारी रखनी चाहिए और विभाग को ऐसा निर्देश दे देना चाहिए कि एक कोआॅप-रेटिव के लिक्वीडेशन में आने के बाद, दूसरे लोग जो पहली के सदस्य नहीं बने हों इस क्वान्टिटी में हों, नौ, दस, पन्द्रह तो उनके द्वारा दूसरी सोसाइटी चालू कर देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैंने सुना है और सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ ऐसे तत्व कोआपरेटिव मूवमेंट में प्रवेश कर गये हैं

(श्री भाबरमल सूण्डा)

जिनके कारण कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और सरकार को कोआपरेटिव से एक तरह की एलर्जी हो गई है। मान्यवर, आप जानते हैं कि सरकार का लक्ष्य समाजवाद है लेकिन मन पूंजीवादी है। पूंजीवादी का लक्ष्य यह होता है कि जो कुछ करता है वह मनी एकुमुलेट करने के लिए करता है। यही वजह है कि इनको बैनियन-शिप एक्ट के तहत बनिया कहा। यह कहने लगे, हम बने बनाते हैं, इसलिए बनिये हैं। लेकिन मान्यवर, बहुत अर्से पहले यह महाजन कहलाते थे। महाजन का मतलब मैं तो यह मानता हूं, भारत का बड़े से बड़ा पद है उससे भी बड़ा है, जनों में श्रेष्ठ, महाजन। कोई मामूली क्लास नहीं थी लेकिन अपने क्रियाकलापों से यह बैनियन शिप में आये और बनिये बने। जब को ापरेटिव सोसाइटी बनने लगीं तो वह कोआपरेटिव मूवमेंट में शामिल हो गये। उनके कोआपरेटिव मूवमेंट में शामिल होने के बाद जिनकी मन्शा पूरी होगी, वह हमारेसामनेजो कोआपरेटिव पार्टी के हैं, उनकी पूरी होगी। वह कन्ज्यूमर कोआपरेटिवसोसाइटी के मेम्बर बनेंगे, उनके परिवार के सारे के सारे सदस्य बनेंगे और इससे कोई महरूम रहेंगे तो गरीब लोग रहेंगे। लेकिन जो पालिसी इन्दिरा गांधी ने तय कर दी है, उससे आप हट नहीं सकते। इन्दिरा गांधी मारुति कार तक के लिए कोआपरेटिव मूवमेंट को नहीं छोड़ सकीं, अपने लड़के को उसमें प्रश्रय दिया और करोड़ों की पूंजी लगाई। जबकि उनके लड़के को कोई टेक्निकल अनुभव नहीं था। मैं मानता हूं कि दिल्ली से गांव तक जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी मन्शा अपने हितैषियों क ;अपने मनचाहों को पालने की है, इस कोआपरेटिव मूवमेंट को सफल बनाने की नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, मैं थोड़ा खान की जो मांग है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

हमारे पास अरावली श्रृंखलाएं हैं, दूसरी भी खानें हैं। इनका उचित ढंग से न तो नियोजन किया गया, न सोचा गया है। अगर सोचा भी गया है तो उसमें भी या तो सरकार का मन कमजोर साबित होता है या उपेक्षा बरती जाती है। मान्यवर, सीकर जिले में सलेदी के अन्दर पाइराइट का भण्डार मिलता है। सीकर जिले के लोगों की आकांक्षा है, दूसरों की भी आकांक्षा है, टेक्निकल लोगों की राय है कि खाद का कारखाना सलेदीपुर में लगाना चाहिए। लेकिन मंत्री चुप हैं, वह इसलिए कि कुछ पार्टी-के इन्ट्रेस्ट हैं, उनके खिलाफ शब्द निकालना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ उन्हें कहना था, वह उन्होंने लिखकर दे दिया है, जबान से कुछ नहीं कहेंगे। यह इतना बड़ा कारखाना है जिसमें कुल ढाई सो, ढाई सो, पांच सो करोड़ की पूंजी लगेगी। इतना बड़ा कारखाना स्थापित होने वाला है। इसके लिए किसी भी प्रकार का स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसका नतीजा क्या होने वाला है। जिस तरह प्लान्ट गया रिफाइनरी का, ओइल वाला, यह भी उसी तरह हट जाने वाला है। मैं समझता हूं, आप इतने मजबूत मंत्री हैं। इसके बारे में आप स्पष्ट संकेत करें।

खिरीड के लिए कहा था, खिरीड हमारे नजदीक झुंझुनू जिले में स्थित है, जहां लाइम स्टोन निकलता है। उस वक्त तत्कालीन खान मंत्री हरिदेव जोशी थे। जिन्होंने अपने चहेतों के लिए ऐसा षड्यंत्र चलाया कि खान के मालिक जो थे, नीम के थाने के दीन दयाल मोदी के नाम वह थी उनसे कैसे छीनी जाय। 1962 से लाइसेन्स मिला था, 1962 से 66 तक रायल्टी के 55 हजार से ज्यादा निकाल

(श्री झाबरमल सूण्डा)

दिये । वह लोग कोर्ट की शरण में गये और उन्हें छूट मिल गई, आपका कोई कसूर नहीं है । न तो मान्यवर, हरिदेव जोशी के जो चहेते थे उनको खान मिल सकी, न वह पत्थर निकाल सके । और आज तक चार लाख का नुकसान सरकार को हो चुका है । आज भी लोग चोरी छिपे पत्थर निकाल रहे हैं । उस पर भी यह सरकार किसी को खान दे नहीं सकती । जब टेम्प्रेरी पट्टा दिया जाता तो स्टे आ जाता है । 1962 से 1966 तक टेम्प्रेरी पट्टा दे भी दिया था । इस कारण वहां के कन्ज्यूमर परेशान हैं । आप जानते हैं कि लाइम स्टोन का कितना महत्व है । जब कि निर्माण तेजी से बढ़ रहा है, मैं चाहता हूं सरकार चाहे किसी को दे लेकिन वहां के उपभोक्ताओं को, जो चूने का लाभ मिलना चाहिए, उनके लाभ के लिए रास्ता निकालें, जिससे उन लोगों को लाभ हो । अकाल के वक्त भी उस पर बहुत से लोग काम पर लग सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा मैं विविध के बारे में बयान कर देना चाहता हूं । इसमें लोकायुक्त के लिए भी प्रावधान रखा गया है । किसी भी काम को करने के लिए हम इतने सचेष्ट हैं कि एक तरफ से रास्ता निकालें तो दूसरी तरफ से बचने का रास्ता निकालें । मान्यवर, इस लोकायुक्त के बिल में शिकायत करने वाले के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान रख कर हमने चोरों को संरक्षण ही नहीं दिया है, बल्कि उनको अभय दिया है .....

श्री सभापति : इस पर बहस करके बिल पास कर दिया है ।

श्री झाबरमल सूण्डा : उस वक्त था नहीं । एक दो बात अपने मन की कह दूं ।

श्री सभापति : कह दीजिये ।

श्री गोपाल जोशी : उस वक्त नहीं बोले तो क्या ?

श्री झाबरमल सूण्डा : हमारी प्रधान मंत्री कभी आचार संहिता की बात करती हैं, कभी दल बदल के ऊपर रोक लगाने की बात करती हैं । लेकिन उड़ीसा में खुद ने दल बदल कराया और अपनी सरकार बनाई, अपने चहेती सत्पथि को वहां भेजा । आज पब्लिक माइन्ड उनके खिलाफ बन गया और सरकार का पतन हो गया तो राष्ट्रपति शासन कायम कर दिया । आखिर प्रधान मंत्री एक ही जगह चन्द दिनों के अन्दर दो दो तरीके का रुख अपनायें, ऐसी प्रधान मंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह भी लोकपाल का बिल लायें, जैसा आप यहां लाये हैं और पब्लिक लाइफ में स्वच्छता ला सकेंगी । कांग्रेस की तरफ लोग आते हैं तो चैंज आफ हार्ट होता है, और कांग्रेस को छोड़ कर जाते हैं तो उसे डिफेक्ट समझते हैं । कितनी बढ़िया इस बात की डेफिनेशन दी है । इससे साफ जाहिर है, सभापति महोदय, नीचे से यहां तक, राजस्थान से केन्द्र तक, जिनके हाथ में लीडरशिप है, वह पब्लिक लाइफ को स्वच्छ बनाने के बजाय जो गलतियां करते हैं, और किसी तरह राज्य में बने रहना चाहते हैं । उनके प्रोटेक्शन के लिए यह कानून शील्ड का काम करेगा और बचाव का कार्य करेगा....

उनका पर्दाफाश नहीं करेंगे, पब्लिक में उनकी इमेज उभर कर सामने नहीं आएगी, बल्कि स्वच्छ होकर सामने आएगी । मैं नहीं चाहता कि इस तरह के बिल को एक्ट के रूप में लें जिससे चोर साहूकार की संज्ञा में आ जाए । ऐसी मांग जो रख रहे हैं उनके लिए मैं अपना समर्थन नहीं दे सकता ।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह ।

श्री अजीत सिंह (टोंक) : आज की मांगों पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मैं पहले सहकारिता को लेना चाहता हूं। हमारे जिले में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सहकारिता जहां अच्छी चीज है उसके अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, उससे छोटे किसान से लेकर बड़े बड़े आदमी परेशान हैं। बार बार आडिट रिपोर्ट्स के द्वारा व सदन में सवालों के जवाब में मंत्री महोदय के सामने ये बातें आई और उनसे हमने बार बार निवेदन किया कि भ्रष्टाचार को रोकें लेकिन वही पुराना रुख, जो सुखाड़िया सरकार का था, वही आज बरकत सरकार में विभाग के मंत्री ने रवैया अख्तयार कर रखा है। हमारे जिले में जो भी रजिस्ट्रार जाता है उसको बहुत जल्दी भ्रष्टाचारी अधिकारी तबादला करा लेते हैं। मंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि दो-दो, तीन-तीन महीने में रजिष्ट्रार को वहां से विदा क्यों करते हो, कोई जवाब नहीं। उनकी एन्क्वायरी होने नहीं देते। कई मिसालें मंत्री महोदय के निगाह में आई लेकिन संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता। ऐसा लगता है, खुली छूट अधिकारियों को दे रखी है। इसके लिए इस विभाग में कोई मजबूत मंत्री रखें तो कुछ सुधार हो पाएगा। अब जब अनाज का व्यापार भी अपने हाथ में ले रहे हैं, खाद्यान्न भी सहकारिता के द्वारा देने की बात करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता यदि भ्रष्टाचार की इस तरह की खुली छूट दी तो जनता को राहत मिलेगी या जो विभाग को चलाते हैं वे ही लूट खायेंगे। इसलिए कठोरता लाने के लिए नीति में परिवर्तन किया जाए। हमारे यहां तो रजिस्ट्रार की आफिस खाली ही पड़ी है।

अब मैं खनिज विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खनिज विभाग में भी हमारे जिले में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस तरीके से होता है कि मेरे खयाल से मंत्री महोदय की जानकारी में भी नहीं होता। कौनसी क्वालिटी का खनिज निकाल रहे हैं उसकी जांच के लिए आदमी बिठा रखा है, वह पैसा लेकर इन्फीरियर क्वालिटी का साइट बताकर अच्छी क्वालिटी का जो टैक्स वसूल होना चाहिए वह नहीं होता है। खास तौर से देवली में तांबड़ा की खान में ऐसा होता है। खान का सही वर्गीकरण न होने से सरकार का बहुत पैसा बेकार जाता है। इसलिए आप इस पर उचित कार्यवाही करके अच्छे आदमी बिठाइये तो अच्छी रॉयल्टी वसूल होगी।

मैंने यहां एक प्रश्न किया था लिखित में कि हमारे यहां कौन कौन-सी खानें निकलती हैं तो मंत्री महोदय का जबाब आया है कि अभी सर्वेक्षण पूरा नहीं हुआ। 25 साल के बाद भी आपको अपनी सम्पत्ति का ज्ञान नहीं हो, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। हमारे इलाके में टोडारायसिंह के पास खड़िया मिट्टी, चाइना क्ले, फाल्सपार, केलसाइट, क्वार्टज, सिलीका सैंड, घियापत्थर, अभरक, पन्ना, तांबड़ा। एकुअमिरिन और बहुत कीमती चीजें हैं और टोंक के पास, टंगस्टन निकलता है। आपने मोनोपोली बना रखी है इससे जो छोटी छोटी खानें खोदना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, इससे आपको जो आय होनी चाहिए वह अवरुद्ध हो जाती है। डेड रेंट भी हमारे उत्पादन में बाधक है, इससे उत्पादन भी नहीं हो पाता और रॉयल्टी भी नहीं मिल पाती। तो यह मोनोपोली खतम होनी चाहिए।

इसके अलावा निवाई में पहाड़ में एसोसिएशन बनाकर समितियां बनाई हैं, वह

(श्री अजीतसिंह)

पत्थर खोदना चाहते हैं लेकिन पत्थर भी खोदने नहीं देते । इस बेरोजगारी के समय में आपका विभाग पत्थर भी मजदूरों को निकालने नहीं देता । जबरदस्ती एक एप्लीकेशन देकर सारे पहाड़ को रोक रखा है । यह दुख की बात है । इसलिए मैं आशा करता हूं कि जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं उन पर दया की दृष्टि रखकर उनको पत्थर निकालने की इजाजत दें ।

दूसरी बात, पुरातत्व विभाग हमारे इलाके में बिल्कुल सक्रिय नहीं है । कई चीजें हैं लेकिन कोई देखभाल नहीं होती । टोंक स्टेट के जमाने में वहां पर पुरानी पत्थर की पूरी की पूरी स्टेचू हाथी की है । अच्छी चीज है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता । टोडारायसिंह के महल सूने पड़े हैं, किसी में स्कूल लगा हुआ है, सारी प्रोपर्टी का सत्यानाश हो गया । मंदिर से मूर्तियां चुराकर ले गए । इस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिए ।

आवास मंडल के अन्दर कई समितियां बन गई हैं—गांव वालों ने और शहर वालों ने बनाई हैं । लेकिन एक पैसा भी न तो एलॉट होता है न कार्यवाही होती है । इसलिए आवास मंडल से गरीबों को पैसा दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए ।

श्री सभापति : श्री हरलाल मीणा ।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचंद्र जैन ।

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने सहकारिता, वैज्ञानिक विभाग और विविध विभाग, तीनों के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं । पहले मैं विविध विभाग पर अपने विचार रखूंगा । उसमें मेरा एक कटौती प्रस्ताव है जो पुरातत्व विभाग से संबंध रखता है । मेरे क्षेत्र में कराडू एक ऐसा मंदिर है जिसमें हिंदू, जैन और द्रविड़-तीनों संस्कृतियों का समावेश है और बड़ा कलाकार मंदिर है, जिसमें व्यवस्था के लिए चौकीदार रखा जाता है, जिसको 25) रुपए दिया जाता था और अब चौकीदार रखा जा रहा है जिसको चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से 100) मासिक मिल रहा है । अब उस मंदिर की रक्षा के लिए एक चौकीदार उसकी 24 घंटे ड्यूटी । मंदिर बिल्कुल जीर्ण हो रहा है, मूर्तियां गिर रही हैं, लोग उठा रहे हैं, चोरियां की जा रही हैं । सरकारी कर्मचारी भी मूर्तियों को ले जा रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए । जो मंदिर को देखने वाले आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए ताकि कम से कम पानी तो पी सकें और छोटे उद्यान की व्यवस्था की जाए तो यह मंदिर यात्रियों के लिए सुन्दर और आकर्षण की कलाकार चीज हो सकती है ।

दूसरे जो मैंने कट मोशन दिये हैं वह वैज्ञानिक विभाग के बारे में हैं । इसमें पहला यह है कि मेरे क्षेत्र बाड़मेर जिले में कवास और उत्तरलाई में जिप्सम के बारे में है । उसके बारे में मैं अपने विचार प्रगट करूंगा । कवास और उत्तरलाई के अन्दर जिप्सम का सिन्धरी फरटीलाईजर द्वारा कार्य किया जा रहा है । यह सिन्धरी फरटीलाईजर वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है । इसके अन्दर करीब बाड़मेर जिले के एक हजार मजदूर काम पर लगे हुये थे लेकिन अब कुछ अर्से से स्थिति कुछ ऐसी है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार तथा सिन्धरी फरटीलाईजर कारपोरेशन के बीच में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष उनके लीज के बारे में चल रहा है। शायद लीज के एक्सटेन्शन के बारे में हैं। अभी तक मुझे पता नहीं उनके लीज का एक्सटेन्शन किया जायेगा या नहीं या उनका लीज रिन्यू होगा या नहीं। पर मेरा दृष्टिकोण इतना जरूर है कि सिन्धरी फरटीलाईजर वहां पर बहुत ही सफलता पूर्वक काम कर रहा है और मैं चाहूंगा भी कि उनका ही लीज रिन्यू किया जाय। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से उन्हें लीज नहीं दिया जाय तो फिर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसको स्टेट गवर्नमेन्ट राजस्थान मिनरल

(4.12 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन को दें ताकि वह उस कार्य को अपने हाथ में लेकर सुचारू रूप से कार्य कर सके। और इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। परन्तु राजस्थान मिनरल डेवलेपमेन्ट को यह इन्स्ट्रक्शन्स गवर्नमेन्ट के होने चाहिए कि वहां पर जो आज स्टाफ काम कर रहा है उसको भी अपने कन्ट्रोल में लेवें और उन्हें भी अपने यहां पर नौकर रखे। दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहूंगा वह है रॉक फास्फेट के बारे में। सभापति महोदय, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के बोर्डर के बीच में एक जगह है बिरमानिया वहां पर रॉक फास्फेट निकलता है। और वहां पर करीब चालीस लाख टन रॉक फास्फेट निकलने की गुन्जायश है ऐसा मुझे बतलाया गया है। पर साथ में मुझे यह भी कहा गया है कि यह रॉक फास्फेट उच्च कोटि का नहीं है तो भी यह उपयोग में आ सकता है। मेरा निवेदन है कि इस रॉक फास्फेट का काम अगर हम शुरू करदें तो बाड़मेर और जैसलमेर, जो आज हम लोगों को सिर्फ फेमीन के समय ही काम देते हैं, वहां फेमीन खतम होने के बाद वे लोग बेकार हो जाते उन्हें यह काम शुरू होने से रोजी मिल सकती है। और यहां पर अच्छा कार्य चल सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कार्य को गवर्नमेन्ट एग्जामिन करके उसे हाथ में ले। और अगर यह वास्तव में लाभदायक है या इसके बारे में पूरा एग्जामिन करके इस कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए। अगर यह लाभ दायक ज्यादा नहीं रहता तो कोई बात नहीं इसमें अगर एक परसेंट भी लाभ होता हो तो राज्य सरकार को इस काम को हाथ में लेना चाहिये जिससे लोगों को मजदूरी मिलेगी। आज हमने हमारे स्टेट में ऐसे कई काम किये हैं जिसमें हमें ज्यादा लाभ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम उन्हें चला रहे हैं। आज हमारे यहां फेमीन वर्क्स चल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं हमारे पिछले फेमीन में बाडमेर में जो फेमीन वर्क्स हुए थे उसमें करीब 14 करोड रुपये का खर्चा किया गया था लेकिन वहां हम देखें तो पता लगेगा कि काम की दृष्टि से सिर्फ डेढ़ करोड रुपये के काम का ही एसेसमेन्ट हो सकता है। तो उसमें भी एक तरह से हमें करीब 12 करोड और 50 लाख का नुकसान ही हुआ है। इसी प्रकार हम अगर यह रॉक फास्फेट की जांच कराकर, वह लाभदायक धन्धा नहीं हो तो भी हमें यह धन्धा करना चाहिये, ताकि लोगों को रोजगार मिले सके। इसके अलावा मैं राज्य सरकार का जैसलमेर के अन्दर प्राकृतिक गैस एवं तेल का कार्य चल रहा है, लेकिन जिस गति से चलना चाहिये उस गति से नहीं चल रहा है, उसकी गति धीमी है, उसकी ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चाहता हूं । डेजर्ट के ऐरिया में प्राकृतिक गैस एवं तेल की काफी गुन्जाइश रहती है। आज इजरायल, कुवैत और साउदी अरब के अन्दर प्राकृतिक गैस और तेल की ओर जितनी तरक्की की है उसी तरह हमें भी इसके डेवलपमेंट के लिये पूरी शक्ति लगानी चाहिये । राज्य सरकार को इस बारे में केन्द्रीय सरकार से निवेदन करके इस कार्य की गति को और तेज करके इसका विकास किया जाना चाहिये जिससे कि हमारे प्रान्त राजस्थान की आय बढे । अब मैं कुछ सहकारी विभाग के बारे में अपने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा । पहले मैं सहकारिता के लिये औद्योगिक विकास सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न इस सदन में इस बारे में पूछा था । वह प्रश्न संख्या 14 थी, जोकि इस सदन में तारीख 6-3-73 को जबाब दिया गया था, उसमें मुझे ऐसा बताया गया था कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद 162 औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन किया गया। इन 162 में से सिर्फ 51 औद्योगिक सहकारी समितियां ऐसी हैं जो कि सफल हुई हैं। और बाकी 162 में से 111 औद्योगिक सहकारी समितियां असफल रहीं हैं। इनके कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी असफलता का मुख्य कारण उनका पृथक् पृथक् रह कर उत्पादन करना और अपने कार्य में रुचि नहीं रखना तथा उसकी राशि बांट कर अपने अपने निजी काम में ले लेना बताया । इसके अलावा यह भी कारण है कि कुछ प्रभावशील व्यक्ति इन औद्योगिक सहकारी समितियों में ऋण के पैसे लेकर आपस में बांट लेते हैं और उन्हें निजी पैसा समझ कर अपने काम में ले लेते हैं। इसमें कई ठेका सहकारी समितियां और श्रमिक सहकारी समितियां भी हैं। इसमें दो तीन प्रभावशाली लोग अपने ज्यादा शेयर ले लेते हैं और बाद में उस पैसे को अनियमित ढंग से खर्च करते हैं। इसलिये सहकारी समितियां ज्यादातर इन्डीविजुअल लोगों की हो गयी हैं और यही कारण है कि इसका कुछ इने गिने लोगों को ही लाभ मिलता है और वे सहकारी समितियां नुकसान में जाती रहती हैं । आज हम समाजवाद लाना चाहते हैं और समाज में क्रान्ति इन सहकारी समितियों के द्वारा लाना चाहते हैं और इस प्रकार इन सहकारी समितियों का दुरुपयोग हो रहा है तो हम किस प्रकार से समाजवाद लाना चाहते हैं। आज मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे बाडमेर जिले में यह स्थिति दो तीन सहकारी समितियों की है जिसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्ति इन सहकारी समितियों में इस प्रकार घुस गये और उसमें उस सहकारी समितियों के पैसे से अपना सोर्स कमाई का ही समझ लिया है । इसलिये राज्य सरकार को इस बारे में सोचना चाहिये और इन सहकारी समितियों का शुद्धिकरण किया जाना चाहिये । अभी हम सहकारी समितियों से खाद्य का व्यापार जब हाथ में ले रहे हैं और इन सहकारी समितियों को इसमें एक माध्यम बनायेंगे खाद्य वितरण का और अगर इसमें जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन्होंने इसमें गोलमाल किया तो हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है । इसलिये हमें ऐसा काम करना चाहिये कि यह सहकारी समितियां सुदृढ हों और इसमें जो चन्द लोगों ने नफा कमाने की या अपनी कमाई का सोर्स ही समझ लिया है उसको बन्द किया जाना चाहिये । इसमें कुछ व्यक्ति ही परपज सिद्ध कर सके ऐसी

Page No 132

132

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सहकारी समितियों में सुधार किया जाना चाहिये। नहीं तो सरकार का जो अनाज का व्यापार हाथ में लेकर लोगों को फायदा देने की बात है वह असफल हो जायेगी। इस लिये यह अब राज्य सरकार के सोचने की बात है। हमें इन सहकारी समितियों को सुदृढ करना है। मैं जब गुजरात में गया तो मैंने देखा कि वहां सहकारी समितियां बहुत अच्छे और बडे काम करती हैं। वहां पर सहकारिता ने बहुत तरक्की की है। लेकिन हमारी राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और आज सहकारी समितियां एक पक्षपात और राजनैतिक गढ़ हो गयी हैं। अब मैं सहकारी समितियों के इलेक्शन के बारे में थोडा प्रकाश डालूंगा। आज हमारी सहकारी समितियों के जो इलेक्शन होते हैं वह दोषपूर्ण हैं। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनका चुनाव उस प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार कि हमारे प्रदेश के चुनाव होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव होते हैं उस प्रकार उनके भी चुनाव इलेक्शन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाना चाहिये। आज होता यह है कि इन सहकारी समितियों का चुनाव जब होता है तो सहकारी विभाग से ऐसिस्टेन्ट रजिस्ट्रार चला जाता है और इलेक्शन कन्डक्ट करा देते हैं। यह ठीक नहीं। क्योंकि सहकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो चुनाव होते हैं वे निष्पक्ष नहीं होते हैं और न ही हो सकते हैं। अभी स्थिति ऐसी है कि इन सहकारी समितियों के चुनावों में गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स एक्टिव पार्ट लेते हैं, खुल्लमखुल्ला पार्ट लेते हैं। एक एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर जाता है और इन चुनावों में खुल्लमखुल्ला पार्ट लेता है। यह स्थिति ठीक नहीं है। आज गांवों में सहकारी समितियों में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, जैसे इन्सपेक्टर्स और एसिस्टेन्ट कोआपरेटिव इन्सपेक्टर, वे उसमें काफी गडबडी करते हैं। चुनाव निष्पक्ष नहीं होने देते हैं। इसलिये मैंने निवेदन किया कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये। अगर हम सहकारी आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज हम सहकारी आन्दोलन के द्वारा आर्थिक क्रान्ति लाना चाहते हैं और सहकारी आन्दोलन से हमारे यहां की गरीबी मिटाना चाहते हैं तो हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और हमें इस ओर सख्ती बरतनी पडेगी। आज हमारे यहां शक्कर का व्यापार कई सहकारी समितियां करती हैं। अनाज का भी करती हैं राशन की दुकानें दी हुई हैं। लेकिन आज इन सहकारी समितियां में कई प्रभावशाली लोग घुसे हुए हैं जो इनका ब्लैक करते हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिससे कि यह सहकारी समितियां फैल हो गई हैं। राज्य सरकार को यह देखना चाहिये, सोचना चाहिये कि यह सहकारी क्षेत्र किसी भी तरह से सुदृढ बने क्योंकि समाजवाद की शक्ति, उसकी सुदृढता इसी पर निर्भर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के संबंध में मेरे भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा। झालावाड क्षेत्र में प्रश्न की सूची प्राप्त होने पर पता चला कि 215 सहकारी समितियां हैं। जिनमें लगभग 82 के खिलाफ भ्रष्टाचार के और गबन के मामले सामने आये हैं। उनमें बहुत ही कम को पुलिस में दे दिया है। लेकिन पुलिस के अन्दर देने के बावजूद भी उन पर कोई सीरियस एक्शन नहीं होता है और कुछ और मामले यों ही चलते रहते हैं। 82 सहकारी समितियां के लिये तो पहले भी था। अब

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

उनकी तादाद 100 और 125 के करीब हो गयी। गबन और भ्रष्टाचार यह तो सहकारी समितियों में ग्राम बात हो गयी है। उदाहरण के तौर तीन सहकारी समितियां फला, मजिया, मनयसर ये मनोहर थाना पंचायत समिति में हैं। जिन लोगों को कर्जा दिया गया, जाली नाम लिख दिये गये। असनावर में थेरडिया, वकानी, पिड़ावा हिम्मतगढ़। हजारों रुपये का कर्जा है। कर्जा ले लिया और नाम ऐसे लिखे कि जिनका कोई पता नहीं। इस तरह से वे ही लेते हैं और जमा करते हैं। बकाया रकम रह जाती है जिनके फर्जी यों ही नाम लिख दिये उन नाम वाले काश्तकारों को पकड़ा जाता है और उनके ऊपर कुर्की की जाती है। उनके बारे में मैंने भी शिकायतें कीं। उन 82 सहकारियों में ऐसी शिकायतें हैं कि जिनमें फर्जी काम हुए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पिड़ावा में भी डावला, ग्रोदिया खेडी और इस तरह की बडी बडी सहकारी समितियां हैं जिनमें हजारों रुपये के घोटाले हैं, हजारों की तादाद में रुपयों का गबन हुआ है। हिसाब पेश किया जाय तो फर्जी बातें नजर आयगी। या तो सेक्रेटरी ने या अध्यक्ष ने पैसा उठा लिया। सीजन पर सहकारी समितियों को लोन दिया जाता है। अध्यक्ष और सेक्रेटरी मिल कर वे ही ले लेते हैं। गरीब लोगों को, जिनको लोन की आवश्यकता होती है, जो कि उनको मिलना चाहिये वह उन लोगों को प्राप्त नहीं होता है और उससे उनको महरूम ही रहना पड़ता है।

हमारे वहां भूमि विकास बैंक के माध्यम से दो तीन परियोजनायें चल रही हैं। खानपुर, झालरापाटन, भवानी मंडी, सुनेल में भी। उनका प्रोसीजर ऐसा लम्बा है कि जिससे काश्तकार मारा मारा फिरता है। कुछ अधिकारियों की, कुछ स्टाफ की कमी होने के कारण कागज तैयार नहीं होकर आने के कारण बड़ी परेशानी उनको होती है। शिकायतें हुई लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, वे कम से कम देखें और ये शिकायतें दूर करें जिससे काश्तकारों को परियोजनाओं के अन्तर्गत कुएं खोदने, पाइप फिट करने आदि के लिये रकम मंजूर होकर उनको प्राप्त हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग डिपार्टमेन्ट के ऊपर भी मेरा कटौती प्रस्ताव था। लेकिन आ नहीं सका है। मैंने तो दे दिया था। झालरापाटन और झालावाड़ के आस पास काफी खानें हैं। आम शिकायत यह रही है कि एक आदमी खान ले लेता है और बीस आदमी अलग अलग खान चलाते हैं। ऐसा नियम माइनिंग विभाग में नहीं है कि एक आदमी ले ले और बीस चलायें। लेकिन वहां पर एक आदमी के नाम पर है। बिल एक आदमी के नाम से जारी होता है, एक आदमी रोयल्टी चुकाता रहता है और बीसों खानें चलती रहती हैं खान के अधिकारी आते हैं और उनका जो माहवारी पैसा बंधा हुआ है लेकर चले जाते हैं। वे साइट पर नहीं जाते हैं। इस प्रकार से सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। यह अव्यवस्था बराबर बदस्तूर चल रही है। खान कैसे चल रही है और मलवा कैसे डालना चाहिये यह भी नहीं देखा जाता है। खदानों के जो क्षेत्र हैं उनकी दशा बिल्कुल खराब कर रखी है। सीनियर ऑफिसर जाकर देखते नहीं। ऐसी भी खानें लगी हुई हैं कि ठेकेदार नहीं है लेकिन खान कर रहे हैं और न

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

उनके पास लाइसेंस हैं और फिर भी उसको काट रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि स्टाफ की कमी के कारण दो चार छः महीने में कोई देखता होगा। अच्छे आदमी भेजे जायं ताकि आपके सामने मामले आय और अंकुश लगे। अपनी बात यहीं तक कह कर समाप्त करता हूं।

श्री विठ्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता डूबती जा रही है। और सारे राजस्थान में हालत हो रही है कि सहकारिता का नाम निशान उठता जा रहा है। उसका कारण यह है कि सरकार की ओर से जहां जहां सहकारिता के विभाग हैं उनकी कोई देख रेख नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने मेरे पूर्व कहा कि जहां जहां, कर्जा लोगों को सदस्यों को दिया जाता है, उनका सही कहना है कि कर्जा वसूल करके अध्यक्ष, सेक्रेटरी मंत्री वे ही लोग खा जाते हैं और कर्जा बैंक तक नहीं पहुंचता है। और बाद में जब कर्ज की वसूली आती है तो दुबारा उनके खिलाफ नोटिस निकलते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और फिर सारी वसूली उनके खिलाफ होती हैं। तो इससे लोगों का मन मर गया है। कम लोग कर्जा लेते हैं। किसान बेचारा कर्जा भर देता है लेकिन ऊपर के जो अध्यक्ष मंत्री होते हैं चाहे सरकार के सेक्रेटरी हों, वे कर्जा न भरते हुए अपने आप खा जाते हैं। कई सहकारी समितियों की शिकायतें हुई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सहकारिता का विभाग भी अलग नहीं रहा है। राजनीति इसमें भी चलाई है। अध्यक्ष मंत्री कांग्रेस पार्टी के हों तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जावेगी। शिकायतें करेंगे तो कोई कार्यवाही होगी नहीं। मैं साफ कह दूं कि इस कारण सहकारिता खत्म होती जा रही है। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सहकारिता को चलाना है और उसको बढ़ावा देना है, तो कम से कम जो घोटाले हो रहे हैं, चाहे स्कीम चल रही हो, उसमें सभी जगह घोटाले चलते हैं। उसके खिलाफ कार्यवाही आपने नहीं की, इस कारण सहकारिता खत्म होती जा रही है। हमारे बांसवाड़ा जिले में सहकारिता समितियां चलती हैं। वहां भी यह शिकायत आम है कि इनमें घोटाले होते हैं। अनाज वितरण में घोटाले हुए, शक्कर के घोटाले हुए। शिकायतें भी लोगों ने कीं, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर सहकारिता का केवल नाम रखना चाहते हैं तो बात अलग है। फिर तो वह खत्म होने वाली है और खत्म हो भी चुकी है। अगर इसको जिन्दा रखना है तो अविलम्ब जिन जिन ने घोटाले किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें और इन लोगों को सहकारिता से निकाल बाहर करें। जिन्होंने ऐसे काम किये हैं और जांच में साबित हो जावें तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आगे वाले उनसे सबक ले सकें और फिर सोसायटियों के नाम को बदनाम करने की हिम्मत न कर सकें। तब तो कोई काश्तकार सहकारिता के लिये अपने शेयर भी भरेंगे, कार्यवाही भी करेंगे और जो कुछ भी सहकारिता से मिलेगा उसे लेने की कोशिश करेंगे। वे खुद भी खुशहाल होंगे और सहकारिता की नींव भी मजबूत बनेगी। पहले बीज, खाद वगैरह भी इनके मार्फत मिलते थे, पर आज तो यह भी नहीं मिलते हैं। हर जिले की यही हालत मैं यहां सुन रहा हूं।

इस सहकारिता को बढ़ावा देना है तो आप सख्ती से गलत आदमियों और कामों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। नहीं तो, इसे समाप्त ही कर दें, क्यों खाली सहकारिता के नाम से एक ढोंग खड़ा कर रखा है?

(श्री विट्ठल भाई)

केवल थोड़ा अनुदान इनके सेक्रेटरियों को या लोगों को तनखा के लिये दे दें तो काम इससे चलने वाला नहीं है। इसमें जो भ्रष्टाचार बुरी तरह से हावी हो रहा है, उसको नष्ट करें और इस सहकारिता को ऐसे भ्रष्टाचारी और गलत आदमियों से बचावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन हमारे आर्थिक विकास के लिये, हमारे राज के कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक हालत को सुधारने के लिये, अपनाया गया है, पर उपाध्यक्ष महोदय, यह आन्दोलन कुछ वर्षों से ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जिन्होंने इसकी आड़ में आज अपनी अपनी दुकानें कायम कर ली हैं। आज सहकारी विभाग, चाहे छोटी से छोटी सहकारी समिति हो या बैंक हों छोटे हों या बड़े हों का जो चुनाव करात है और जो इनकी चुनाव की प्रणाली है उसमें खामी है जिसके परिणामस्वरूप, जिसके हाथ में वोट हैं उसी के पक्ष में चुनाव का रिजल्ट जाता है। इसलिये इस चुनाव प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करना आवश्यक है।

हमारे बीकानेर में अभी केन्द्रीय बैंक के चुनाव हुए इसके अन्दर हमारे सहकारी विभाग के असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर्स वहां के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार सभी ने मिलकर वहां के जो असली मतदाता थे उनको धोखे में रख कर इन्सपेक्टरों और असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर ने जिसको तस्दीक कर दिया उनको आकर मतदान कर दिया। इस तरह से एक नाटक मतदान का रचा गया। तो इस चुनाव पद्धति को हटा कर इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

इसके लिये सुझाव देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव एक्ट और रूल्स में इस तरह की व्यवस्था की जावे कि जो चुनिन्दा बोर्ड हैं, अपनी टर्म्स खतम होते ही स्वतः ही भंग माना जाना चाहिये और इसके बाद इलेक्शन विभाग के मार्फत इनके चुनाव कराये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये। तभी हमारी सहकारिता विभाग की सहकारी समितियों और बैंकों के चुनाव निष्पक्ष हो सकेंगे और इस आन्दोलन में जो असली कार्यकर्ता हैं जिनकी इसमें आस्था है, वे ही फिर भाग ले सकेंगे, दूसरे आदमी आ नहीं पायेंगे। तो मैं समझता हूं कि विभाग को और सरकार को इस संबंध में आवश्यक प्रयास करने चाहिये।

अभी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति की जसरासर की समिति का चुनाव था। असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर ने नोखा मंडी में बैठे बैठे ही कागज तैयार करके लिस्ट प्रकाशित कर दी। सहकारी विभाग में लोग गये। तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार के सामने बात रखी। उसने तपाक से कहा कि हमारे कागजों के मुताबिक तो सारा इलेक्शन ठीक हुआ। तो इस चुनाव में ये सारी बातें भी होती हैं तो इस कागजी चुनाव को रोक कर सही ढंग से चुनाव कराये जायें और मतदाता सदस्य लोग क्या चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार चुनाव हों ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस कानून में ऐसी व्यवस्था करेगी कि इससे सही ढंग से इलेक्शन हो जावें और सही माने में सहकारिता आन्दोलन को प्रोत्साहन मिले।

(श्री भीमसेन)

बीकानेर में भूमि विकास बैंक का इलेक्शन हुआ। 1600 मतदाता थे। लोगों में बड़ा उत्साह था। ग्रामीण लोगों में भी बड़ा उत्साह और उमंग थी। 1500 लोगों ने मतदान भी किया। बोर्ड ग्राफ डाईरेक्टर्स का चुनाव हुआ। बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स ने विभाग को लिखा कि फलां व्यक्ति सहकारी क्षेत्र का अच्छा लगनशील कार्यकर्ता है, उसे आप असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर के रूप में हमें दे दीजिये आपके यहां से ताकि हमारे बैंक का काम सुचारु रूप से चल सके। हमने यह भी लिखा कि इस इन्सपेक्टर का इस क्षेत्र के गांवों में काफी अच्छा असर भी है इससे बैंक को लोन देने लेने में, उगाही में भी सहूलियत रहेगी। पर विभाग के मंत्री के आदेश देने के बावजूद भी सहकारी विभाग के अधिकारियों ने उस असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर को इस बैंक को नहीं दिया सो नहीं दिया। जब कि भूमि विकास बैंकों में अन्य जगहों पर लगभग ऐसे साठ सहायक इन्सपेक्टर लगा रखे हैं। इससे साफ लगता है कि इस विभाग में बैठे ऊपर के अधिकारियों के मन में सहकारिता की कितनी लगन है इससे साफ झलकता है। तो बीकानेर में ही नहीं, जहां भी लोग ऐसे उपयुक्त आदमी की मांग करें, उसे दिया जाना चाहिये ताकि काम अच्छा चल सके और इससे बैंक की आर्थिक हालत में भी सुधार हो सके।

बीकानेर में ऊंटगाड़ी का चलन है। खेती का उत्पादन ढोने और काश्त करने के लिये भी इसका उपयोग होता है। किसान के लिये यह बड़ी सहायक है और खास करके छोटे किसानों के लिये जिनके साधन सीमित हैं और बड़े बड़े ट्रेक्टर आदि खरीद नहीं सकते। तो ऐसे किसानों को ऊंटगाड़ी के लिये लोन दे सकें ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आपका बीकानेर बैंक ठीक काम कर रहा है ?

श्री भीमसेन : बिलकुल ठीक कर रहा है। अब इसके लिये रिजर्व बैंक यह कहता है कि ऊंटगाड़ी काश्त करने में काम आ सकते हैं या नहीं बैलों की जगह। इसका परीक्षण करेंगे। ऊंटगाड़ी से कुछ लोगों ने प्रयास किया है और काफी लाभकारी उनका परीक्षण रहा है। अगर इसके लिये लोन की व्यवस्था कर देंगे तो अधिक तादाद में ऊंटों से खेती लोग कर सकेंगे और छोटे काश्तकारों को इससे लाभ मिल सकेगा। मैं चाहता हूं सरकार इस संबंध में ध्यान दें।

इसी तरह से हमारे खनिज उत्पादन के संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा। हमारी एक पलाना की कोयले की खान है। उसके संबंध में राज्य सरकार ने पिछले बीस सालों से जो नीति अपनाई वह ऐसी रही कि जिसके द्वारा इस पलाना खान का विकास नहीं हो सका।

श्री परसराम मदेरणा : पांच साल तक तो आपने सम्भाल रखा था यह विभाग और दस साल से लगातार बोल रहे थे कि नीति ठीक है।

श्री फूलचन्द जैन : आप पर तब कोई पाबन्दी लगी थी क्या ?

श्री भीमसेन : राज्य सरकार ने बड़ी कोशिशों के बाद रशियन और ब्रिटिश एक्सपर्ट इसके लिये बुलाये। इसके बारे में रिपोर्ट तैयार की गई और यह उसमें कहा गया था कि इसमें स. मेगावाट का बिजली का थर्मल पावर स्टेशन आसानी से लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी इसके बाई-प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। पर इतने

(श्री भीमसेन)

महत्वपूर्ण खनिज के उपयोग के बारे में सरकार ने कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। लाखों रुपया प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में लग गया, पर इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अभी जानकारी मिली है कि पांचवीं योजना में बंगाल से कोयला मंगाकर कोटा में एक थर्मल पावर स्टेशन सरकार लगाना चाहती है। मेरा निवेदन है कि जब हमारे यहां कोयला आलरेडी उपलब्ध है और उसके उपयोग से, उससे कम खर्चे में, इकोनोमिकली बिजली पैदा की जा सकती है, तो समझ में नहीं आता कि इस काम को नहीं करके बंगाल से कोयला मंगाकर कोटा में थर्मल पावर स्टेशन लगावेंगे तो इसमें कहां तक बुद्धिमता है? मैं समझता हूं इस दिशा में राज्य सरकार के जो अपने पास रिर्सोसेज हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिये। इसी तरह हमारे यहां बहुत से खनिज हैं जो लीज पर देते हैं उसमें कन्डीशन लगाते हैं। आज हमारे उद्योग लगाने की आवश्यकता है लेकिन उसमें कन्डीशन का पालन नहीं किया जाता है। जो खनिज हमारे मूल रूप में बाहर जाते हैं, उससे औद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये विभाग का कर्त्तव्य होना चाहिये जहां जहां जो कन्डीशन लीज की दी हैं वहां उनको उद्योग स्थापित करना चाहिये और जब तक स्थापित नहीं करें हमारे खनिज बाहर नहीं जाने चाहिये।

राजस्थान राज्य में खेती पर निर्भरता अधिक बढ़ रही है तो मैं समझता हूं राज्य सरकार की खनिजों के संबंध में ऐसी नीति होगी तो यहां उद्योगों को लगाने के लिये निश्चित रूप से बाध्य होना पड़ेगा और लोगों को एम्पलायमेंट भी मिलेगा। हमारे राजस्थान में खनिजों के एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता है इसलिये विभाग को सक्रिय होकर कार्यवाही करनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा खनिज एक्सप्लाइट हो सके तो मैं समझता हूं राज्य सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देकर कार्य करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में भ्रष्टाचार इस तरह हावी हो गया है कि एक सब के लिये और सब एक के लिये। अगर सहकारिता विभाग में यह बोर्ड लगा दिया जाय कि सहकारिता भ्रष्टाचार के लिये और भ्रष्ट व्यक्ति सहकारिता के लिये तो यह उपयुक्त होगा। आज मैं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से कुछ सेवा समितियों का नमूना पेश करूंगा। इस बाबत 24-2-72 को एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। सियाराम जो सरपंच हैं और बामनवास सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, कजोड़ मल ने, जो 100 बोरी गेहूं का कोटा मिला और चीनी मिली उसमें 40 बोरी चीनी और 60 बोरी गेहूं को ब्लैक में बेच दिया। तारीख 30-1-73 को पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की, उसकी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। इस बाबत बयान भी हो गये। इम्पोरटेन्ट विटनैस के बयान हो गये। सितम्बर, अक्टूबर में बहुत सी शिकायतें डी. एस. ओ. को पेश की लेकिन आज तक इनका कुछ भी नहीं हो सका। पहले यह मामला सी. आई. डी. में गया फिर थाने में और फिर सी. आई. डी. में भेज दिया गया। इसको दबाने के बारे में प्रयास हो रहे हैं। अब लघु उद्योग निगम में श्री जयकिशनजी हैं। उनके पास लघु उद्योग निगम है और जो निगम के ठाठ हैं,

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उसको आराम के साथ उपभोग कर रहे हैं। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों ने मिलकर जो सहकारिता विभाग का चित्रण पेश किया इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं।

पंचायत समिति, गुलाबपुरा में श्री कल्याणसिंह के लिए पांच हजार गोदाम बनाने के लिये स्वीकृति ली और अपने नाम से मनी ड्रा कराने का प्रस्ताव करा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। उनसे कोई वसूली नहीं हुई। मिड-टर्म लोन मिला। इस तरह करके इस सहकारिता समिति में 40 हजार के करीब गबन है। सरकार इसकी जांच कराना चाहे तो करा सकती है। मैं समझता हूं इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस विभाग में है। छोटे-मोटे इस तरह के मामले की जांच करने में आना कानी करेंगे। गाजीथाना में ढोढीयाल ने 40 बोरी का ब्लैक कर दिया। शिकायत की गई और एस. डी. ओ. को वह मामला भेजा गया। वह भी दबा दिया गया। इसी तरह मैं निवेदन करूं बहुत सारे मामले हैं और मैं उन सबको पेश करूंगा तो मेरा टाइम इसी में खत्म होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही न हो तो न हो लेकिन उनको संरक्षण दिया जायगा और इस तरह संरक्षण देकर बचाया जाता है तो मैं समझता हूं फिर कोई सहकारिता के नाम पर लोग जाकर अपने आपको भ्रष्ट करें तो मैं समझता हूं लोग कभी पसन्द नहीं करेंगे।

आज सहकारिता विभाग में किस प्रकार चुनाव होते हैं। इस बात को सत्ताधारी दल ने भी समर्थन दिया है जो चुनाव डिपार्टमेंट के थ्रू होता है वह निष्पक्ष नहीं होता है तो कमसे कम ग्राम लेवल पर नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू इलेक्शन होने चाहिये। लैन्ड मोर्टगेज बैंक की चुनाव पद्धति बहुत खराब है। जिले के तमाम लोगों को जयपुर में आकर वोट देना पड़ता है। साधारण आदमी के लिये यह बड़ा मुश्किल होता है। मतदाता इस तरह सही मायने में आ नहीं सकते हैं और जो शिकायत की कि पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो ऐसी पद्धति में तो पूंजीपति ही सामने आ सकता है। इसका कोई तरीका निकाला जाय। वार्ड्स, तहसील लेवल पर ....

(4.47 म० प०)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

बनाये जायं अथवा सब डिवीजन ....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

(विराम)

सदन की अवमानना

तीन दर्शकों द्वारा सदन की अवमानना करने सम्बन्धी संकल्प पर विचार

मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज दोपहर को करीब एक बजे जब कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो रहा था, उस समय दर्शक दीर्घा से तीन दर्शकों ने निम्न प्रकार के नारे लगाने शुरू किये-"हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर लावो, विधायकों जागृति लावो", उन्हें तत्काल शासन के आदेश से प्रहरियों ने हिरासत में ले लिया। सार्जेन्ट के द्वारा उन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके नाम व अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं :—

(1) श्री कैलाश चन्द सिंघल, पुत्र श्री

(श्री अध्यक्ष)

नन्दलाल सिंघल, आयु 28 वर्ष, निवासी 256, चान्दी की टकसाल, जयपुर, व्यवसाय वकालत।

(2) श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, पुत्र श्री मंगल सिंह पुरोहित, आयु 31 वर्ष, निवासी डी-31, पत्रकार कालोनी, तिलक नगर, व्यवसाय वकालत।

(3) श्री अल्ताफ हुसैन पुत्र नादिर हुसैन मुसलमान, आयु 23 वर्ष, निवासी किशनपोल बाजार, मकान नम्बर 1364, जयपुर, व्यवसाय वकालत।

इन तीनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि प्रथम दो व्यक्तियों को प्रवेश-पत्र श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा की सिफारिश पर और अन्तिम व्यक्ति का प्रवेश-पत्र श्री विट्ठल भाई की सिफारिश पर दिया गया था।

मैंने इन तीनों व्यक्तियों से अपने चेम्बर में बुलाकर पूछताछ की और उनका कथन भी अभिलिखित किया। तीनों व्यक्ति एक उत्तरदायी व्यवसाय करने वाले हैं और वकील होने के नाते यह जानना स्वीकार करते हैं कि उनके सदन में दर्शक दीर्घा से नारे बाजी करने से सदन की सामान्य कार्यवाही में बाधा पहुंची है, परन्तु जहां तक इस कार्यवाही से सदन का अपमान करने की नियत का प्रश्न है, प्रथम दो ने यह कहा कि उनके नारे बाजी करने से न इस सदन का अपमान करने की उनकी कोई मंशा थी और न इससे सदन का अपमान ही हुआ है। तीसरे व्यक्ति श्री अल्ताफ हुसैन ने यह स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि उसने एक सही उद्देश्य के लिये अर्थात हाई कोर्ट की बैन्च जयपुर में लाने के उद्देश्य से सदन का अपमान किया और विधान सभा की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डाली और जानबूझकर अपमान किया। इन तीनों व्यक्तियों को न तो अपनी कार्यवाही पर किसी प्रकार का पश्चाताप है और नावे किसी प्रकार की क्षमा याचना करने को प्रस्तुत हैं। दूसरे शब्दों में और उनकी स्पष्ट स्वीकृति के अनुसार उनकी यह कार्यवाही करना निर्धारित योजना के अनुसार था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आज भी सदन की कार्यवाही में दर्शक दीर्घा से नारे बाजी करके सर्व श्री कैलाश चन्द सिंघल, उपेन्द्र नाथ शर्मा एवं अल्ताफ हुसैन ने सदन की कार्यवाही में न केवल बाधा डाली है परन्तु जानबूझकर सदन का अपमान भी किया है। अब सदन इस विषय में उचित निर्णय ले।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, सदन यह संकल्प करता है कि जो 3 व्यक्ति अपना नाम सर्व श्री—

कैलाश चन्द्र सिंघल, पुत्र श्री नन्दलाल सिंघल, निवासी जयपुर, पेशा वकालत;

उपेन्द्रनाथ शर्मा, पुत्र श्री मंगलसिंह पुरोहित, निवासी जयपुर, पेशा वकालत; एवं

श्री अलताफ हुसैन, पुत्र श्री नादिर हुसैन, निवासी जयपुर, पेशा वकालत बताते हैं।

आज इन तीनों ने दिन के लगभग 1 बजे दर्शक दीर्घा से निम्न प्रकार के नारे लगाये:

"हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में लाओ, विधायकों जागृति लाओ"

उनकी इस प्रकार की नारे बाजी से सदन के कार्य में बाधा पहुंची।

(श्री खेतसिंह)
और सदन का अपमान हुआ तथा उस की गरिमा में ठेस पहुंची है।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि इन तीनों व्यक्तियों को 15-15 दिन की साधारण कैद की सजा दी जाये और उन्हें जयपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री लोढा।

सदन की अवमानना करने वाले व्यक्ति को सदन में स्पष्टीकरण करने का मौका दिये बिना सजा देने के प्रस्ताव पर संवैधानिक आपत्ति।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इसी प्रकार का एक अशोभनीय प्रसंग इस सदन में आया और इस सत्र में यह तीसरा प्रसंग है। अतः निश्चित रूप से यह प्रसंग सदन के गौरव व गरिमा के प्रतिकूल ही नहीं बल्कि वास्तव में संसदीय प्रणाली में विश्वास रखने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये दुखदायी भी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह निवेदन किया था कि हम जनता की आकांक्षाओं व उनके द्वारा जो जन आक्रोश को व्यक्त करने के तरीके हैं, बदलते हुए युग के अंदर और जनतंत्रीय प्रणाली के अंदर, उन कम्पलेक्शन्स को भी ध्यान में रखकर इन समस्याओं के ऊपर विचार करें और मेरी यह मान्यता है कि लॉर्ड क्लाइव के जमाने में, या विलियम बेन्टिंग के जमाने में, ब्रिटिश प्रणाली में कुछ भी रहा होगा लेकिन आज के जनतंत्रीय युग के अंदर हमें समाज की भावनाओं और विचारों को ध्यान में रखते हुए सब निर्णय लेने पड़ेंगे। इसके साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं यह निवेदन करता हूं तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की बैंच का जो प्रश्न है और सदन की महिमा और गरिमा का प्रश्न है-यह दो अलग अलग प्रश्न हैं। इनको साथ में जोड़ करके किसी प्रकार से आज इस प्रसंग के ऊपर विचार व्यक्त करने के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह कहना चाहूंगा कि कल मैंने यह निवेदन किया था कि इस सारे बैक ग्राउण्ड के अंदर हम उदारता से काम लें, सजा देने के मामले में और उसके पश्चात, जो यह दुखदायी प्रश्न फिर उपस्थित हुआ इससे कम से कम मेरी भावना को ठेस लगी और जो सहानुभूति इस सदन की कुछ विशिष्ट दीर्घाओं के अंदर कल के उस अशोभनीय इन्सीडेन्ट के बाद में थीं, मैं समझता हूं कि आज उसको दोहरा करके उस सहानुभूति में कुछ कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् जो सजा माननीय सचेतक महोदय ने संकल्प के रूप में प्रस्तुत की है मेरी यह मान्यता है कि वह फिर भी कठोर है। यद्यपि यह रिपीटीशन है कल की घटनाओं का और लगता ऐसा है कि सदन के पवित्र स्थल को आन्दोलन का स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अशोभनीय है, अवांछनीय है। जनतंत्रीय मर्यादाओं के प्रतिकूल है और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि संसदीय प्रणाली में विश्वास करने वालों को इसकी भर्त्सना के साथ में यह आह्वान भी करना होगा कि यह ऐसा स्थल है कि यहां पर विधायक अपने विचार रखें निर्भीकता के साथ वह तो ठीक है, लेकिन समस्याओं को लेकर यदि यहां पर इस प्रकार से कभी इस गेलेरी में, कभी उस गेलेरी में और कभी पर्चे डालने की बात और कभी कूदने की बात और उसके बाद यदि विकृति अधिक आई तो आगे भी वह

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

सकता है वह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं इस संबंध में अपनी भावना व्यक्त करूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस सत्य को पसन्द नहीं करेगा और उसके लिये हमें रोकना होगा और जनता को भी आह्वान करना होगा कि कम से कम सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इसको आन्दोलन का स्थल नहीं बना कर जो अन्य माध्यम है, जनता के आन्दोलन के तरीके हैं, सभाओं के द्वारा, हड़तालों के द्वारा, सत्याग्रहों के द्वारा, पिकेटिंग के द्वारा उनको अपनाया जा सकता है लेकिन सदन को कम से कम इससे बचाया जाये। मैं समझता हूं कि यह मैं मेरी भावना स्पष्ट करना चाहता हूं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो भी हुआ उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निश्चित रूप से वह अपराधी हैं और वह पढ़े लिखे लोगों ने किया यह और भी अधिक दुःख का प्रसंग है। कितना भी अच्छा कार्य क्यों न हो यदि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जो रास्ता अपनाया जाता है वह रास्ता ठीक नहीं है तो मैं समझता हूं कि कार्य का उद्देश्य भी नष्ट हो जाता है।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना तो अवश्य कहूंगा कि 15 दिन के बारे में जो सचेतक महोदय ने कहा है उस पर माननीय सदन के उपनेता महोदय पुनः विचार करें और इसको कम करने का प्रयास करें

इसके साथ, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह संवैधानिक स्थिति है। केवल इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रसंग में यह हो रहा है, कल भी यह घटना हुई और आज भी हुई, सम्भावना है कि इस पर कहीं न कहीं विवाद उठे, मैंने इसका थोड़ा अध्ययन किया। स्थिति अत्यन्त स्पष्ट नहीं है क्योंकि एक प्रश्न, जो सामने आता है, वह यह है कि सदन के अंदर जो व्यक्ति इस प्रकार से इन्ट्रूडर्स के नाते, अपराधी के नाते यहां के प्रिवलेजेज को ब्रीच करें और अपमान करें, सदन के सामने ही करें तो क्या उस को अपने बचाव का अवसर दिये बिना, उसको सुने बिना हम उसके विरुद्ध सजा की घोषणा कर सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं या नहीं? वैसे हम सदा ही कहा करते हैं कि सदन सावरन है, सर्वशक्तिमान है।

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय जब तक कि आज की मांगे पास न हों तब तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

(सदन की अनुमति से सदन का समय बढ़ाया गया)

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन सर्वभौम होते हुए भी, सर्व-शक्तिमान होते हुए भी, इंग्लैण्ड और हमारे बीच में जो अन्तर है वह सर्वविदित है। वहां पर अन-रिटन कॉन्सटीटयूशन है और प्रिसिडेन्स से सारे काम होते हैं, और हमारा रिटन कॉन्सटीटयूशन है इसलिये हमारा संविधान सबसे सर्वस्व है और उसके अंदर सदन भी एक अंग है उसका। उस दृष्टि से यदि हम देखें तो जो मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम फण्डामेन्टल राइट्स कहते हैं, उसमें से एक अधिकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, वह है संविधान की धारा 22··· संविधान की धारा 20 और 21 को भी छोड़ दिया जाय। मैं केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सदन के एक सदस्य होने के नाते मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इस ओर उचित विचार को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लिये आपका ध्यान आकर्षित करूं। संविधान की धारा 22 में यह लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई किसी भी प्रकार का उस व्यक्ति के खिलाफ:

'No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest and shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भूत के अंदर जो ऐतिहासिक कण्ट्रोवर्सी चली थी उत्तर प्रदेश की विधान सभा और हाई कोर्ट के बीच में उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। केसरीसिंह के उस ऐतिहासिक मामले के अंदर हाई कोर्ट के दो जजेज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया उनको गिरफ्तार करने के लिये। केसरीसिंह, हाई कोर्ट के दो जजेज और उनके एडवोकेट, चारों के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिए गए थे और उस संबंध में हाई कोर्ट के अंदर दोनों जजेज रिट याचिका लेकर गए, संविधान की धारा 226 के अन्तर्गत और वहां के 28 जज साथ में बैठे और उन्होंने विधान सभा के अध्यक्ष की आज्ञा को सस्पेंड किया और उस विवाद के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस किया, क्योंकि मामला इतना पेचीदा था और उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वह अंश मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं और संविधान की धारा 22 से सम्बन्धित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सोचना कि विधान सभा अपने अधिकारों के बारे में, प्रिविलेजेज के बारे में बिल्कुल स्वतंत्र है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट धारा 226 अथवा 32 के अन्दर किसी भी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हो तो भी विचार नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती, यह गलत है और उन्होंने यह कहा कि इसलिए उत्तर प्रदेश की विधान सभा के द्वारा जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के जजेज को अरेस्ट करने का निर्णय कण्टेम्प्ट मान कर लिया गया था वह गलत था। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का वह निर्णय कि केसरीसिंह को बैल दी जाय और जिनके विरुद्ध न्यायलय में मुकदमा चले, इन दो न्यायाधीशों को जमानत पर रखा जाय या नहीं, उस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह 127 जो पैरेग्राफ है जिसमें 1965 सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण लाईन है। जिसमें उन्होंने संविधान की धारा 22 के बारे में अपना निर्णय निश्चित रूप से नहीं दिया, बिल्कुल छोड़ दिया हमेशा के लिए। उन्होंने कहा:

"As we have already indicated we don't propose to enter into a general discussion as to the applicability of all the fundamental rights to cases where Legislative powers and privileges can be exercised against any individual citizen of this country, and that we are dealing with this matter on the footing that Art. 19 (i) does not apply and Art. 21 does. If an occasion arises, it may become necesssary to consider whether Article 22

यह जो मैंने आपके सामने पढ़ कर प्रस्तुत किया

If an occasion arises it may become necessary to consider

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

whether Article 22 can be contravened by the exercise of the powers or privileges under Art. 1943) But for the moment we may consider Art. 20. If Article 21 applies, Article 20 may conceivably apply and the question may arise if a citizen complains that his fundamental right has been contravened either under Art. 20 or 21, can he or can he not move this court under Article 32? For the purpose of making the point which we are discussing, the applicability of Art. 21 itself would be enough. If a citizen moves this court and complained that his fundamental right has been contravened, it would plainly be the duty of this court to examine the merits of the said contention and that conceivably raises the question as to whether the personal liberty of the citizen has been taken away according to the procedure established by law."

और अन्त में उन्होंने यह कहा—इन दिस कनेक्शन—आखिर में जाकर यह कहा

"The impact of the fundamental constitutional right conferred on Indian citizens by Art. 32 on the construction of the latter part of Art. 194 (3) is decisively against the view that a power of privilege can be claimed by the House though it may be inconsistent with Article 21."

अध्यक्ष महोदय, यह मैंने श्रीमान् के सम्मुख रेफरेंस इसलिए पढ कर सुनाया कि संविधान की धारा 22 के तहत हर व्यक्ति को डिफेंस का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट ने केसरीसिंह के केस में संविधान की धारा 22 को हमेशा के लिए अनिर्णित छोड़ दिया यह कहकर कि इस बारे में प्रोपर केस में निर्णय करेंगे। लेकिन धारा 20 और 21—लिबर्टी और अरेस्ट के बारे में निश्चित मत दिया उन्होंने कि यह अप्लाई करती है। 20 और 21 और सविधान की धारा 194, क्लॉज (3) जिसमें कि यह कहा गया है कि विधान सभा के वही अधिकार होंगे जो अधिकार इंग्लैंड के अन्दर हाउस ऑफ कामन्स के प्रिविलेजेज हैं उसके बारे में उन्होंने यह कहा है कि वे पावर्स सब्जेक्ट टू फण्डामेंटल राइट्स 20 और 21 के तहत हैं।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गम्भीर संवैधानिक प्रश्न है। इसके ऊपर आप गम्भीरता से विचार करें और जहां तक मेरा मत है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कॉंस्टीट्यूशन के मेंडेट को, प्रोपराइटी और रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जाना चाहिए। यद्यपि इसमें अधिक समय की बात भी नहीं है, केवल उनसे यह पूछने की आवश्यकता है कि आपके विरुद्ध यह आरोप हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है। सदन में सुनने के बाद सदन उस पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और निर्णय के लिए जैसा कि पहले बताया गया है, जो सजा प्रपोज की गई है, उसमें मैंने केवल उदारता की बात कही है। लेकिन मेरा य; निवेदन है कि हम सजा देते समय जो सवैधानिक आवश्यकता है उनके बारे में जब कहीं कोई विवाद बाद में उठे तो यह न कहा जाय कि माननीय अध्यक्ष महोदय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

और इतने बड़े सदन के द्वारा संविधान की धारा 22 और उसकी रिक्वायरमेंट पर विचार नहीं किया गया।

अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बात भी बताना चाहूंगा कि लोक सभा में यह प्रसंग उठा था रेप्रीमेंड का, ताड़ना देने का और ब्लिट्ज के एडीटर करंजिया को सदन के सम्मुख लाकर प्रस्तुत किया गया और सदन के सम्मुख अध्यक्ष महोदय ने सदन के पटल पर उसको ताड़ना दी, जो कुछ रेप्रीमेंड करना था किया क्योंकि कण्टेम्प्ट ऑफ हाउस था। लेकिन पनिशमेंट देने के पहले जितनी रिक्वायरमेन्ट थी उनको पूरा किया गया था। इस कारण से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में निर्णय लेने के पहले कृपया आप इस बात पर विचार कर लें और मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस के अन्दर यह अवश्य लिखा गया है कि कहीं पर कण्टेम्प्ट या ओब्स्ट्रक्शन या इंस्टांस सदन की मानहानि का हो, सदन के भीतर या सदन के सामने होता है तो उसके बारे में उन्होंने यह लिखा है कि डिफेंस की या हियरिंग की अपोर्च्यूनिटी देना आवश्यक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया था केसरीसिंह के निर्णय के बाद में मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस का प्रिसीडेंट हमारे यहां पर कहां तक लागू होगा यह विचारणीय प्रश्न है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टिकोण से यह जो तीन व्यक्ति हैं उनको डिफेन्स के लिए इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। आपने उनके विरुद्ध जो आरोप हैं, वे सदन के समक्ष पढ़कर सुनाए हैं, वे अपने बचाव पक्ष में क्या कहते हैं, वह सुनने के बाद यह सदन निर्णय ले तो यह संविधान की आवश्यकता के अनुकूल होगा।

श्री खेतसिंह : आप तो दोनों ही बात कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, कल और आज जो घटना इस सदन के अंदर घटी और कुछ लोगों ने नारे बाजी की और सदन के प्रांगण में घुस आए उसको मेरे ख्याल से कोई भी उचित कार्यवाही नहीं बता सकता है और मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा के खिलाफ रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सब से विचारणीय बिन्दु दो-तीन अवश्य है। एक तो नारे बाजी करना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, इन लोगों का इस प्रकार का हाल रहा है और हमेशा सदन ने उदारतापूर्वक इस बात पर विचार किया है और उनके द्वारा माफी मांगने पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके अन्दर अगर आप गहराई से आदमी जिसको आप किसी कोर्ट के कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, वह सदन की दीर्घा में नारेबाजी करे, सदन के कार्य में बाधा डाले और इस सदन का अपमान करता है तो अध्यक्ष महोदय, इसको कसौटी में लेने के बाद जो रिग्रेट करता है, क्षमा याचना करता है और उसके बाद हम यह मानकर चलें कि उसको यह पता नहीं था तो यह एक वाजिब दृष्टिकोण नहीं होगा बल्कि यह उसके नैतिक साहस की कमजोरी है। मैं यह मानकर चलता हूं कि आज इन लोगों ने जो तरीका अख्तियार किया है उसको मैं उचित नहीं कह सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपके चेम्बर के अन्दर यह स्वीकार किया है कि हमने ऐसा किया है । निःसन्देह उन्होंने अपनी ऐसी मंशा को व्यक्त करके अपने नैतिक साहस का परिचय दिया है । अब माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखा है कि इन व्यक्तियों को 15/15 दिन की सजा दी जावे । इसी प्रकार की एक घटना कल घटी और उन लोगों को दो-तीन दिन की सजा दी गई । उसी पर अपना रोष व्यक्त करने के लिए तीन व्यक्तियों द्वारा यह घटनाक्रम दोहराया गया है तो इस के अन्दर यह सोचना पड़ेगा कि क्या जयपुर के बार एसोसिएशन का यह एक केलकुलेटेड मूव है। मैं सोचता हूं कि यह उनके ऐजीटेशन का पार्ट नहीं है । न ऐसा हो उनका कोई प्रोग्राम है । कल दो वकीलों ने अपनी समझ के अनुसार गलत तरीके से नारे बाजी की और आज इन तीन व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे बाजी की, आज के एक्शन को कल के एक्शन से रिलेटेड नहीं कर तब तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि यह एक निश्चित मूव चल रहा है और बार एसोसिएशन के वकीलों का इस प्रकार का कोई कोलोब्रेशन है। आज भी सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई गई, गतिरोध उत्पन्न किया गया, यह एजीटेशन का तरीका अपनाया गया है, यह साबित न हो तब तक इतना सीरियसली सजा के लिए मूव नहीं किया जाना चाहिए । कल इसी प्रकार की घटना के लिए दो रोज की सजा दी गई और आज वही घटना होती है तो उसके लिए हम 15 दिन की सजा रखें मैं समझता हूं कि यह वाजिब दृष्टिकोण नहीं है । इस स्थिति का जब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि बार एसोसिएशन का यह कोई निर्णय है, यह उनके ऐजीटेशन का पार्ट है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार यहां पर अभिव्यक्त किए हैं, उन्होंने एक कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोब्लम रखी है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि यह सदन सावरिन है, इसके अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है । यदि हमारी कार्यवाही के अन्दर गतिरोध पैदा किया जाता है, कोई सदन में आकर अव्यवस्था फैलाता है, सदन को अपमानित करता है, तब इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह उसको सजा दे । अध्यक्ष महोदय, यह एक तरह से कन्टेम्प्ट ऑफ दी कोर्ट है और कोर्ट यह समझती है कि यह कन्टेम्प्ट ऑफ दी कोर्ट हुआ है तो कोर्ट बाकायदा उसकी ट्रायल करती है और इस प्रकार की नारे बाजी करने पर, सदन सक्षम है कि वह उन व्यक्तियों को सजा दे सके। मैं समझता हूं कि इसमें कोई कॉन्स्टीट्यूशनली प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है परन्तु हमारे रूल्स के अन्दर यह प्रोवाइडेड नहीं है कि इसका प्रोसीजर किस प्रकार से होगा । अपना प्रोसीजर प्रोवाइडेड नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा प्रिन्सीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की तरफ। स्पेशली जब कोई चीज प्रोवाइडेड नहीं है तब किसी को डिफेन्स का अवसर दिए कोई निर्णय ले लिया जाए यह उचित नहीं है । सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी परम्परा है, सदन ही यह तय करता है कि किन किन व्यक्तियों ने सदन का अपमान किया है, सदन के अन्दर नारे बाजी की है, उसकी कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न किया है, ऐसे व्यक्ति को यदि सजा देना है, कितने दिन की सजा देना है, सजा नहीं दे और वह माफी मांगता है, और माफी मांगने पर सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक सजा दी जाए, यह निर्णय सदन करता है । माननीय अध्यक्ष, इस सदन को रिप्रजेन्ट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

करते हैं लेकिन ऐसे मसले के अन्दर परम्परा यह रही है कि सदन के अन्दर प्रसंग रखा जाता है और सदन उस पर अपना निर्णय देता है। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति के अन्दर जब माननीय अध्यक्ष ने अपने चेम्बर के अन्दर इनसे स्पष्टीकरण चाहा और उन्होंने आपके समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा है तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सदन को सफाई दे दें और उसके बाद सदन निर्णय ले ले कि इन लोगों ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया और उनके इस व्यवहार के लिए उनको कितने दिन की सजा दी जाए, तो मैं समझता हूं कि ऐसे घटनाक्रम के अन्दर सदन के समक्ष उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दिया जाए। मैं कोई लम्बी चौड़ी बचाव पक्ष की बात नहीं कहना चाहता हूं। प्रिन्सीपल ऑफ क्रिमीनल ज्यूरिसप्रूडेन्स के आधार पर भी वे सदन के समक्ष आवें और अपना पक्ष रखें। इस सारी कार्यवाही में पांच मिनिट से अधिक का समय नहीं लगेगा। यह सदन सार्वभौम है। वह निर्णय ले कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति सदन के समक्ष अब तक उपस्थित नहीं हुई है और इसका मूल कारण यह रहा है कि जो आदमी पकड़े गए हैं, उनके पकड़े जाने के बाद उन्होंने इसके लिए माफी मांगली है, खेद व्यक्त कर दिया और क्षमा याचना करली और सदन इस पर यह दृष्टिकोण अपनाता रहा है कि इन्होंने माफी मांगली है। अतः सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक कैद रखा जाए, या छोड़ दिया जाए। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, उनको अपना पक्ष सदन के समक्ष रखना चाहिए। दूसरी बात अन्त में एक और कहना चाहूंगा . . .

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ही कहें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हाई कोर्ट की बेन्च के मसले को लेकर, इसके मेरिट और डिमेरिट पर मैं नहीं जाऊंगा, परन्तु यह सही बात है कि जितना रोष जयपुर के नागरिकों के अन्दर है, जयपुर डिवीजन के नागरिकों के अन्दर व्याप्त है, उसको रोष को ये लोग यहां पर प्रतिबिम्बित कर रहे हैं। यह जो वकीलों का आन्दोलन, छोटा मोटा आन्दोलन जैसा भी आप इसको कहें, आज यहां पर चल रहा है। कल जब वकीलों को सजा देने का मसला आया था, मैं समझता हूं कि सदन उस वक्त उदारतापूर्वक विचार करता और उनको दो रोज की सजा नहीं देता तो यह बीटरनेस नहीं बढ़ती। अब भी मैं समझता हूं कि, यह बात पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह सजा देने वाली बात और बीटरनेस बढ़ाने का तरीका है। उनका जो दृष्टिकोण है वह समझेंगे और उस पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए और इनको सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक ही सजा देनी चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचे और सजा दें तो सदन में बुलाकर उनको बचाव पक्ष रखने की अनुमति दी जावे।

श्री अध्यक्ष : इस पर यहां जो वैधानिक आपत्ति उठायी गयी है उस सम्बन्ध में राय की आवश्यकता होगी तो मैं कुछ कहूंगा। परन्तु उसके पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने कहा है, यह मेरे दिमाग में साफ है कि इसमें सदन ही निर्णायक है, उसको ही फैसला करने का अधिकार है, उसको ही इनको छोड़ने का अधिकार है, उसको ही सजा देने का अधिकार है। मैं इस पर बहुत कुछ साफ हूं कि सदन का जो फैसला

(श्री अध्यक्ष)
होगा वही आखरी फैसला होगा । इतना जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो इनका स्टेटमेंट लिखा गया है वह पार्ट ऑफ दी रिकार्ड रहता है और वह अपनी परम्परा के अनुकुल रखा जाता है । इसमें उनको चार्जेज भी बताए जाते हैं कि ये ये बाते हैं आपके खिलाफ । उनसे पूछा गया है और उन्होंने उत्तर दिया है, वह बात भी बतायी है । अब सदन इस पर खुद अख्तियार करे । चाहे छोड़ दें, चाहे सजा दे । मेरी तरफ से, न मैं अपनी राय देना पसन्द करता हूं और न मैं दूंगा । जो कुछ हाउस जाहिर करेगा उसकी तामील करूंगा ।

सदन की अवमानना
संकल्प पर विचार एवं पारण

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: अध्यक्ष महोदय,..

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के दौरान एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी घटना हुई हैं जिसको कि सारा सदन यह अनुभव कर रहा है कि उनको गरिमा, गौरव, शौष्ठव के वह विपरीत है, उनमें सदन की गरिमा घायल हुई है, और आज सदन गम्भीरता से इस बात पर विचार कर रहा है कि हम कोई न कोई ऐसा कदम उठायें जिससे इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति न हो, यह बातें न दोहराई जायं, ताकि सदन की सुरक्षा, आपके इस पवित्र आसन के नीचे सदन का हरेक सदस्य जो आपका प्रोटेक्शन सीक करता है, वह प्रोटेक्शन, सदन की विशेष अधिकार, सदन की गरिमा और अन्य वस्तुएं पूर्ण रूप से कायम रहें।

माननीय अध्यक्ष, कल भी मैंने कुछ कहा था जब कि दो एडवोकेट्स ने, दो वकीलों ने दर्शक गैलेरी लांघ कर सदन में प्रवेश किया था और आज भी मैं यह बात कहता हूं कि मेरी इस बात से पूर्णतः सहमति है कि इस गरिमा को हमें रखना होगा, सदन के महत्व को, सदन के इस प्रिविलेज को हम किसी कीमत पर भी सरेन्डर नहीं करते, जहां एक प्रोटेक्शन के नीचे, एक संरक्षण के नीचे हम स्वतंत्रता और आजादी से अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, जहां प्रिविलेज्ड व्यक्ति की तरह किसी के बारे में कोई गम्भीर बात कह सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस गरिमा की रक्षा कैसे हो ? क्या पेनल पनिशमेंट के द्वारा हम इस गरिमा की रक्षा कर सकते हैं ? क्या वह सिक्योरिटी फोर्सेज, वह सार्जेंट, हमारी पुलिस, हमारी आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी सदन की पवित्रता की और सदन की गरिमा की रक्षा करे ? मेरा ऐसा विचार नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इस गरिमा का अगर कोई रक्षक है तो वह जनता है जो चुनकर हमें भेजती है। इतिहास में इसकी मिसाल मौजूद हैं । किंग चार्ल्स सेकण्ड पार्लियामेन्ट के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए पार्लियामेन्ट में दाखिल हुआ है तो, अध्यक्ष महोदय ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि मैं स्टेट का कान्स्टीट्यूशनल हैड हूं, मैं ऐसा करूंगा और मुझे ऐसा करने का अधिकार है । इस पर अध्यक्ष ने कहा कि आपके आंखें नहीं हैं, आपके कान नहीं हैं और आपके कोई जबान नहीं है। मैं आपकी आंख हूं, मैं आपके कान हूं, मैं आपकी जबान हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है । सदन की गरिमा का कान्स्टीट्यूशनल हैड ने वायलेशन किया तो इतिहास जानता है कि क्या हुआ ? किंग चार्ल्स सेकण्ड का इंग्लैण्ड की जनता ने सदन के अन्दर कत्ल कर दिया....

श्री रघुनाथ विश्नोई: सर कटाना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पेनल पनिशमेंट के ऊपर मेरे विचार हैं। इतिहास के अन्दर मिसाल है। तो यह सिक्योरिटी फोर्सेज, यह कान्स्टेबुलेरी कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर पायेगी। फ्रेन्च रिवोल्यूशन इस बात का सबूत है जब कि भूखी, नंगी फ्रांस की जनता पालियामेन्ट में घुस गई और वहां से लोर्ड और मेम्बर्स भागते हुए नजर आये।

अध्यक्ष महोदय, इन पढ़े-लिखे एडवोकेट्स ने जो कार्यवाही की उससे जनता के अन्दर हमदर्दी आई है, उससे जनता की हमदर्दी बढ़ी है। वह जानते हैं कि यह बात बिल्कुल तथ्यपूर्ण और सत्य है। उनका आन्दोलन करने का स्थान, उनके आन्दोलन करने के स्थान का चुनाव सारा गलत है। विधान सभा वह स्थान नहीं हो सकता जहां पर कि वह एडवोकेट्स आन्दोलन करें। जहां पर कि वे इस आसन की गरिमा को नष्ट करें, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आखिर गरिमा क्या है, और यह गरिमा और महत्व कैसे रहेगा और उसको रखने वाला कौन है ? गरिमा किस बात में है ? गरिमा गरिमा कैसे रह सकेगी ? इसके संबंध में विचार करें। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि सदन का प्रांगण आम जनता के आन्दोलन का प्लेटफार्म नहीं है। यह प्रिविलेज्ड प्लेस है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो मैं फिर इसको दोहरा सकता हूं। यह मेरा फर्म कन्विक्शन है....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जब कल सदन के कुछ माननीय सदस्यों के बारबार प्रयत्न करने के बावजूद भी सदन ने बहुमत से उन दो एडवोकेट्स को तीन दिन की सजा दी। अध्यक्ष, महोदय, आज आपने उस सजा को 15 दिन की बढ़ा दी, परसों, एक महीना बढ़ायेंगे, फिर दो महीने की बढ़ायेंगे, इस प्रकार से बात होने वाली है....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष ने नहीं बढ़ाया है। आपने कहा कि अध्यक्ष ने बढ़ाया तो अध्यक्ष ने नहीं बढ़ाया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सदन ने बढ़ा दी। मैं सदन से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सेन्सर कीजिए ताकि जनता उसको महसूस करे। सदस्य कहां कहां गार्ड्स लेकर जायेंगे, कहां कहां पर पुलिस के प्रोटेक्शन के अन्दर आप जा सकते हैं, कहां कहां आपका मूवमेन्ट पुलिस प्रोटेक्शन में हो सकता है..

श्री फूलचन्द जैन : जरूरत क्या है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिए आप सेन्सर कीजिए। आप उनको सजा दीजिए और मौका भी दीजिए कि इस सदन के अन्दर क्यों आये ? आखिर मैंने कल भी कहा था कि काज होता है हर बीमारी का। इस सदन का हरेक सदस्य जनता की बीमारी के लिए डाक्टर है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस काज को दूर नहीं करते जो कि सीधा-सादा सा है। मैं दो तरह की बात करने का आदि नहीं हूं। जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैंच कायम करने का प्रश्न उसका काज है, और इस सदन के बहुमत सदस्य दृढ़ता से इस बात में विश्वास रखते हैं कि यह न्यायपूर्ण बात है कि जयपुर के अन्दर हाई कोर्ट की बैन्च कायम की जाय, और इसी कारण से यह सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं और हो रही

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

हैं, इसी कारण यह सारे एक्शन्स हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक सही काज को हम इम्प्लीमेन्ट न करें तो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो यह असन्तोष उस गरिमा को नहीं रहने देने वाला है। क्या कारण है? क्यों नहीं इस सदन में इस बात पर गुप्त मतदान करवा लें। आज इस सदन में सजा देने के मामले में बहुमत का आदर करते हैं, उन लोगों को जेल में पहुंचाने के संबंध में आप बहुमत का आदर करते हैं। सदन की रक्षा बहुमत से हो जाती है उसके पीछे सारा सदन चलने को तैयार है, तो एक काज के लिए, सदन का बहुमत जो बात सोचता है उसको मानने को तैयार क्यों नहीं है, अध्यक्ष महोदय? मैं यह अर्ज करूंगा ज्यादा न कहते हुए कि काज़ को रिमूव किया जाय, जो गलती की है उसके लिए सेन्सर किया जाय ताकि आपकी गरिमा जनता के लाखों और करोड़ों जनमानस के अन्दर ताकत है वह वहां पर सुरक्षित रहे। अगर जनता के हृदय में सदन की गरिमा सुरक्षित नहीं है तो यह गरिमा नहीं रहने वाली है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष ···

श्री अध्यक्ष : केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज सदन के सामने जो प्रश्न है यह काफी गम्भीर है, अहम है, तो मैं किसी को इस मामले में बोलने से रोकना अच्छा नहीं समझता। हरेक आदमी बेरोकटोक कहना चाहे कहे, लेकिन मैं आप पर छोड़ता हूं कि जो कुछ कहें वह थोड़े में कहें। मैं अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाना चाहता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अभी जो चीफ व्हिप ने प्रस्ताव रखा है और विधान सभा के सदस्यों ने अपनी राय प्रकट की तो यह तो सभी सदस्य इसी राय के हैं कि इन तीन दर्शकों ने अपराध किया है। अब जब कि अपराध विधान सभा में सब के सामने हुआ है, सभी देख रहे हैं, और उनके सामने अपराध कर रहे हैं, और इन तीन दर्शकों के बारे में तो स्पीकर साहब ने बयान भी ले लिए हैं, तो इस परिस्थिति में जब कि इनका बयान ले लिया, और बयानों से भी उनका अपराध साबित होता है, और विधान सभा में सब के समक्ष उन्होंने नारे लगाये हैं, तो इन परिस्थितियों में अब इनको डिफेन्स करने का क्या अवसर दिया जाय। इनको डिफेन्स करने का इस मामले में अवसर भी दिया गया है कि वे अपने आपको डिफेण्ड करें। इसलिए मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में जो डिफेन्ड करने का मौका दें या न दें··· इसलिए हमने जो पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में डिफेण्ड देने या न देने की व्यवस्था दी है, वह इसलिए दी है कि सदन के अन्दर जो एक्शन्स होते हैं, सदन के अन्दर अपराध खुल्लमखुल्ला करते हैं। उनके लिए एवीडेन्स की आवश्यकता नहीं रहती है। सदन के सदस्यों को मान्यता दी जाती है। सदन मानता है कि यह ओफेंस है। इसलिए डिफेन्स करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस केस में उनको डिफेंस करने का मौका दिया गया है। अब भी सदन कन्सीडर कर सकता है। मैं यह राय देता हूं कि सदन कन्सीडर करे। जो सदन ने राय दी है, उसको अगर वह एग्री करते हैं। अगर वह क्षमा चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि उनको पीनल पनिशमेन्ट दिया जाए। अगर वह क्षमा भी नहीं मांगें तो फिर कोई आल्टरनेट नहीं है। पहले 3 दिन की सजा दी गई है। मामला बढ़ता जा रहा है। उनको उचित सजा दी जानी चाहिए क्योंकि अपराध

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बढ़ाया जाता है। अगर बढ़ता जाता है और पूर्व नियोजित कार्यवाही करके अपराध बढ़ता है। हम देखते हैं कि वकील ही इसको बढ़ाते हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं यह चाहूंगा और जो माननीय सदस्य भी यह विचार रखते हैं कि उन्होंने सदन की गरिमा को धक्का पहुंचाया है और जो सदन की गरिमा को धक्का पहुंचाते हैं तो क्यों नहीं उनको पनिशमेण्ट दिया जाये। और जब इस प्रकार वह बार बार करते हैं तो शंका पैदा होती है। इसलिए होती है कि वह कौन माननीय सदस्य हैं, जिन्होंने प्रवेश-पत्र दिया है। इसकी भी जानकारी करनी आवश्यक है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह झूठ है। गलत बात है। इस तरह से आप कम्युनल फोर्सेज को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जनसंघ और आर० एस० एस० के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो भी प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन को 15 दिन की ही सजा देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सामरिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। एक मेरा भी प्रवेश-पत्र के लिए हस्ताक्षर है। लेकिन माननीय सदस्य इससे यह न समझें. . . .

श्री अध्यक्ष : फिर बोल लें। फिर बोल लें।

श्री सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा का प्रश्न है। इसके लिए हमें गम्भीरता से विचार करना है। इस समय, कोई सदस्य यह नहीं स्वीकार करेगा कि सदन के प्रांगण में इस प्रकार की वारदातें हों। जनतन्त्र के पवित्र मन्दिर की पवित्रता को नष्ट किया जाये। इस बात की परमीशन कोई भी माननीय सदस्य नहीं दे सकता है। इससे हमारे जनतन्त्र को प्रक्रिया ही खत्म होगी। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना होगा कि जिन 3 महानुभावों ने सदन की गैलरी से नारे लगाये हैं, उसका काज क्या है। उन्होंने नारे क्यों लगाये हैं। क्या वास्तव में वह सदन की गरिमा को अपने किसी निजी स्वार्थ से आघात पहुंचाना चाहते थे? अथवा वह किसी प्रकार जनता के दूसरे किसी दुख को रखने के लिए यहां पधारे थे। अगर वह अपने स्वयं के बारे में, या किसी प्रकार के अपने लाभ के लिए पधारे थे। या एक मात्र सदन का अपमान करने के लिए पधारे थे। मैं समझता हूं कि वह 15 दिन ही नहीं 2 महीने की क्लीयरकट सजा हो सकती थी। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। आप यह जानते हैं, सदन में नारा लगाना, सदन में पर्चे फकना जुर्म है। लेकिन हमें इसका बैकग्राउण्ड देखना होगा। आज 3 आदमियों को 15 दिन की सजा देंगे। कल 200 आदमी नारा लगायेंगे। तो क्या सदन में पुलिस और मिलिटरी भेज कर सदन की कार्यवाही चला सकेंगे। इसलिए उनकी नाराजगी और नारे का रीजन क्या है, इसको हमें देखना पड़ेगा। जो माननीय सदस्य उनको 15 दिन सजा देने के लिए कहेंगे, लेकिन उन्हीं सदस्यों के बहुमत ने 117 सदस्यों ने वही बात कही है। जो उन्होंने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बारे में कही है। जो कोई सरकार प्रजातन्त्र को नहीं समझेगी। जो सरकार जनता के प्रस्तावों और निवेदनों को नहीं मानती है तो फिर इस प्रकार के आन्दोलन, अनियमितताएं, और इस प्रकार के काण्ड होते रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस सन्दर्भ में उनके काज को, 117 एम०एल०ए० के काज को उठाने के लिए आये। वह व्यक्तिगत रूप से सदन का अपमान करने के लिए नहीं आए। इसलिए सदन की ओर से उनको ताड़ना दी जाए। वह माफी नहीं मांगे तो फिर उनको अन्तिम रूप से वार्निंग दे दी जाए। अगर दूसरी बार ऐसी घटना हो तो उनके साथ कठोर कार्यवाही की जाए। अन्यथा, अगर यह नरम रुख सदन का रहेगा तो मैं समझता हूं कि घटनाएं कम होंगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्यों कि मैटर ऐसा गम्भीर है, आये दिन उनको प्रेरणा मिलेगी। यह बन्द नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, उनको ताड़ना देकर उनको समझने का मौका दिया जाये। क्योंकि डिनीफाइड काम करने वाले, वह खुद समझते हैं। अन्यथा हम इसी तरह से सजा बढ़ाते गये तो इसका अन्त होने वाला नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय..

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं तो मैं मानता आया हूं कि सदन को उदारता का परिचय देना चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ अध्यापक आये थे। चीफ व्हिप और पार्टी के नेता ने यह प्रस्ताव रखा कि 3 दिन की उनको सजा दी जाए। तो यह कहा गया कि उन लोगों ने क्षमा याचना कर ली है। तो मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है। उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सदन के जो विशेषाधिकार हैं, वह हमारे देश का जो साधारण कानून है, उससे वह ऊपर हैं। उसका उपयोग कम से कम होना चाहिए। लेकिन आज और कल जो घटना हुई है, यह दूसरी तरह की है। वकील एक ऐसा तबका है, जो कानून जानता है। कानून को अपने हाथ में भी नहीं ले सकते। आजकल शांत कहे जाने वाले प्रदर्शन और आन्दोलन किस तरह से चलाये जाते हैं-उससे आप और हम परिचित हैं। जिस दिन वकील पहले पहले बाहर आये और अन्दर आने की कोशिश की, उसको भी मैं देख रहा था। उनका उस तरह का व्यवहार था कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर देवें कि लाठी चार्ज हो जाय, बल प्रयोग करना पड़े। और एक तरह से नारा लगाने की बन्दिश से वह हट गये। यहां यह प्रचार किया गया कि लाठी चार्ज हुआ। हाल कि लाठी चार्ज नहीं हुआ और हो ही नहीं सकता क्योंकि वकील एक प्रबुद्ध समुदाय है और उनकी क्षमता भी नहीं है। इसलिए सोच विचार कर यह रास्ता चुना है कि सदन एक ऐसी जगह है जहां न लाठी लगती है, न कोई शस्त्र लेकर यहां आ सकता है। इसलिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि दो तीन सदस्य आ जाय, नारे लगायें और किस्सा खत्म हो जाता है। शाम को सजा हो जायगी और अखबारों में आ जायेगा कि आन्दोलन जोर पकड़ गया है। मेरा नम्र निवेदन है, वह यह है कि यह प्रवृति है, या घातक प्रवृत्ति है। कल दो को सजा हुई, आज सजा होगी, कल और आयेंगे और यहां पर होगा आन्दोलन। जो आन्दोलन

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

चलाये जाते हैं वह सरकार के खिलाफ चलाये जाते हैं, अब आन्दोलन का रूप होगा, आन्दोलन इस सदन और विधान सभा के विरुद्ध हो, और मामला इस ढंग का है, हाईकोर्ट का मामला है। तो क्या आप सोचते हैं कि इससे सदन की प्रतिष्ठा गिरेगी या बढ़ेगी ? इससे सदन का अपमान होगा और प्रतिष्ठा गिरेगी, लोगों में असंतोष पैदा होगा या पैदा किया जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि यह साजिश है, सोच विचार कर यह तरीका अपनाया गया। इसलिए इसको यहीं समाप्त करना चाहिए। जहां तक सवाल है, उनको सजा क्या दी जाय - माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, और जनता को सुचारू रूप से जानना चाहिए कि सदन को वह अधिकार हैं, चाहे फौजदारी का मामला हो, दूसरा मामला हो—सुप्रीम कोर्ट को, हाईकोर्ट को अधिकार जितने हासिल हैं और बीस साल की सजा, फांसी शब्द मैं मुंह से नहीं कहना चाहता; लेकिन फांसी की सजा तक देने में सक्षम है। यह समझ लेना चाहिये। सदन इसका उपयोग नहीं करता है, काम में नहीं लेता है, न लिया है और न लेने की जरूरत पेश आनी चाहिए। पर इस तरह से कानून को तोड़ कर और सदन में बाधा उपस्थित करते है, तो मैं समझता हूं कि पन्द्रह दिन की सजा तजवीज की है, वह बिल्कुल पर्याप्त है। कल पन्द्रह दिन के बजाय छः महीने की सजा तजवीज करनी चाहिए ताकि जो आगे जिस चीज का मुकाबला करने की सूरत आ सकती है उस चीज से हम बच सकें। जनता के लिए कहा जाता है। हांडा साहब कह रहे हैं जनता के लिए। तो जनता तो पांच साल में एक दिन बोलती है और वह 1972 में मार्च के महीने में बोल गई, पांच साल तक अपने कहते हैं वही जनता की बात है। और जिस दिन दुबारा चुनाव होंगे, उस दिन जनता दूसरी बात कह देगी। जनतंत्रवाद, इसी का नाम है, चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनके द्वारा कार्य संचालन हो। जनता कल अपने सबके पक्ष में थी, आज विरुद्ध हो गई है – ऐसी बात नहीं है। आप फैसला करेंगे वह जनता का फैसला होगा। इसमें और कुछ नहीं है।

एक प्रश्न यह उठाया गया, जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, उनका स्पष्टीकरण आ गया, उनको सदन के सामने पेश करना चाहिए ताकि वह अपनी सफाई दे सकें। मैं नम्र निवेदन करता हूं, चाहे क्रिमिनल हो, ला का यह सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को गैर हाजिरी के अन्दर सजा नहीं दी जा सकती। यह ठीक है, इसी तरह प्रिन्सिपल आफ नेचुरल जस्टिस भी ठीक है लेकिन सदन में जो मामला उसके सामने हुआ है, सदन उसकी प्रक्रिया स्वयं तय करता है। और अगर अपराधी सामने हो और इस रीति से अपराध किया जाय कि उसकी पुनरावृत्ति होगी, और फिर दोहराया जायगा – इसलिए सदन की यह बात बिल्कुल सही होगी कि सदन में न लायें, और उनका लाना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है, यद्यपि गैर हाजिर हैं, लेकिन इस मामले में अध्यक्ष महोदय ने उनको सुना है, बयान भी लिये हैं। उनके डिफेन्स का इरादा केवल यह हो सकता है कि हाई कोर्ट का मामला है, इस मामले को पुरजोर तरीके से इस सदन में लायें। मैं समझता हूं, यह पर्याप्त कारण है, ऐसा अवसर नहीं दिया जाय। इसलिये चीफ व्हिप ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है,

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

मैं उसका समर्थन करता हूं। सदन को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि आयन्दा जरूरत पड़ी तो छः महीने, बारह महीने की सजा का भुगतान दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। अभी विधायक ने यह इल्जाम लगाया कि इसके पीछे, जो इन्सीडेंट हुआ, घटना हुई है, उसके पीछे कोई साजिश है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनके दिमाग में साजिश भरी रहती है और उनका दिमाग साजिश का शिकार रहता है। शुरू में बजट सेशन जब हुआ, उस वक्त भी इस किस्म की साजिश उनके दिमाग में रही। यह बात साफ हो जानी चाहिये, न तो बार एसोसियेशन का इस किस्म का फैसला था, न बार एसोसियेशन को जानकारी थी। बार एसोसियेशन की संघर्ष समिति से मैं मिल कर आया हूं, उनका कहना है कि इससे इसका कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग हर चीज में साजिश देखते हैं···

श्री खेतसिंह : आपको बार एसोसियेशन से निकाल दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य को बोलने का मौका दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे निकालने में आपको खुशी नहीं होनी चाहिये···

श्री अध्यक्ष : हियर आनरेबल मेम्बर।

श्री योगेन्द्र नाथहाण्डा : आपकी वकालत से रुसवाई हो गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपकी वकालत की, उसकी एवज में निकाल दिया···

एक माननीय सदस्य : निकालने को कह दिया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अव्वल तो मुझे कोई निकालने वाला नहीं है, मुझे नहीं निकाल सकते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार एसोसियेशन का इसके पीछे फैसला नहीं है। यह नौजवान बच्चे हैं, जिनको मैं परिपक्व नहीं मानता, वह अपने जजबात का इजहार करते हैं उससे इतनी बड़ी असरियत का यहां फायदा उठाये और बड़ी से बड़ी सजा दे दें तो इससे मकसद हल नहीं होने वाला है। भाई छंगाणी को इत्मिनान हो सकता है। मैं अर्ज किया चाहता हूं कि आप जज्बात में बह कर फैसला मत कीजिये (व्यवधान) आपको उदारता के साथ, संजीदगी के साथ तय करना चाहिये। आप छः महीने की दे सकते हैं, साल भर की दे सकते हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। आपने कह दिया, फांसी दे सकते हैं ? किस मामले में ? फांसी कैसे दे सकते हैं ? कब दे सकते हैं ? कोई मार देता है असेम्बली में आकर तो फांसी दे सकते हैं। और तरीका नहीं है। मैं अर्ज किया चाहता हूं कि जज्बात में बह कर फैसला न लें। ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो कुछ फायदा उठाना चाहते हैं और राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जिसके प्रति मैं आपको कहता रहा हूं और आपसे अपील करता रहा हूं कि उन तबकों का मकसद यह नहीं है कि हाई कोर्ट की बेंच आवे, या न आवे, उनका मकसद यह है कि बड़े पैमाने पर यहां पर टुकड़े हों राजस्थान के, इसमें गड़बड़ी हो और इस तरह की घटनाएं घटें जिनसे ख्वामख्वाह यह स्थिति उत्पन्न हो जाय जिससे वातावरण दूषित हो जाय। मैं अर्ज किया चाहता हूं,

154

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

जो एक्शन ले रहे हैं उससे यह वातावरण पैदा करने की सम्भावना पैदा कर रहे हैं। वरना कल हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, अनाज का व्यापार करना चाहते हैं उसमें इससे दिक्कत पैदा करना चाहते हैं? इसलिए इन बच्चों को यह कह कर कि, तुमने बेवकूफी की, छोड़ देंगे तो मैं कह सकता हूं कि यह घटना नहीं हो सकती है, नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास है (व्यवधान) आपको सुनना है, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सदन की मर्यादा है कि जो माननीय सदस्य बोलें उनको शान्ति से सुनें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप के डिस्टर्ब करने से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : डिस्टर्ब की बात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझा नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फर्माइये।

श्री परसराम मदेरणा : अनाज के व्यापार के टेक ओवर करने से इसका क्या संबंध है?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : टेक-ओवर का मतलब नहीं है। हम प्रगति की तरफ

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : परेशान मत होइये। प्रतिक्रियावादी ताकतें आज आपको दूसरी दिशा में ले जाना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके साथी बोल रहे हैं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसके दो पहलू हैं—एक पहलू यह है कि उनको डिफेंस का मौका दिया जाय। उसके बारे में लो खामोश है, इसलिए कह सकता हूं नेचुरल जस्टिस के आधार पर हमको काम करना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए जिससे डिफेन्स कर सकें। और अगर यह संभव नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती यह है कि हममें से कोई उनको एप्रोच नहीं कर सके, उन तक एक्सेस है नहीं, आपके लेवल पर, आप लोगों ने इन्क्वायरी की, आप लोगों ने पूछताछ की। हमें नहीं मालूम, क्या चीज किस तरह हुई, किस तरह घटी। मैं अर्ज किया चाहता हूं, यहां आयें और आकर कहें, क्या कहना चाहते हैं। उसमें हर्ज नहीं है। छोटे छोटे तथ्य हैं उनकी जानकारी स्पीकर साहब को होगी, जिन्होंने रिकार्ड किया, उनको होगी कि क्या बयान हैं, क्या है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ कर सुनाया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक पहलू यह है, दूसरा पहलू यह है कि इसका ताल्लुक बार एसोसियेशन से है या नहीं। यह चन्द नौजवानों के ख्वामख्वाह के जजबात हैं जिसके मातहत वह कुछ करना चाहते हैं। मैं एक नहीं, सैंकड़ों फैसले बिश्नोईजी के सामने रख दूंगा जिसमें हाई कोर्ट ने तय किया है, कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेज में हमें जजबाती नहीं होना चाहिए। जनता में इस किस्म के लोग होते हैं, जिनमें थोड़ा जोश होता है। उनका हमें होश से फैसला करना चाहिए। हम फैसला जजबात से, जोश से दें और कहें कि हम चुने हुए नुमाइन्दे हैं। हम जोश में पन्द्रह दिन की सजा दे दें तो यह हमारी शान को नहीं बढ़ायेगा। सदन की शान में इजाफा यह करेगा कि इन बच्चों को यह कह कर कि, तुमने नादानी की, छोड़ दिया जाय। मैं लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, जो जजबात को उभारा जा रहा है उससे आप प्रभावित नहीं हों

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और यह सोच कर कि इसका असर विपरीत तो नहीं होने वाला है। मेरी मान्यता है कि ऐसी दिशा में आपको ले जाया जा रहा है जो अफसोसनाक है। जिससे मैं डिसएसोसियेट कर रहा हूं, कर चुका हूं और आप फरमा रहे हैं कि मुझे बार एसोसिएशन से निकाला, सो मुझे नहीं निकाला गया। मैं उस दिशा में लोगों को जाने से रोकना चाहता हूं। इसलिए सदस्यों से व नेता से अपील करता हूं कि आखिर उनको चाहिए कि संजीदगी के साथ, मर्सी टेम्पर्ड विथ जस्टिस के सिद्धांत को सामने रखते हुए आपको फैसला लेना चाहिए और यह तर्क कि कल उन्होंने नज़दीक से नारे लगाए और आज ऊपर से लगाया, इससे उनका जुर्म कम होगा, ऑफेंस मिटीगेट हो गया। आप कहते हैं कि स्पीकर की कुर्सी के पास गैलरी से आप जायेंगे। कौनसी प्रेस्टिज हमारी खत्म हो गई, क्या बिगड़ गया? इसलिए मेरी गुजारिश है कि जज़बात को काम में न लें और संजीदगी का अच्छा सबूत दें।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ

श्री केदारनाथ : मान्यवर, इस प्रस्ताव के साथ कुछ लीगल व कॉन्सिटीट्यूशनल इश्यूज़ रेज किए गए हैं। मेरी मान्यता है कि असेम्बली का वर्किंग कोर्ट की वर्किंग से अलग होना चाहिए। हमें यहां आने की थ्योरिटी आम मासेज देते हैं, कोर्ट किसी ला के तहत वर्क करता है। असेम्बली का वर्किंग अगर कोर्ट के पटर्न पर ले आएं तो जो असेम्बली या पार्लियामेंट का उद्देश्य है विल ऑफ दी पीपुल, कायदे कानून बनाएं हैं और समाज की व्यवस्था, उसमें बाधा पड़ेगी। मैं यह भी मानता हूं कि जो लोग मास मूवमेंट की फिलोसोफी में विश्वास करते हैं, जो लोग डेमोक्रेटिक मीन्स में विश्वास करते हैं वे कभी भी देश में कैयास और डिसऑर्डर पैदा नहीं करना चाहते, मौजूदा पार्लियामेंटरी व असेम्बली लाइफ को सबवर्ट नहीं करना चाहेंगे। वही फोर्सिज करेंगे जिनका इस में विश्वास नहीं। मेरी पार्टी विश्वास करती है कि हमारे पास कुछ पार्लियामेंटरी इफेक्टिव मीन्स होने चाहिए और हम जो इकोनोमिक या सोशल रीकन्सट्रक्शन चाहते हैं, उनमें यह मीन्स काम करें। अगर विल ऑफ दी पीपुल को रिफलेक्ट करने में किसी ला के साथ कन्फ्रन्टेशन आता है, किसी कान्सटीटयूशनल आर्टीकिल के साथ, अगर उनको फ्लोट करते हैं तो यह लेजिस्लेचर का काम है बहुतक कन्फ्रन्टेशन विल ऑफ दी पीपुल से होता। हाई कोर्ट की बेंच हो, डिमांड की गई, यह रास्ता मास मूवमेंट का रास्ता नहीं है, यह रास्ता ब्राड बेस्ड एजीटेशन का नहीं है, कामन मैन को अपने ऑरबिट में लाने के लिए नहीं, जो लोग आंदोलन चलाते हैं उनको दूसरा रास्ता लेना चाहिए। मांग थी कि 117 विधायकों, जिनकी सिग्नेचर्स हैं, उनकी हमदर्दी एक्शन के रूप में हो, उनकी हमदर्दी को इफेक्टिव फोर्स बनाकर हम मांग को मनवा पावें, इस एक्शन से दोनों घटनायें 117 की हमदर्दी से ज्यादा मजबूत नहीं है। इन दोनों घटनाओं को नजरअंदाज किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। आपके मारफत अपील करूंगा उनसे कि अपनी मांग के साथ सही रास्ता लिया जाए, ब्राड बेस्ड मूवमेंट और एजीटेशन चलाया जाए, डेमोक्रेटिक मीन्स से अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत से रास्ते हैं,

(श्री केदार नाथ)

गुप्त मतदाता हो। सरकार का जो इन्ट्रेसीजेंट एडमेन्ट एटीट्यूड है, जिसको क्लोज्ड चैप्टर मानती है, दुबारा सोचे तो मैं समझता हूं हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा।

श्री झाबर मल सुण्डा : अध्यक्ष महोदय, जिस इश्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह बहुत ही गंभीर है। इस पर कान्ट्रोवर्सी जैसी चीज खड़ी नहीं होनी चाहिए। हमको इस सदन की गरिमा रखने के लिए सारी चेष्टाओं व मन को भी साथ में रखना पड़ेगा। कौनसी बातें होने वाली हैं उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। चाहे बार एसोसिएशन का संबंध न हो चाहे कुछ भावावेश में आए हुए वकीलों का काम हो लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ब्रिटिश के समय में भगत सिंह ने पार्लियामेंट पर बम्ब फेंका और जनरल मासिज का ध्यान खड़ा किया था। मैं सोचता हूं इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात है। तो मैं नहीं मानता कि असेम्बली में कयास खड़ा करके, डिस्टरबेन्स पैदा करके जन मानस को झकझोर सकेंगे, मूवमेंट को गति दे सकेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं लेकिन जिस सजा का प्रावधान इन लोगों के लिए करते हैं उसके कॉन्सीकुएन्सज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और अगर हमने सजा रखने में कुछ नर्मी बरती तो जैसे बच्चों को प्रोबेशन का लाभ देते हैं, इसमें सीनियर वकील नजर नहीं आते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि नरम रुख अपनाकर रेप्रीमांड करके उनको छोड़ देना चाहिए ताकि आगे यह इश्यू न बढ़े।

श्री अध्यक्ष : उपनेता महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस प्रश्न पर उपस्थित किए। एक दृष्टिकोण यह है कि यदि सदन सख्त रुख अख्तयार करता है तो उसके रीएक्शन्स होते हैं और कोई चीज प्रेसिपीटेट होती है और हमें भावावेश में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि क्या सदन यह फैसला करे कि जहां केल्क्यूलेटेड मूव हो अथवा कैल्क्यूलेटेड मूव न हो किंतु कुछ लोग उसकी प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करें और हमें उदारता बरतनी चाहिए, यह सोचकर उसको लीनियंटली लें, उनकी राय में उचित नहीं था। यहां यह भी कहा गया कि इन एबसेन्स्या, अगर कोई फैसला किया जाता है वह कानूनी तौर पर उचित होगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी अपेक्षा आप उस प्रश्न को अधिक अच्छी तरह से समझते हैं। किन्तु क्या मान लिया जाए कि यहां पर वे आकर कहें कि हमने दोष नहीं किया तो हम यह मानेंगे कि उन्होंने दोष नहीं किया? क्या सदन की प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब नहीं हुई, क्या सदन की मर्यादा भंग नहीं की गई? इस सदन का कोई भी सदस्य यह नहीं कहेगा, क्योंकि सदन के समक्ष उन्होंने सदन की मर्यादाओं को भंग करने की कोशिश की है।

अब प्रश्न रह जाता है कि इस प्रकार की चीजों को लीनियंटली डील करना चाहिए अथवा सख्ती से डील करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ वे लोग जो ग्रामीण हों और आकर यहां सदन में बैठते हैं और वे लोग सदन की परिपाटी को नहीं समझते हों और वे गलती से यहां आकर सदन में अभद्र व्यवहार करें या सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाये या सदन की कार्यवाही में बाधा डाले उन्हें मैं एक प्रकार की कैटेगरी-

(श्री हरिदेव जोशी)

मानकर चलता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरे वे लोग जो किसी पब्लिक इश्यू पर, जब कि सदन की बहस चल रही है और वे दर्शकदीर्घा में बैठे हुए सदन की कार्यवाही से भाव-द्वेष में आकर सदन की कार्यवाही में बाधा डाले या अमुक कार्यवाही करे और बाद में उन्हे अगर ध्यान में लाया जाय कि अमुक कार्यवाही करने से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचता है और उसके लिये उन्हें अगर पश्चाताप हो तो उन लोगों को मैं दूसरी कैटेगरी के लोग मानता हूं । वैसी बात इनमें नहीं थी ।

तीसरी कैटेगरी के लोग मैं उन्हें मानकर चलता हूं, जैसा कि आज और कल की घटनायें घटी हैं जिसमें हाईकोर्ट की बैन्च के बारे में तो एक शबद् भी नहीं कहा और जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने दर्शक दीर्घा में से कूद कर सदन के महाते में आकर नारे लगाये या सदन में दर्शक दीर्घा से ही नारे लगाये और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया ।

मैं समझता हूं वे लोग अपने घर से एक प्रकार का ऐसा एक्शन करने का मानकर ही आये थे। उसकोमैं तीसरी कैटेगरी के लोग मानकर चलता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहली कैटेगरी के लोग जो हैं वे वह हैं जो कि इनोसेन्ट हैं क्योंकि वे हमारी मेज पालियामेंट्री प्रेक्टिस को नहीं जानते हैं और न ही हमारे पालियामेन्ट्री प्रोसीजर से वाकिफ होते हैं, उन्हे सदन की गरिमा का पता नहीं होता लेकिन जब उन्हे ध्यान लाया जाता है कि इस प्रकार का कृत्य करने से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचता है तो वे पश्चाताप करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की मंशा होती है कि वे प्रछन्न रूप से आते हैं और एक प्रकार के एक्शन करने की भावना से आते हैं। तो वे लोग अलग बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय यहां पर सदन के कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो सदन में हाईकोर्ट की बैंच का मामला लेकर प्रश्न पूछते हैं और बाद में उस पर इस प्रकार भाषण करते हैं जैसे कि वे हाईकोर्ट की बैन्च के लिये मांग पर बोल रहे हों । आज जो लोग हाईकोर्ट की बैन्च के लिये अगर प्रोशेसन लेकर सेक्रेटेरियेट में जाते हैं और वहां पर अगर सेक्रेटेरियेट के अन्दर धारा 144 लगी हुई हो और वे उसे तोड़कर जाते हैं और उसमें जिस प्रकार से एजीटेशन में बोल रहे हों। वे एक केलकुलेटेड वे में एक्शन करने का विचार रख कर आते हैं। अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह इन्डीविजुअल की राय है लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि उन्होंने केलकुलेटेड वे में सदन के अन्दर घुसकर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। सदन को अपमानित किया है । सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यह तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि पढे लिखे हैं, वकील लोग हैं जिन्हे पता है कि सदन की गरिमा को इससे ठेस पहुंचता है। ऐसे लोग जो केलकुलेटेड वे में आकर विधान सभा के अन्दर सदन की गरिमा का......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: केलकुलेटेड वे के बारे में यह एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि यह बार ऐसोसियेशन का फैसला नहीं था ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने बार ऐसोसियेशन का नाम कहां लिया ?

(श्री हरिदेव जोशी)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : आप पहले मेहरबानी करके, मैं क्या कह रहा हूं उसे तो सुन लीजिये।

श्री केदारनाथ : यह आपने केलकुलेटेड मूव की जो बात कही है उसके बजाय कन्सर्टेड कह दें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मैंने बार ऐसोसियेशन का नाम नहीं लिया। मेरे पास तो बार ऐसोसियेशन के दो सदस्य मिले एक श्री दिनेशचन्द्र स्वामी और दूसरे मिस्टर खन्ना आये। उन्होंने मुझसे मिलना चाहा, मैं उनसे मिला, मुझे पूछा गया कि आपसे मिलना चाहते हैं तो मैंने कहा मैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे मिला भी। उन्होंने मुझे इस प्रकार की मूव की बात नहीं की। और न ही यह कहा कि बार ऐसोसियेशन का कोई ऐसा फैसला हुआ है तो ऐसे लोगों को, जिनको कि अपने एक्सन पर पश्चाताप नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह सही निर्णय नहीं है आपको उन्हें मौका देना चाहिये। आपका कनवीक्सन गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : यह मेरा कनवीक्शन है, धर्म है जो सदस्य कहते हैं वे गलत हैं फिर भी मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सजा 15 दिन की दी है वह सजा सख्त है। मैं इसके अन्दर कुछ संशोधन पेश करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सजा को 15 दिन की बजाय, तीन दिन की सजा कर दी जाय।

(करतल ध्वनि)

श्री मीठालाल : सजा में भी ताली बजा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने जो कान्स्टीट्यूशनल पोइन्ट रखा था उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न सदन के अन्दर यह कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया और सुझाव दिया कि अभियुक्त को सुन लिया जाय। उन्हें मौका दिया जाय ताकि वे अपनी भावनाओं से सदन को अवगत करावें। इस बारे में क्या कायदे कानून हैं मैं वे भी समझता हूं पर मैं मेरी राय देना नहीं चाहता। जैसी सदन के माननीय सदस्यों की राय हो उसके अनुसार काम होना चाहिये। कुछ सदन के माननीय सदस्यों ने एतराज भी उठाये हैं लेकिन मैं सदन की राय जानना चाहता हूं। सदन बताये कि क्या राय है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उन्होंने सदन की मर्यादा को भंग नहीं किया? इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस की अनुज्ञा को पढ कर फैसला करलें।

एक माननीय सदस्य : इसमें बोलने के लिये क्या है?

श्री केदारनाथ : बोलने की बात का सवाल है यू० पी० के अन्दर बोले थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनें। मैंने आपकी जानकारी के लिये एक बात कहीं थी कि मैं जानता हूं लेकिन मैं अपनी राय देना नहीं चाहता हूं। इसलिये मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस जिससे कि हम गवर्न होते हैं उसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है वह पढ देता हूं। यह निर्णय तो सदन के माननीय सदस्य करेंगे।

श्री केदारनाथ : आपने अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा फैसला करने का रास्ता निकाला।

श्री अध्यक्ष : अब आप लोग जो निर्णय करना चाहे

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय जो पाईन्ट आफ आर्डर का प्रश्न रखा था उसके निर्णय के बारे में संवैधानिक प्रश्न है।

(एक साथ गिरधारीलाल भार्गव और दूसरे माननीय सदस्य बोलने पर अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज जो सदन में बताया गया है वह सही नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं आप कह रहे है वह सही है।

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : है या नहीं है यह अगर दोनो तरफ से माननीय सदस्य बोलेंगे तो फैसला नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को जैसा कि सदन के उपनेता महोदय ने कहा है

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय पाइन्ट ऑफ आर्डर का क्या फैसला हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। इधर से आप बोल रहे हैं और उधर से दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों के बोलने की जरूरत नहीं है। जो माननीय सदस्य ने मुद्दे उठाये हैं मैंने भी इसका अध्ययन किया है, मेरा भी यह विषय रहा है, लेकिन मैं इस बारे में जैसा कि मैंने निवेदन किया अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इधर छंगाणी जी बोल रहे है और उधर गिरधारीलाल भार्गव बोलना चाहते है लेकिन जो मुद्दे उठाये गये हैं वह मैं किताब में से पढ़ देता हूं फैसला आप लोग करें।

इसमें सारा प्रोसिजर है :

"If contempt is committed in the immediate presence of the House, the contemnor may not be heard. He is taken into custody by the watch and ward Officer and detained for the minimum time necessary for interrogation. The contemnor may apologise and the House may be pleased to accept it and let him off. If the contemnor has to be punished, it can be done by the House only. For this purpose a motion has to be moved by the Minister for Parliamentary Affairs. The motion may specify the period of imprisonment and the place or Jail where the accused is to be lodged.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करूं

श्री अध्यक्ष : जब तक मैं समाप्त न कर दूं आप बीच में न बोलें। जब कभी कहता हूं तो किसी मंशा से कहता हूं कि कहीं फिर मुझे सख्ती न अपनानी पड़े।

यह प्रोसिजर मैंने आपके सामने पढ़ा है। पार्लियामेंटरी मेज प्रेक्टिस भी है। एक और आथोरिटी है रामचन्द्रनन।

"Contempt ex-facie is actionable at once by the House. The offender need not be heard unless he offers an apology manifesting his contrition. If the apology is not acceptable, the House punishes him for contempt.

(श्री अध्यक्ष)
Only when the contempt is not ex-facie but out side the House, is an opportunity given to the contemnor to explain his delence."

डिफरेन्स पुस्तकों में है, एक यह भी प्रश्न आया। जो रूल्स हैं, जो प्रोसिजर है वह सम्मुख है। कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस, हाउस के बाहर कमिट हुआ तो उसमें मौका दिया गया कि उनको बुलाया जाय और उनको मौका दिया जाय लेकिन यदि कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस, हाउस के अन्दर हुआ है, हाउस के सामने हुआ है और इन प्रिजेन्स हुआ है उसके लिये कोई मौका नहीं दिया गया है।

मैं इतना ही चाहता था कि जो भी फैसला हो वह न्याय के अनुसार हो और नियमों के अनुसार हो। उनको सुनने का मौका यदि पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में हो तो उनको जरूर दिया जाय। लेकिन मैं कोई आथोरिटी अब तक नहीं पा सका हूं जिसमें ऐसा मौका दिया गया हो और अपोजिशन की ओर से जनसंघ के नेता ने भी एक भी आथोरिटी इस सम्बन्ध में कोट नहीं की है कि जिसमें ऐसे कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस के मामले में इन्डिया में कहीं किसी जगह, किसी लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में ऐसा मौका दिया गया हो। पार्लियामेंट में या सदन में कई जगह ऐसे मौक आये हैं जब कि उनको इस प्रकार का कोई मौका दिया गया हो तो आप कोट करें।

श्री केदारनाथ : ब्लिट्स का मामला आया।

श्री अध्यक्ष : ब्लिट्स वाला केस यहां लागू नहीं होता है।

एक भी केस, एक भी इन्स्टान्स ऐसा मिला हो जिसमें वकील को सुनने का मौका दिया हो और अभियुक्त को बुलाया हो...

श्री केदारनाथ : मांग के बारे में हाफ हार्टेड हैं इसलिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे जानते हैं इसलिये हाफ हार्टेड हैं।

यह विधान सभा सन् 1952 से चल रही है। 52 से लेकर आज तक 516 मौके ऐसे आये हैं जिसमें सदन का अपमान सदन के अन्दर हुआ। जिनमें से तीन पहले और एक कल में सजायें दी गयीं। इस हाउस में भी ऐसा मौका कभी नहीं आया कि उनको हाउस में बुलाकर उनको सुनने का मौका दिया गया हो और बहस करने का मौका दिया गया हो। यह इसलिये है कि कोई स्ट्रेन्जर हाउस में आ नहीं सकता है। कोई स्ट्रेन्जर यहां आकर बोल नहीं सकता। दूसरा आदमी कोई एडवोकेट हो या और कोई हो वह स्ट्रेन्जर ही माना जावेगा। फिर वह कहां सुनाएगा और किसको सुनाएगा। कई काम्पलीकेशन्स हैं। इन्डियन पार्लियामेंट या इन्डिया के किसी लेजिस्लैचर में यदि कन्टेम्प्ट हाउस में कमिट हुआ है तो उनको सुनने का मौका दिया हो इसके सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य मुझे बताये तो मैं इसमें तरमीम कर लूंगा। मुझे इस पक्ष से या उस पक्ष से कोई मतलब नहीं है। कायदे के अनुसार वाजिब बात होनी चाहिये। केशवदेव का जो फैसला था, आर्टिकल को टच नहीं किया। उसको भी छोड़ दिया। इस पोइन्ट पर फैसला नहीं दिया। केशवदेव का जो फैसला था वह सदन के बाहर का था। पर्चा निकाल दिया था जिसको सदन का

(श्री अध्यक्ष)

कन्टेम्प्ट माना गया । काफी लम्बी कहानी है और यह कोई इम्पोर्टेन्ट केस नहीं है । उसके फैक्ट्स अपने इन फैक्ट्स से मिलते नहीं हैं । मैंने जो अध्ययन किया है अब तक इन्डिया के किसी लेजिस्लैचर में या पालियामेन्ट में हाउस में कोई कन्टेम्प्ट कमिट किया हो, कोई अब तक मुझे इस पर अथॉरिटी नहीं मिली, कि उनकी और वकील को सुनने का मौका दिया गया हो ।

अन्ततोगत्वा मैं हाउस की राय जानना चाहूंगा कि क्या फैसला देना है । जो माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में हों कि अभियुक्तों को बुलाया जाय, हीयरिंग का मौका दिया जाय वे कृपया अपने हाथ खड़े करें ।

(हाथ खड़े किये गये)

जो माननीय सदस्य इस पक्ष में नहीं कि उनको बुलाया जाय वे भी हाथ उठायें ।

(हाथ खड़े किये गये)

मैं समझता हूं कि सदन की यह मंशा है कि उनको यहां सदन में नहीं बुलाया जाय ।

(करतल ध्वनि)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सजा दे रहे हैं और ताली बजा रहे हैं ।

श्री केदारनाथ : खेतसिंहजी ने दोनों हाथ उठा लिये, गलत कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि जो संकल्प, मुख्य सचेतक श्री खेतसिंहजी ने प्रस्तुत किया है और जिसमें माननीय श्री हरिदेवजी जोशी ने संशोधन प्रस्तुत किया है कि पन्द्रह दिन के बजाय सजा तीन दिन की जाय, उस संकल्प को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : हाँ पक्ष जीता ।

संकल्प संशोधित रूप में पारित हुआ ।

मांग सं० 21, 14 व 35 पर विचार एवं उनका पारण

जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वे अब बोलेंगे ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सहकारी विभाग में बैंकों के चुनाव की व्यवस्था बहुत जटिल है । एक साधारण व्यक्ति के लिये ऐसे चुनावों में हिस्सा लेना बड़ा मुश्किल है । पूरे जिले में सेन्ट्रल, अपेक्स बैंक के चुनाव होते तो पूरे जिले को एक वार्ड माना जाता है और हर एक मतदाता को जयपुर आकर मतदान करने की व्यवस्था की गयी है जो कि बहुत पेचीदा है और कीमती है और साधारण लोगों के पहुंच के बाहर की है । इसलिये सरकार इसको सरल बनाये और मतदाता को तहसील या सब डिविजन हैड क्वार्टर पर मतदान करने की व्यवस्था करें जिससे गरीब आदमी भी चुनाव में खड़ा हो सके ।

वैज्ञानिक विभाग की मांग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, यह आम बात है कि हम राजस्थान के नागरिक एक बहुत ही सम्पन्न मां के भिखारी पुत्र हैं । 8 हजार करोड़ के खनिज पदार्थ छिपे हुए पड़े हैं और जो हमें देने के लिये लालायित है लेकिन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

यह निकम्मी सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती। यह निकम्मी सरकार यहां की बेरोजगारी की समस्या को, भूखमरी की समस्या को खेती की जमीन को बांट कर गरीबी मिटाने की बात करती है और उसके पास एक मात्र यही इलाज रह गया है कि किसान की खेती को बांट कर उसको अलाभकारी जोत की जमीन करने के पीछे पड़ी हुई है और प्रदेश में हजार करोड़ की जो सम्पदा पड़ी हुई है उसको टेप करने से कतराती है। उनके पास वैज्ञानिक आधार नहीं हैं। संकल्प और प्रेरणा का अभाव है। मैं समझता हूं कि यह सरकार राजस्थान की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से अनभिज्ञ है। और वह इसको अवोइड करना चाहते हैं।

आज हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थ हमारे वित्तीय साधनों के बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान करने वाले हैं। नीमला के पास अच्छी लोहे की खानें हैं वहां से 60 से लेकर 68। 69 प्रतिशत के लोह अयस्क मिलते हैं। उसके पास पानी भी काफी है। मजदूर भी सस्ते मिल सकते हैं काफी मात्रा में। बिजली का भी प्रबन्ध करने में सरकार को कठिनाई नहीं हो सकती तो।

(6.21 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, वहां एक अच्छा लोहे का कारखाना स्थापित किया जा सकता है। इससे गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारा उत्पादन बढ़ेगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आवेगा। हमारी आय बढ़ेगी, पर पता नहीं सरकार क्यों नहीं इस तरफ ध्यान देती है?

ऐसी भी शिकायतें आम हैं इस विभाग के बारे में कि इस विभाग की मिली भगत से बगैर परमिट और लाइसेन्स के लोग खानों से खनिज पदार्थ निकाल निकाल कर बेच रहे हैं और उस तरफ सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। उनको इसकी खुली छूट दे रखी है। लेकिन जो लोग लाइसेन्स और परमिट के लिये नियमानुसार दरख्वास्तें देते हैं उनको परेशान किया जाता है। तीन चार साल तक परमिट नहीं दिये जाते। रलावता अजमेर जिले में एक जगह है जहां पत्थर की खानें हैं। वहां के काश्तकारो ने स्वयं अपने मकान बनाने के लिये उन जगहों से पत्थर निकाल लिये तो वहां के खान विभाग के अधिकारी ने एस० डी० एम०, किशनगढ़ की कोर्ट में केस चला दिया। वे बिचारे किसान आज परेशान हैं और जो बगैर परमिशन के निकाल कर खाते चले जा रहे हैं उनसे सरकार बात भी नहीं करती है। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और विभाग की इन हरकतों को बन्द करना चाहिये।

इसमें हाई पावर कमेटी की मांग भी विवाद में शामिल है। मैं निवेदन नहीं करूंगा ज्यादा क्योंकि सरकार का यह रवैया रहा है कि कोई भी कमेटी हो या हाई पावर कमेटी हो, लो पावर हो या मीडियम पावर की हो उसके बनाने करने में खर्चा अनाप शनाप करेगी। पर उनकी सिफारिशों को तब तक नहीं मानती है जब तक लोग तोड़ फोड़ न करें या उत्तेजित और हिंसक वातावरण नहीं बनावें।

पंचायतों के बारे में सिफारिशें आई कि इनका तत्काल चुनाव कराया जावे क्योंकि ये पंचायतें मृत प्रायः होती जा रही हैं। पर सरकार चुनावों को टालती जा रही है। मैं कहता हूं कि या तो आप इनको मृत घोषित कर दें या इनको जिन्दा रखने के लिये चुनाव

(श्री मूलचन्द सामरिया)

करावें और उन कमेटियों की सिफारिशों पर अमल करें या जो सिफारिशें आप ठीक नहीं समझते हैं तो उसके बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दें। अपनी बात लोगों के गले उतारें। पर सरकार चुनावों से कतराती है। क्यों कतराती है यह वही जाने।

मान्यवर, यह सरकार हर अच्छे काम से कतराती है और हर बुराई से प्रेम करती है, उससे लिपटती है। उसे गले लगाती है। जैसे मैं बताऊं। गरीबों को एक तरफ यह सरकार शराब पिलाती है तो दूसरी तरफ लॉटरी खोलकर उनको जुआ खेलना भी सिखाती है और उनको बरबाद करने का पूरा का पूरा सिस्टम चला रखा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जो गेम ऑफ चान्स है डेफीनेट्ली वह जुआ होता है और जो गेम ऑफ स्किल वह जुआ नहीं है। लॉटरी इज ए गेम ऑफ चान्स। इसलिये यह सरासर जुआ है। इस तरह से यह सरकार इन बुराइयों में तो जनता को जोरों से धकेलती है, इन बुराइयों को गले लगाती है। हर अनैतिकता की कमाई पर जिन्दा रहने के लिये शायद इस सरकार ने कमर कस ली है। इसलिये मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहूंगा।

ग्रान्ट इन एड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में निवेदन करूंगा कि सत्तादल के लोगों में और विरोधी पक्ष के लोगों में भी बहुत से ऐसे हैं जो हरिजनों के और आदिवासियों के हित चिन्तन में दुबले हो रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हरिजनों की बस्तियों में नल लगा देंगे, पानी पहुंचा देंगे, बिजली पहुंचा देंगे, स्वर्ग बना देंगे, इन्द्रपुरी और बैकुण्ठ और ब्रह्मपुरी न जाने क्या क्या वे करना चाहते हैं। रोज नारे लगाते हैं। रट लगाते हैं पर माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आज जो नगरपालिका को आप हरिजनों और आदिवासियों के मोहल्लों में नल बिजली लगाने के लिये जो पैसा देते हैं उसका किस तरह से दुरुपयोग होता है और इस आड में निहित स्वार्थ वाले लोग किस तरह से अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे मोहल्ले हैं शहरों में हरिजनों के कि जहां सफाई तो दूर रही उल्टे इस तरह से गन्दे वे हैं जहां आप अगर चले जावें तो एक घंटे के लिये भी खड़े नहीं हो सकेंगे। उल्टी किये बिना आप नहीं रहेंगे। बेहोश तक हो जावेंगे और उल्टे खाट में पटक कर या तो अस्पताल भेजे जावेंगे या घर पर पहुंचाये जावेंगे। इस तरह की दुर्गन्ध से और गन्दगी से भरे स्थानों में ये लोग रहते हैं जिनका भला करने की बात आप गला फाड़ फाड़ कर कहते हुए नहीं थकते। इस तरह के स्थानों में ये लोग आज भी अपना जीवनयापन कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह से किस व्यवस्था के लिये आप लोग लगातार आश्वासन इस सदन में हमें देते रहते हैं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि बहुत बड़े बड़े नारे जो आप लोग लगाते हैं कि हम लोगों के लिये आप भू-खण्ड दे देंगे, स्वर्ग और बैकुंठ का रास्ता आप हमें दिखा रहे हैं तो आप सबसे अधिक छल कपट और धोखा करते हैं हमारे साथ। इसलिये निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी को जो एड आप देते हैं उसके खर्च करने में नगरपालिका के पदाधिकारियों के अलावा उस नगर या स्थान के जो शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं उन लोगों में से प्रतिनिधियों को लेकर उनकी देखरेख में यह एड जो उनके लिये दी जाती है, खर्च की जानी चाहिये।

मैं निवेदन करूं कि इसके अभाव में इस एड का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है

(श्री मूल चंद समरिया)

इसका एक नमूना आपको बताता हूं। दौसा में जहां बिजली पानी के लिये हरिजन बस्तियों में पहुंचाने के लिये एक दी गई थी उसका बुरा हाल हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह बिजली पहुंचनी चाहिये थी हरिजनों के मोहल्लों में उनके स्थान पर पहुंच गई सवर्णों के मोहल्ले में। वहां के एम. पी. साहब के एक बड़े भाई हैं कन्हैयालालजी। उनका एक मकान गंज के दक्षिणी दरवाजे पर बना है। हरिजनों के कल्याण का पैसा उनके कल्याण में लगा दिया गया। वहां तक पानी की लाइन खींच दी गई वहां से 300 गज की दूरी तक आदिवासी ... नहीं हैं। पर एम. पी. साहब के इन बड़े भाई के आगे लाकर लाइन छोड़ दी गई और हरिजनों के कल्याण के खाते में यह 30 लाख की रकम खर्च दिखा दी गई। अगर आप ऐसा ही हरिजनों का डवलपमेंट करना चाहते हैं और इन लोगों का ही उद्धार करना चाहते हैं तो करें। मुझे आपत्ति नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूं कि यह सरकार हमको बदनाम करती है नहीं तो रेपेटिव तरीके से वास्तव में जहां इनकी आवश्यकता है जिनके लिये खर्च किया जाना है उन लोगों के प्रतिनिधियों को या उन्हीं लोगों को पूछकर उन लोगों की कमेटी के द्वारा खर्च किया जावे तो कुछ अच्छा होगा। नहीं तो यह पैसा इसी तरह से खर्च होता रहेगा। हरिजन आदिवासी को इसका लाभ नहीं मिलेगा, वे उसी तरह गन्दी जगहों में अपना जीवन यापन करते रहेंगे। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री ... सिंह ...।

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री चेतराम।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिये जो समय दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सहकारिता की मांग पर बहस चल रही है। इस समय राजस्थान में सहकारिता का जो ढांचा है वह बहुत ही निराशाजनक है। जिन लोगों के लिए यह सहकारिता बनी थी या जिनके लाभ के लिए जिनके पोषण के लिए सहकारिता का गठन किया गया था और जिस तरह से इसका इतिहास रहा, इसको देखें तो देखेंगे कि गरीब किसान को शोषण से बचाने के लिए, गरीब मजदूर को शोषण से बचाने के लिए इस सहकारिता की स्थापना हुई थी। लेकिन आज इसी सहकारिता के नाम पर इसकी आड़ में गरीब किसान का और मजदूर का शोषण किया जा रहा है।

श्री लूणाराम : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए, कोरम नहीं है।

(गणाभाव-सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री चेतराम : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि सहकारिता के द्वारा गरीब लोगों का शोषण होता है। हम देखें कि इसके असफल होने का कारण क्या है? इसकी असफलता का मुख्य कारण एक तो यह है कि इस पर राजनैतिक हस्तक्षेप है। इसमें से जब तक इस राजनैतिक हस्तक्षेप को दूर नहीं करेंगे तब तक सहकारिता सफल नहीं हो

(श्री चेतराम)

सकती। इसके साथ ही यह हम देखते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप के अलावा दूसरे जो कारण हैं सहकारी समितियों के समय पर चुनाव न होना है। आज सवाई माधोपुर की सोसायटीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा 50 प्रतिशत से अधिक ऐसी सोसायटीज हैं जिनका चुनाव 8-8, 10-10 साल से नहीं हुए। डिपार्टमेन्ट को लिखा गया है लेकिन उसके बारे में कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता है। इन सोसायटीज का समय पर चुनाव न होना और कुछ मिले जुले व्यक्तियों के हाथ में सोसायटीज का होना इससे लोगों में निराशा फैलती है और सोसायटीज की तरफ से उनका ध्यान उठ जाता है और इसी कारण सोसायटीज को असफलता मिलती है।

जितनी सोसायटीज डिफाल्टर हैं उसके बारे में निवेदन करूंगा। यदि राज्य सरकार का सर्वे कराया जाय तो उनमें से अधिकतर सोसायटीज ऐसी होंगी जिनका समय पर चुनाव नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है। जिस संस्था का नीचे से ऊपर तक ग्राम इकाई, तहसील इकाई, जिला इकाई और राज्य स्तर की इकाई पर चुनाव प्रणाली सही न हो। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा सहकारिता विभाग में एक अलग यूनिट स्थापित कराई जाय कि समय पर चुनाव कराते रहें और चुनाव स्थानीय आॅफिसर्स वगैरह द्वारा न होकर एक निष्पक्ष प्रणाली एवं निष्पक्ष बॉडी द्वारा होना चाहिए। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा मैं समझता हूं सहकारिता में सफलता नहीं मिलेगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी थोड़े दिन पहले गंगापुर में चुनाव हुए। वहां पर एक इन्सपेक्टर महोदय गये और नोमीनेशन फार्म सिर्फ 6 आदमियों के स्वीकार किए और बाकी के रिजेक्ट कर दिए। इस तरह के उदाहरण जगह जगह मिलते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा सहकारिता को सफल बनाना है तो राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर रखें। राजनैतिक हस्तक्षेप के लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा जिले में बारां मार्केटिंग सोसायटी है। इस सोसायटी के बारे में कहूंगा। वहां के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री प्रभुलाल गुप्ता थे इस बारे में इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है—अखबारों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और वहां के रेकार्ड के बारे में ऑडिट ने पैराज भी दिए हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसा उदाहरण एक नहीं राजस्थान में अनेक सोसायटीज में मिलता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा यदि इस तरह के हस्तक्षेप पर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं सहकारिता अभियान ही असफल हो जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। इस समय सहकारिता का जो ढांचा है वह इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिए। पंचायत समिति में सहकारिता प्रसारण कार्य सोसायटीज के इन्सपेक्टर (C. E. O.) के द्वारा होता है वह एक तरफ तो सहकारिता विभाग से सम्बन्धित होता है और दूसरी तरफ जो कन्ट्रोल होता है वह बी० डी० ओज० का होता है। इस तरह जो दोहरा शासन है वह स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा सहकारिता विभाग के जो भी कार्य हैं निष्पक्ष हों-सिर्फ कोआर्डिनेशन होना चाहिये, आॅफिसर्स का कोआर्डिनेशन हो और उनके लिये डेली डायरी हो, किसी प्रकार की

Page No 166

(श्री चेतराम)

कोई रिटर्नस हो चाहे वह मंथली हो कि आपके क्षेत्र में किस समय क्या कार्य हुआ है, इसका ब्योरा होना चाहिये। ग्राम बेसिस पर हो, जिला बेसिस पर या प्रान्त बेसिस पर हो, उसका एक संकलन हो सकता है। उसको इन्डिपेन्डेन्सी दी जाय। रोजाना देखते हैं पंचायत समितियों में सहकारिता प्रसार अधिकारी, प्रधानों या बी०डी०ओज० के दबाव में आकर स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और जितनी सोसायटीज हैं उनमें 50 प्रतिशत कार्य ऐसा होता है या तो इन्सपेक्शन नहीं कर पाते हैं और करते हैं तो राजनैतिक दबाव में आकर मिटा देते हैं। इसलिये डाइरेक्ट विभाग के अंडर में होना चाहिये सिर्फ कोआर्डीनेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही यह देखा जाता है जितनी सहकारी समितियां हैं और जब से बनी हैं उनके जो सदस्य हैं उनको जो लाभांश या हानि होती है, उनके सदस्यों को आज तक नहीं बताया जाता है कि सोसायटीज की क्या स्थिति है। यदि उत्साहित करना है तो ईयरली या जैसा भी पीरियड हो उनके सदस्यों को यह बताया जाय और लाभांश का हिस्सा देना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि इस समय खानों पर जो कार्य हो रहा है वह दो प्रकार से हो रहा है-एक व्यक्तिगत रूप से लीज पर और दूसरे कोआपरेटिव सोसायटीज के बेसिस पर। कोआपरेटिव सोसायटीज का कार्य बहुत गिना चुना है। जो पर्सनल ठेकेदार हैं बहुत बड़े मसले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसके साथ ही निवेदन करूंगा यदि सरकार खानों से सही माने में लाभांश कमाना चाहती है और डेड रेन्ट को उगाहना चाहती है, सेल्स टैक्स की चोरी को बचाना चाहती है, इन्कम-टैक्स की चोरी बचाना चाहती है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। जब तक पत्थर की खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा मैं समझता हूं यह भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। एक बहुत बड़े पत्थर के व्यापारी हैं जो थोड़े दिनों पहले एक मात्र पत्थर के व्यापारी थे-झूमर लाल स्वरूप नारायण, करौली क्षेत्र में बयाना रूपवास में आज भी जो ठेका देते हैं सरकारी कर्मचारियों से मिलकर जो प्लाट होते है उसमें दो-चार प्लाट मध्य में इसलिये रख लेते हैं और उसका ठेका नहीं कराते हैं। मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं जो प्लाट जान बूझकर रखवाते हैं। उसमें जो पत्थर होता है वह सुपीरियर क्वालिटि का होता है और उसका अतिक्रमण करके फायदा उठाते हैं और डेड रेन्ट का भी फायदा उठाते हैं। मैं निवेदन करूं जितने पत्थर की जो क्वालिटी होती है वह बहुत ऊंचे पैसे में बिकती है। एक तरफ तो सरकार को इन्कम-टैक्स और सेल्स टैक्स से वंचित रखा जाता है दूसरी तरफ डेड रेंट एवं रायल्टी की चोरी की जाती हैं इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा ऐसे केसेज करौली में, रूपबास में, बयाना में हैं। इसी तरह इस फर्म ने जो दूसरा इलाका है उस पर भी अतिक्रमण किया है। सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है तो भूमि, पहाड़ को ठेके पर देने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा खनिज पत्थर है या कोई है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं।

(श्री चेतराम)

कामा और पहाड़ी में शोरा साल्ट पीटर का ठेका होता है और उस ठेकेदार की एक प्रकार की मोनोपोली समझिये । सरकार उसको बार बार ठेका दे देती है और टेन्डर भी इन्वाइट नहीं करती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं वह ठेकेदार मिट्टी से शोरा बनाता है और उसी को रॉ-मेटेरियल के रूप में उत्तर-प्रदेश में ले जाता है । मैं सरकार को कहना चाहता हूं वह प्योर शोरा होता है और सेल्स टैक्स के रूप में केवल 7 प्रतिशत देता है जबकि बहुत कम सेल्स टैक्स के रूप में दिया जाता है। यहां एक चोरी और होती है वह ट्रक जिसमें वह लेजाया जाता है उसकी कीमत हजार, बारह सौ बताई जाती है । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले इसी ठेकेदार ने कुछ लोगों के खिलाफ चोरी का केस पुलिस में कामां थाना के अन्दर रजिस्टर कराया और डीग थाने में भी रजिस्टर कराया । उन्होंने उसी मेटेरियल की कीमत 5,000 रुपये की लिखाई है और जब कि वह पेमेन्ट करते हैं तो कहते हैं कि हजार 1,200 का है....

श्री अमृतलाल गहलोत : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, कोरम नहीं रहा ।

(गणाभाव-सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री चेतराम : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब वह उस माल को राजस्थान से बाहर ले जाता है तो उसकी 1,000 या 1,200 रुपये की कीमत बताता है और चोरी की रिपोर्ट करता है तो उसकी कीमत 5,000 रुपया बताता है । जब कि वह मेटेरियल उतना ही वेट में होता है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी शीघ्र ही जांच की जाये और 5,000 रुपये के हिसाब से एरियर का नोटिस देकर उसकी रिकवरी होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में बाहर से अड़चनें आती हैं वहां कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कुछ जान बूझकर भी इस प्रकार की लापरवाही करता है । मैं आपकी सेवा में एक केस लाना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ । उस अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक व्यक्ति चुना गया और उसकी प्राथमिक सदस्यता, जिस सोसाइटी की थी, वहां से उसकी सदस्यता खतम की गयी । उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया और अपील की गयी । मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उसकी प्रारम्भिक सदस्यता ही समाप्त कर दी गयी तो राज्य सरकार ने उसको अभी तक अध्यक्ष पद पर कैसे बैठाये रखा है। इसके लिए मैं आपको एक केस कोट करना चाहता हूं । थोड़े दिन पहले अपेक्स बैंक के अध्यक्ष, श्री नत्थीसिंह को इसी ग्राउण्ड पर सदस्यता से हटा दिया गया था और राजस्थान सरकार का ध्यान बारबार दिलाने के बाद भी राज्य सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी हैं उनके जो चुनाव हों वह निष्पक्ष हों । यदि राज्य सरकार उसको एक साथ नहीं करा सके तो जिले बांट दिये जायें, सब-डिविजन बांट दिये जायें और जो इलेक्शन मशीनरी है वह निष्पक्ष

(श्री चेतराम)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री मुंशीलाल।

श्री मुन्शीलाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज सहकारिता पर मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें सहकारी आन्दोलन को सरकार सफल बनाने में असफल रही है। वास्तव में देखा जाये तो सहकारिता आन्दोलन हमारे प्रदेश में एक ऐसा आन्दोलन था जिससे कि गरीबों को बहुत बड़ी आशायें थीं और हमारे प्रदेश में काश्तकारों की, भूमिहीनों की, औद्योगिक और हर प्रकार की सहकारी समितियां बनीं और उससे प्रदेश में एक ऐसा इमेज बना था कि सहकारिता के जरिये हमारे देश में समाजवाद आयेगा। पूज्य नेहरूजी ने भी कई बार इस प्रकार के भाव व्यक्त किये थे कि सहकारिता के जरिये समाजवाद इस देश में आयेगा। एक से सबका भला और सबसे एक का भला इस प्रकार भ्रातृत्व की भावना, सहयोग करने की भावना और एक दूसरे से मिलकर सहकारी संस्थाओं को चलाने के लिए सहकारिता का आन्दोलन चलाया गया था लेकिन वास्तव में हुआ क्या कि यह एक स्टेट पॉलिसी बन कर रह गया। राजस्थान सरकार की नीति सहकारिता तक ही सीमित रह गयी और यह आन्दोलन जनता तक नहीं पहुंच पाया। इसके कारणों पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा।

इसका पहला कारण यह है कि सहकारिता के क्षेत्र में जहां भी सहकारी संस्थायें बनीं कोई न कोई पूंजीपति उसमें घुस गया और बड़ी से बड़ी संस्था को भी उसने फेल की। दूसरे राजनैतिक दबावों के कारण हस्तक्षेप हुआ और वह संस्थायें फेल हुईं। कुछ संस्थायें अकाउन्ट्स आदि सही सही नहीं रख सकीं इसलिए वह संस्थायें फेल हुईं—चाहे उन्होंने ईमानदारी से ही काम किया हो। इस तरह से सहकारी आन्दोलन एक स्टेट पॉलिसी रहा, वह जनता का आन्दोलन, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं बना।

मैं उदाहरण पेश करूंगा जिससे साबित होगा कि वास्तव में गरीबों की जो आशायें लगी थी वह पूर्ण नहीं हो सकी। आज हम देखते हैं कि जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के आधार पर चलती हैं जैसे जयपुर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अपेक्स बैंक चाहे काश्तकारों को लोन देने वाली हो। चाहे हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी हो या भूमि विकास बैंक हों—जितनी भी सहकारी संस्थाओं को फाइनेन्स करते हैं वित्तीय सहायता देकर उन संस्थाओं को चलाने का जिन के ऊपर जिम्मेदारी है उनके जो भी कानून बने उनका प्रोसीजर इतना कठिन रखा गया कि हमारे प्रदेश के जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अज्ञान हैं उनको सुविधा से लोन नहीं दिया गया। तो मैं पहले यह निवेदन करूंगा और सहकारी विभाग के अधिकारियों से आपके जरिये रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस प्रकार के नियम बनायें कि जिससे लोगों को कठिनाइयां न हों। जैसे भूमि विकास बैंक हैं जो काश्तकारों को लोन देती हैं उसमें जब कि जमाबन्दी, खालसा गिरदावरी और पास-बुक के नक्शे तहसीलदार सर्टीफाई कर देता है और खातेदारी की ओनरशिप तस्दीक कर देता

(श्री मुन्शीलाल)

है तो उसके बाद पब्लिक इन्क्वायरी क्या है ? इसमें नाजायज तरीके से काफी समय खराब होता है जब कि कॉमर्शियल बैंक में ऐसा नहीं है। इसी के साथ ही साथ हमारी हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी है उनमें लीगल एडवाइजर्स हैं उसके लिए 1 मेम्बर से लेकर 25 मेम्बर्स तक की हाउसिंग सोसाइटी बनी तो लीगल एडवाइजर 500 रुपये लेता है। 25 से 50 तक की कोई सोसाइटी होती है तो लीगल एडवाजर 1,000 रुपया लेते हैं और 50 से 75 मेम्बर्स की हाउसिंग सोसाइटी है तो 1,500 रुपया लेते हैं। इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हाउसिंग सोसाइटीज जो बनी हैं और जो हाउसिंग की फेसेलिटी उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिससे हम गरीबों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार का तरीका अपनाया जाता है यह गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की अनियमिततायें करके इन लीगल एडवाइजर्स के बहाने अपने ही लोगों को पनपाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ? मैं निवेदन करूंगा कि भूमि विकास बैंक में इस तरह का केवल 20 रुपया है जब कि लीगल एडवाइजर्स का काफी रुपया लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन को बदनाम करने वाले लोग हैं उनको निकाल देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इससे हाउसिंग सोसाइटी के लोगों में काफी असन्तोष है।

इसके साथ ही दूसरे जो फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो कोआँपरेटिव के आधार पर चलते हैं उनके नियमों में सरलीकरण होना चाहिए। और इतना होना चाहिए कि आम जनता और गरीब से गरीब लोग भी सोसाइटीज बनाकर उनको थोड़ा रुपया मिल जाये। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् 48 में कुछ बुनकर सहकारी समितियां बनी थीं और पूज्य बापू के आन्दोलन के साथ ही साथ खादी और हाथकर्घा उद्योग के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला था। उस समय जो सहकारी समितियां बनीं वह 52 तक चलती रहीं। उसके बाद कुछ राजस्थान अपेक्स सोसाइटीज बनीं लेकिन 1958 या 59 में यह हाथकर्घा सहकारी समितियां राजस्थान अपेक्स बुनकर सहकारी संघ के अन्तर्गत आ गयीं और कुछ साल तक यह संघ चला और आज तो उसकी ऐसी हालत है कि वह लिक्विडेशन में आने वाली है। जब कि 4 लाख रुपये का अनुदान देकर सहकारी संघ को बचाया। तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 750 बुनकर सहकारी समितियां हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और मिलना चाहिए लेकिन अगर यह उद्योग, जो कि सहकारी समितियों के जरिये होता है, आप कहते हैं कि साड़ियां नहीं बुन सकते, जो बैडशीट्स तैयार होती हैं उनको नहीं बुन सकते, हर जिले में हर इलाके में बुनकर लोग हैं, वे गरीब लोग हैं, मूक लोग हैं जो बोल नहीं सकते और अपने संकट को रख नहीं सकते हैं...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि इन बुनकर सहकारी समितियों को प्राईमरी से लेकर सेंटर सोसाइटीज तक, अपेक्स सोसाइटीज तक पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उनको वित्तीय संस्थाओं से इमदाद दी जानी चाहिए जब कि हैंडलू

(श्री मुंशीलाल)

इंडस्ट्री फॉरेन एक्चेंज तक अर्न करती है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार द्वारा इसके प्रति उदासीनता का व्यवहार क्यों किया जाता है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए निवेदन करूंगा मंत्री महोदय को कि इसकी प्लानिंग तैयार करावें। जैसे यू० पी० गवर्नमेंट ने हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये किया है और कौऑपरेटिव मूवमेंट पर चलाते हैं, उसके लिये एक प्लानिंग तैयार किया है और दो हजार ऊन की गाँठें इन बुनकरों में बांट कर उनको बड़ा भारी रोजगार दिया गया है। जब कि हमारी कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि हम राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको खत्म करें जब कि बुनकरों का जो क्लासिकल धन्धा है, बड़ी बड़ी मिलें पूंजीपतियों ने लगा कर इन लोगों का धन्धा छीन लिया है। मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि इस मामले में प्लानिंग तैयार करे और इन सोसायटियों को पुनर्जीवित करें।

इसके साथ सेवा सहकारी समितियों, जो एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं उनमें भी जो आपके मैनेजर लगे हुए हैं, जो जयपुर सैंट्रल बैंक के जरिये ऑर्गनाइज होते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इनके बारे में इस प्रकार की चर्चा है कि इनको हटा दिया जाय। एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी की समस्या को मिटाना चाहती है और दूसरी तरफ जो रोजगार पर लगे हुए हैं उनको बेकार करना चाहती है। इस तरह से सहकारी आन्दोलन में जो युवा पीढ़ी के लोग अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं उनको काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सहकारिता की दुर्दशा है उस पर ध्यान दिया जाकर उनके लिए प्लानिंग तैयार किया जाना चाहिये और प्लानिंग वे में इस सहकारिता के जरिये से समाजवाद लाया जाय ताकि गरीब लोग शोषण से मुक्त हों। मैं आपको एक सुझाव अच्छा और देना चाहता हूं कि जैसे हमारे यह जो 90 लाख टन कपास होती है तो आज अगर कोई सूत की मिल या कपड़े की मिल सहकारिता के आधार पर चलाई जाय तो हजारों आदमियों को फायदा हो सकता है। और उसका वाजिब पैसा काश्तकारों को मिल सकता है। किसानों की पैदाइश को फ्री मार्केट में छोड़ देना और उनको वाजिब पैसा नहीं मिलना कोई अच्छी परम्परा नहीं है। आज जब सरकार गेहूं का राष्ट्रीयकरण करने जा रही (समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत घंटी) है तो मैं यह मानता हूं कि आज प्राईवेट डीलर्स को जो चीनी वितरण करने के लिये, गेहूं और दूसरे अनाज को वितरण करने के लिये लगाया है तो वे बड़ी डिसऑनेस्टी से काम करते हैं। यह सारी व्यवस्था, जो भी अनाज के वितरण की व्यवस्था करना चाहते हैं, वह जो जनता में वितरण करना चाहते हैं उनके लिये जरूरी हो जाता है कि सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन के बारे में आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन गरीबों की मदद के लिये है लेकिन आज सहकारिता आन्दोलन की आड़ में आए दिन

(श्री चतुर्भुज)

हम देखते हैं कि इस संस्था के जरिये बहुत कम लोगों को लाभ मिला है। और इसमें जो कठिनाइयां हैं मैं उनको सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन के कार्यों में जो भ्रम है, जो कठिनाइयां हैं उनका सुधार किया जाना चाहिये जिससे कुछ लोगों को और अधिक लाभ मिल सके। आज सहकारिता से बहुत से लोगों को इसकी मदद मिल रही है लेकिन जितनी आशा इससे हम लगा कर बैठे थे उतनी पूरी नहीं हुई है। इसके कई कारण हैं कि सहकारिता के अन्दर जो निजी स्वार्थी तत्व के लोग इसमें घुसे हुए हैं, जो ऐसे गरीब वर्ग की आड़ में उनको आगे रख कर उनका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। इसमें रोक लगाई जानी चाहिये और कानूनी तरीके अपनाए जाने चाहियें। जो सहकारी समितियों से हजारों रुपयों का कर्जा लिया जाता है या कोई सदस्य के नाम से कर्जा लिया जाता है, तो वह कर्जे का रुपया मौके पर दिया जाय और कर्जा वापिस जमा होता है या नहीं होता है यह तक सदस्यों को मालूम नहीं होता। जो ऋण दिया जाता है उसके लिए मैं कहता हूं कि इसमें सरकार को कुछ तरीका अपनाना चाहिए। एक तो जितनी भी रकम दी जाती है वह रकम राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा उन सदस्यों को ग्राम स्थान पर दी जाय, लोकल आदमी को नहीं। अध्यक्ष, मंत्री वगैरह भी इसके बनते हैं, कम पढ़े या लोग होते हैं देहातों में उनके साथ कुछ दो चार स्वार्थी तत्व लग जाते हैं और उनका नाजायज फायदा उठाते ह इस अन्दर सुधार किया जाय। दूसरी तरफ इसमें ऐसा है कि हर छठे महीने ग्राम सभा की मीटिंग में लेखा जोखा होता है पंचायत का। मैं चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन का भी इसी तरह ग्राम सभा में लेखा जोखा होना चाहिए कि सदस्यों के द्वारा कितना रुपया लिया गया, दूसरों ने कितना लिया। यह आंकड़े ग्राम सभा में जरूर आने चाहिएं जिससे सदस्यों को सूचना हो कि ग्राम सहकारी समिति में कितने सदस्य हैं।

इसके साथ इसमें मैंने कई बातें ऐसी देखीं कि कुछ स्वार्थी बड़े बड़े लोग अपने परिवार के लोगों को मिला कर सहकारिता के नाम से फार्म बना कर बैठ गए हैं और उन परिवार के सदस्यों के नाम पर लाखों रुपये का कर्जा लेकर फायदा लेना चाहते हैं। मेरे खयाल में यह सरकार की नजर में है और नजर में नहीं हो तो इसकी जानकारी करलें और हर क्षेत्र में सच्ची सहकारी समितियां, सहकारी संस्थायें कायम की जावें जिससे आज जो हम समाजवाद के रास्ते जा रहे हैं और समाजवाद के रास्ते को हम अपनाना चाहते हैं वह हमको मिल सके और लोगों को इससे पूरा फायदा मिल सके। नहीं तो होता यह है कि बड़े बड़े लोग अपने परिवार के नाम संस्था में दर्ज करवा कर और उनकी सहकारी समिति बना कर लाखों रुपयों का ऋण लेकर अपना नाजायज फायदा उठाते हैं। उससे गरीब लोग वंचित रहते हैं और देहाती लोगों के पास धनराशि नहीं पहुंचती है। उसके कारण जो गरीब तबके के देहाती लोग हैं उनको फायदा नहीं पहुंचता है। अक्ल के बिना, पढ़ाई के बिना, कानून की जानकारी के बिना वे लोग पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इसके साथ मैं दूसरा खनिज विभाग के

(श्री चतुर्भुज)

बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत बड़ा साधन आय का सरकार को हो सकता है। माईनिंग डिपार्टमेंट के अन्दर यह मामूली बात नहीं है। हर प्रकार की धातु से कितनी आय सरकार को हो सकती है। लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि खनिज विभाग के अन्दर इतने जो कानून हैं वे सब छोटे आदमियों के लिए हैं और बड़े आदमी कानून के दायरे से दूर हैं। इस माईनिंग डिपार्टमेंट के सारे कानून छोटों के लिए हैं, छोटे ठेकेदारों के लिए हैं, बड़ों के लिए नहीं.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो बड़े बड़े लोग हैं उनको खुली छूट देना कि वे मन चाहे जो करें और छोटे छोटे ठेकेदारों को कानून में बांध कर तंग करना दुर्भाग्यपूर्ण है।......

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत घंटी)

चाहे कैसे भी ठेकेदार हों, पट्टी कातले या दूसरे छोटे छोटे कामों के ठेकेदार उनके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाता है और बड़ों के साथ जो सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, कोई कानूनी तौर पर व्यवहार नहीं किया जाता है, यह बड़े दुख की बात है। कानून तो सब के लिए बराबर है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि बड़े आदमी नाजायज फायदा नहीं उठा सकें और हर क्षेत्र में फायदा पहुंचे। इसके साथ... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....

दो मिनिट निवेदन करना चाहता हूं।

....(अनवरत घंटी)...

शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शिक्षा के बारे में कल आपको समय दिया जाएगा, आर्डर प्लीज।

श्री चतुर्भुज : शिक्षा एक समुद्र है, उसके शिक्षकों का जो आन्दोलन है....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर कल बहस होगी, अतः माननीय सदस्य आप कल बोल लें..

श्री देवीलाल। (अनुपस्थित)

श्री माणकचंद सोगानी। (अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्षजी, इस सहकारी आन्दोलन को जिस तेजी से और जिस उत्साह से शुरू किया गया था, अब यह कहते हुए दुख होता है कि आज जो इस सहकारी आन्दोलन का हाल हुआ है, उसका वर्णन करने के काबिल नहीं हैं। जिस ढंग से क्वालिटी की ओर न देख कर क्वान्टीटी की तरफ ध्यान देकर दनादन सोसाइटीज दर्ज करते चले गए और हर साल आंकड़े बताकर यह कहा गया कि टारगेट पर पहुंच गए हैं। इतना शोर इसका मचा था और इस तरह से काफी जोर से यह आन्दोलन चला था परन्तु अब आज जो यह प्रगति विवरण की पुस्तिका देखने से हमें दुःख होता है कि इतने वर्ष सह का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आन्दोलन के चलने के बाद भी जिस ढंग से इसकी दुर्गति हो रही है, यह खेद का विषय है। होना तो यह चाहिए था कि जब हम समाजवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो इस विभाग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसकी जो खामियां थीं उसको दूर कर के इन सोसाइटीज का नवीनीकरण करके, जितनी पापुलेशन थी उसको कवर करके अच्छे ढंग से इनको चलाने की आवश्यकता थी। अगर सहकारी आन्दोलन को अच्छी तरह से चलाते, मार्केटिंग सोसाइटीज, सर्विस सोसाइटीज, कन्ज्यूमर्स स्टोर्स, क्रय-विक्रय संघ को मजबूत करते तो माननीय खाद्य मंत्रीजी को यह नहीं कहना पड़ता कि हमारे पास खाद निगम ही एक ऐजेन्सी है और दूसरी ऐजेन्सी हमारे पास सहकारी विभाग की कोई ऐजेन्सी नहीं है। और इसको भी सरकारी व्यापार का एक अंग बना सकते। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इतने वर्षों के आन्दोलन के बाद भी क्रय विक्रय संघ, मार्केटिंग सोसाइटी, जिनके जरिए काश्तकारों का भला कर सकते थे, उनके सरप्लस माल को खरीद कर, रख कर, उस पर 75 प्रतिशत पैसा देकर और भाव आने पर उस माल को बेच कर काश्तकारों को पैसा चुकाने का जो ऐम था वह डिफीट हो गया है। यह देखने को मिलता है कि काश्तकारों का माल, फसल मार्केट में आती है तो वह माल सस्ता बिकता है और जब वह पूरी तरह से व्यापारियों के हाथ में चला जाता है तो उसकी तिगुनी, चौगुनी कीमत हो जाती है। सहकारी मार्केटिंग सोसाइटीज इसमें फेल हो चुकी हैं। आपको मालूम होगा कि फर्टीलाइजर की ऐजेन्सी मार्केटिंग संघ को दी गई थी परन्तु यह उस वक्त में दी गई थी जब कि उनके पास में पूरे साधन नहीं थे। अब जब फर्टीलाइजर की मांग बढ़ी तो यह उनसे वापिस ले ली गई है। थोड़ा सा सोसाइटी को भी अपने पैरों पर खड़ा होने देते परन्तु उसके पहले ही उससे वापिस लेने से ऐसा लगता है कि इस विभाग की इस तरह से ही दुर्गति करनी थी, इसको फेल करने की यह योजना थी। अब सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित कर के वास्तव में हम चलाना चाहते हैं तो सोसाइटी को एक वाएबल यूनिट बना कर, हरेक पंचायत क्षेत्र के अन्दर एक ही सोसाइटी हो और हर परिवार या हर घर उसका मेम्बर हो तो इसका बेनीफिट मिल सकता है। इससे इसकी सहकार की जो मंशा है उसकी पूर्ति हो सकेगी और गरीब तबके को भी फायदा हो सकेगा। परन्तु इसका यह जो ऐम था वह डिफीट हो गया है। वाएबल यूनिट कितनी है और उनकी क्या हालत है, यह प्रगति विवरण में नहीं है। यह साफ जाहिर है कि बजट भाषण में, गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में सहकारी आन्दोलन को गति देने की घोषणा नहीं की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सोसाइटीज का नवीनीकरण करके आज इनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। इमानदार लोग इसमें रह सकें, इसके लिए उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जो बेईमान, रिश्वतखोर हैं और सोसाइटिज में घुसपेठ कर चुके हैं, उनको इसके अन्दर से निकाला जाना चाहिए। परन्तु वे आज दिन तक बैठे हुए हैं। ये जो ऐसी सोसाइटिज हैं जो कि राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करती है। फिर भी उनको प्रोत्साहन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मिलता है। उपाध्यक्ष जी, यह बात कहते हुए मुझे शर्म होती है। बार बार इस संस्था केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालोर का प्रश्न उठाना पड़ता है। यह एक बैंकिंग इन्स्टीटयूशन, मार्केटिंग सोसाइटीज है जिसकी ओर मैंने मंत्री महोदय का कई बार ध्यान आकर्षित किया है और आज से दो साल पहले ही इस बात को यहां पर कहा था। अब दो साल बाद जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट आई है, उससे राज्य सरकार के सामने इसके पूरे आंकड़े आ गए हैं कि यह संस्था घाटे में चली गई है। इसके भी कई कारण हैं। रिकवरी नहीं की गई है। ड्यूज चल रहे हैं। वहां के कर्मचारियों में पार्टीबाजी है। टारगेट के अनुसार वसूली नहीं होती है। यही हालत नहीं है जिसको लोन दिया गया है उसका भी पूरा हिसाब नहीं है। इस प्रकार की नीति है, ऑफिसरों के ऊपर किसी का कन्ट्रोल नहीं है। ये एक दूसरे की अवहेलना करते हैं। इस प्रश्न पर मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था और रजिस्ट्रार ने वहां जाकर इन्क्वायरी भी की है, इसके बारे में कार्यवाही करने की कोशिश की है परन्तु अब भी ऑफिसर बराबर सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उनको सजा देने की कोशिश नहीं की गई है। यह बड़े अफसोस की बात है। जो जनता के हित के लिए संस्थाएं हैं, जहां पर इर्रेगुलेरिटिज होती हैं और वे आपकी नजर में आती हैं तो उन पर शीघ्रता से एक्शन नहीं लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है अनुशासनहीनता बढ़ती है। वहां के कर्मचारी इलेक्शन में जिताने के लिए एक पार्टी का प्रयत्न करते हैं। इसके बारे में भी मैंने कहा था किन्तु कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आपके सामने ये जो चीजें लाई जाती हैं उनपर शीघ्रता से एक्शन लिया जाए तो उसका असर पड़ सकता है। साल भर से यह बात कह रहा हूं, यह बात आपके नोटिस में है। राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया है। इसके लिए मैं रजिस्ट्रार साहब को धन्यवाद दूंगा कि कमसे कम तीन दिन के लिए उन्होंने ऐसे कर्मचारियों की जगह को चेन्ज कर दिया और व्यवस्था की। परन्तु फिर भी जिस ढंग से सोसाइटी के रजिस्टर गायब हो गए, जिस ढंग से गलत प्रस्ताव, डुप्लीकेट रजिस्टर वगैरह सामने आए हैं अगर राज्य सरकार ईमानदारी से ऑफिसर को भेजकर इसकी जांच करावे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी अधिकारी को आप घर भेज सकते हैं, यह साबित हो जाएगा। अतएव मैं यह आग्रह करूंगा, और इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज भी रिकॉर्ड के अन्दर यह साबित है, उसके माफिक ऑफिसरों को पनिश करने की कोशिश करें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो..... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी).. उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कई कट मोशन हैं..

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े सात बजे जवाब शुरू हो जाएगा। कृपया जल्दी करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। जो इन्सपेक्टर हैं वे दस दस साल से जालोर में बैठे हुए हैं। जोरसिंह खेती बाड़ी का धंधा करता है, लोन इन्सपेक्टर का कोई काम नहीं करता है। उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। गोरधनसिंह सी० ओ० है, चैनसिंह इन्सपेक्टर ऑफ मार्केटिंग है, पिछले टाइम जो इन्क्वायरी हुई थी उसमें साबित हो गया था कि उन्होंने पार्टीबाजी में भाग लिया परन्तु इनके खिलाफ कोई

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एक्शन नहीं लिया गया है। आज दस, बारह बरस से ये अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं और हर्ता हैं, निरीक्षक, होम जिला में ही बैठा है और अपनी खेतीबाड़ी का धन्धा करते हैं। विभाग का कोई काम नहीं करते हैं। इन पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस पर एक्शन लेगी। इस पर और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो तथ्य सामने आए हैं उस में भेदभाव की नीति नहीं बरती जानी चाहिए। पाली के केन्द्रीय सरकारी बैंक के अध्यक्ष को तीन साल के लिए अयोग्य करार दे दिया और भंवरसिंह जालोर बैंक के अध्यक्ष को सिर्फ कॉज नोटिस देकर रह जाते हैं। तो एक समान एक्शन लिया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। जो भी आप के सामने फैक्ट्स आयें उन पर एक्शन लेकर कार्यवाही करें, चाहे कोई भी हो। सारे राजस्थान में यह हाल है कि जिसकी मरजी पड़े उसको रखते हैं। इसलिए सहकारी अधिकारियों से इलेक्शन के काम को लेकर इलेक्शन डिपार्टमेंट को देना चाहिए। विभाग से इसको दूर करना चाहिए। तभी यह राइट होगा। बैंक के अन्दर जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी मरजी आये उसको हटा देते हैं और मरजी आये उसको रखते हैं। यह धांधलीबाजी तभी रुक सकती है। तो हमें पर्टीक्यूलर्ली इसके प्रोसीजर में संशोधन करने की आवश्यकता है। और चुनाव, चुनाव विभाग को दे देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सोसाइटियों द्वारा बीज और खाद कुछ अर्से पहले दिया गया था उसका पहले रेकॉर्ड नहीं रखा गया। उसके बाद में फर्जी रेकॉर्ड तैयार करके ऐसे नाम लगा दिये हैं जिसके लिए निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसके बारे में जांच करें और जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है, फर्जी नाम लिखे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। संस्था के अधिकारी वहां पर थे वे सीड और खाद वगैरह किस को देते थे और नाम किसका लिख लेते थे और खुद उसको खा जाते थे। कोआपरेटिव मूवमेंट के फैल होने का यह एक कारण है। इसमें जो इलेक्टेड हैं और जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं दोनों ही शामिल हैं। मैं जालोर जिले की बात कहूं कि हजारों रुपया सोसाइटीज का वे लोग खा गये और रिकवरी की जाती है तो पता नहीं कि लोन कहां गया लोगों को पता लगता है। इस बारे में एन्क्वायरी करने की आवश्यकता है। जो भी गलतियां हैं उनको सुधारने की आवश्यकता है और जो बदमाशी दीदादानिस्ता की गई है वह रिकवरी के आंकड़ों से मालूम पड़ता है कि पैसा थोड़ा देते थे और बाकी खा जाते थे और बाद में सारा चुकाया जाता है। विभाग को बड़ी सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है कि जो गलतियां हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। इस बात की आवश्यकता है कि सहकारी विभाग को छोटी-मोटी गलतियों को छोड़कर आगे काम करने की आवश्यकता है, वर्ना सहकारी आन्दोलन सारा फैल हो जायगा। इन संस्थाओं के चुनाव का मूल यह आधार जब तक नहीं बदलेगा तब तक उसमें कामयाबी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माइनिंग के बारे में दो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। जालोर में ग्रेनाइट का पत्थर कई रंगों में निकलता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। मेरे ख्याल से राजस्थान में इतने रंगों में कहीं नहीं निकलता है। माइनिंग विभाग ने उसके डवलपमेंट के लिए आज तक नहीं सोचा। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में मशीनरी वगैरह लगाकर सस्ते रूप में वह पत्थर सप्लाई हो और उस उद्योग को बढ़ायें।

इसके अलावा जालोर जिले में माइनिंग का बड़ा स्कोप है। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में पूरा सर्वे अभी तक कराया या नहीं अगर नहीं कराया है तो शीघ्र करायें। वह जिला ऐसा है कि उसमें क्रिस्टेलाइन रॉक्स के कई खनिज निकलने की संभावना है। बहुत से पदार्थ माइनिंग के जरिये निकाले जा सकते हैं उस बारे में सर्वेक्षण कराके राज्य सरकार उनको एक्सपोर्ट करें ताकि कोई पॉसिबिलिटी हो तो उसको एक्सप्लॉयट किया जाय और जिले का विकास हो सके।

इन मुद्दों के साथ में जो मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उनको मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी समितियों के संबंध में मेरे कुछेक कटौती प्रस्ताव हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इनके संबंध में जो कमियां हैं वह बताई हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर अधिक नहीं जाकर एक-दो बातें विशेष अपने जिले के संबंध में हैं वह कहना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि सहकारी संस्थाओं या सहकारिता का जब निर्माण हुआ तो ग्रामवासियों को यह उम्मीद थी कि उनकी बहुत सी कठिनाइयां इससे दूर हो जायेंगी, और शुरू में जब इसका पदार्पण हुआ तो लोगों को ऋण मिलने की, लोगों को कुछ उम्मीद थी उनको सहायता मिलने की, या इस तरह की बात हुई थी, और उनसे लोगों में उत्साह बढ़ा था कि आगे जाकर सहकारिता से फायदा होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह के अधिकारी या स्वार्थी लोग घुस गये तो फायदा होना तो दूर रहा सहकारिता जिस ढांचे से शुरू हुआ था उसमें भी नहीं रहा और करीब करीब समाप्ति की तरफ या असफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोन मिलना तो दूर की बात है जो थोड़ा बहुत दिया जाता है उसकी रिकवरी में इतनी असावधानी और अनियमितता रही है कि जिसकी कोई हद नहीं, यहां तक है कि जो रिकवरी करने के लिए महानुभाव जाते हैं उनके टी० ए० डी० ए० व पेट्रोल का खर्चा इतना हो जाता है जो मेरे ख्याल से रिकवरी से दुगुना और तिगुना होता है। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनके ऊपर जांच करने वाला कोई है नहीं, और ऐसा लगता है जैसे कि विभाग करीब करीब मौन सा है हर इस तरह के कार्य के लिये।

मैं इसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां कोऑपरेटिव सैन्ट्रल बैंक में एक एक्जीक्युटिव ऑफिसर की जगह खाली थी। उसके लिये यहां के बैंक के चेयरमैन ने, हम दो-तीन एम. एल. एज. ने मिलकर विभाग के रजिस्ट्रार साहब को या एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को चार बार मिल कर निवेदन किया था कि बहुत मुश्किल से कोऑपरेटिव बैंक कुछ काम करने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे यहां एक्जीक्युटिव ऑफिसर नहीं है वह लगाया जाय, और हर बार आश्वासन दिया, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ना किया हो कि नहीं लगायेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तीन महीने से

(श्री राम रघु नाथ)

बार बार निवेदन करने के बाद भी मौन हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं ? जनता चाहती है, सब लोग चाहते हैं कि सहकारिता से कुछ फायदा मिले, सहकारिता का कुछ रूप सुधरे, लेकिन जो आॅफिसर लोग कार्य करते हैं, जो इस कारोबार में सम्मिलित हैं, जो जिम्मेदार हैं वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, और इसके बारे में मौन हैं। इसके लिये मैं निवेदन करन चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी गौर करें, और इसके आॅफिसर लोग गौर करें, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करने के बजाय इसके ऊपर वे मौन न रहें।

अभी हाल की एक घटना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पालडी जोधा में एक सहकारी समिति है, ग्राम सेवा सहकारी समिति उसकी जो बैठक हुई थी 8 तारीख को उसमें निर्णय हुआ था कि 16 तारीख को उनका चुनाव कराया जाय, और उसके लिये श्री रामनिवास हैं जो असिस्टेंट इन्सपैक्टर, कोआॅपरेटिव के चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए थे। 16 तारीख का चुनाव किया जायगा, इसका 8 तारीख को नोटिस इश्यु किया गया, और 16 तारीख को 11 बजे चुनाव कराने के लिये वे आये जब चुनाव कराने आये तो करीब 300 सदस्य वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने आकर नोमिनेशन फार्म 11-30 बजे ले लिये और 1 बजे वहां से रवाना हो गये। यह कह कर कि थोड़ी देर के बाद में चुनाव करा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार बजे तक वह नहीं आये तब उनको अहसास हो गया कि उसमें कुछ ए. आर. का भ्रष्ट विचार है, कुछ विचार ठीक नहीं है तो उन्होंने जाकर 4-40 बजे मूंडवा से एक तार रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव को, एक कलेक्टर को, कोआॅपरेटिव के ए. आर. को और डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआॅपरेटिव को तार दिये और उन्हें अवगत कराया कि हमारे यहां जो चुनाव अधिकारी आये थे उन्होंने चुनाव नहीं कराया और जो कुछ भी कार्यवाही वे करके गये हैं उसको अवैध माना जाय। उसके बाद जब नागौर कार्यालय पर गये तो पता लगा, चुनाव वहां चुपचाप कराकर उसकी नकल दी गई है। वहां से फिर नकल दे दी गई कि चुनाव हो गया। माननीय उपाध्यक्ष, मेरे पास तार की प्रतियां हैं जो मैं अपने साथ लाया हूं। उनका एक रजिस्टर भी है जो वहां से निर्वाचन अधिकारी गये थे उन्हीं का रजिस्टर लेकर कार्यवाही नहीं की और न रजिस्टर मांगा गया। उस रजिस्टर में 264 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और कोआॅपरेटिव में कुल 588 सदस्य हैं जिनमें से 110 सदस्य तो मारवा गये हुए हैं और बाकी के सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं थे। उसके बाद में भी जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना सब अधिकारियों को कर दी गई है। उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई यह बड़ी खेदपूर्ण बात है। हम सहकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सहकारिता ग्रामवासियों के लिये अच्छा रूप बना कर सामने आ सकती है, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाया जाय। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको संतर्कता से लें और विश्वास दिलायें कि जो यह काम हुआ है यह बड़ा अनियमितता पूर्ण है और इसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, और आयन्दा इस प्रकार की कोई कार्यवाही कहीं नहीं होगी। यह कोई नागौर जिले की एक सहकारी समिति के लिये

(श्री राम रघुनाथ)
ही नहीं है, बल्कि इस तरह की हजारों घटनायें हैं। मेरे यहां इस तरह की घटनायें कई जगह हुई हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट।

....जिनमें से सिर्फ मैंने एक के बारे में निवेदन किया।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि विकास बैंक है उसमें चुनाव की धांधली को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया हुआ था पर फरवरी माह में ट्रिब्नल से उसका फैसला हो गया और वहां के उपाध्यक्ष ने चार्ज दिनांक 16-2-73 को ही लिया। उसके बाद में हमारे वहां के ए. आर. ने 27 तारीख को एक आदेश निकाला उसकी प्रतिलिपि, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास हैं। उसमें उन्होंने उनको लिखा कि आपमें बैंक की बकाया है तथा बैंक को नुकसान पहुंचा है। अतः आपको सदस्यता से हटाया गया आप उसके सदस्य नहीं रहे हैं। 20 तारीख की भूमि विकास बैंक की रसीद उनके पास हैं कि उनमें किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब भूमि विकास बैंक उनको रसीद दे रहा है कि उनमें कोई बकाया नहीं है और दूसरी तरफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार यह आदेश निकालता है कि इनमें बकाया है इसलिये उनको 3 साल के लिये सदस्यता से हटाया जाय। इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, इस तरह से अधिकारियों से मिल कर सहकारी संस्थाओं को बदनाम करते रहेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से यह संस्थायें चल सकती हैं और आगे जाकर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सहकारिता पर यह उम्मीद लगी हुई है कि देहात के रहने वाले 90,95 प्रतिशत लोग उससे फायदा उठायेंगे तो वह किस तरह से फायदा उठा सकेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, इसको गौर से देखें और इसके लिये कुछ कार्यवाही करें। समय थोडा है, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, पुरातत्व विभाग के बारे में। हालांकि हमारे यहां जो पुरातत्व अधिकारी है, वह अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले में एक खाटू गांव में एक स्थान है। वहां पर एक बहुत बड़ी बावड़ी है। वहां पर बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। जो कारीगरी में बहुत अच्छी हैं। लेकिन वहां उनकी सुरक्षा के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोग वहां से मूर्तियां निकाल कर ले जाते हैं, मूर्तियां लेजाकर अपने मकानों में लगाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, उनकी ओर ध्यान दिया जाये। उनकी सुरक्षा की जाये। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, जयपुर जो हमारी राजधानी है। यहां पर पुरातत्व का म्युजियम हो, अजायबघर हो। राजस्थान इस मामले में मुख्य रहा है। एक ही जगह पर मूर्तियों को रखा जाये ताकि आने जाने वालों को देखने को तो मिले ही पर सरकार को आय से फायदा होगा और कोआपरेटिव विभाग को भी आमदनी हो सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान

(श्री गोपाल जोशी)

में खनिज सम्पदा बहुत है। जब सरकार अरबन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगाती है। लैण्ड पर सीलिंग लगाती है तो माइनिंग पर क्यों नहीं है। एग्रीकल्चर पर है लेकिन खनिज में अपार सम्पदा निकलने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा —(As a principle all land belong to the State.)

उससे निकलने वाली वस्तु और पैदा होने वाली वस्तु सभी का लाभ स्टेट को होना चाहिये। अतः जब हम होल-सेल धान का व्यापार हाथ में ले सकते हैं तो बड़ी बड़ी माइन्स को देकर जो साल में 40 लाख 50 लाख कमा सकते हैं तो उनको स्टेट क्यों नहीं चलाये। हमारी सरकार कहती है, लेकिन बीकानेर में जिप्सम लिमिटेड को दे रखी है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है, इन सभी खनिजों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। माइका, जिप्सम जैसी अपार सम्पदा हमारे राजस्थान में है। कई जगह लीज दी गई है लेकिन उसका पूरा उपयोग यह लोग नहीं करते हैं। जैसे कि 400 टन निकालना है तो 100 टन ही निकालते हैं। कभी 10 टन ही निकालते हैं। न तो वह पूरा उपयोग ही करते हैं। इसलिये मेरी यह गुजारिश है कि सरकार यह अपने हाथ में ले ले। बीकानेर जिप्सम कं० लि० में 50 प्रतिशत सरकार का भाग है। लेकिन फिर भी माइन उसके पास रहे। जब हमारा इतना शेयर है तो मैनेजमेंट हमारा होना चाहिये। क्यों नहीं बाकी का खरीदकर उसको हम चलायें। इसके अलावा फर्टीलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के बारे में, जो जिप्सम के लिये दे रखी है उसमें क्या होता है। लो ग्रेड की जिप्सम काम में नहीं लेते हैं। ए ग्रेड तक की जिप्सम काम में लेते हैं। मैंने देखा कि वह लो ग्रेड को भी काम में लेते हैं। मैंने मंत्री महोदय को ऐसा दिखाया है। यह डम्प की हुई पड़ी है। आज लो ग्रेड जिप्सम नहीं देते हैं। उस पर रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया जाये। वाई वे आफ रायल्टी काफी धन प्राप्त हो सकता है। ऐसा बताया गया है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

पलाना में लिग्नाइट निकलता है। कई वर्षों के लिये वह पर्याप्त है। हमें उसे और उपयोगी बनाना चाहिये। ताकि राजस्थान को कोयले के लिये दूसरे प्रान्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे काम में लेंगे। अभी तो आइडिल पड़ी है। उसमें आग लग गई है। वह आग पता नहीं कब बुझेगी। सरकार उसको काम में ले ले। इसके अलावा जो लोग रायल्टी नहीं देते हैं। 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार बकाया है। फिर भी उनकी लीज चालू है। बकाया अभी भी पड़ी है। इसके अलावा माईनिंग डिपार्टमेंट के साथ में ज्योलोजी डिपार्टमेंट भी अटेच है। ज्योलोजिस्ट हैं, वह मौके पर जाकर इन्सपेक्शन नहीं करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार यह बताये कि कितनी रिपोर्ट ज्योलोजी की की गई हैं। कितनी बार उन्होंने विजिट किया है। कितनी बार वह धन्धा करते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह फिजूल खर्ची होती है। इसके अलावा जहां पर माइन्स है, 20, 25 हजार रुपया लगा है तो वहां पर रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं समसमझता हूं कि रोड बहुत इम्पार्टेन्ट है। इससे मैं समझता हूं कि रेवेन्यू भी बढ़

(श्री गोपाल जोशी)

सकता है। तो इस तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि रेवेन्यू से सीधा संबंध पड़ता है। कई माइन्स ऐसी कन्डीशन में दी जाती हैं जो खनिज निकलेगा तो वह खनिज पर आधारित उद्योग धन्धे में लगायेंगे। देखा यह गया है कि खनिज से ऐसी क्वालिटी नहीं निकल रही है, जो उसी उद्योग में लगाई जाये। लेकिन वास्तव में वह उसी उद्योग धन्धे में बेच रहे हैं। अगर यह रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो उसका इम्पलीमेंन्ट इसके साथ किया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ में थोड़ा सा कोआपरेटिव के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने कह दिया है। परन्तु . .

श्री उपाध्यक्ष : उससे संतोष नहीं हुआ।

श्री गोपाल जोशी : वास्तव में संतोष नहीं हुआ है। हमारे नोखा तहसील में जसासर गांव है। वहां ग्राम सहकारी समिति के चुनाव हुये थे। दरअसल वहां पर चुनाव अधिकारी गये नहीं। घर बैठे चुनाव करवा दिया। इसकी सूचना असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को कर दी थी। लेकिन वह जांच वैसे ही हुई क्योंकि निर्वाचन अधिकारी से पूछ लिया और उनकी रिपोर्ट ले ली और उसके बाद जब रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा, भाई हमने जांच करली है, ए० आर० से जांच करवा ली है और आप क्या शिकायत करते हैं? मैंने कहा ठीक है जांच करवा ली। जांच से क्या पाया? बताया कि जो निर्वाचन अधिकारी गया था उनके कागजात देखने से मालूम पड़ता है कि चुनाव ठीक ढंग से करवाए गए। कागजों में वह चुनाव क्यों इन्कम्पलीट रखेंगे या खामी रखेंगे? घर बैठे चुनाव की प्रणाली खतम होनी चाहिए। सहकारी समितियों में बहुत सी बातें हो चुकी हैं, जो जम गए सो जम गए, चाहे सी० सी० बैंक हो चाहे होलसेल भंडार के चुनाव हो किसी का हो लेकिन जो बैठ गया सो बैठ गया। चुनाव होने से पहले वहां चुने हुए लोगों को हटा देना चाहिए और किसी अधिकारी द्वारा वापस चुनाव कराने चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सकें। सहकारी विभाग में बहुत से वर्षों से होलसेल भंडार चला आ रहा है, 8-10 साल से वही पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इससे उनमें इनके निहित स्वार्थ हो जाते हैं, किसी न किसी को प्लीज करना पड़ता है, जब प्लीज करना पड़ता है तो उल्टे सुल्टे काम करने पड़ते हैं और सहकारिता आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। इस पर विचार करना चाहिए और सुधार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जानते हैं कि मुझे क्या कहना है। फिर भी मैं कहूंगा। राजस्थान में खनिज का अतुल भंडार है परन्तु यदि हम आंकड़े देखें कि राजस्थान की इस वर्ष कितनी आय हुई है और खनिज उत्पादन से कितना कन्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हम निराश होंगे। इस वर्ष राजस्थान में 1450) करोड़ की आय हुई, खनिज उत्पादन से केवल 16 करोड़ अर्थात 1.1 प्रतिशत, वह बहुत कम है। इतना खनिज है परन्तु हमारी विभिन्न योजनाओं में खनिज के विकास के लिये कुछ नहीं किया गया और खनिज विभाग को यदि हम शोषक विभाग कहें तो अन्याय नहीं होगा। इस विभाग ने जनता को लूटा है,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

विकास कुछ नहीं किया । उदाहरण के लिये प्रगति रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं कि झांमर-कोटड़ा खानों से राज्य सरकार तीन करोड़ रुपए प्राप्त करती है। एक तरफ देखें सिंचाई विभाग पर तीनों पंचवर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : (श्री श्रीराम गोटेवाला से) आप बोल चुके हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को बोलने दो ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुन रहा हूं।

श्री अमृतलाल गहलोत : और चौथी पंच वर्षीय योजना में खर्च किया जा रहा है 300 करोड़, सिंचाई में खर्च होंगे और 3 करोड़ की आय है, खनिज विभाग कितना लेता है? तीन करोड़। सिंचाई पर 300 करोड़ रुपये लगाए हैं और 3 करोड़ की आय होती है, वह मरम्मत में जाती हैं। अतः मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि इस राजस्थान की इकोनोमिक ग्रोथ हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसा · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गोपाल जोशी से) आप बोल चुके हैं तो दूसरे को सुनने दें।

श्री अमृतलाल गहलोत : आप उन सेक्टरों में इन्वेस्ट करें जिनमें मैक्सीमम इकोनोमिक ग्रोथ होती है। खनिज सेक्टर इस तरह का है। राज्य सरकार पांचवी योजना में इकोनोमिक ग्रोथ को 7 प्रतिशत देखना चाहती है । लेकिन जिस प्रणाली से वह काम कर रही है, यह 3-4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करता हूं। सरदारपुरा में राजस्थान की सबसे बड़ी पत्थर की खानें हैं जहां पर 25 हजार मजदूर काम करते हैं । पिछले दस वर्षों में खनिज विभाग ने रायल्टी के रूप में, खानों के किराये के रूप में और मोटरों की तुलाई के रूप में करीब एक करोड़ रुपये का शोषण किया है । बदले में कोई विकास कार्य नहीं किया । 3 लाख रुपये डम्प रिमूवल फण्ड में 10 वर्ष पहिले लिए, वे उनके पास पड़े हैं । ब्याज भी नहीं चुकाया । एक हजार ट्रक 50 किलो मीटर्स की रफ्तार से दैनिक वहां पर चल रही हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, वे सड़के कैसे काम में ली जायं । इस समय मंत्री महोदय ने मेहरबानी करके ढाई लाख रुपया दिया है, मैं उसके लिए तो जरूर आपको धन्यवाद देता हूं । परन्तु इस वर्ष जो आमदनी हो रही है वह 15 लाख की हो रही है । 12 लाख की रायल्टी, 2 लाख का रेंट और एक लाख तुलाई से । पहली अक्टूबर से रायल्टी 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई है, 1.50) प्रति टन से 1.80) प्रति टन आपने कर दिया। मैं मुख्य मंत्री से मिला, उनसे निवेदन किया। मंत्री महोदय बहुत भोले हैं, योग्य हैं और मैं बेशर्म हूं। इन लोगों को वार वार लिख लिखकर, मिल मिलकर मैं समझता हूं ज्यादती कर रहा हूं, मैं बेशर्मी की सीमा को पार कर जाऊंगा । मैं मुख्य मंत्री से मिला। उन्होंने लिखित आर्डर दे लिया है: At least 20% of the income earned should be spent on the development of the roads in that area. मंत्री महोदय के पास वे आदेश अभी पड़े हैं। मैंने परसों पूछा, परन्तु मैंने धीरज रखा है। मुख्य मंत्री ने जो आदेश दिया है उस पर वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी । लेकिन मैं खास तौर से मंत्री महोदय के विवेक को जागृत करना चाहता हूं कि आप 15 लाख रुपए लेते हैं, एक हजार ट्रक्स चलती

(श्री अमृतलाल गहलोत)

हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। आप इन्जीनीयर्स की एडवाइस लें, जहां 20 टन की ट्रकें चलें, उस सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कार्पेटिंग और सोलिंग कितना होना चाहिये। एक मील सड़क ठीक करने में एक लाख रुपया लगता है साल भर में एक लाख निकल जाता जाता है तो भी 100 प्रतिशत रिटर्न होता है। अतः मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप इस चीज पर विचार करें और 25 हजार मजदूर, जो करोड़ों का उत्पादान करते हैं, उनका ध्यान रखें इस समय टायर्स की देश में कमी है, 900 × 20 के टायर के 1200 रुपए लगते हैं। सड़कें टूटने से टायर्स खर्च हो जाते हैं, कितना वेस्टेज होता है? मेरे यहां पानी मत दीजिये, बिजली मत दें, आवास मत दें लेकिन 25 हजार मजदूरों के लिए, जहां ब्लास्टिंग होता है, आक्यूपेशनल हैजर्ड्स हैं, उनको अस्पताल न दें लेकिन सड़कें जरूर दें। यदि आप अपने कर्तव्य में सिन्सीयर हैं तो इस अवसर की मुझे आशा है, खोयेंगे नहीं।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। बहुत कहा जा चुका है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य सहकारिता के बारे में बोले हैं, सबने मगर मच्छ के आंसू बहाये हैं, सब किसी न किसी तरह से इस सहकारिता में घुसना चाहते हैं और उल्लू सीधा करना चाहते हैं। जिसकी दाल गल रही है वह चुप है और जिसकी दाल नहीं गली है वह खिलाफ हो रहा है। क्या वजह है। आपका बनाया हुआ सहकारिता विभाग है और आपके सौ पर्सेन्ट विधायक खिलाफ हैं। सहकारिता में भ्रष्टाचार चल रहा है, यह कोई अकाल का काम नहीं है, यह सोसाइटी का काम है। इसके चुनाव कराना आपके बस की बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इनके चुनाव करायें तो यह काम आप इलेक्शन कमीशन को दें। और ऐसी कोर्ट कायम करें जो भ्रष्टाचार को पकड़े। इसके साथ ही आप सचिव को सौ रुपये दें। नोट के पास वह रहते हैं तो नोट को खायेंगे। अच्छा वेतन देंगे तो अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। इसके साथ साथ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट, पालिटिकल इन्ट्रेस्ट और मिनिस्टीरियल इन्ट्रेस्ट से इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को चला रखा है। नेहरू जी के पास लोग पहुंचे थे, जब वह जीवित थे। उनको कहा, हमारे पास धन्धा नहीं है। अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अधिकारी माल चाट रहे हैं। हमें कुछ धन्धा दीजिये। नेहरू जी ने कहा, तुम्हें यह धन्धा दे दिया कोआॅपरेटिव का संचालन करो, कोऑपरेटिव चलाओ, खाओ, कमाओ, चुनाव लड़ो और मगर मच्छ के आंसू बहाओ। इस विभाग के मंत्री हैं वह ईमानदार हैं। इस महकमे के रजिस्ट्रार हैं, वह ईमानदार हैं। मैं इनकी तारीफ करता हूं। आपको एक ही ऐसा महकमा मिलेगा जिसमें ऊपर वाले ईमानदार हैं और नीचे वाले बेईमान और गड़बड़ी करने वाले हैं। और विभागों के अन्दर ऊपर गड़बड़ी होती है, नीचे ठीक हैं। इस तरह से यह उल्टा विभाग बनाया है। यह हमारे और आपके लिए बनाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह मगर मच्छ के आंसू हैं, आज जो भ्रष्टाचार है उसको तीन महीने में, छः महीने में मिटाया जा सकता है। आप कोर्ट कायम करें और चुनाव करावें। चुनाव करायें चुनाव विभाग से, जो चुनाव कराता है सरपंच का, चुनाव कराता है एम० एल० ए० का, चुनाव कराता है पंच

(श्री मनोहरलाल)

का । यह क्या कि अपनी बिल्ली का नाम विमला रख दिया और चाहे जिसे चुन लिया । इससे भ्रष्टाचार होता है सारे पैसे का, इसलिए उनके पास पैसा नहीं, कोई रिकार्ड नहीं । और फिर मगर मच्छ के आंसू बहाते हैं कि भ्रष्टाचार होता है ।

मैं माइन्स के बारे में कहना चाहता हूं, भरतपुर में रूपवास और बयाना में सैण्ड स्टोन और इमारती पत्थर निकालते हैं । वहां पर तीन चार साल से लगातार अनधिकृत रूप से पत्थर की खुदाई हो रही है और सरकार को नुकसान हो रहा है, तीन, चार लाख साल का । डिप्टी मिनिस्टर वहां दो महीने पहले गये थे । उनके सामने यह स्थिति रखी थी, इस काम को चैक करें, यह अनधिकृत, अनआथोराइज्ड काम है, यहां कुछ लोगों से मिलकर लोग काम कर रहे हैं । तब बन्द कर दिया ।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम्पास का एक वैज्ञानिक तरीका है, कम्पास में पांच खानों, चार खानों, तीन खानों का ग्रुप तैयार किया जाता है। लेकिन हर साल ग्रुप्स बदल दिए जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से ग्रुपिंग किया, लेकिन उसमें से कभी तीन पहाड़ निकल जाते हैं, कभी दो पहाड़ निकल जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि ठेका नहीं होता है और पुराना ठेकेदार अनधिकृत तरीके से पत्थर निकालता रहता है । यह एक वैज्ञानिक तरीका है, कम्पास का, यह आप जानते हैं, यह आपके पास एक हथियार है–इसके बावजूद यह नहीं करते, एक बार वैज्ञानिक तरीके से प्लानिंग करवा दीजिए, ग्रुपिंग करवा दीजिए और पत्थर लगवा दीजिए, पिलर्स कायम करा दीजिए ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, निवाई में एक खान का ठेका एक जो रिटायर सैनिक हैं, उसका था लेकिन उसका ठेका रद्द कर दिया । उसने उस पर पचास हजार खर्च किये थे, सड़क बनाई थी, जंगल साफ किया था, उसका ठेका चालू था, लेकिन उसका ठेका रद्द कर दिया और एक बोगस सोसाइटी को दे दिया गया । कहा जाता है कि सोसाइटी को ठेका देना चाहते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि बाडी तहसील में ठेका सहकारी समिति को क्यों नहीं दिया गया, वहां एक व्यक्ति को क्यों दे दिया गया ? निवाई में रिटायर्ड सैनिक का ठेका रद्द कर दिया और एक बोगस सोसाइटी को दे दिया गया, वह बोगस सोसाइटी है, जिसके नाम का पता नहीं है, जिसका नाम नहीं है । हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब तक लीज फाइनेलाइज नहीं हो तब तक काम चलता रहता है । लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक काम न करके वह टेका रद्द करके एक बोगस आदमी को दिया है–इसमें मेलाफाइडी नजर आती है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके डाइरेक्टर, जो उदयपुर में रहते हैं, इस डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर पत्थर खाते हैं, चूना खाते हैं, रॉक फॉस्फेट खाते हैं–सब कुछ खाते हैं । पिछले बीस साल से वह एक ही महकमे में जमे हुए हैं । कितने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन कुछ नहीं हुआ । वह फाइल खा गए, फाइलें दबी हुई पड़ी हैं । मैं निवेदन करता हूं कि सारी खानों का ठेका इन डाइरेक्टर महोदय को दे दीजिए ।

(श्री मनोहरलाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका जो जन सम्पर्क विभाग है, इस जन सम्पर्क विभाग में राष्ट्रपति पधारे । उन्होंने इस विभाग के महत्व को स्वीकार किया । लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है । गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे विभाग की स्केल रिवाइज की है लेकिन जन सम्पर्क विभाग की नहीं की ।

इसके साथ एक बड़ा अन्याय इस विभाग में है । राजेन्द्र शंकर भट्ट हैं डाइरेक्टर, वह पिछले पच्चीस साल से डाइरेक्टर बने बैठे हुए हैं । हर मुख्य मंत्री कहते हैं, इसको हटायेंगे । पत्रकारों ने आरोप लगाये । आरोप साबित हुए । भट्ट जी महाराज के लिए बार बार कहा गया कि हम हटायेंगे । लेकिन कहते हैं, हम इसी महकमें में रहेंगे । मैं उनके खिलाफ नहीं हूं । मैं पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों को मानते हैं, चीफ सेक्रेटरी मानते हैं, मुख्य मंत्री मानते हैं, भट्ट जी महाराज भ्रष्ट हैं, इनको हटायेंगे । लेकिन नहीं हटा सकते । तो क्यों न भट्ट जी महाराज के नाम इस महकमें को कर दें, वह प्रचार करते रहेंगे । भट्ट जी महाराज, यह सुना जाता है, अच्छे कलाकार हैं । जो मुख्य मंत्री, जो मंत्री खिलाफ पड़ता है, उनको प्रसन्न कर लेते हैं । मैं निवेदन करूंगा, भट्ट जी महाराज क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्र हैं, दैनिक, साप्ताहिक राजस्थान के, उनका शोषण करते हैं और दिल्ली के अंग्रेजी के पत्र, जो हमारी भाषा के पत्र नहीं हैं, का पोषण करते हैं । वहां के, दिल्ली के जो लोग हैं, उनके प्लाट बनवाते हैं जयपुर में । दिल्ली के लोगों को पत्रकार बना कर स्कूटर दिलाते हैं । भट्ट जी महाराज का जादू बहुत दिन चल गया है । एक बात कहा करता हूं, पुजारी मूर्ति का दिया खाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है, इस विभाग के मंत्री निश्चित रूप से उन फाइलों को निकलवायेंगे, जो उनके खिलाफ चल रही हैं, जिनमें आदेश दिया गया है, भट्ट जी महाराज से जवाब तलब किया जाय । पिछले बीस-पच्चीस साल से सब तरह से पत्रकारों को तंग किया है । पत्रकार संसद और असेम्बली के रक्षक हैं । पत्रकारों के साथ अन्याय होता है, इनकी संस्थाओं के साथ अन्याय होता है तो लोकतंत्र नहीं टिकता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह विभाग महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति स्वयं दो बार उदयपुर में आकर इन केन्द्रों को देखा है । इन केन्द्रों के महत्व को स्वीकार किया है । इस विभाग को महत्वपूर्ण माना है । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अधिक समय न लेकर एक बात अन्त में कहना चाहूंगा ।

आज हमारे सामने पुरुषार्थियों की समस्या है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से पुरुषार्थी आए, शरणार्थी आए, उनके बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है कि उनको रिहेबिलिटेट किया जायगा या उनको भगाया जायगा । मेरी मांग है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से, उनको नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाय ।

एक बात और कहना चाहूंगा भरतपुर में पुरुषार्थियों के बारे में । वहां पर पुरुषार्थी पच्चीस साल से हैं । उनके झगड़ों का फैसला नहीं किया गया है । पच्चीस साल से उनके कर्ज पर ब्याज बराबर बढ़ता जा रहा है । यह कौनसा सिद्धान्त है, कौनसा तरीका है, पच्चीस साल पहले की रकम है, हर साल ब्याज बढ़ाते जा रहे हैं । यह लोग पंजाब से

(श्री मोतीलाल)

आकर यहां आबाद हुए हैं, पाकिस्तान से आकर आबाद हुए हैं। उनको मदद दी गई, कर्जा दिया गया, लेकिन पच्चीस साल से ब्याज ले रहे हैं, जब कि तीन साल से अधिक ब्याज नहीं ले सकते, दुगुने से अधिक नहीं ले सकते। लेकिन आपने दुगुना, चौगुना कर्जा उनका कर दिया है।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेवात के बारे में। पच्चीस साल पहले मेव, मुसलमान विस्थापित हुए। उनको जमीन आज तक नहीं मिली। और तो और, कसाई धोबी, कुम्हार, नाई, गरीब लोग हैं उनको जमीन नहीं मिली है। 17-4-68 को सरकार ने आदेश दिए कि जमीन दी जायगी। जो खाली जमीन वहां पड़ी हुई है उसको निष्क्रांत सम्पत्ति कहलाने का गलत तरीका है। जो जमीन चरागाह घोषित कर दी है उस जिले में उसको खत्म कीजिए। 17-4-68 के फैसले के बावजूद, कई साल बीतनेके बावजूद आज तक फकीर, नाई, धोबी, कुम्हारों को जमीन नहीं दी है। एक तरफ हजारों रकबा पोंग बांध के विस्थापित लोगों को मुआवजे के रूप में दे दिया है, लेकिन जो फकीर काश्तकार हैं उनको आप रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, उनको पैसा नहीं दे सकते (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कलेक्टर ने वहां दिक्कत डाल रखी है। कहते हैं जमीन नहीं दे सकते क्योंकि चरागाह कहां होगा? मेरा निवेदन है कि निष्क्रांत सम्पत्ति चरागाह नहीं हो सकती और जो कर दी गई है वह गलत है।

एक बात और अर्ज करना चाहता भरतपुर में शोरे का काम होता है। न वहहूं टैक्स देते हैं, न रायल्टी देते हैं। लगातार सरकार का दस लाख का, आठ लाख का नुकसान करते चले आ रहे हैं। इस ओर अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। न दें, उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, वह पत्थर खाते हैं, राक फास्फेट खाते हैं, शोरा खाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि इन बातों की ओर राज्य सरकार ध्यान दे।

एक माननीय सदस्य : पांच मिनिट !

श्री उपाध्यक्ष : आपका बहुत जरूरी रह गया है। आप प्रश्न पूछ लेना। मंत्री जी को सुन लें।

श्री नारायणसिंह (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खरामा खरामा करते करते आधे दिन से सहकारिता के ऊपर काफी सुझाव आये। मैं उन सुझावों को सुन कर बहुत महफूज हूं। मैं मानता हूं कि सहकारिता जहां समाजवाद की तरफ एक बड़ा भारी कदम है, दूसरी तरफ आर्थिक जन क्रांति का एक बड़ा भारी पहलू है। अगर उसका नेतृत्व ठीक ढंग का नहीं हो, सहकार भाई उस सहकारिता को जिस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए उस तरह बढ़ाने में कोताही कर हों, निहित स्वार्थ जगह जगह पर आ क जायं और वेस्टेड इन्ट्रेस्ट बाहर बेठें इन्ट्रेस्ट का फोकस बन जाय तो सहकारिता विभाग, जिस तरह मैंने आयुर्वेद विभाग के लिए कहा था, मैं कह सकता हूं, समाजवाद का भग्नावशेष हो जाताहै...

उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि समाजवाद के भुलावे में आ जाते हैं। आज स्वयं समाजवादी भी कहते हैं कि सहकारिता को लेकर समाजवाद को लाने में हम गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद और सह-

(सहकारिता मंत्री)

कारिता का संबंध घनिष्ठ है । समाजवाद और सहकारिता दोनों ही भाई हैं । आज जो भी इसमें खराबियां हैं उ के बारे में पहले कई मंत्री थे उन्होंने कहा है कि सहकारिता में कुछ लोग ऐसे जो कि वेस्टेड इन्टरेस्ट उसमें अपने देखते हैं । लेकिन कभी कभी औपचारिकता के रूप में और खासकर हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी बात है अगर कोई व्यक्ति किसी को प्राप्त करना चाहे जैसे कोई ईश्वर से मिलना चाहे और ईश्वर नहीं मिले तो वह यह चाहे कि चलो भाई ईश्वर नहीं मिला तो कोई बात नहीं । हमें ईश्वर ज्ञान ही दे दे । जब उसे ज्ञान भी नहीं मिले तो वह अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए चलो भई कुछ नहीं तो ब्राह्मण भोजन ही करा दिया जावे । उसी प्रकार हम समाजवाद लाना चाहते हैं और वह समाजवाद भी हम चाहते हैं कि आना चाहिए । अब अगर वह आने में कोई दिक्कत पेश आती है अगर सहकारिता के माध्यम से हम समाजवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें न समाजवाद ही आता दिखाई देता है और न सहकारिता ही सफल होती दिखाई देती है तो अब यही कामना करके लते हैं कि सहकारिता के माध्यम से हमारे सहकार भाइयों को भोजन ही करायें । सो वह स्थिति बनती जा रही है । खैर इस बारे में ज्यादा नहीं जा कर इतना ही कहूंगा कि इस सहकारी आन्दोलन में हमें कई कुंठायें और कठिनाइयां प्राप्त हुई हैं और इसमें काफी गड़बड़ियां भी हैं लेकिन यह बात कोई मेरे पास विभाग के आने के बाद ही हुई वह बात नहीं । यह तो सदा से ही चली आ रही है । मैं तो क्या पहले जो बड़े दिग्गज मंत्री थे वे भी इसका कोई हल नहीं निकाल सके । मैं तो बहुत ही छोटा और दुर्बल मन्त्री हूं उनके मुकाबले में । उन्होंने भी इसमें यही पाया कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत है और वह भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । इसके अन्दर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकारी अधिकारी भी, जो कि इनमें नियुक्त हैं, वे भी इसमें अशासकीय लोगों के कुचक्र में फंस गये हैं । और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने में राज्य सरकार को इसमें समय जरूर लगेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सहकारिता में तरक्की भी हुई है । लेकिन वह ज्यादा नहीं है । आज जिस प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन पनपा है उस प्रकार हमारे यहां सहकार आन्दोलन नहीं पनप सका है । आज गुजरात के अन्दर सहकारिता आन्दोलन ने इतना ज्यादा काम किया है कि वहां पर फोरेस्ट कोरपोरेशन भी सहकारी समितियों का है । लेकिन उनका एक स्तर है । वे अपने स्तर पर चल रहे हैं । वे रेजीमेन्टेड कार्य करते हैं । लेकिन सहकारिता के आन्दोलन की सफलता हम ऊपर से थोप देने से या नीचे के स्तर पर थोपे से नहीं चल सकता । वह तो अपने आपमें चलता रहेगा । गुजरात के अन्दर जब मैंने सहकारिता का काम देखा तो मैं दंग रह गया । उसको देखते हुए मैं यह मानने को तैयार हूं कि हम शायद उनसे बहुत ही पिछड़े हुए हैं । और यह भी सही है कि राजस्थान में सहकारी आन्दोलन पूर्णतया सफल नहीं हुआ । लेकिन इसका राजस्थान में प्रसार भी बाद में शुरू हुआ था । जब से हमारे यहां यह सहकारिता आन्दोलन शुरू हुआ वह इन तीन चार, जो भी पंचवर्षीय योजनायें हैं, उनमें जब से शुरू हुआ है वह बराबर ही बढ़ता जा रहा है । इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं । सहकारिता विभाग का कितना

(सहकारिता मंत्री)

प्रसार हमारे राजस्थान में हुआ है। आज सहकारिता का कार्य कई क्षेत्र में बढ़ गया है। आज हमारे यहां पर क्रेडिट कआपरेटिव सोसाइटीज हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, ए० आर० सीज हैं। एम० एन० एस० पी० है, फारमिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज है, कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाईटीज हैं, उपभोक्ता भन्डार है, क्रय विक्रय संघ है और इस प्रकार काफी सहकारिता का विकास हमारे राजस्थान में हुआ है और हो रहा है। मैं उनके बारे में अभी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाईटीज में काफी पैसा बैंकों का बाकी है तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां अकाल कई वर्षों से लगातार पड़ रहा है जिसके कारण लोगों में ओवर ड्यूज होगए हैं और वे चुका नहीं पा रहे हैं। उसका मैं आपको परसेन्टेज भी बता सकता हूं क्योंकि हर साल अकाल पड़ने से उनमें ओवर ड्यूज की मात्रा बढ़ती ही रही। उनमें सन् 69-70 म 38 परसेन्ट था, 70-71 में 44 परसेन्ट था और आज अब उनमें करीब 64 परसेन्ट ओवर ड्यूज हो गए हैं। इसी प्रकार से रिकवरी के बारे में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर में रिकवरी की स्थिति काफी सोचनीय है। मैं आपको कुछ ओवर ड्यूज हमारे एपेक्स बैंक्स में हैं उनके भी आंकड़े आपके सामने रख देना चाहता हूं। इसमें 69-70 में उसकी 8.4 प्रतिशत थी, सन् 70-71 में उसकी 6 प्रतिशत थी और सन् 71-72 में 22.7 प्रतिशत थी। यह आंकड़े आते हैं। आज हमारे यहां पर जो एम०सी०सी० और सी०सी० बैंक्स हैं उन्हें आर० बी० आई० ने मदद की है। सी०सी० बैंक्स हमारे यहां पर 6 हैं। जिनमें पाली, बांसवाड़ा, झुन्झुनू, सिरोही, बांसवाड़ा है। जिनका रिजर्व बैंक आफ इन्डिया रीहेबिलिटेशन कर रहा है। वह है अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जोधपुर और पाली। जिनमें काफी ओवर ड्यूज हो गए हैं। आर०बी०आई० ने कुछ बैंकों के अन्दर जिनमें काफी डाउटफुल डेट्स एक्यूमूलेट हो गए हैं, जिनमें 50 परसेन्ट से ज्यादा मिला है और जो राशि 25 लाख से कम हो, उसके बारे में आर०बी०आई० ने उन बैंकों को एक करोड़ रुपये का लोन उनके रिहेबीलिटेशन के प्रोग्राम के लिये रखा है। अभी हमारे कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स हुई उसमें भी इस बारे में बात चली थी तब मैंने कहा था कि उन प्लेसेज के लिये विशेष रियायत होनी चाहिये। क्योंकि वहां पर काफी वर्षों से अकाल पड़ रहा है, वहां पर स्थिति बहुत ही खराब है। उनके लिये कोई विशेष कन्सीड्रेशन होना चाहिये। इसी तरह कोआपरेटिव इन्सटीट्यूशन्स न अलग अलग बात रखी थी। उसमें 20 परसेन्ट के लोस से ज्यादा हो उसके बारे में भी कुछ व्यवस्था की गयी है। उन्हें अभी हमे ठीक ढंग से लाना है।

इसके अलावा कुछ कोआपरेटिव बैंकों के वर्गीकरण के बारे में बात हुई। कुछ छोटे बैंक्स है उनका विकास किया जाना चाहिये। इसके अलावा कुछ अपने एल० एम० बी० बैंक्स हैं उनके आपरेशन्स के बारे में भी आर० बी० आई० प्राथमिकता में मदद देने के बारे में कुछ बात रखी है। इसी प्रकार हमारे प्राईमेरी बैंक्स है उनके एकीकरण के बारे में भी कुछ डिसिजन हुए और उसमें एक करोड़ रुपये उनके मेनटीनेन्स के लिये ऐसी कुछ शर्तें रखी हैं। इसमें कुछ बैंक्स को,

(सहकारिता मंत्री)

जो कि रेगिस्तानी इलाके के है, वहां पर 2 पर्सेन्ट की रियायत, छूट देने की रखी है। इसके अलावा भूमि विकास बैंक्स की सीमा के बारे में कि इसकी सीमा अधिक हो, अधिकार अधिक हो, उसके बारे में तय किया गया।

आज हमारे यहा पी० एल० एम० बी० बैंक्स हैं उनमें भी काफी ओवर ड्यूज हैं, उनके आंकड़े देखो से पता लगेगा कि 69–70 में 37 प्रतिशत थी और सन् 70–71 में 36 प्रतिशत थी और वह बढ कर 48.25 प्रतिशत हो गयी है – सन् 71–72 में और अब वह करीब 60 प्रतिशत हो गयी है। आज इनमें ओवर ड्यूज हैं मैं मानता हूं, लेकिन इसका कारण यह है कि रिकवरी नहीं हो सकी क्योंकि हमारे प्रान्त में स्केअरसिटि कन्डीशन्स चल रही थी, और फिर बाद में एमर्जेन्सी कन्डीशन्स सन् 71 की आ गयी और कुछ पुअर रिकवरीज होने के कारण भी रिकवरी कम हुई है यह मैं मानता हूं। लेकिन उनके लिये जो अभी ओफिसर्स कान्फ्रेन्स हमने की उसमें रिकवरी के केम्पेन की एक बात सोची गयी। दूसरी फसलाना वसूली की बात सोची गयी कि फसल आये तब वसूली की जाये। इस पर भी जोर दिया। मशीनरी को टाइटन करने पर भी जोर दिया। बुक एडजस्टमेन्ट की पूरी नुक्ता चीनी करके ठीक ढंग पर लाने पर भी जोर दिया। रिकार्ड्स का पूरी तरह से मेन्टेन करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया। इस प्रकार वसूली का ठीक ढंग बनाने की कोशिश भी जारी है।

इसके साथ ही साथ जहां तक कोऑपरेटिव लोन का सवाल है मिडियम टर्म लोन 30 करोड़ और लोंग टर्म लोन 17 करोड़ के उपलब्ध कराये हैं। 69-70 में 12.85 करोड़, 70–71 में 16.33 करोड़, शोर्ट और मिडियम टर्म लोन दिया। 71–72 में 9.72 करोड़, 72-73 में 12 करोड़, और 73–74 में 16 करोड़। इसके अलावा लोंग टर्म लोन में 26 करोड़ दिया। इस प्रकार से प्रति फाइव इयर प्लान के टारगेट्स शोर्ट और मिडियम के 125 करोड़ रखना चाहते हैं और लोंग टर्म लोन के 100 करोड़ के टारगेट रखना चाहते हैं।

बैंक्स की हालत के बारे में कहा गया मैं उसके विषय में कहना चाहूंगा। कोई मेम्बर्स ने इस बात पर जोर दिया कि कई प्राइमरी बैंक्स निकम्मे हैं और ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके रिओर्गेनाइजेशन की ओर ध्यान दिया गया है। जहां 12457 प्राइमरी सोसाइटीज थी उनको रिओर्गेनाइज करके उनको 7425 कर दिया है। यह भी किया है कि फुल टाइम मैनेजर हों। ऑफिस प्रेमिसेज हों। क्रेडिट बिजनिस एक लाख का हो और नोन क्रेडिट बिजनिस 25 लाख का हो। तो इस तरह से उनको मदद देकर आगे बढ़ाने का कार्य सोचा गया। अभी जो स्थिति है गवर्नमेंट सोसाइटीज जिन्होंने बिजनिस ट्रान्जेक्ट किया वह, 4857 है, ऐसी सोसाइटीज, जिन्होंने 5 हजार तक का बिजनिस ट्रान्जेक्ट किया, वह 2098 हैं और ऐसी सोसाइटीज, जिन्होंने 50 हजार तक का बिजनिस ट्रान्जेक्ट किया वे हैं 529 और जिन्होंने क्रेडिट बिजनिस 1 लाख तक का किया है वे हैं केवल 243।

इन बैंकों की स्थिति भी बड़ी सोचनीय है। परन्तु इसके लिये राज्य सरकार को

(सहकारिता मंत्री)

ओर से हिस्सा पूंजी देना है और वह सब प्रावधान किया है। उसमें शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टेट का 18 लाख, मैनेजीरियल कोआॅपरेटिव सोसाइटीज का 69.16 लाख रखा गया है। रिहेबिलिटेशन स्कीम (सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक) स्टेट प्लान में 50 लाख रुपया और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का 6.50 लाख रुपया रखा गया है। इस प्रकार उनको रिहेबिलिटेट करने का भी प्रोग्राम है।

इसके साथ ही मैं आप से निवेदन करूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कृषक को जिस दर से लोन मिलता है उसमें कमी करनी चाहिये। उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि आर. बी. आई. का 4 परसेंट, अपेक्स बैंक का 6 परसेन्ट, सी. सी. बी. का 7 परसेन्ट और प्राइमरी बैंक का 9 परसेन्ट है। इसमें और चार्जेज लगा कर कम करने में कठिनाइयां है। फिर भी विचार किया जा सकता है कि इस दर को किस प्रकार से कम किया जाय। यह भी कहा गया कि व्यवस्थापकों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती है और सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। मैंने आपको प्राइमरी सोसाइटीज की हालत बतायी। उनमें बहुत कम ऐसी सोसाइटीज हैं। जो 1 लाख से ऊपर के बिजनिस को ट्रान्जेक्ट करती हैं। ज्यादातर सोसाइटीज 5 हजार या 50 हजार के बिजनिस को ट्रान्जेक्ट करने वाली हैं। इस स्थिति में उनका 2 परसेन्ट ही मिलता है। उनके पास इतनी आमदनी नहीं रहती है कि उसमें से व्यवस्थापकों को पूरी की पूरी तनख्वाह दे सकें। फिर भी जितना वे कर सकती हैं व्यवस्थापकों के लिये करती हैं। रियेलाइजेशन का जहां तक सवाल है उसमें यह किया गया है कि बारोइंग लोन रेन्जेज, जैसे एक एक हजार तक का है उसकी पहले वसूली की जाय और रिकवरी पोजीशन्स में पीरीयोडिकल मिटिंग्स की जाय, हर तरह की जांच पड़ताल करें। इस बात पर जोर दिया जा रहा है ताकि रिकवरी की पोजीशन सम्हल सके। आर. बी. आई. ने यह भी हटा दिया है कि इसमें अगर मिडिल टायर बैंक है टू टायर कर दिया जाय ताकि सहुलियत दी जा सके।

इसके अलावा जो कोआॅपरेटिव मिल्क स्कीम्स आज चल रही हैं आठ डिस्ट्रिक्टस में, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर, जयपुर आदि में उनके अन्दर मिल्क डेरीज भी चल रही हैं और कोआपरेटिव्ज भी चल रही हैं। उन पर जो एक्सपेंडीचर एन्टीसिपेटेड है वह है 6.47 करोड़, मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वह 4.90 लाख लीटर्स एप्रोक्सिमेटली होगी। मिल्क प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज भी आर्गेनाइज की जायेंगी।

वसूली के लिये कुछ और भी बातें कही गयीं हैं। कुछ अफसरों की वजह से वसूली नहीं हुई। मैं इस विषय में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वसूली के काम में संचालक मंडल भी उतना ही जिम्मेदार है जितने ओफिसर्स होते हैं। यदि संचालक मंडल और आफिसर्स मिल कर समय पर वसूली पूरी तरह से की जाय तो यह काम अच्छी तरह से चल सकता है।

श्री मीठालाल : नहीं रहेंगे तो क्या है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वह जो हालत है, चल रही है। इसके अलावा ऐसी भी स्कीमें हैं जिनके अन्तर्गत अलवर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में शार्ट टर्म

(सहकारिता मंत्री)

लोन, लोंग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन के माध्यम से काफी धनराशि लोगों को दी गई है।

इसके अलावा भी जो छोटे काश्तकार हैं उनको इसमें आइडेन्टिफाई किया गया है। इनको भी इसमें ऋण मिलता है। 20 पर्सेन्ट इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन को और काश्तकारों के लिये भी यह तै किया गया है कि इनको आर. बी. आई. के फण्ड में से क्रेडिट दिया जावेगा।

स्पेशियल स्कीमें ए. आर. सी. की भी चल रही हैं। इसमें भी करीब स्पेशियल डिबेन्चर 44.45 लाख के इश्यू किये गये हैं।

श्री मीठालाल : बाकी गत साल की रिपोर्ट से पढ़ लेंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : एम्बेजलमेंट के बारे में काफी बातें कही गईं। मिसएप्रोप्रियेशन के बारे में भी कहा गया। भ्रष्टाचार की भी शिकायतें की गयीं। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है 87 कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। 16 सी० सी० ए० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। सात को बर्खास्त भी किया गया है।

इसके अलावा एम्बेजलमेन्ट और मिसएप्रोप्रियेशन की जो स्थिति है उसमें भी काफी एक्शन हमने लिये हैं। 1971/72 में 1679 केस थे, जिनमें 73.83 लाख रुपया इन्वॉल्व्ड था। 70-71 में भी करीब 1,700 केस थे जिनमें लगभग 70 लाख रुपया इन्वॉल्व्ड रहा। 1969-70 में 1500 केसों में 50 लाख के करीब रुपया इन्वाल्व्ड था। 68-69 में 1,374 केसों में 42.43 लाख रुपया फंसा था और 67-68 में 1,562 केसों में 39.37 लाख रुपये इन्वॉल्व्ड था। इन सब में सैक्शन 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और पुलिस को देने के गई केसेज थे। वहां भी कार्यवाही की गई है। इसमें हम कुछ में तो सुपरविजन की कमी कह सकते हैं। पर इसके अलावा भी कई और चीजें हैं जिनकी वजह से इस प्रकार के एम्बेजलमेन्ट और मिसएप्रोप्रियेशन के मामलों में कार्यवाही की जाती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सुपरविजन तगड़ा करवा दें?

श्री नारायणसिंह मसूदा : काफी केसेज पकड़े भी गये हैं। सुपरविजन को भी काफी तगड़ा किये जाने की कोशिश की जा रही है।

इनमें कुछ में जुडीसियल एन्क्वायरी होती है। दूसरी प्रकार की एन्क्वायरी होती हैं तो इनमें विलम्ब भी इस कारण हो जाता है। पर जहां तक हो सकता है इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

इलेक्शन मशीनरी का जहां तक प्रश्न है इसके लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं कि चुनाव समय पर हों। इस बारे में मैं सदन को सूचना देना चाहूंगा कि सारे कोआॅपरेटिव बैंकों का इलेक्शन 2-4-73 को नियत किया गया है। कृषि सहकारी और भूमि विकास बैंकों के चुनाव 30-4-73 को रखे गये हैं। सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंकों में इलेक्शन डाइरेक्टरों का हमेशा समय पर होता रहा है। 16 बैंकों में हो गया है। दूसरे बाकी में 5 में नोटिस दे दिये गये हैं। इस तरह से इलेक्शन की कार्यवाही बाकायदा समय

(सहकारिता मंत्री)

पर करने की कोशिश की जा रही है। प्राइमरी लैंड डवलपमेंट बैंकों में 30 में होने हैं। बाकी कन्ज़्यूमर्स स्टोरों में गंगानगर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, हिंडोली में एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बीकानेर, चूरू, पाली, अजमेर में देख रहे हैं।

श्री मीठालाल : ये एडमिनिस्ट्रेटर कब तक रहेंगे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जब तक उनकी स्थिति सुधर नहीं जावेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : स्थिति उनकी निरन्तर विकार की तरफ है। इनमें सुधार की कब तक उम्मीद करें ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इनके विकास का प्रयास किया जा रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विकास का तो यह हाल है कि वे निरन्तर घाटे में जा रहे हैं। आंकड़े देख लीजिये आप।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां तक सुपर मार्केटों का सवाल है ये काफी घाटे में हैं और इनमें घोटाले भी हैं। जयपुर में भी जो चल रहा है घाटे में चल रहा है दस लाख का घाटा है। लिक्विडेशन में लेने की बात भी सरकार के सामने थी थी, पर लिक्विडेशन में लेने के बजाय कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि वे कुछ स्कीम बतावेंगे कि जिससे लिक्विडेशन के बगैर भी ये चल सकेंगे। इस वक्त इसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हैं। ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आवेगी तब उसको देखकर आगे के विषय में तै करेंगे कि इसे आगे किस प्रकार चलाया जावे।

चुनावों के बारे में कहा गया कि चुनाव पंचायतों में समय पर होने चाहियें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : और निष्पक्ष होने चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि चुनाव समय पर हों।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में कहा गया था उसके लिये भी उत्तर दे दिया जावे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इस बारे में भी निवेदन करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनके इलेक्शन इलेक्शन विभाग को सौंप दिये जावें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके बारे में भी हमने विचार किया था। पर ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं। इनके लिये सैक्शन 30 में प्रावधान रखा हुआ है। बाकी रूल 32 के अन्दर चुनाव होते हैं।

श्री मीठालाल : प्रावधान चेन्ज हो सकता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस पर सोचना पड़ेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जनहित में रूल्स भी चेन्ज किये जा सकते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में विचार करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गृह निर्माण सहकारी समितियों में बड़े-बड़े घोटाले हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप जहां होंगे वहां घोटाले होंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप वित्त मन्त्रीजी अब उधर बैठकर घोटाले कर रहे हैं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अनाज वितरण के साथ साथ कपड़ा वितरण का भी काम सौंपा गया था । कन्जूमर्स होलसेल फेडरेशन के मार्फत जो माल मीडियम फाइन, सुपरफाइन हमें काफी मिला और काफी कपड़ा हमने वितरित किया है । 934 स्टोर्स आइडेन्टिफाइड किये गये । 22-2-73 तक जितना कपड़ा वितरित किया वह करीब 14 लाख की कीमत का होगा । आगे और भी बढ़ने की आशा है वह बिक्री ।

इसके अलावा जो अनाज वितरण का काम हुआ है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि फूड कॉर्पोरेशन के मार्फत वितरण के लिये 71-72 में हमें 334.82 लाख रुपये का अनाज मिला और 22.50 लाख की दालें भी मिलीं जिनका वितरण हमने किया ।

कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की मार्फत हमें कॉटन भी मिला 71-72 में 21 लाख था जो 72-73 में अब तक 227.20 लाख का हो गया । पर्चेज ऑफ कॉटन अभी भी चली हुई है । कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने इसमें प्रोक्योरमेन्ट शायद 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं ।

श्री खेतसिंह : अब आप बिराजें ।

श्री मीठालाल : बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है । टाइम काउटिंग होता है । आप तो बोले जाय चाहे कोई मतलब निकलता हो या नहीं निकलता हो ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : हाउसिंग कोऑपरेटिव के बारे में आपने बताया । नम्बर आफ सोसाइटीज हैं 323 और टोटल मेम्बर्स हैं 2,6708 और केपिटल है 27.82 । एपेक्स हाउसिंग कोऑपरेटिव 31-12 को रजिस्टर हुई । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो सबसीडी दी जाती है, वह 300 रु० और उनका खुद का कन्ट्रीब्यूशन सो हो जाता है । लोन हाउसिंग सोसाइटीज के अन्दर 2 करोड़ 27 लाख 402 है । आपने फरमाया यहां कि शहर की जो हाउसिंग कोऑपरेटिव्ज हैं उनके अन्दर मैं मानता हूं बहुत सी कोऑपरेटिव्ज में वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं और जिनके मकान हैं, उन्होंने बनाली हैं लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास मकान नहीं हैं जिनाइन सोसाइटीज हैं । इनके बारे में सोचना होगा कि कौनसी किस किस प्रकार की सोसाइटीज हैं और सोसाइटीज को जमीन दिलाने के लिये भी जोर दिया जायगा ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : जमीन के बिना तो रजिस्टर्ड ही नहीं होती है । जमीन के ही तो सारे झगड़े हैं । मुंशीलालजी ने कहा है 500 रु० की घोषणा शंकरलालजी ने की है । जब तक रुपया नहीं दिया जायगा तक तक नहीं मानेंगे ।

एक माननीय सदस्य : आप बीच में डिसटर्ब न करें ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसके अलावा मैं निवेदन करूं इसमें अब कुछ व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिये यह प्रयत्न किया गया– सैक्शन 34 (4) के अन्दर उनके ऊपर

(सहकारिता मंत्री)

एक्शन लिया जायगा और हटाया जायगा। लेकिन यह कार्य जब प्रारम्भ किया गया और कुछ क्रय-विक्रय संघ के ऊपर या दूसरों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की बात आई तब कुछ कोआँपरेटर्स आये और यह कहा कि यह वर्ष अकाल का वर्ष है इसलिये इस वर्ष के अन्दर कम से कम यह कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। अतः उसको स्थगित कर दिया गया, जून तक।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अकाल का कारण अच्छा है। गेहूं का घोटाला इसीलिये हुआ है, क्रय-विक्रय संघ में।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कुछ घोटाले हो सकते हैं लेकिन आज जो वहां की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है उसको बिल्कुल नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता है। उसको देखते हुये भी कार्य करना पड़ता है। हमने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की कार्यवाही की। वे ट्रिब्यूनल तक गये और ट्रिब्यूनल ने यह तय किया कि जो कार्यवाही की गई है एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की वह गलत है। इसलिये वह हटा दिये गये और उसी मैनेजमेंट को किया गया। कुछ रेमिडियल मैनेजमेंट हम रूल 25 के अन्दर कोआँपरेटिव सोसायटीज में बाई लॉज हैं किसी भी कोआँपरेटिव को प्रोलांग न किया जाय और चुनाव करा दिये जायं। 34 (4) को एनफोर्स किया जायगा, जून के बाद।

दूसरा बोर्ड के मेम्बर 6 साल की टर्म में कोई रिलेक्सेसन न किया जाय। अगर 6 साल तक मेम्बर हैं तो वे आगे नहीं रहने चाहिये। सुपर सैशन के लिये यह सोचा 60 परसेन्ट से ओवर ड्यूज हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कायम किया जाय और 50 परसेंट हैं उनको पहले नोटिस दिया जाय और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर करने की कार्यवाही की जाय। जो वहां डेप्युटेड सर्विस के लोग दिये जाते हैं उसके अपर बैंकिंग फोर्स पर 1 आदमी पांच साल से ज्यादा न रहे और इसी प्रकार से बैंकिंग फोर्स 8 साल और 9 साल। वह 6 साल और दो साल का रहे। अगर मुतवातिर रहे तो एक साल और। यह बात सही है कुछ डेप्युटेड सर्विस के जाकर उनके वहां अपने वेस्टेड इन्टरेस्ट हो जाता है, उनको बचाने की आवश्यकता है इसलिये यह सोचा गया है। जहां तक हो सके डेप्युटेड सर्विस में एक सीमा समय के लिये रखा जाय। इस प्रकार से मैंने निवेदन किया एग्रीकल्चरल कोआँपरेटिव सोसायटीज भी हैं। यहां यह जिक्र आया था कुछ एग्रीकल्चरल कोआँपरेटिव बोगस हैं और कुछ फेल भी हो गई हैं। मैं यह मानता हूं एग्रीकल्चरल कोआँपरेटिव सोसाइटीज, इन्डस्ट्रियल कोआँपरेटिव सोसाइटीज और दूसरी हाउसिंग कोआँपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें कई वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग हैं। इनका शुद्धिकरण आवश्यक है। इसके लिये सबको स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। किस किस प्रकार की सोसाइटीज हैं और उनको स्क्रूटिनाइज करके किनको अवसायन में लाया जाय और किनको नहीं लाया जाय यह देखना होगा। यह प्रोसेस शुरू करने का विचार है। अगर जरूरी हुआ तो स्पेशल आॅफिसर नियुक्त करके जांच करवाई जायगी किस किस प्रकार की सोसाइटीज हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला। वित्त मंत्री जी से इसकी घोषणा करवा दी जाय।

श्री मोहन लाल छंगाणी : आपकी सद्भावना है। आप ही घोषणा कर दें।

श्री नारायण सिंह मसूदा : रंपेशल नियुक्त करने के लिये कन्सल्ट करना पड़ता है.........

श्री श्रीराम गोटेवाला : कर लीजिये, अभी तो अच्छे मूड में हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बिकुल भूखा हूं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसी प्रकार से हमारे यहां फारेस्ट काऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं और कुछ लेवर कान्ट्रेक्ट काऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं। उन्होंने भी काफी कार्य किया है। फारेस्ट काऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन्स मिले। उनको अपेक्स बाड़ी है। उसकी रिकमन्डेशन से कई फारेस्ट के कान्ट्रेक्ट मिलते हैं। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। यद्यपि मैं कहूंगा जो फारेस्ट काऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हालांकि उनका स्तर गुजरात के बराबर तो नहीं है फिर भी उनके अन्दर..

एक माननीय सदस्य : उनमें भी वेस्टेड इन्टरेस्ट है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : वेस्टेड इन्टरेस्ट को काऑपरेटिव्ज में से निकालना आपका और मेरा दोनों का काम है। जहां एम० एल० ए० की भी जिम्मेदारी है जितनी किसी और की हो सकती है। जब तक सहकारी आन्दोलन को सहकारी आन्दोलन की तरह नहीं लेंगे और केवल इस प्रकार लेंगे यह राजनैतिक शासन तब तक स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकता है ......

एक तरह से कहा जा सकता है जो इफेक्टेड है उसके अन्दर राजनैतिक वातावरण है, राजनैतिक प्रभाव है तो दूसरी तरह से जो उससे फायदा पाता है वह उसको दबाने की कोशिश करता है। कई वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं और यह सोसाइटीज उनके हाथों में गयी हुई हैं, इनके शुद्धिकरण करने के लिए काफी प्रयत्नों की आवश्यकता है। यह केवल सरकारी लेवल पर नहीं हो सकता। यह कोऑपरेटिव नेतृत्व के अन्दर ही उस प्रकार का परिवर्तन आयेगा तब यह चीज हो सकेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि जब तक हम इस बात का पूरा विचार न कर लें कि इसका शुद्धिकरण आवश्यक ही है तब तक यह चीजें नहीं हो सकतीं। मैं इस विषय में आप से निवेदन करूं कि आवश्यक यह है कि लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेम्बरशिप प्राइमेरिली लेबरर्स की रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए और इसी प्रकार से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज में एग्रीकल्चरिस्ट्स और ट्रेडर्स ही हों, इसी प्रकार से हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी जो हाउसलेस व्यक्ति हैं उन्हीं को इनमें आने दिया जाये, इसी प्रकार से इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेम्बरशिप वर्कर्स और आर्टीजन्स को ही दी जानी चाहिए। इस प्रकार के कई सिद्धान्त हैं जो कि मिर्धा कमेटी ने भी निर्धारित किये थे और दूसरी कमेटीज ने भी निर्धारित किये थे और इन्हीं सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के अन्दर काफी कोऑपरेटर्स का, आम जनता का और दूसरों के सहयोग की आवश्यकता है। उस सहयोग के बिना यह कार्य होना कठिन है।

मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं कि भ्रष्टाचार की शिकायतें, गबन की शिकायतें और जंपों के दुरुपयोग की शिकायतें यह जितनी भी हैं यह नहीं

(सहकारिता मंत्री)

होनी चाहिए इसको मैं मानता हूं। यह तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन के लिए जीप विथड्रा की गयी है ताकि जीप का दुरुपयोग नहीं हो। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी आफिशियल्स हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं कि वह भी नान-आफिशियल्स के कुचक्र में इस प्रकार से उलझ गए हैं कि उनका निकलना बहुत मुश्किल है। आज कहा तो यह जाता है कि इन्सपेक्टर्स को और ऑडिट इन्सपेक्टर्स को होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया जाये लेकिन वही कई माननीय सदस्य दुर्भाग्य से मेरे पास आ कर ही कहते हैं कि उसको जिले के अन्दर ही लगा दिया जाये। तो इस प्रकार की स्थितियां जब बनती हैं तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। जब तक कोआॅपरेटिव्ज पालिटीकल वातावरण से महरूम नहीं होंगी तब तक कोआॅपरेटिव्ज का जो रूप निखरना चाहिए वह निखरना मुश्किल है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें चारों तरफ का सहयोग आवश्यक है।

माननीय सदस्यों ने विभिन्न तरह से अपनी अपनी चिन्तायें व्यक्त कीं और कहा कि कोआॅपरेटिव मूवमेन्ट बिलकुल गलत रास्ते पर जा रहा है, उन चिन्ताओं के साथ उनको यह भी चिन्ता रहनी चाहिए कि वह भी उसको पालिटीकल हथियार न बनायें और उसको जिस प्रकार से चलना चाहिए उसी प्रकार से चलाने की तरफ रुख करें। मैं काफी चीजों के ऊपर कह चुका हूं और भी कई कटौती प्रस्ताव आए हैं।

इसके अलावा मैं यह निवेदन और करूंगा कि गुलाबपुरा और केशोरायपाटन के अन्दर भी हमारे दो बड़े कारखाने चल रहे हैं। गुलाबपुरा का जहां तक सवाल है वहां पर कोआॅपरेटिव स्पिनिंग मिल के अन्दर 121 लाख का प्रोजेक्ट था वह बढ़ाकर 140.66 लाख का हो गया। आज वहां पर 25 हजार स्पिन्डल काम कर रहे हैं, लेकिन उसको सक्षम रूप से काम करने के लिए 50 हजार स्पिन्डल की जरूरत है। इसमें गवर्नमेन्ट शेयर केपिटल एक्सपेक्टेड था 48 लाख रुपये का, लेकिन उसमें से अभी 42.20 लाख रुपया ही हुआ है, शेयर कैपिटल कोआॅपरेटीव्ज का 24 लाख की जगह 7.13 लाख ही केवल हुआ है। याने कोआॅपरेटर्स उसमें जिस प्रकार से आने चाहिए उतने नहीं आ रहे हैं और इसी तरह से आई० एफ० सी० लोन 45.50 लाख का हुआ है, राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से 20 लाख रुपया, राजस्थान स्टेट कोआॅपरेटिव बैंक की तरफ से 20 लाख और इनकम फाम इन्टरेस्ट 1.25 लाख रुपया है। इस तरह से 136.43 लाख का इनवेस्टमेन्ट उसके अन्दर है और इस समय प्राडक्शन 14-4-72 को चालू हो गया है। इसके अलावा काटन का अच्छा प्राडक्शन हो इसके लिए काश्तकारों को फर्टीलाइजर देकर और अच्छा काटनसीड देकर आगे बढ़ायेंगे। केशोरायपाटन का 243 लाख का प्रोजेक्ट है जिसमें से गवर्नमेन्ट का 45 लाख का शेयर, मेम्बर्स का 58.12 लाख का और लोन 120 लाख रुपये का, आर० एफ० सी० का 20 लाख का, गवर्नमेन्ट का 75 लाख और कोआॅपरेटिव बैंक का 13 लाख, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का 40 लाख रुपया--इस तरह से 268 लाख का इनवेस्टमेन्ट है। अब उसकी जो पहले स्थिति थी और वह जिस प्रकार से चलना चाहिए था उस प्रकार से कुछ दिक्कतें आ जाने से, कुछ पानी खराब होने से, टरबाइन में गड़बड़ी

(सहकारिता मंत्री)

होने से पूरी नहीं चल सकी थी और अब उसका मेनेजमेन्ट काफी सुधरा है और कुछ ज्यादा शुगरकेन कल्टीवेशन की तरफ भी ध्यान दिया गया है और कल्टीवेशन में ज्यादा एरिया लिया गया है, लोन को भी री-शिड्यूल किया गया है और खण्डसारी क्रशर को भी रेगुलेट किया गया है और इस प्रकार से कई चीजें जो ठीक करने की थीं उनको रिपोर्ट के मुताबिक ठीक किया गया है।

इसी प्रकार से गुलाबपुरा कोआॅपरेटिव और केशोरायपाटन हमारे सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर चल रही हैं और दूसरी भी प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज बहुत हैं। तेल मिल वगैरह भी चलती हैं लेकिन जिस प्रकार से सहकारी प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज के अन्दर और सहकारी उद्योग के अन्दर जितना विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास लोगों का उत्पन्न नहीं हो पाया है। अगर गुलाबपुरा कोआॅपरेटिव सोसाइटी अच्छी तरह से चल सकी तो सम्भव है कि इस विषय में लोगों को कुछ विश्वास हो पायेगा लेकिन वहां भी एक दिक्कत आ गई है। कुछ तो पॉवर कट की वजह से वहां के प्रोडक्शन में दिक्कत आई है, कुछ यार्न कन्ट्रोलर के आर्डर्स इस प्रकार के हैं कि यार्न दिसम्बर की रेट से बेचा जाये। उसमें क्वालिटी को डिग्रेड करने का प्रश्न भी आ जाता है और वहां पर एक नई झुन्झुनूवाला की मिल भी लगेगी तो उसका बड़ा भारी कम्पीटीशन खड़ा हो जाएगा और गुलाबपुरा मिल के ऊपर काफी धक्का लगता है और यह चल सकी और केशोरायपाटन की चल सकी तो लोगों का विश्वास कोआॅपरेटिव सेक्टर में और इस दिशा में ले जाने की तरफ होगा। मैं तो यह भी चाहता हूं कि ज्वाइन्ट सेक्टर के अन्दर भी कोआॅपरेटीव्ज प्रवेश कर सकें। ज्वाइन्ट सेक्टर के लिए जहां गवर्नमेन्ट ने सोचा है वहां पर बजाय पूंजीपतियों के कोआॅपरेटर्स को अन्दर लिया जाए और उनको लेकर मिलें आगे बढ़ाई जायें। तो इसकी भी आवश्यकता है। मैं इस बात का तो खेद प्रकट करता हूं कि जो अभी कहा गया कि फूड मिनिस्टर ने यह कहा कि फूडग्रेन ट्रेड हम क्रय-विक्रय संघ को नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि क्रय विक्रय संघ की जिस प्रकार की हालत है वह हालत सुधार पर जा रही है कुछ धन्धों के कारण कहा जाता है। उन पर आक्षेप भी जरूर होते हैं, परन्तु फिर भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ सुझाव भी हैं जिससे सम्भव है कि वह अपनी स्थिति को काफी सुधार सकेंगे और इस प्रकार का विश्वास पैदा कर सकेंगे कि जिससे यह ट्रेड भी उसके साथ में आ सके। वास्तव में आॅयल की, शीड की, कपड़े की और यह वितरण की, जो चीजें हैं। उनके कोआॅपरेटीव्ज के हाथ में आने की आवश्यकता है। अभी तक शुगर वितरण का काम, जो कोआॅपरेटीव्ज के मार्फत होता था उसको एफ०सी०आई० ने ले लिया है। इसका भी बड़ा भारी धक्का लगा है। इसके बारे में प्रयत्न किया जा रहा है कि कोआॅपरेटीव्ज के मार्फत हो और शुगर जो दी जाती थी वह बिल्कुल उसी प्रकार से कायम रहे। और यह मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि फूडग्रेन ट्रेड के अन्दर क्रय-विक्रय संघ को, सेंट्रल संघ को, यहां के केन्द्रीय क्रय-विक्रय संघ को अगर यह मौका नहीं दिया गया है तो भी कई क्रय-विक्रय सोसायटीज हैं उनकी मार्फत यह फूडग्रेन ट्रेड जरूर चलेगा और उसके अन्दर कोआॅपरेटिव्ज जरूर इन्वॉल्व होंगी, इसकी पूरी आशा है।

श्री मीठालाल : अब तो खत्म करिए।

सहकारिता मंत्री : यह निवेदन करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, सारे अपोजीशन की तरफ से केवल आधा मिनिट का समय लेता हूं। माननीय मंत्रीजी ने अपना पूरा भाषण इस चुभन के साथ दिया है और वे खुद भी मानते हैं कि घोटाले और नाजायज कार्य हुए हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। आपने इस बारे में कोई विशेष बात नहीं कही है कि किसी विशेष एजेंसी द्वारा जांच करवायेंगे। इस तरह की कोई घोषणा करने की मेहरबानी करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरा निवेदन है कि घोटाले और एम्बजलमेंट के केसेज जितने हैं और जिस प्रकार से चैक किए जा रहे हैं और कार्यवाही की जा रही है। सेक्शन 74 के अन्दर पुलिस केसेज भी बन रहे हैं और उनको मुअत्तिल भी किया गया है, कुछ को सजाएं भी हुई हैं। यह सब मैंने अभी बताया है। लेकिन ये सब मामले क्वासी-ज्यूडिशियल हैं और उसी प्रकार से ये चलते हैं और उसमें समय लगता है। और चौकस यह की जाती है कि जहां 2 भी इस प्रकार के मामले सामने आवें उनको मुस्तैदी से लिया जाय और उन पर पूरी कार्यवाही की जावे। इस विषय में पूरी चौकसी की जा रही है, लेकिन यह सारी चीजें, जितने मामले हैं, वह एकदम तो तय नहीं हो सकते।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने खाद्य वितरण में सहकारी एजेंसियों का, सहकारी समितियों का सहयोग लेने की बात हाफ-हार्टेडली कही है इसका मतलब क्या है? वास्तव में उनसे ही काम लेंगे अथवा उनके हाथ में कुछ पावर दे देंगे। आपने डेफिनिट कुछ नहीं कहा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैंने हाफ हार्टेड नहीं कहा है। मैंने तो यह कहा है कि अगर फूड मिनिस्टर ने यह घोषणा की है कि क्रय-विक्रय संघ को माध्यम अभी नहीं बनाया जा सकता तो उनके खास कारण हो सकते हैं और उन कारणों को भी हमें देखना पड़ेगा और क्रय-विक्रय संघ को फिर टटोलना पड़ेगा कि वह इस ट्रेड को लेने में सक्षम है या नहीं। मेरे पास उनका लिखा हुआ मौजूद है। वह पंजाब नेशनल बैंक से कर्जा लेकर इस ट्रेड को हाथ में लेने को तैयार भी हैं। बीस करोड़ रुपया लेकर इस काम को करने का प्रोग्राम भी बनाया है। परन्तु इस विषय में फूड मिनिस्ट्री को और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को दोनों को मिल कर बैठ कर बात करनी पड़ेगी कि आया यह ट्रेड इस समय उनको दिया जा सकता है या नहीं। यह जरूर है कि जहां क्रय-विक्रय सोसायटीज हैं, प्राइमरी क्रय-विक्रय सोसायटीज हैं, मार्केटिंग सोसायटीज हैं उनके मार्फत जरूर इसको लिया जाएगा।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

माननीय खनिज राज्य मंत्रीजी!

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग से सम्बन्धित मांग को लेकर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जो विचार सदन में खनिज विभाग से सम्बन्धित आए हैं उनको मैं तीन-चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। कुछ सुझाव नीति सम्बन्धी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और कुछ खनिज सम्बन्धी

(खनिज मंत्री)

सर्वेक्षण और प्रोस्पेक्टिंग को लेकर रखे गए हैं। मैं इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के पहले थोड़ा बहुत खनिज विभाग के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं।

जैसा कि सदन के सदस्य महसूस करते हैं खनिज विभाग धीरे 2 राज्य सरकार की आमदनी का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है और एक इम्पोर्टन्ट डिपाटमेंट का रूप इसने ले लिया है। पिछले कुछ सालों में खनिज विभाग में आमदनी के हिसाब से, मजदूरों के हिसाब से और लीज की संख्या के हिसाब से बराबर वृद्धि होती रही है। लेबर के हिसाब से मैं यह निवेदन करूं कि 1951 में करीब 14 हजार मजदूर मेजर मिनरल्स में काम करते थे उसके मुकाबले में इस मेजर मिनरल में 23 हजार से ऊपर लेबर एम्पलॉयड हैं। माईनर मिनरल में आज से करीब 15 साल पहले करीब 17 हजार मजदूर काम में लगे हुए थे, आज जहां एक लाख से ऊपर मजदूरों की संख्या हो गई है। इसी तरह आमदनी जो 1951 में 39 लाख थी, 1961 में वह बढ़ कर 1 करोड़ हुई और इस साल वह आमदनी 5 करोड़ 23 लाख रुपये की है जिसमें से 303 लाख यानि 3 करोड़ और 3 तीन रुपये रॉक फॉस्फेट से इन्कम हुई है और डिपार्टमेंटल इन्कम 2 करोड़ और 20 लाख है। इस तरह से खनिज विभाग में बराबर प्रगति होती जा रही है और यह प्रगति मैं आशा करता हूं कि आगे भी चलती रहेगी।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उसमें खनिज से यह अपेक्षा की गई है कि यह राजस्थान में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जावें और खनिज के उद्योग यहां के मजदूरों को मजदूरी देने में सक्षम हों और इसमें कोआॅपरेटिव सेक्टर को भी प्रोत्साहन दिया जावे। इन सब बातों का मैं स्वागत करता हूं और इनमें जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत निवेदन करूंगा। राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर कि खानों का कन्सट्रेशन है और बहुत बड़ी तादाद में मजदूर काम करते हैं। ऐसे एरिया की समस्या, ऐसे बड़े एरियाज या तो लोगों को इण्डीविजुअली दी जाती है या किसी कॉर्पोरेशन को दी जाती है, उनका मुकाबला कैसे हो सकता है। राजस्थान में जोधपुर का फिदूसर एरिया है, भीलवाड़ा में बिजोलिया का एरिया है और जयपुर में है जो झालाना और दूसरी माइन्स और मकराना में मारबल एरिया है, इनमें छोटे 2 साइज के प्लॉट दिए जाते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लीज होल्डर्स रहते हैं। इन जगहों पर साइन्टिफिक तरीके से माइनिंग करने में डिफिकल्टी आती है। एक तरफ हमारे सामने यह समस्या है कि छोटे 2 मजदूरों को और हाथ से काम करने वाले आदमियों को ज्यादा से ज्यादा धन्धा दिया जावे और उनको माइनिंग के माध्यम से रोजगार दिया जावे और दूसरी तरफ प्रोडक्शन का और इण्डस्ट्रियल ग्रोथ का प्रश्न हमारे सामने आता है। इन दोनों बातों को जब हम सोचते हैं तो इसमें कई तरह की डिफिकल्टी आ जाती हैं। माइनिंग के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए यह आवश्यक है कि माइनिंग एरिया एक रीजनेबल साइज का हो। वह बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और इतना छोटा भी नहीं हो कि उस पर साइंटिफिक माईनिंग नहीं हो सके। लेकिन कई फेक्टर्स हैं, सोशियल और इकोनोमिकल फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमको बहुत बार कम्प्रोमाइज करना पड़ता है।

(खनिज मंत्री)

जो आज की परिस्थिति में आवश्यक है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सर्वे के बारे में यहां पर प्रश्न उठाए हैं। राजस्थान खनिज विभाग ने समय समय पर सर्वे किया है और उससे अच्छे नतीजे आए हैं। 1956 में ये बार्नर मैग्नेटिक सर्वे केनेडियन टीम के द्वारा कराया गया जिसके फलस्वरूप 130 क्लोज्ड एनोमोलीज उनको मालूम हुई और करीब 75 हजार स्क्वायर किलोमीटर का 1956 में सर्वे हुआ। इसके बाद में 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने एक ऑपरेशन हार्ड रॉक के नाम से किया जो 30 हजार 41 स्क्वायर मीटर में कराया गया और उस वक्त भी थाउजन्ड आफहन्स उनको मिला है और उसके फलस्वरूप छीछल, नीम का थाना, भीलवाड़ा में यह मीनरल उपलब्ध हो रहा है। इसके बाद 1972 में फ्रांस के कोलोब्रेशन से एक सर्वे सदरन पार्ट आफ राजस्थान में कराया गया है–अन्डर ग्राउन्ड वाटर और मिनरल्स के लिये। इस तरह बड़ी बड़ी कम्पनियों से मिल कर यह सर्वे कराया गया है। इसके अलावा राजस्थान के माइनिंग एण्ड ज्योलोजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी जगह जगह, जो हमारी टीम्स काम कर रही है उनकी संख्या विभिन्न पलेशेज को मिलाकर करीब 31 है और इस तरह 31 स्थानों पर माइनिंग डिपार्टमेंट का सर्वे चालू है। इस तरह सभी स्थानों का यथासंभव, जो हमारे मीन्स हैं उनको देखते हुए सर्वे करने की कोशिश की है और मुझे खुशी है कि राजस्थान के माइन्स एण्ड ज्योलोजिकल डिपार्टमेंट ने राकफास्फेट की सब से पहले खोज की है। इस तरह से मल्टीमेटल्ड कापर जिंक और डेयरी में राजस्थान के माइन्स डिपार्टमेंट ने खोज की है। बीदासर में जो कापर की बात कही गई है, उसका सर्वे पहले हो चुका है और सर्वे से यह पता चला है कि जो मिनरल्स की मात्रा है वह कम है और यह लो क्वालिटी की है। उसके मुकाबले में दूसरे ऐसे स्थान हैं जहां कि इससे अच्छे कापर के डिपोजिट अवेलेबल हैं। इसलिए इन स्थानों पर सर्वे किया जा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज के पाइन्ट आफ व्यू से हिन्दुस्तान की महत्वपूर्ण स्टेट्स में से एक है और हमारे यहां पर करीब 37 तरह के मिनरल्स उपलब्ध हैं। इसमें दोनों मेटेलिक और नॉन-मेटेलिक मिनरल्स शामिल है। मेटेलिक मिनरल्स में हम हिन्दुस्तान में करीब-करीब टाप पर है और जो पांच मिनरल्स इम्पारटेन्ट हैं, उसका सारा का सारा प्रोडक्शन हिन्दुस्तान में जितना होता है वह राजस्थान द्वारा ही किया जाता है। जिंक कन्सन्ट्रेट, लेड कन्सेन्ट्रेट, गारनेट, टंग्स्टन और एमेरल्ड का हन्ड्रेड परसेन्ट प्रोडक्शन, जो कन्ट्री में होता है, वह राजस्थान में ही हो रहा है। इसके अलावा आठ और इम्पार्टेन्ट नॉन-मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनमें भी अस्सी प्रतिशत से ऊपर प्रोडक्शन राजस्थान कर रहा है। उनमें एसबेस्टोज, केलसाइट, फेल्सपार, जिप्सम, रॉकफास्फेट, सिल्वर, पाइराइट्स और सोपस्टोन हैं। ये सब के सब मिनरल्स इम्पोर्टेन्ट हैं और इनका आज भी प्रोडक्शन हमारी स्टेट में काफी अच्छी मात्रा में हो रहा है। और आगे के लिये भी आशा करते हैं कि इन मिनरल्स का प्रोडक्शन बढेगा और राजस्थान मिनरल्स के मामले में इम्पोर्टेन्ट स्थान हिन्दुस्तान में प्राप्त करेगा।

हमारी माइन्स को माइनिंग लीज पर देने के अलावा डिपार्टमेंटल माइनिंग करने का भी हमने फैसला लिया है और इसके लिए

2 ??

(खनिज मंत्री)

एक मिनरल कारपोरेशन बनाकर राजस्थान में खनन का कार्य किया जा रहा है। जो पहले एक प्रणाली चलती थी राजस्थान बनने के टाइम पर कि सब मिनरल्स लीज द्वारा एक्सप्लाइट करायी जाएं उसमें भी चेन्जेज किए जा रहे हैं और अब हम इनका एक्सप्लाइटेशन कारपोरेशन बनाकर कर रहे हैं, चला रहे हैं और आगे के लिए भी यह सिस्टम चलेगा। अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया का खेतड़ी में हिन्दुस्तान कॉपर कारपोरेशन है वह यह काम कर रहा है। जावर में हिन्दुस्तान जिंक काम कर रहा है और इसी तरह से डेयरी में प्रास्पेक्टिंग का काम हम डिपार्टमेंट की तरफ से चला रहे हैं जहां पर ताम्बे के, लीड जिंक के अच्छे भंडार मिले हैं। आशा की जाती है कि प्रास्पेक्टिंग कम्पलीट होने के बाद डिपार्टमेंट की ओर से हो काम चलाया जाएगा। राक फास्फेट का जो काम है वह भी डिपार्टमेंट की ओर से किया जा रहा है और बी० जी० एल० की मार्फत भी चालू है और इसका प्रोडक्शन कुछ दिनों में बढ़कर 750 टन प्रतिदिन के हिसाब से हो गया है। वैसे राक फास्फेट को लेकर हाउस में कई तरह की चर्चा हुई है और कई तरह के प्रश्न यहां पर उठाए गए हैं। यह सही है कि बी० जी० एल०, जो हमारा रेजिंग कान्टेक्टर्स है उसका प्रोडक्शन टारगेट के माफिक और शिड्यूल के माफिक नहीं हो सका है, लेकिन इसमें उनकी डिफिकल्टी थी। प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है कि अर्थ मूविंग मशीन, बुल्डोजर्स, शोवलर्स, डुपर्स, ये मशीनें जब तक उपलब्ध न हों तब तक ह्यूमन लेबर से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब इसके लिए भी उनके पास मशीनरी उपलब्ध हो गई है और अभी पिछले कुछ दिनों से उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आशा की जाती है कि अगले दो महीने में प्रोडक्शन बढ़कर एक हजार टन प्रतिदिन के हिसाब से हो जाएगा।

इसी तरह से डिपार्टमेंट के द्वारा डेगाना में टंगस्टन का काम चलाया जा रहा है और वहां पर करीब 500 मजदूर काम करते हैं। मिनिरल बेसड इन्डस्ट्री के तहत फरटीलाइजर कम्पलेक्स कारखाना लगाने के भी संबंध में विचार किया जा रहा है और सलादीपुर में करीब 60 प्रतिशत मेटेरियल उपलब्ध हुआ है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को एप्रोच किया है और जनवरी के महीने में मुख्य मंत्री महोदय ने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को लिखा है कि अब इस पर फाइनल निर्णय ले लिया जाए। इसमें अभी स्थान का चयन करना है परन्तु मिनरल्स की जैसी क्वालिटी और क्वान्टीटी उपलब्ध हो गई है उसको देखते हुए यह संभावना लगती है कि फरटीलाइजर कम्पलेक्स के लिए शीघ्र ही इजाजत मिल जाएगी।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने मिनरल बेसड इन्डस्ट्री के बारे में कहा है। हमारे यहां पर जितनी भी मिनरल प्रोड्यूज होती है उस पर कारखाने लगाये जांए यह मांग की गई है। इस बात से राजस्थान सरकार सहमत है और सरकार की ओर से यथा संभव कोशिश की जाती है कि रिन्यूवल के समय इस तरह के जो कान्टेक्टर्स हैं उनसे यह कहा जाता है कि इन मिनरल्स से इण्डस्ट्री लगाई जा सकती है तो लगाई जाए और इस तरह की शर्त उनसे करते हैं कि वे इन्डस्ट्री लगायें ताकि इन मिनरल्स का राजस्थान में यूटिलाइजेशन हो सके और इसके लिए छोटी मोटी इन्डस्ट्री सोप स्टोन, ग्लास फेक्टरी

(खनिज मंत्री)

पोटरिज की लगी भी है और आगे भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का यूटिलाइजेशन फैक्टरी के रूप में यहीं पर किया जाए। इन जनरल बातों के बाद में सरटेन जो पाइन्ट्स उठाये हैं उनके बारे में विचार करना चाहता हूं। जो इम्पोर्टेन्ट पाइन्ट्स हैं उन्हीं को मैं लेना चाहता हूं। क्योंकि मेरे ख्याल से सदन भी अब इस मूड में है कि इस डिबेट को ज्यादा नहीं चलाया जाय। इसलिए मैं इम्पोर्टेन्ट पाइन्ट्स, जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और जो माननीय सदस्य यहां पर मोजूद हैं उनके क्टमोशन्स का ही ज्यादा जिक्र करूंगा।

माननीय गोपालजी जोशी ने कुछ पालिसी सम्बन्धी मसले उठाये हैं। उनमें से एक पाइन्ट तो यह था कि लेण्ड पर सीलिंग लगा दी गई, अरबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगादी गई है तो माइनिंग पर भी किसी तरह का सीलिंग लगाना चाहिए। इस बात से विभाग सहमत है और कुछ दिनों पहले से ही यह विचार चल रहा है कि माइनिंग लीज का एरिया है उसको किस सीमा तक बान्ध दिया जाय, और जितने बड़े बड़े प्लाट्स अभी तक दिये जाते रहे हैं उन प्लाट्स का साइज कुछ कम किया जाय। माइनर मिनरल्स का जो मेक्जीमम प्लाट है वह 30 स्क्वायर माइल्स का है। उसके लिए विभाग का ऐसा विचार है कि उसको कन्सीडर करके और अलग अलग मिनरल्स के लिए क्या साइज उपयुक्त होगी उसको तय करेंगे। वह इतनी छोटी भी न हो जाय कि प्रापर साइन्टिफिक माइनिंग न हो सके, उसका प्रापर एक्स्प्लायटेशन न हो सके, और उसका डेवलपमेंट माइनिंग का रुक जाय, और वह इतना बड़ा भी न हो जाय कि उसका पूरी तरह से एक्स्प्लायटेशन न हो सके। तो यह 30 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया है उसके लिए हमारा विचार है कि वन-थर्ड या वन फिफ्थ की साइज तक कम करने का विचार है। फाइनल क्या साइज होगी इसके बारे में अभी निश्चित नहीं किया गया लेकिन वन थर्ड से ज्यादा नहीं होगी और वन फिफ्थ से कम नहीं होगा। यह साइज 30 मील के मुकाबले में कर दिया जाय।

उसी तरह से माननीय जोशीजी ने एक जिप्सम के नेशनेलाइजेशन के बारे में बात कही थी, सोप स्टोन और माइका के बारे में भी कहा था। मैं जिप्सम के बारे में निवेदन करूंगा कि आज जितनी भी जिप्सम का माइन्स हैं वह प्राइवेट पार्टी को नहीं दी हुई है.......

एक माननीय सदस्य : जयसिंह।

श्री कुम्भार सिंह : एक जयसिंह नाम के व्यक्ति को प्राइवेट पार्टी को जरूर दी हुई है, लेकिन उसको गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने रिकमण्ड नहीं किया है और रिजेक्ट करने की सिफारिश की थी। यह जो लीज है वह भारत सरकार ने सेन्क्शन की थी और उनकी इजाजत से ही इनको इजाजत मिली है, लेकिन उनका लीज टर्म खत्म होने पर उसका रिन्यूअल नहीं किये जाने वाला है। राजस्थान इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इन्डिया, बी० जी० एम० जिसमें गवर्नमेंट आफ राजस्थान के फिफ्टी परसेंट शेयर्स हैं इन नामों के अलावा किसी प्राइवेट पार्टी को लीज नहीं दी गई है...

श्री गोपाल जोशी : जब बी० जी० एल० में 50 पर्सेन्ट से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हैं तो उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं अपने हाथ में लेती है गवर्नमेंट ?

श्री जुझारसिंह : इस वक्त मैं इसके बारे में कमिटमेंट करने की परिस्थिति में नहीं हूं, लेकिन राज्य सरकार में काफी गम्भीरता से विचार चल रहा है कि इसके बारे में क्या किया जाय और क्या इसके ऊपर कदम होंगे।

श्री गोपाल जोशी : माननीय मुख्य मंत्रीजी का ऐसा ऐलान है।

श्री जुझारसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी का ऐलान है या नहीं है, और माननीय मुख्य मंत्रीजी का ऐलान होगा तो उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि किसी तरह का यहां पर कमिटमेंट कर सकूं।

दूसरा एक प्रश्न आपने यह उठाया था कि एफ० सी० आई० का जो लो ग्रेड का जिप्सम है वह जो वेस्ट जाता है उसका ऑक्शन किया जाय। एफ० सी० आई० का बाड़मेर का जहां तक का प्रश्न है वहां उत्तरलाई की जो माइन्स हैं उनमें लोग्रेड के जिप्सम का एफ० सी० आई० को बेचने की परमिशन हैं और उसको जो है वह अभी तक अपने मार्केट में बेच रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनका जो 20 इयर्स का टर्म था वह समाप्त हो गया। उसके बाद में रिन्युअल की पोजीशन आई है तो गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने एफ० सी० आई० पर यह दूसरी कन्डीशन लगाई है कि कैप्टिव माइन की तरह उसको काम में लाया जाय। जितना यूटिलाइजेशन सिन्धड़ी फर्टीलाइजर फेक्ट्री में लेना आवश्यक है उतना लें और उसके बाद बचे हुए माल को राजस्थान सरकार को हैण्ड ओवर कर दे और राजस्थान सरकार जैसा उचित समझे उसका उस तरह से डिस्पोजल करे, लेकिन इसके ऊपर अभी तक भारत सरकार ने रोक लगा दी है। जो भी लीज बाड़मेर में उत्तरलाई और गवास में है उसमें लोग्रेड के जिप्सम का युटिलाइजेशन हो रहा हैं।

जहां तक दूसरी माइन्स का प्रश्न है यह माइन्स एफ० सी० आई० को इसी कन्डीशन पर दी गई थी कि सिन्धड़ी फर्टीलाइजर फेक्ट्री को जिस टाइप के जिप्सम की आवश्यकता होगी उसकी सप्लाई जो है उनको दी जाय और वह हाई ग्रेड जिप्सम ही काम में लेते हैं। उन्हें शर्त के मुताबिक लो ग्रेड जिप्सम राजस्थान सरकार को हैण्ड ओवर करना था और गवर्नमेंट उसको लेने को तैयार थी....

श्री मोहनलाल छंगाणी : एफ० सी० आई० को परमिट क्यों नहीं करते हैं, बेचने के लिए। वह फालतू जा रहा है।

श्री जुझारसिंह : इस पर विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्वाइल कन्डीशनर्स का बहुत बड़ा प्रोगाम ले रहे हैं उसमें यह जिप्सम काम में आ सकता है। 7 लाख एकड़ साइल कन्डीशनिंग का यू० पी० का प्रोग्राम है।

श्री जुझारसिंह : अभी छंगाणीजी ने प्रश्न उठाया कि साइल कन्डीशनिंग के काम में इसको लिया जाय। इस प्रश्न को लेकर एफ० सी० आई० ने डिपार्टमेंट आफ माइन्स एण्ड ज्योलाजी को एप्रोच किया था और इसके लिए एक्सपेरीमेंट बेसिस पर 6 महीने

(खनिज मंत्री)

का उनको लीज भी देने का विचार किया है कि वह एब्सोल्यूटली साइल कन्डीशनिंग यानी एग्रीकल्चर परपज के काम में लिया जाय और वह सकसेसफुल होते हैं तो इसके बारे में आगे विचार किया जा सकता है। हमने 6 महीने के लिए लो ग्रेड जिप्सम को एग्रीकल्चर परपज के लिए बेचने के लिए एफ० सी० आई० को इजाजत दे दी है। ऐसी आशा करता हूं कि उसका प्रोपर युटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में कर सकेंगे, और एग्रीकल्चर का मार्केट अगर उनका बढ़ता है और उसके एक्सपेरीमेंट्स में फायदा होता है तो इस बात पर आगे भी विचार किया जा सकेगा।

एक प्रश्न पलाना लिग्नाइट के बारे में उठाया गया। पलाना लिग्नाइट, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह लो ग्रेड का लिग्नाइट है जिसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। इसके ट्रान्सपोर्टेशन में डिफिकल्टी होती है। जब तक इसका युटिलाइजेशन एट पिट्स माउथ नहीं होता है तब तक उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले किसी प्राइवेट पार्टी ने लीज लेने के लिए एक दरख्वास्त दी थी, लेकिन इसके बारे में स्टेट एन्टरप्राइज डिपार्टमेंट ने, जिनका कि इस माइन से संबंध है प्राइवेट पार्टी को देने से इन्कार कर दिया है।

अब मैं कुछ बातें जो विभाग अगले कुछ सालों में करने का प्रोपज करता है वह मैं आपको विदित करना चाहता हूं। एक तो जैसा कि मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूं कि हमारा जो मेग्जीमम एरिया साइज का है माइन मिनरल्स का वह 30 स्क्वायर माइल्स का है उसमें वन-थर्ड और वन-फिफ्थ साइज से कम करने का फैसला लिया है, और इसके बारे में जल्दी ही इसकी साइज कम कर दी जायगी ताकि प्रापर युटिलाइजेशन हो सके और ज्यादा आदमियों को मिल सके। यह बात बारबार उठाई जाती है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां बहुत बड़ा रकबा लेकर उसका युटिलाइजेशन नहीं करती हैं और मिनरल वैल्थ का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। यह बात आगे से दूर हो जायगी, और इसका बराबर युटिलाइजेशन ज्यादा आदमियों के लिए हो सकता है।

दूसरी डिफिकल्टी जो लीज होल्डर्स ने प्रस्तुत की है, जिसको विभाग भी महसूस करता है कि लीज का जो पीरियड है 5 साल का वह बहुत कम है। उसमें बराबर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसी को हमेशा भय रहता है कि 5 साल के बाद लीज रिन्यू होगी या नहीं होगी। इसलिए वह उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और डेवलपमेंट नहीं करता है। 5 साल का जो पीरियड है उसको बढ़ा कर 10 वर्ष करने का फैसला किया गया है ताकि उसमें पूरी तरह वह इन्वेस्टमेंट कर सके। उसमें शर्त यह जरूर रखी गई है कि 5 वर्ष के बाद डेड रेन्ट को विभाग रिवाइज कर सकता है और वैसे पीरियड को जो है 10 वर्ष का कर देने में आपत्ति नहीं है···

श्री खेतसिंह : लेकिन कोई डेवलपमेंट न करें तो क्या होगा ?

श्री जुझारसिंह : जो भी उचित होगा किया जायगा। डेड रेन्ट का कोई निश्चित एमाउन्ट नहीं है। उसको डेवलप भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, या उसमें किसी तरह की बात देखें तो उससे भी कम हो जाता है। तो अलग अलग चीज है

(खनिज मंत्री)
वह। उसकी रायल्टी जो कुछ प्रोडक्शन की होती है उसके हिसाब से डेड रेन्ट बढ़ाया जाता है।

श्री सेजसिंह : अगर कोई डेवलपमेंट न करे तो उसका क्या होगा ? 10 साल तक भी वह लेकर बैठ जायगा और डेवलपमेंट नहीं करेगा तो सरकार तो नुकसान में जायेगी उसके लिए कुछ करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारे यहां यह नियम है कि जो लीज होल्डर हैं, जो 5 वर्ष के लिये लेते हैं, उनके लिए भी हम लीज रिन्यूअल देते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अगर वह डेवलप् नहीं करते हैं। जो डेवलप् नहीं कर सकता है, उसको भी करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया इस सम्बन्ध में।

श्री जुझारसिंह : इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया लीजेज हैं, उसमें विभागों को यह आवश्यक होगा कि पहले ट्राइबल्स को दिया जाये। 25% दिया गया है। उनको प्रिफरेंस दिया जाये। उन्हीं को लीज दी जायेगी। इसी तरह से कोआपरेटिव सेक्टर में भी पार्टी अगर कोआपरेटिव सेक्टर में लीज मांगती है तो उसकी लीज दी जायेगी। इसी प्रकार से जो अनएम्प्लायड इन्जीनियर हैं, जो माइनिंग ज्योलोजिस्ट हैं, उनको भी माइनिंग देने में प्रिफरेंस दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखें।

श्री मूलचन्द सामरिया : इनका कोई विभाग खराब नहीं हुआ है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से बहुत से माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि माइन्स में रोड्स का ज्यादा प्राविजन करना चाहिये। इस बात को हम भी महसूस करते हैं। माइन्स को रोड्स का प्रावधान करना आवश्यक है। जिन जिन एरियाज में रोड्स के लिए हम कुछ फण्ड दे चुके हैं, वहां पर उनकी इनकम और मिनरल डेवलप्मेण्ट दोनों में ही बढोतरी हुई है। ऐसा भी हुआ है कि जो रोड्स पर खर्चा हुआ है, उससे उनकी बढोतरी हुई है। लेकिन इस प्रश्न पर हम कमिटमेण्ट नहीं दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि रोड्स का ज्यादा प्राविजन किया जाये। ताकि ठीक ढंग से और ज्यादा अच्छी तरह से विकास हो सके।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय··

श्री चन्दनमल बैद : अब आप मेहरबानी करें। दो और बोलने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : यह भी मान गये हैं कि आप को काफी ज्ञान है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जो मांगें रखी गई हैं, उनको पारित करने की प्रार्थना करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक सेण्टेंस पूछूंगा सालसोट में जो खान है····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब सरकार जवाब दिया, हम चुपचाप सुनते रहे। बीच में बोला नहीं। अब एक सेण्टेंस नहीं पूंछने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह : आप को लिखकर भेज देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : ये तो खाना खाकर आये हैं।

श्री रामलाल (बाडी) : उपाध्यक्ष० महोदय, हमारे यहां कुम्हेर गांव के पास जो ठेका दिया गया, उस ठेके को जो पहले ठेकदार था, उनके 6 हजार रुपया सिक्युरिटी के जमा थे। हाथ के दस्तकारों ने 11 हजार की बोली लगाई। लेकिन बाद में एक व्यक्ति को 9,500 में ठेका दे दिया गया।

श्री खेतसिंह : आपकी भाषा तो बनवारीलाल समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री रामलाल : 3 साल से ठेका बन्द पड़ा रहा। कितने लाख रुपये का नुकसान सरकार का हुआ है।

एक माननीय सदस्य : इनकी भावना को ही समझ लें तो काफी है।

श्री रामलाल : बड़े बड़े ठेकेदारों को ही दिया जाता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्वालिटी के बारे में प्रश्न उठाया था। उसका जवाब नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : पहले तो आपने कहा था कि मैं अस्वस्थ हूं। आप चाहें तो पूछ लें, दो घण्टे और दे सकते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पलाना लिग्नाइट बन्द हो जाने के कारण कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। वापिस शुरू किये जाने की मांग की है। इस खान के महत्व को हम सभी जानते हैं। यह जब से बन्द हुई है, उसके बावजूद सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि वापिस काम शुरू हो सके। लेकिन जिन हालात में यह बन्द हुई, उन में अभी तक यह नहीं हुआ है कि यह वापिस शुरू हो सके। 1956 तक यह खान अच्छे ढंग से चलती रही। बीकानेर में जो ईंट भट्ठा और अन्य चीजें पकाते थे, उनको जरूरत थी। इसकी खुदाई का काम चलता था। इसके कोयले का उपायोग होता रहा। 1956 से जब से भाखड़ा से बिजली आई, तब से उससे लेने लगे। अधिक स्थानीय उपयोग में आती थी. वह बन्द हो गई। इस कारण 1956 के बाद खान का काम बन्द हो गया। उपयोग के लिये खान चलती रही। इस खान को वापिस शुरू किया जाये, माडर्न साइण्टिफिक मैथड से काम चालू हो, इसके लिये रूस, यूगोस्लाविया से विशेषज्ञ बुलाये गये। उन्होंने 50-50 मेगावट पावर हाउस चलाने की राय दी। जिसका खर्चा 16 करोड़ 50 लाख रु० बताया। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग को भेजा। जिससे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाये। लेकिन यह शामिल नहीं किया गया। यह पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो सका। इसलिये इस खान को अपने स्तर पर चालू कर सकना सम्भव नहीं हो सका। इसकी सम्भावना के आधार पर, रख रखाव

(जन सम्पर्क मंत्री)

के आधार पर, इस खान को रखा हुआ है। इस बीच 5-1-69 को इस खान में आग लग गई। जितना काम पूर्व में चलता था वह बन्द करना पड़ा। आग लगने के कारण बन्द करना पड़ा। इसके बावजूद हम यह सोचते हैं कि कोई ऐसी सम्भावना हो सके जिससे कि यह वापिस शुरू हो सके। 25 सितम्बर, 71 को यह निश्चय किया गया है कि इसको विभाग द्वारा नहीं चलाकर किसी प्राईवेट पार्टी को दिया जाये। उनके साथ में यह शर्त लगा रखें कि किसी प्रकार से प्रोजेक्ट तैयार हो सके, जिससे कि हम स्टेट इण्टरप्राइजेज के आधार पर चला सकें। जब भी लीज लेने वाले व्यक्ति अपना आफर दें, और सामने आयें उसके पूर्व में एक बार पुनः जांच करा ली जाय, तकनीकी विकास होने के कारण पलाना का वापिस थर्मल पावर स्टेशन लगाने की कोई सम्भावना बन सकती है या नहीं बन सकती है। आज की मौजूदा स्थिति में जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, इस वक्त कोटा में एक थर्मल पावर स्टेशन लगाने की योजना है। उस थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 440 मेगावाट की होगी और जो कोयला आयेगा वह बिहार, बंगाल से नहीं, जैसी मुझे जानकारी है वह मध्य-प्रदेश से आयेगा। इस कोयले को देने के लिये कोल डवलपमेंट कोर्पोरेशन ने आवश्यकतानुसार कोयला देने का वायदा किया है और रेल्वे ने कोयला वहां तक पहुंचाने का वायदा किया है। यह कोटा में थर्मल पावर स्टेशन बनाने की योजना है इसको दृष्टिगत रखते हुए पुनः कोशिश कर रहे हैं, विद्युत बोर्ड पुनः कोशिश कर इस बात को पलाना माइन्स एग्जामिन करे कि क्या इसमें कोई सम्भावना है। मद्रास में जो थर्मल पावर स्टेशन है उसके आधार पर जांच करा लेते हैं और जांच के उपरान्त क्या स्तर है, स्केल है उसकी निगरानी के उपरान्त सम्भव हो सके तो इसको वापिस चालू कराने की योजना बनवाई जाय जिससे इसका उपयोग हो सके और जो बहुत बड़ा काम राज्य का है उसको वापिस चालू किया जाय। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह समझती हूं कि कुछ ऐसी सम्भावनायें ढूंढी जायं जिससे इस खान को वापिस चालू करने की कोशिश की जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने जन सम्पर्क विभाग की बाबत में भी अपने कुछ सुझाव दिये और उसमें कुछ कमी और खामियों की ओर भी इशारा किया। जन सम्पर्क विभाग का जितना गठन है, जितना उसका बजट प्रावधान है और जिस प्रकार के साधन सुविधायें विभाग के पास में उपलब्ध हैं उन सबको देखते हुए मैं यह समझती हूं कि पिछले अरसे से यह विभाग जनता और राज्य सरकार के बीच में जो सम्पर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम है, राज्य सरकार की नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में और जो विशेष योजना है उनके बारे में जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम है, और जनता की आकांक्षायें, आशायें, विचार, प्रतिक्रिया भावनायें हैं उनको राज्य सरकार तक पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण काम है, वह इतना महत्वपूर्ण काम यह विभाग इतने छोटे गठन और छोटा बजट प्रावधान होने के बावजूद भी करने में सतत प्रयत्नशील है। मैं यह सोचती हूं, छोटे गठन और प्रावधान के बावजूद भी इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। जैसा आप जानते हैं, राजस्थान के छब्बीस जिलों में से

(जन सम्पर्क मंत्री)

अभी पूरे जिलों के अंदर जिला जन सम्पर्क अधिकारी कायम नहीं है, अभी बीस जिलों में यह प्रावधान है, और छः जिले इस व्यवस्था से, इस लाभ से वंचित है। इसी प्रकार से जो सूचना केन्द्र बने हैं वह सिर्फ सात जिलों में हैं, बाकी सारे जिले सूचना केन्द्र से महरूम है। दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई में अलग से सूचना केन्द्र बनाये हुए हैं जिनका अलग से महत्व है। इन सब दुविधाओं और कमियों के बावजूद इस विभाग द्वारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को निभाने का सफल प्रयास किया जा रहा है, यह मान कर मैं चलती हूं।

मुख्यालय पर जो कार्य किया जाता है, जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके सचिवों से बराबर सम्पर्क रखने के लिये इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो विभागों से सम्पर्क स्थापित करके, क्या उनकी योजना हैं, कितनी उपलब्धियां हैं, भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, कौनसे बडे प्लान हैं, उपयोगी काम, उनके परिणामस्वरूप प्रदेश की प्रगति में क्या तरक्की हुई है। इस प्रकार का सम्पर्क विभागों के साथ में रखते हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी और उपलब्धियां होती हैं उनको बराबर प्रकाशनार्थ जनता के बीच और समाज के बीच भेजने के प्रयास में रहते हैं। इसी प्रकार मंत्रिमण्डल द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं, जो जन उपयोगी कार्यों पर, उनको प्रकाशित करने की व्यवस्था इस मुख्यालय द्वारा की जाती है।

जिला जन सम्पर्क कार्यालय हैं, सूचना केन्द्र हैं। जिले में जो स्थिति होती है, चाहे जिला स्तर पर योजनाओं की हो, विशेष आयोजन की हो, किसी प्रकार के कार्यक्रमों की हों। उन सबके बा रे में और खास तौर से अकाल स्थिति के वक्त युद्ध स्थिति के वक्त में तमाम जिला जन सम्पर्क कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बहुत होंसले और हिम्मत के साथ काम किया है। जहां जहां आवश्यकता हुई वार टाइम के अंदर, कहां कहां हमारे सैनिकों ने कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ काम किये उनका प्रकाशन किया। पाकिस्तान द्वारा गलत खबरें फैलायी जाती थीं, उनको साफ करने का बहुत अच्छा काम किया। और जिस प्रकार के डवलपमेंट उस वक्त हुआ करते थे, चौबीस घण्टे की सर्विस इन सूचना केन्द्रों के जरिये वहां दी गई।

इसी प्रकार से इस विभाग का मुख्य काम है उस मुख्य काम को सम्पादित करने के लिये समय समय पर फिल्म शो, प्रदर्शनियां, गोष्ठियां, पत्रकारों की यात्रायें, विज्ञप्ति जारी करने का काम यह काम जो भी जरिये हैं, इस आधुनिक युग में राज्य सरकार की रीति नीति को प्रकाशित करने के लिये किये जा सकते हैं, उन तमाम साधनों का मैक्जिमम तौर पर उपयोग किया गया है।

इसके अलावा इस प्रदेश में पत्रकारिता को ज्यादा से ज्यादा ऊंचे स्तर का बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके क्योंकि आज के जमाने में पत्रकार और पत्र ऐसे माध्यम हैं जो कि हमारे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी योजनाओं, अपनी उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा व्यापक पैमाने पर जनता तक पहुंचा सकते हैं, उनके माध्यम से जनता की बातें ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रदेश में पत्रकारों और पत्रकारिता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए काफी सुविधायें प्रदान करने की चेष्टा की गई है। वर्गीकरण समिति बनाई गई, जिसके अन्तर्गत

(जन सम्पर्क मंत्री)

जितने अधिकार हैं और इस समिति के प्रतिनिधि हैं, उनमें चुनिन्दा लोगों का रखा गया है, उन अखबारों के प्रतिनिधियों की तरफ से ही यह बातें तय की जाती हैं कि किन किन अखबारों को किस किस श्रेणी में रखा जाय और किस प्रकार विज्ञापन दर तय की जाय, और किस प्रकार विज्ञापन की दर हों और प्रत्येक अखबार को वह प्राप्त होने चाहिए। यह स्थिति यह वर्गीकरण समिति के जरिये से आई है। पूर्व में जो अखबारों को स्वीकृति देने में, एप्रूवल देने में डिले होती थी, देरी होती थी उसको खत्म करने के लिए वर्गीकरण समिति के जरिये तत्परता से काम किया गया है। अधिस्वीकरण समिति भी बनाई गई है, उसके माध्यम से पत्रकारों को रेल की यात्रा के भत्ते के लिए, राज्य परिवहन निगम की बसें हैं, उनमें राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा करने के लिए और इसी प्रकार से ब्लाक्स वगैरह देने के लिए, विज्ञप्तियां प्रदान करने के लिए, हाउसिंग वगैरह के प्लान के लिए इस विभाग के द्वारा पत्रकारों को मदद दी जाती है।

विज्ञापन इस विभाग के द्वारा दिये जाते हैं, हालांकि वह राशि हर साल घटती चली जाती है, बहुत कम है। पत्रकारिता की प्राथमिक अवस्था को देखते हुए और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण अपनाते हुए। उसके बावजूद कोशिश यह की जाती है कि जो पत्र जिस स्तर का है, जिस श्रेणी का है, जिस प्रकार जिस स्तर के साथ निकलता है उसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय ताकि पत्रों के माध्यम से जन सम्पर्क विभाग अपने काम को सुचारु रूप से कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी कि इन मांगों को पारित करने की कृपा करें।

श्री लूणाराम : माननीय जन सम्पर्क मंत्री ने फर्माया...

श्री उपाध्यक्ष : आपका अब भी पूरा नहीं हुआ।

श्री लूणाराम : चूरू जिले का सवाल है। आपने अकाल के बारे में बताया कि जन सम्पर्क की व्यवस्था करवायी, प्रकाशन कराने की व्यवस्था कराई गई, 1972-1973 का जो प्रगति विवरण है, उसमें है कि चूरू जिले का पद खाली रखा है। मेरा निवेदन है कि 1973-74 में उसे खाली न रख कर वहां कोई आदमी नियुक्त किया जाय तो उचित होगा। इस बारे में स्पष्टीकरण कर दें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस वक्त किस पोस्ट को क्रियेट किया जा सकेगा, कौनसी घटाई जा सकेगी, इस संबंध में आश्वासन देने का समय नहीं है। मैं इतना कह सकती हूं कि बीकानेर का जो पी. आर. ओ. है, वह चूरू को देख रहा है। उसको पाबन्द किया हुआ है, समय समय पर अकाल क्षेत्र में जाये और जिला प्रशासन से सम्पर्क स्थापित रखे और यहां से जो अधिकारी गण जाते हैं उनसे सूचना प्राप्त करें और जो अकाल का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं उनको उचित प्रकाशन देने का प्रयत्न करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री जी।

श्री चंदन मल बैद (वित्त मंत्री) : मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि लाटरी विभाग तथा पुरातत्व संग्राहलयों की मांगों को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर मतदान ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,03,01,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 मुख्य शीर्षक 27—वैज्ञानिक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 96,82,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35 मुख्य शीर्षक 71–विविध के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,95,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 23 मार्च 1973 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.31 बजे शुक्रवार दिनांक 23 मार्च, 1973 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं० 676 की सूची)

सूची (अ)

जिलेवार जोइस्ट आवंटन निम्न प्रकार है :--

जिला अजमेर :

1.	आवंटन	23-9-72	20 मै० टन
	,,	20-10-72	20 ,, ,,
	,,	17-11-72	10 ,, ,,
	,,	23-11-72	10 ,, ,,
			60 मै० टन

जिला अलवर :

1.	आवंटन	23-9-72	10 मै० टन
	,,	20-10-72	8.875 ,,
	,,	17-11-72	7 ,, ,,
	,,	27-1-73	65 ,, ,,
			90.875 मै० टन

जिला बीकानेर :

1.	आवंटन	23-9-72	49.576 मै० टन
	,,	25-1-73	5 ,, ,,
			54.576 मै० टन

जिला भरतपुर :

1.	आवंटन	23-9-72	39.866 मै० टन
	,,	23-11-72	8 ,, ,,
	,,	25-1-73	8.823 ,, ,,
			56.689 मै० टन

जिला बांसवाड़ा :

1.	आवंटन	19-10-72	2 मै० टन

[redacted]

जिला भीलवाड़ा :

1.	आवंटन	23-9-72	34 मै० टन
	,,	17-11-72	15 ,, ,,
	,,	25-1-73	26.544 ,, ,,
			75.544 मै० टन

जिला बूंदी :

1.	आवंटन	23-9-72	15 मै० टन

जिला चूरू :

1.	आवंटन	20-10-72	15 मै० टन
	,,	25-1-73	3 ,, ,,
			18 मै० टन

जिला चित्तौड़गढ़ :

1.	आवंटन	23-2-72	3 मै० टन

जिला डूंगरपुर :

1.	आवंटन	23-9-72	5 मै० टन

जिला जयपुर :

1.	आवंटन	23-9-72	40.286 मै० टन
	,,	20-10-72	34 ,, ,,
	,,	17-11-72	54.406 ,, ,,
	,,	23-11-72	55 ,, ,,
			183.692 मै० टन

जिला झालावाड़ :

1.	आवंटन	23-9-72	4 मै० टन
	,,	19-10-72	2 ,, ,,
			6 मै० टन

[redacted]

212

जिला जोधपुर :

1.	आवंटन	20-10-72	15 मै० टन
	,,	17-11-72	15 ,, ,,
	,,	23-11-72	8 ,, ,,
	,,	25-11-72	20 ,, ,,
			58 मै० टन

जिला कोटा :

1.	आवंटन	23-9-72	20 मै० टन
	,,	17-11-72	6 ,, ,,
	,,	23-11-72	10 ,, ,,
			36 मै० टन

जिला नागौर :

1.	आवंटन	23-9-72	20 मै० टन
	,,	20-10-72	20 ,, ,,
	,,	27-1-73	5 ,, ,,
			45 मै० टन

जिला सवाई माधोपुर :

1.	आवंटन	23-9-72	2 मै० टन
	,,	17-11-72	3 ,, ,,
	,,	23-11-72	5 ,, ,,
		1-4-72 से 30-8-72	7 ,, ,,
			17 मै० टन

जिला गंगानगर :

1.	आवंटन	23-9-72	60 मै० टन
	,,	27-11-72	2 ,, ,,
			62 मै० टन

जिला उदयपुर :

1.	आवंटन	23-9-72	10 मै० टन
	,,	20-10-72	25 ,, ,,
	,,	17-11-72	17 ,, ,,
	,,	27-1-73	40.125 ,,
			92.125 मै० टन

सूची (ब)

जिन उद्योगों को 11-12-72 की बैठक में जोइस्ट का आवंटन किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	लघु उद्योग का नाम	कच्चा माल	मात्रा (मै० टन)
1.	हिसारिया प्रेसट्रेस एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जयपुर ।	जोइस्ट	3
2.	नेहरू कालेज आफ एज्युकेशन, हिन्डोन सिटी	,,	3
3.	ग्राम पंचायत, मैसलपुर	,,	1
4.	गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल, मोन्डिया (टोडाभीम)	,,	1
			8 मै० टन

214

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं० 696 की सूची)

List of articles seized is as under:—

1. One Iron Box, 2. One Sari Chapeydar Malmal used,
2. One Lahanga Gulabi Satan Phooldar,
3. One Lahanga Asamani,
4. One Odhna New Having Gol Chapa in the centre,
5. One Lahanga of Jamuni Colour-used,
6. One Sari of Malmal used with stitch work,
7. One Silken Sari of cream colour,
8. One Lahanga Old and used,
9. One Towel used chokaridar,
10. One New Plastic Ladies Bag,
11. Four Auolkiyan Silken,
12. One piece of silken cloth Bunakidar,
13. One Petti coat Cotton,
14. One Sari Jorzett of light rose colour,
15. Four cotton Polka used,
16. One striped Cotton Polka,
17. Two used poddice Cotton,
18. One Choti of Hair,
19. One Black Iron Clip,
20. One White Ladies Goggle,
21. One Small looking glass,
22. One square iron tin having hand made purse of Moti,
23. Two payjeb silver weighing 230 gram,
24. Silver Kandora weighing 135 gram,
25. One silver Jhumaka with meena work, weighing 35 grm.
26. Four Sunahari Plastic Bangles,
27. Four Plastic Bangles-Two red and two Sunahari,
28. One Nail Polish,
29. One ordinary Neckles,
30. One Nath (Nose Ring) of immitation,
31. Some Photoes,
32. One Ladies wrist watch Hanry Sando.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 453 की सूची)

सूची (अ)

ग्राम सेवक समाज नाहरी का नाका, जयपुर

संस्था के उद्देश्य

इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं व रहेंगे :–

1 कच्ची बस्ती के निवासियों में ज्ञान के प्रसारण शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना ।
2. कच्ची बस्ती के निवासियों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये समुचित व्यवस्था करना ।
3. कच्ची बस्ती के निवासियों के उपचारार्थ औषधालय की व्यवस्था करना ।
4. कच्ची बस्ती के निवासियों के ज्ञानवेदन हेतु वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करना ।
5. कच्ची बस्तियों के निवासियों के कष्ट निवारणार्थ अन्य सभी सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक आदि कार्य करना ।
6. कच्ची बस्तियों के निवासियों की जीवन सुरक्षा एवं आपत्तिकालीन समस्याओं का समाधान करवाना ।

सूची (ब)

पदाधिकारियों की सूची – रजिस्ट्रेशन के समय

क्रमांक	नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री रामचन्द्र सैनी	घर की फेक्ट्री	नाहरी का नाका चांदपोल बाजार, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री सीताराम शर्मा	व्यापार	,,	उपाध्यक्ष
3.	श्री जगन्नाथ वर्मा	नौकरी	,,	मंत्री
4.	श्री नाथूलाल वर्मा	नौकरी	,,	उपमंत्री
5.	श्री रामकंवार सिहारा	व्यापार	,,	कोषाध्यक्ष
6.	श्री रूड़मल चौधरी	नौकरी	,,	प्रचार मंत्री
7.	श्री नरसिंहराम	नौकरी	,,	आय-व्यय निरीक्षक
8.	श्री गणेश नारायण	नौकरी	,,	सदस्य
9.	श्री नन्द किशोर	नौकरी	,,	,,
10.	श्री कन्हैयालाल	दुकानदारी	,,	,,
11.	श्री लक्ष्मीनारायण	नौकरी	,,	,,

———

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं० 699 की सूची)

सूची (अ)

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज को दिनांक 25-8-72 को एलाट किये गये कच्चे माल की सूची

1.	एंगल्स	1.991 मैट्रिक टन
2.	चेनल्स	2.760 ,,
3.	जोइस्ट्स	3.280 ,,
4.	राउन्डस्	2.125 ,,
5.	जी० सी० शीट्स	211 शीट्स
6.	प्लेट्स	0.525 मै० टन

सूची (ब)

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज द्वारा निम्न सामान उठाया गया

1.	एंगल्स	2.060 मैट्रिक टन
2.	चेनल्स	2.790 ,,
3.	जोइस्ट्स	3.290 ,,
4.	राउन्ड्स	2.200 ,,
5.	जी० सी० शीट्स	2.980 ,, (211 शीट्स)

———

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं० 703 की सूची)

List of District Agricultural Offices.

1. Ajmer
2. Alwar
3. Bharatpur
4. Jaipur (East)
5. Jaipur (West)
6. Sikar
7. Sawai Madhopur
8. Sri Ganganagar
9. Hanumangarh
10. Anupgarh
11. Chhatargarh
12. Churu
13. Jalore
14. Jodhpur
15. Nagaur
16. Pali
17. Sirohi
18. Kota
19. Bundi
20. Jhalawar
21. Tonk
22. Banswara
23. Bhilwara
24. Chitorgarh
25. Dungarpur
26. Udaipur (Two)

———

218

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न सं० 674 की सूची)

परिवर्तन की स्थिति

	वर्ष 1969	1970	1971	1972	1973
(1) अंग्रेजी (अनिवार्य)	3	3	3	3	3
	—	एक रैपिड रीडर बदली गई	एक प्रोज व एक रैपिड रीडर बदली गई	—	—
(2) हिन्दी (अनिवार्य)	4	4	4	4	4
	—	दो पुस्तक रैपिड रीडर की बदली गई	प्रोज की एक पुस्तक बदली गई	—	—

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न सं० 675 की सूची)

बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में नल व बिजली के लिये वर्षवार स्वीकृत की गई राशि की सूची

वर्ष	नाम स्थान जहां के लिए स्वीकृति दी गई	स्वीकृत राशि
1	2	3
	(अ) नल सुविधा	
1971-72	1. नगर पालिका, बाड़मेर	19,188
	2. नगर पालिका, बालोतरा	17,480
	3. ग्राम समदड़ी पंचायत समिति, सिवाना	20,290
	4. ग्राम पचपदरा पंचायत समिति, बालोतरा	3,430
	5. ग्राम बिटुजा वार्ड नं० 4, पंचायत समिति, बालोतरा	2,030
	6. ग्राम रामसिंह; वार्ड नं० 8, पंचायत समिति, बालोतरा	9,590
	7. ग्राम जैसोल वार्ड नं० 1, 8, 9, पंचायत समिति, बालोतरा	14,470
		28,350
	योग	1,13,828
	(ब) बिजली सुविधा	
1968-69	1. नगर पालिका, बाड़मेर	13,300
1971-72	1. नगर पालिका, बाड़मेर	23,870
	2. सिवाना पंचायत समिति, सिवाना	7,260
	3. ग्राम सादड़ी पंचायत समिति, सिवाना	8,250
	4. ग्राम मिठूवा पंचायत समिति, बालोतरा	1,392
	5. बालोतरा	13,339
	योग	71,411

220

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न सं० 680 की सूची)

राजस्थान में बेरोजगार अनुसूचित जाति के स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों को वर्ष 1971-72 व 72-73 में स्वीकृत वृत्तिका की जिलेवार सूची ।

क्रम सं०	नाम जिला	बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर व्यक्तियों की सूची जिन्हें वृत्तिका स्वीकृत किया गया	
		1971-72	1972-73
1.	अजमेर	29	39
2.	अलवर	18	24
3.	भरतपुर	21	21
4.	भीलवाड़ा	3	8
5.	बीकानेर, चूरू	6	4
6.	चित्तौड़गढ़	7	7
7.	डूंगरपुर	1	—
8.	गंगानगर	5	5
9.	जयपुर	59	49
10.	जोधपुर	4	12
11.	कोटा, झालावाड़	4	9
12.	नागौर	3	—
13.	पाली	7	11
14.	सिरोही	1	2
15.	सीकर	24	25
16.	सवाई माधोपुर	2	7
17.	टोंक, बून्दी	3	5
18.	उदयपुर	3	4
19.	नागौर	—	1
	योग ...	200	233

परिशिष्ट 9

(तारांकित प्रश्न सं० 687 की सूची)

सूची परिशिष्ट क

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	परीक्षा का नाम
1	2	3
1.	श्री सियाशरण आमेरिया	इण्टर
2.	,, दीपसिंह शेखावत	बी० ए०
3.	,, रामेश्वर पुरोहित	एम० ए०
4.	,, जगदीश चन्द्र जोशी	बी० ए०
5.	,, गिरिराज बिहारी शर्मा	बी० ए०
6.	,, गोविन्द सहाय वर्मा	बी० एससी०
7.	,, इन्द्रमल आसवानी	बी० ए०
8.	,, प्रकाश चन्द पाटनी	बी० ए०, एल एल० बी०
9.	,, नटवरलाल त्रिपाठी	एम० ए०
10.	,, नरेन्द्र मोहनलाल	बी० ए०
11.	,, टीकमचन्द पाटनी	एम० ए० (प्रि०)
12.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	इण्टर
13.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	एम० ए०
14.	,, राम शरण लूटेटा	बी० ए०
15.	,, गिरधारीलाल	एम० ए०
16.	,, महेन्द्र पारीक	एम० ए०
17.	,, परमहंस त्रिपाठी	एम० ए०
18.	,, विशनसिंह सिसोदिया	एम० ए०
19.	,, मुरलीधर व्यास	एम० ए०
20.	,, राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा	एल० एल० बी०
21.	,, हिरेन्द्र मोहन गुप्ता	एम० ए०
22.	,, धनराज जोशी	एम० ए०
23.	,, सुन्दर श्याम भाटिया	एम० ए०
24.	,, श्यामसिंह चौहान	एम० ए०

परिशिष्ट 10

(तारांकित प्रश्न सं० 689 की सूची)

जिला अलवर के जिन अध्यापकों की सेवा-वृद्धि दी गई उनकी सूची

1. श्री दयालदास, स० अ०, गांधी नेशनल स्कूल, अलवर ।
2. श्री चिम्मनलाल, स० अ०, प्रा० वि०, दीवानजी का बाग, अलवर ।
3. श्री देवकीनन्दन, स० अ०, रा० उ० प्रा० विद्यालय, नवीन, अलवर ।
4. श्री कालूराम, स० अ०, रा० प्रा० वि०, नं० 1, अलवर
5. श्री सेवाराम, स० अ०, रा० माध्यमिक विद्यालय, बहादुरपुर, अलवर ।
6. श्री दीवानचन्द, स० अ०, पंचायत समिति, तिजारा, अलवर ।
7. श्रीमती सुमित्रादेवी सेठी, प्रधानाध्यापिका, रा० प्राथमिक पाठशाला, देवजी की गली, अलवर ।

परिशिष्ट 11

(तारांकित प्रश्न सं० 700 की सूची)

नगरपालिका, गंगापुर सिटी द्वारा निजी सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु जिन-जिन व्यक्तियों को 300/- रुपये की दर से अनुदान की स्वीकृति दी गई उसकी सूची

क्र० सं० 1	नाम व्यक्ति जिसे अनुदान दिया गया 2	वार्ड नं० 3
1.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	5
2.	श्री महेशचन्द्र	1
3.	श्री किशनलाल बागरिसां	9
4.	श्री केदारनाथ खण्डेलवाल	7
5.	श्री मालीराम पुत्र केशरीलाल	7
6.	श्री रामजीलाल पुत्र धनालाल	10
7.	श्री बजरंग लाल गुप्ता	5
8.	श्री गंगाधर पुत्र रामबक्ष मीणा	6
9.	श्रीमती नारायणी वानवाली	7
10.	श्री नारायणलाल शर्मा	8
11.	श्रीमती कजोड़ी देवी	3
12.	श्री गंगा सहाय	11
13.	श्री हजारीलाल	3
14.	श्री गोर्धनलाल शर्मा	7
15.	श्री वृजनन्दन शर्मा	4
16.	श्री रामजीलाल वर्मा	2
17.	श्री रामजीलाल शर्मा	3
18.	श्री रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल	2
19.	श्री नाथू उदा कोली	9
20.	श्री पूनमचन्द कोली	9
21.	श्री धीसा पुत्र किसन्या कोली	9
22.	श्री रामजीलाल मित्तल	5
23.	श्री हरिश्चन्द्र रामजीलाल	8
24.	श्री अलादीन शेख	6
25.	श्री रमजान खां	6
26.	श्री रामस्वरूप मित्तल	2
27.	श्री बंशी कोली	10
28.	श्री लालाराम	10
29.	श्री धुड़मल लखेरा	7
30.	श्री देवीलाल नाई	11
31.	श्री बन्नू पुत्र सुबराती	9

1	2	3
32.	श्री प्रधानाध्यापक, मिडिल स्कूल	4
33.	श्री गंगाधर कोली	9
34.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा	7
35.	श्री भगवती देवी	9
36.	श्री विशन कोली	9
37.	श्री बद्रीलाल वंध	5
38.	श्री धूड़िया पुत्र घीसा	9
39.	श्री प्रभुलाल नाई	4
40.	श्री रामगोपाल नाई	5
41.	श्री छोट्या पुत्र गणेश	6
42.	श्री गिरजा प्रसाद वैरवा	1
43.	श्री जग्गू पुत्र चौथमल	11
44.	श्री फयाज खां	2
45.	श्री खेमचन्द पुत्र रामजीलाल	7
46.	श्री मूला पुत्र नन्दाराम	11
47.	श्री लच्छा पुत्र मंगल कुमार	3
48.	श्री नवल किशोर शर्मा	3
49.	श्री इशाक मोहम्मद	4
50.	श्री घासीलाल रेगर	11

———

परिशिष्ट 12

(तारांकित प्रश्न सं० 332 की सूची)

(1-4-70 से 31-12-72 तक)

समाज कल्याण विभाग द्वारा भेजे गये व्यक्तियों की संख्या: योग्यता	अनु० जाति	अनु० जन-जाति	विभागों का नाम जिनमें नाम भेजे गये	रिक्त पदों की संख्या वर्गवार	भेजे गये नामों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
स्नातकोत्तर	31	20	1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा	राजपत्रित-2	2
स्नातक	66	49	2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा	अन्य का वर्णन नहीं किया गया	
			3. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय	अधीनस्थ-89	5
			4. आयुक्त, आबकारी		
			5. मूल्यांकन संगठन	मंत्रालय-166	28
			6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग		
			7. प्रशासनिक अधिकारी, सैण्ट्रल शीप एण्ड वूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट	चतुर्थ 117	51
			8. निदेशक, केन्द्रीय रोजगार एवं प्रशिक्षण		
			9. निदेशक, आरकाइव्ज		
			10. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन		
			11. निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग		
			12. इण्डियन आयल कार० (मार्केटिंग डिवीजन)		
मैट्रिक स्तर	1025	140	13. विकास अधिकारी, झालरापाटन		
			14. सचिव, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर		
			15. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, जयपुर		
			16. पंजीयक, शासन सचिवालय		
			17. भू-सर्वेक्षण आफ इण्डिया, जयपुर		
			18. प्राचार्य, राज० पोलीटेक्निक, बीकानेर		
			19. अधीक्षक अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, जयपुर		

1	2	3	4	5	6
			20. मुख्य लेखाधिकारी, नहर परियोजना, जयपुर		
			21. लेखाधिकारी, राज० केनाल प्रोजेक्ट, जयपुर		
			22. निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जयपुर		
			23. सचिव, राज० विधान सभा		
			24. निदेशक, सिंचाई विभाग		
			25. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग		
			26. सचिव, सतर्कता आयोग		
			27. स्टेट फैमिली प्लानिंग अधिकारी, जयपुर		
			28. प्राचार्य, राज० महा विद्या० कोटपूतली		
			29. अधिशाषी अभियन्ता, मत्स्य, सिंचाई खण्ड		
			30. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर		
			31. मण्डल वन अधिकारी, उदयपुर		
			32. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग		
			33. उपवन संरक्षक, नहर परियोजना सूरतगढ़		
			34. उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर		
			35. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर		
			36. निदेशक, भू-सर्वेक्षण, जयपुर		
			37. उप-प्रधान प्रबन्धक, राज० पथ परिवहन निगम, जयपुर		
			38. पंजीयक, शासन सचिवालय जयपुर		
			39 केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन संस्था अविका नगर		
			40. निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर		
			41. जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर		
			42. उप विकास आयुक्त (प्र०), जयपुर		

1	2	3	4	5	6
			43. विकास अधिकारी, झालरापाटन		
			44. सचिव, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर		
			45. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, जयपुर		
			46. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर		
			47. भू-सर्वेक्षण विभाग, जयपुर		
			48. मुख्य निरीक्षक, कारखाना बायलर, जयपुर		
			49. मुख्य टाउन प्लानर, राज०, जयपुर		
			50. निदेशक, पशुपालन		
			51. प्रशासक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन, अविकानगर		
			52. अधीक्षक, स० मानसिंह अस्पताल, जयपुर		
			53. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग,		
			54. उप निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग		
नॉन मेट्रिक स्तर 1183	125		55. अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, अलवर		
			56. प्रधानाचार्य, पोलीटेक्निक, बीकानेर		
			57. अधीक्षक, स०मा० अस्पताल, जयपुर		
			58. सचिव, राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक, जयपुर		
			59. प्राचार्य केन्द्रीय विद्या०, जयपुर		
			60. नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जयपुर		
			61. उप निदेशक, मेडिकल एवं हैल्थ, जयपुर		
			62. उपवन-संरक्षक, व्यापार मण्डल, जयपुर		
			63. ,, उदयपुर		
			64. वन मण्डल अधिकारी, बारां		
			65. ,, बांसवाड़ा		
			66. ,, सूरतगढ़		
			67. ,, बीकानेर		

1	2	3	4	5	6
			68. वन मण्डल अधिकारी, उदयपुर		
			69. ,, भीलवाड़ा		
			70. निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर		
			71. अधीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर		
			72. जिला पशुपालन अधिकारी, उदयपुर		
			73. निदेशक, रिसर्च सिंचाई, जयपुर		
			74. सहायक सचिव, राज० विधान सभा		
			75. प्रभारी, राज० चिकित्सालय, आतला		
			76. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर		
			77. प्राचार्य, आई. टी. आई., जयपुर		
			78. सचिव, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, जयपुर		
			79. निदेशक, समाज कल्याण, जयपुर		
			80. वन मण्डल अधिकारी, जयपुर		
			81. हाउसिंग बोर्ड, जयपुर		
			82. जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जयपुर		
			83. मुख्य बालक अधिकारी, जयपुर		
			84. अधीक्षक, स० मानसिंह अस्पताल, जयपुर		
			85. उप-निदेशक, हैल्थ एण्ड सर्विसेज, जयपुर		
			86. राज० एग्रो० इण्डस्ट्रीज, जयपुर		
			87. प्रशासकीय अधिकारी, भेड़ एवं ऊन अविकानगर		
			88. प्राचार्य, राज० धूलेश्वर संस्कृत कालेज, मनोहरपुर		
			89. सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जयपुर		
			90. प्रशासकीय अधिकारी, भेड़ एवं ऊन जयपुर।		

———

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 334 की सूची)

अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्तियों की सूची

वर्ष	अनुसूचित जाति के छात्र		अनुसूचित जन जाति के छात्र	
	छात्र संख्या	स्वीकृति राशि	छात्र संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
(क) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति				
1969–70	9,331	7,89,190	7,322	5,53,450
1970–71	12,952	9,92,969	12,298	5,69,230
1971–72	8,470	9,90,000	6,523	6,50,000

नोट:—वर्ष 1971-72 की सूचना में जिला अजमेर व सीकर के छात्रों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

वर्ष	छात्र संख्या	स्वीकृति राशि	छात्र संख्या	स्वीकृत राशि
(ख) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति				
1967–68	1,767	7,96,898	749	3,24,864
1968–69	1,849	9,07,721	899	5,00,786
1969–70	2,055	9,45,567	895	4,55,043
1970–71	2,458	10,74,015	1,149	4,45,314
1971–72	3,638	15,42,371	1,828	7,88,776
(ग) अतिरिक्त छात्रवृत्ति				
1968–69	312	9,817	169	53,542
1969–70	715	2,36,929	422	1,46,664
1970–71	1,178	3,96,904	745	2,42,304
1971–72	1,812	4,94,515	1,178	3,56,093
(घ) मैरिट-कम-नीड छात्रवृत्ति				
1968–69	41	12,705	21	6,420
1969–70	105	32,500	28	8,743
1970–71	194	63,937	41	16,497
1971–72	162	62,495	43	16,126

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न सं० 340 की सूची)

क्रमांक	ड्रा में	ड्रा दिनांक	बिके हुए टिकट	ड्रा जहां हुआ
1.	20वां	12-5-1971	80,32,529	जयपुर
2.	21वां	19-6-1971	18,01,728	,,
3.	प्रथम साप्ताहिक ड्रा	—	—	—
4.	द्वितीय ,,	3-7-1971	1,53,450	जयपुर
5.	तृतीय ,,	10-7-1971	84,563	,,
6.	चतुर्थ ,,	17-7-1971	1,09,613	,,
7.	पंचम ,,	24-7-1971	1,58,100	,,
8.	षष्टम् ,,	31-7-1971	1,62,200	,,
9.	सप्तम व अष्ठम ,,	—	—	—
10.	22वां ड्रा	2-8-1971	15,78,205	जयपुर
11.	23वां ड्रा	18-9-1971	36,80,488	,,
12.	24वां ड्रा	2-11-1971	13,64,958	चित्तौड़गढ़
13.	पाक्षिक ड्रा	17-11-1971	4,27,986	जयपुर
14.	25वां ड्रा	16-2-1972	52,01,146	,,
15.	26वां ड्रा	4-4-1972	14,53,080	,,
		योग ...	2,42,03,046	

वर्ष 1971-72 में आय व शुद्ध लाभ

आय	—	रु० 156.25 लाख
खर्च	—	रु० 114.34 ,,
	शुद्ध लाभ	रु० 41.91 लाख

परिशिष्ट 15

(तारांकित प्रश्न सं० 346 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE FERTILIZER DISTRIBUTION FOR TONK DISTRICT (PANCHAYAT SAMITIWISE) for the year 1970-71, 1971-72 and 1972-73

S. No.	Name of Fertilizer	Tonk			Niwai			Malpura			Agarh		
		70-71	71-72	72-73 up to Dec.	70-71	71-72	72-73 up to Dec.	70-71	71-72	72-73 up to Dec.	70-71	71-72	72-73 up to Dec. 72
1.	Amm. Sulphate	145.3	99	2	9.9	2	43.81	4	107	0.3	18.1	17	4
2.	Amm. Sulphate Nitrate	—	[illegible]	16	—	—	[illegible]	—	[illegible]	—	0.7	0.8	—
3.	Cal. Ammonium Nitrate	94.7	137	83	3.1	2	11	—	—	42	80.7	98	82
4.	Urea	110.3	109	35	6.5	41	48	5.6	—	18	10.3	68	112
5.	Superphasphate	20.6	70	17	17.0	41	61	6.7	14	6	0.6	1	6.7
6.	Tripal Superphasphate	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—
7.	Dia-Ammonium phasphate.	18.8	108	—	2.1	2	—	1.7	—	—	42	3	9
	Amm. Phasphate	—	—	[illegible]	7	—	—	—	—	—	0.5	[illegible]	[illegible]
9.	Murat of Potash	5.2	6	2	3	2	5	1.8	2.3	1.	1.0	0.6	2

S. No.	Name of Fertilizer	Todaraisingh 70-71	Todaraisingh 71-72	Todaraisingh 72-73 up to Dec., 72	Deoli 70-71	Deoli 71-72	Deoli 72-73 up to Dec., 72	Remarks
1.	Amm. Sulphate	35.3	20	5	178.5	142	57	
2.	Amm. Sulphate Nitrate	—	—	—	—	—	—	
3.	Cal. Ammoniam-Nitrate	112.9	205	227	157.5	79	92	
4.	Urea	6.5	32	33	84.7	69	72	
5.	Superphasphate	9.2	10	46	3.5	3	26	
6.	Tripal Superphasphate	—	—	—	—	—	—	
7.	Dia Ammonium phasphate	4.7	4.9	2	0.6	1	1	
8.	Amm. Phasphate	—	—	—	0.4	8	3	
9.	Murat of Potash	6.0	1	1	0·2	0.3	11	

परिशिष्ट-16

(प्रश्न सं० 350 की सूची)

List of diesel engine pumping sets approved by the Rajasthan Government.

1. Ruston
2. Ajit and Sova
3. Commet and Rocket
4. Menon
5. Votavikram
6. Kirloskar
7. Mazdock
8. Cooper
9. Lister
10. Karma
11. Genco
12. Atulshakti
13. Jawahar
14. Imani
15. Dipco
16. Karagjar
17. H.T.C.
18. Ajeet and Mecwel
19. Energy
20. Indec
21. Anil
22. Embee
23. Usha
24. Mayur
25. P.S.G.
26. Paramshakti
27. Field Marshal
28. Matchless
29. Sainik
30. Paco
31. Agrico
32. Bharat
33. United

परिशिष्ट-17

(तारांकित प्रश्न सं० 357 की सूची)

तालिका 'क'

LIST OF CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

Sector : "Tourism"

S. No.	Name of Scheme	No. & date of sanction received from the Govt. of India	Amount sanctioned by the Government of India
1.	Construction of Youth Hostel at Jaipur	No. 11-Acc. II (I) 71, dated 6.6.72	Rs. 3,58,600.00
2.	Const. of a Tourist Bungalow at Jaisalmer	No. 2-Acc. III (I) 71, dated 7.2.72	Rs. 5,00,000.00
3.	Electrification of Sariska Game Sanctuary	No. 2-Acc. III (I) 71, dated 14.2.72	Rs. 3,17,905.00
4.	Const. of Rest House at Bharatpur Bird Sanctuary, Bharatpur	No. 2-Acc. III (I) 71, dated 21.6.72	Rs. 14,59,400.00
5.	Const. of Tourist Reception Centre at Jaipur	No. 2 Acc. I (I) 71, dated 28.6.72	Rs. 12,25,205.00
6.	Providing of Electricity e to Ranakpur	No. 2 Acc. IV (I) 72, dated 14.8.72	Rs. 85,000.00
		Total :	Rs. 39,36,110.00

तालिका 'ब'

Statement showing the particulars of President, Vice-President, Secretary and members of Gram Sevak Samaj. Nahri-Ka-Naka, Jaipur, Registration No. 51 on 28-8-69.

S. No.	Name	Father's Name	Post held in Sanstha	Address	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Nathu Ram Gujar	Shri........	Adhyakash	Nahri-Ka-Naka, Opp. Water Boring, Jaipur	Registered Head Constable of Raj. Police.
2.	,, Satyanarain Singh	Late Shri Bahadur Singhji	Upadhaykash	—do—	Govt. Service, Accounts Clerk in Secretariat, Jaipur.
3.	,, Harinarain Sainik	Shri Laxmi Narain	Mantri	A-2 Shastri Nagar, Behind Water Boring, Nahri-Ka-Naka, Jaipur	Govt. Service, Personal Asstt. now deputation with Raj. State Agro-Ind. Corpn., Jaipur.
4.	,, Nathu Lal Verma	,, Jaila Ram Meena	Up-Mantri	Nari-ka-Naka, Jaipur	Employed in Rly. Deptt.
5.	,, Sitaram Sharma	,, Nand Kishore	—do—	—do—	Business and running a school (Pvt.)

1	2	3	4	5	6
6.	Shri Krishnakumar	Shri Shivsahaiji Saini	Treasurer	Nari-ka-Naka, Jaipur	Business.
7.	,, Kalayan Sahai Verma	,, Narsinghram Verma	Prachar Mantri	—do—	Labourer (Mason).
8.	,, Hanuman Sahai	,, Bhanji Gujar	Member	—do—	
9.	,, Nand Kishore Saini	,, Laxman Ram	—do—	—do—	Govt. Service.
*10.	,, Gokul Ram	,, Bhonri Lal	—do—	—do—	Labour (Mason).
11.	,, Babu Lal Saini	,, Shiv Sahai	—do—	—do—	Business.
12.	,, Gangaram Meena	Shri......	—do—	—do—	Rly. Employee.
*13.	,, Roor Mal Azad (Jat)	,, Ramnarainji	—do—	—do—	Govt. Service.
14.	,, Gopi Ram Gujar	,, Ram Kumar Gujar	—do—	—do—	Govt. Service.
15.	,, Sujaram Gujar	,, Narainji	—do—	—do—	Govt. Service.
16.	,, Ramchandra Saini	,, Shiv Sahai	—do—	—do—	Business.
AUDIT INSPECTOR					
	Shri Jagannath Prasad	Shri......	—do—	—do—	Govt. Service, Co-operative Department, Jaipur.

***Note**:—In place of Sarvashri Gokul Ram and Roor Mal Jat, Sarvashri Kalyan Meena and Goverdhanji Mali have been elected temporarily. Kalyan is a Rly. employee while Shri Goverdhan is a contractor of Elec. and Water Pipe fitting.

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी :

1. श्री ए० जे० जय सिंघानी
2. श्री इकबाल कृष्ण बाली
3. श्री दुर्गालाल माथुर
4. श्री बृजवल्लभसिंह
5. श्री पी० भट्टाचार्य
6. श्री गिरधारीलाल महाजन
7. श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता
8. श्री ताराप्रकाश जोशी
9. श्री शिवराम जैन
10. श्री शिवकरण कविराज
11. श्री योगेश चन्द्र
12. श्री जे० के० जैन
13. श्री गनपतराम

राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी :

1. श्री मानसिंह
2. श्री भूरमल जैन
3. श्री जय प्रकाश त्यागी
4. श्री इन्द्रसिंह
5. श्री के० के० सिंह
6. श्री चन्द्र सिंह
7. श्री के० एल० सैनी
8. श्री मुखराम शर्मा
9. श्री के० जी० धाभाई
10. श्री के० एल० गोदारा
11. श्री भंवरसिंह
12. श्री नारायणलाल
13. श्री श्यामलाल
14. श्री हरिश्चन्द्र
15. श्री मदनलाल

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी :

1. श्री ए० जे० जय सिंघानी
2. श्री दुर्गालाल माथुर

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न सं० 363 की सूची)

राजकीय पशु प्रजनन केन्द्र, रामसर का वर्ष 1971-72 का मासिक व्यय एवं आय की तालिका

क्र० सं०	माह	व्यय	आय
1.	अप्रैल, 71	1516.62	5915.12
2.	मई, 71	32740.92	6060.25
3.	जून, 71	24129.27	2796.25
4.	जुलाई, 71	64028.51	8082.29
5.	अगस्त, 71	5519.38	5120.47
6.	सितम्बर, 71	5128.82	2404.48
7.	अक्टूबर, 71	5519.79	6244.24
8.	नवम्बर, 71	20012.85	4208.38
9.	दिसम्बर, 71	6638.38	6175.58
10.	जनवरी, 72	7524.84	2726.60
11.	फरवरी, 72	13599.67	7062.46
12.	मार्च, 72	66326.49	4873.56
	योग ..	252685.54	61669.68

शुद्धि-पत्र

बृहस्पतिवार, दिनांक मार्च 22, 1973

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	अन्तिम से	1	मा	सभा
3	,,	8	आग	आगे
4	ऊपर से	4	श्रो चेतारास	श्री चेतराम
6	,,	12	गटर	गर्डर
11	,,	4	के	का
	,,	18	ार	और
12	,,	15	मगता	भुगता
15	अन्तिम से	1	जुझारसिह	श्री जुझारसिंह
16	,,	8	मीलवाड़ा	भीलवाड़ा
24	,,	19	यागन्द्र नाथ	योगेन्द्रनाथ
	,,	9	ब क	ईंटक
43	ऊपर से	15	23) 5	3) 25
47		शीर्ष	तारांकिन	तारांकित
50	ऊपर से	5	एग्रीक चर	ऐग्रीकल्चर
	अन्तिम से	10	उमदि	उम्मीद
51	ऊपर से	15	ह	हैं
57	,,	9	संस्था	संस्था को
70	,,	6	उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	—
72	,,	12	दिया	किया
110	,,	9	आलावा	अलावा
	,,	13	प्रताव	प्रस्ताव
128	,,	19	रजिसस्टर्ड	रजिस्टर्ड
129	ऊपर से	9	पाएग	पायेगा
	,,	20	गफ्फा अली	गफ्फार अली
130	,,	24	फारफेस्ट	परफेक्ट
133	अन्तिम से	1	हेना	रहना
137	,,	4	मष्टाचार	भ्रष्टाचार
	,,	2	ओर	और

240

2

1	2	3	4
133	ऊपर से	8	अध्य	अध्यक्ष
	„	11	संक्षप	संक्षेप
	अन्तिम से	8	ह	है
141	ऊपर से	5	से हों	सेठों
	अन्तिम से	14	बालने	बोलने
143	ऊपर से	7	मुदों	मुद्दों
144	अन्तिम से	2	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार
158	ऊपर से	1-2	श्री अजीतसिंह (विभाजन संख्या 1) प्रस्ताव करेंगे कि:–	—
159	ऊपर से	6	चचा	चर्चा
165	अन्तिम से	2	हकारी	सहकारी
	„	1	लिए	के लिए
168	ऊपर से	4	आस्ता	आस्था
	अन्तिम से	1	दये	दिये
171	ऊपर से	6-7	(वि० सं० 152) प्रस्ताव करेंगे कि:–	—
172	„	4	मैं	में
192	„	4	एक।	एक
198	ऊपर से	13	समझत	समझता
205	अन्तिम से	5	लगमी	लगेगी
208	ऊपर से	14	द	है
213	अन्तिम से	15	जाना	जाना
225	ऊपर से	16	सोसायटिय	सोसायटियां
228	„	3	कि	की
235	„	9	जनना	जानना
249	„	8	आकांशा	आकांक्षा
261	„	14	ह	है
274	अन्तिम से	5	फ र	फिर
299	ऊपर से	1	जन	जैन
	„	2	जा	जा रहा
303	ऊपर से	17	हालिल	हासिल
305	अन्तिम से	6	मैं	में
316		शीर्ष	पर	संकल्प पर
318	अन्तिम से	8	रामचन्द्रनन	रामचन्द्रन
338	„	1	हैंडलू	हैन्डलूम

241

1	2		3	4
344	अन्तिम से	1	सहका	सहकारी
350	"	16	दीदादनारित	दीदादनिस्ता
353	ऊपर से	10	करन	करना
360	"	19	मी उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
367	"	9	सम्पर्ग	सम्पर्क
369	अन्तिम से	2	वहूह	वह
370	"	10	वेटेड	वेस्टेड
382	ऊपर से	13	इलेक्श	—
383	अन्तिम से	1	काउटिन्ग	काउन्टिग
387	ऊपर से	6	विकुल	बिल्कुल
400	ऊपर से	7-23	वेसड	वेस्ड
413	अन्तिम से	1	व	बारे
418	"	3	तदन्तर	तदनन्तर
423	"	12	Bunakidar	Bundkidar
	"	4	Neckles	Necklace
	"	2	Photoes	Photos
424	"	13	रजिस्ट्रशन	रजिस्ट्रेशन